भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

की

रिपोर्ट

1975-76

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	अनुभाग	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(iii)
अध्याय I सरकारी कम्पनियां		
प्रस्तावना	I	1
उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड	II	6
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	III	67
अन्य सरकारी कम्पनियां	IV	69
अध्याय II सांविधिक निगम		
प्रस्तावना	V	72
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्		
भंडारों की अधिप्राप्ति, रखरखाव तथा वितरण ..	VI	75
विद्युत् प्रभार का क्रम निर्धारण	VII	99
अन्य रोचक विषय	VIII	105
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	IX	110

परिशिष्ट

परिशिष्ट I सरकारी कम्पनियों के वित्तीय कार्य परिणामों का संक्षिप्त विवरण	114
परिशिष्ट II सांविधिक निगमों के वित्तीय कार्य परिणामों का संक्षिप्त विवरण	122

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :—

(i) सरकारी सम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम।

2. इस रिपोर्ट में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा है। विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सिविल) में की गई है।

3. सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पूरक अथवा परख सम्परीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर टिप्पणी करने अथवा न्यूनता पूर्ति करने का भी अधिकार है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में निर्देश देने का भी अधिकार प्रदान करता है। सरकारी कम्पनियों के कार्य के कुछ विशेष पहलुओं को देखने हेतु इस प्रकार के निर्देश लेखापरीक्षकों को नवम्बर 1962 में दिये गये थे। यह निर्देश दिसम्बर 1965 और पुनः फरवरी 1969 में संशोधित किये गये।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1 जून 1972 को निगमित) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (1 अप्रल 1959 को निगमित) जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ही एक मात्र लेखा परीक्षक हैं जब कि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के सम्बन्ध में उसे संबंधित अधिनियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार तत्सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा से स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

5. इस रिपोर्ट में वह बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखों की परख सम्परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई हैं। उनको संबंधित उपक्रमों के वित्तीय प्रबन्ध पर सामान्यतया न तो आक्षेप करने के आशय से दिया गया है और न ही उनका वैसा कोई अर्थ लिया जावे।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

प्रस्तावना

1.01. 31 मार्च 1976 को राज्य सरकार की 57 कम्पनियां (20 सहायक कम्पनियों सहित) थीं, जब कि 31 मार्च 1975 को 46 कम्पनियां (19 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। 57 कम्पनियों में से 45 (15 सहायक कम्पनियों सहित) अपने लेखे प्रतिवर्ष 31 मार्च को, 5 कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी सहित) 30 जून को, दो सहायक कम्पनियां 31 जुलाई को और 3 कम्पनियां (एक सहायक कम्पनी सहित) 30 सितम्बर को बन्द करती हैं। शेष दो कम्पनियां, यथा अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड अपने लेखे क्रमशः 31 अक्टूबर और 31 दिसम्बर को बन्द करती हैं।

1.02. फरवरी 1977 तक प्राप्त 43 कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का सारूप विवरण उनके नवीनतम लेखों के आधार पर (1975–76—36, 1974–75—6 और 1973–74—1) परिशिष्ट I में दिया गया है।

1.03. निम्नलिखित 19 कम्पनियों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं :—

	वर्ष जिसका लेखा प्राप्त नहीं हुआ है
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा, शक्ति चालित करघा, वित्त व विकास निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश राज्य बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास तथा विपणन निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ..	1975–76
गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश एक्सकाट प्राइवेट लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज प्राइवेट लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76
उत्तर प्रदेश प्रैस्ट्रैस्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ..	1975–76
उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ..	1974–75 व 1975–76

फैजाबाद रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1975–76
कृष्णा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	1973–74 से 1975–76
बुन्देलखंड कान्क्रीट स्ट्रकचरल्स लिमिटेड	1974–75 व 1975–76
अल्मोड़ा मैंगनेसाइट लिमिटेड	1975–76

एक अन्य कम्पनी, यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड जो 1975-76 में निगमित हुई थी, के लेखे देय नहीं थे और एक अन्य कम्पनी, यथा इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड निस्तारण में है।

प्रदत्त पूंजी

1.04. छत्तीस कम्पनियों (जिनके लेखे पूर्ण हैं) की प्रदत्त पूंजी का 1975–76 के अन्त में योग 9,052.64 लाख रुपये* था। 36 कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी में राज्य व केन्द्रीय सरकारों, नियंत्रक कम्पनियों तथा निजी संस्थाओं के विनियोग का विवरण निम्न प्रकार है :—

कम्पनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	नियंत्रक कम्पनियां	निजी संस्थाएं	योग
						(लाख रुपयों में)
राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	20	6932.51	..	..	..	6932.51
राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां	1	316.00	316.00	..	..	632.00
सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां	7	..	..	1245.56	..	1245.56
नियंत्रक कम्पनियों व निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	3	..	..	114.59	69.97	184.56
राज्य सरकार व निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	5	35.79	..	..	22.22	58.01
योग ..	36	7284.30	316.00	1360.15	92.19	9052.64

*राशियां कम्पनी के लेखे के अनुसार।

छः कम्पनियां, जिन्होंने अपने 1974–75 के लेखे प्रस्तुत किये, के विनियोग का विवरण निम्न प्रकार था :—

	धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार	77.56
नियंत्रक कम्पनियां	52.03
निजी संस्थाएं	49.93

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ, जिसने 1973–74 के लेखे प्रस्तुत किये, का सम्पूर्ण विनियोग (50 लाख रुपये) राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

लाभ और लभांश

1.05. 1975–76 के दौरान 31 कम्पनियों के क्रिया-कलाप का परिणाम 460.32 लाख रुपयों की शुद्ध हानि था (19 कम्पनियों द्वारा 111.76 लाख रुपए का लाभ और 12 कम्पनियों द्वारा 572.08 लाख रुपए की हानि को मिलाकर) जबकि पिछले वर्ष 16 कम्पनियों के क्रिया-कलाप का परिणाम 791.26 लाख रुपयों की शुद्ध हानि था। शेष पांच कम्पनियों ने, जिन्होंने 1975–76 के लेखे तैयार किये, निर्माणाधीन अवस्था में होने के कारण लाभ और हानि लेखे नहीं तैयार किये।

5 कम्पनियां, जिन्होंने 1974–75 की तुलना में 1975–76 के दौरान अपने क्रिया-कलापों में सारभूत सुधार किया, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

नाम	लाभ (+) / हानि (–) 1974–75	1975–76
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 34.16	(+) 57.04
उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 12.06	(+) 5.99
उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 302.54	(–) 268.96
किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड	(–) 146.12	(–) 38.23
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 283.24	(–) 60.78

तीन कम्पनियां, जिन्होंने 1974–75 की तुलना में 1975–76 के दौरान अपने क्रिया-कलापों में विशेष ह्रास दिखाया, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

नाम	लाभ (+) / हानि (–) 1974–75	1975–76
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 45.26	(+) 19.46
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	(+) 0.02	(–) 11.03
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 55.96	(–) 138.01

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ने 1975–76 के दौरान 3.90 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया जो उसकी कुल प्रदत्त पूंजी (65 लाख रुपये) का 6 प्रतिशत है।

5252.93 लाख रुपये प्रदत्त पूंजी वाली 15 कम्पनियों ने 599.60 लाख रुपये की कुल

हानि उठायी (1975–76 : 572.08 लाख रुपये, 1974–75 : 25.51 लाख रुपये और 1973–74 : 2.01 लाख रुपये) जिसमें से 578.35 लाख रुपये निम्नलिखित छः कम्पनियों से सम्बन्धित था:—

नाम	वर्ष	हानि
		(लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड ..	1975–76	268.96
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ..	1975–76	138.01
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड ..	1975–76	60.78
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड ..	1975–76	48.31
किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड ..	1975–76	38.23
अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड ..	1974–75	24.06

गारंटियां

1.06. सरकार ने चार कम्पनियों द्वारा प्राप्त कुल 2240 लाख रुपये के ऋणों के पुनर्भुगतान की गारन्टी दी जिसमें से 31 मार्च 1976 को 1956 लाख रुपये अदत्त थे। सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का व्यौरा निम्न तालिका में प्रदर्शित है:—

कम्पनी का नाम और संक्षिप्त विवरण	गारन्टियों की उच्चतम धनराशि	31 मार्च 1976 को गारन्टी दी गई और अदत्त धनराशि
	(लाख रुपये में)	
(1) दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, लखनऊ		
(क) कम्पनी द्वारा निर्गमित 6¼ प्रतिशत बाण्डों के मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिये गारन्टी	220	220
(ख) कम्पनी द्वारा कार्यान्वित क्रेडिट गारन्टी स्कीम के लिये गारन्टी	200	14
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ		
(क) 500 ट्रैक्टर क्रय करने के लिये कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया को दी गई गारन्टी	43	13
(ख) खाद क्रय करने के लिये ऋण की अदायगी और उसके ब्याज के भुगतान क लिये व्यापारिक बैंकों को दी गई गारन्टी	735	735
(3) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ पुलों के निर्माण के लिये ऋणों की अदायगी और उन पर ब्याज के भुगतान के लिये व्यापारिक बैंकों को दी गई गारन्टी	347	347

कम्पनी का नाम और संक्षिप्त विवरण	गारंटियों की उच्चतम धनराशि	31 मार्च 1976 को गारंटी दी गई और अदत्त धनराशि (लाख रुपयों में)
(4) उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ		
(क) कैश क्रेडिट सुविधाओं के लिये सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया को दी गई गारन्टी	194	194
(ख) कम्पनी के नियंत्रण की चीनी मिलों को दिये गये ऋणों के लिये व्यापारिक बैंकों को दी गई गारन्टी	366	298
(ग) ऋणों की अदायगी और उन पर ब्याज के भुगतान के लिये इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को दी गई गारन्टी (किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड) ..	135	135
योग ..	2240	1956

1.07. इसके अतिरिक्त राज्य में दो कम्पनियां कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (ख) के अन्तर्गत वाली थीं, यथा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कनसल्टेंट्स लिमिटेड और स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड, जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1976 और 22 अक्टूबर 1976 को क्रमशः 700 रुपये (प्रार्थना-पत्र पर प्राप्त 8.50 लाख रुपये अग्रिम, जिनके अंश आवंटित नहीं हैं, को छोड़कर) और 70 लाख रुपए थी। उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कनसल्टेंट्स लिमिटेड के 100 रुपये प्रति अंश वाले पांच अंश राज्य सरकार ने और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कम्पनियों और निगमों ने ले रखे थे। स्टील फास्टनर्स लिमिटेड की 70 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी में से 38.56 लाख रुपये राज्य व केन्द्रीय सरकारों द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कम्पनियों और निगमों ने ले रखे थे। उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कनसल्टेंट्स लिमिटेड के 1975–76 के क्रिया-कलापों ने 0.06 लाख रुपये का शुद्ध लाभ दर्शाया। स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड के 22 अक्टूबर 1976 को अन्त होने वाले वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1977)।

नोट:--धनराशियां कम्पनियों के लखों के अनुसार।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना

2.01. राज्य में अशक्त चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से सरकार ने यू० पी० सुगर अण्डरटेकिंग्स (एक्वीजीशन) अधिनियम, 1971 पारित किया। इस तरह सरकार के नियंत्रण में लाई गई चीनी मिलों का स्वामित्व लेने और चलान के लिये 26 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गई।

उद्देश्य

2.02. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य,जैसा कि उसके मैमोरेन्डम आफ एसोसिएशन में दिये गये हैं, निम्न हैं:—

(क) चीनी और गन्ने के उप-उत्पाद, चुकन्दर, शीरा, गुड़, अलकोहल व सभी उत्पाद और उनके उप-उत्पाद सहित चीनी मिलों के व्यापार को चलाना,

(ख) राज्य में उन चीनी उपक्रमों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करना जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिकृत करे,

(ग) चीनी उपक्रमों का क्रय, और

(घ) चीनी मिलों की स्थापना और उनके व्यापार को चलाना साथ ही साथ अपनी सहायक कम्पनी के रूप में किसी सुगर कम्पनी को स्थापित (प्रमोट) करना।

संगठनात्मक स्थिति

2.03. कम्पनी 11 निदेशकों के एक निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित है जिसमें से एक कर्मचारियों के हित का और दूसरा गन्ना उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है। कम्पनी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है। किच्छा की फैक्टरी चलान क लिये तथा नन्दगंज, छाता, चांदपुर और रायबरेली में नये कारखाने स्थापित करने के लिये निगमित की गई चार सहायक कम्पनियां कम्पनी के पास हैं।

कम्पनी का अध्यक्ष सभी सहायक कम्पनियों का अध्यक्ष है और कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक किच्छा सुगर कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सहायक कम्पनियों का उपाध्यक्ष है।

ये सहायक कम्पनियां अपने स्वयं के निदेशक मण्डलों द्वारा प्रबन्धित हैं तथा उनमें पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक भी हैं।

कम्पनी द्वारा स्वामित्व वाली मिलें इकाई स्तर पर पूर्णकालिक सामान्य प्रबन्धकों द्वारा मार्गदर्शित हैं।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध के अधिकार अपने प्रबन्ध निदेशक व अलग-अलग मिलों के सामान्य प्रबन्धकों को सौंपे हैं।

कार्य

2.04. कम्पनी ने उद्देश्य पूर्ति के लिये :

(क) शासन द्वारा जुलाई 1971 में यू० पी० सुगर अण्डरटेकिंग्स (एक्वीजीशन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहीत बाराबंकी, खड्डा (देवरिया), भटनी (देवरिया),

सखोती-टांडा (मेरठ) और मोहीउद्दीनपुर (मेरठ) में से प्रत्येक की एक-एक करके पांच अशक्त चीनी मिलों को अपने अधिकार में ले लिया,

(ख) जून 1974 में हुए नीलाम में पिपराइच (गोरखपुर) की अशक्त चीनी मिल को क्रय किया,

(ग) किच्छा (नैनीताल) में एक चीनी मिल का स्वामित्व करने और चलाने के लिये एक सहायक कम्पनी की स्थापना की जो शासन द्वारा नवम्बर 1971 में कम्पनी को हस्तान्तरित की गई,

(घ) रायबरेली, नन्दगंज-सिहोरी (गाजीपुर), छाता (मथुरा) और चांदपुर (बिजनौर) में, प्रत्येक में एक-एक करके, चार नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आशय-पत्र (लेटर्स आफ इन्टेन्ट)/व्यावसायिक अनुज्ञा-पत्र (इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स) प्राप्त किया (नवम्बर 1973/अप्रैल 1974)।

कम्पनी में इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम, 1951 और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत सहारनपुर, रोहनकलां (मुजफ्फरनगर) और डोईवाला (देहरादून) की तीन निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का प्रबन्ध भी निहित है। वह बरेली की एक निजी चीनी मिल की गृहीता (रिसीवर) का कार्य करती है और जरवल रोड (बहराइच), रामकोला-खेतान (देवरिया), बुलन्दशहर, बुढ़वल (बाराबंकी) और अमरोहा (मुरादाबाद) की पांच चीनी मिलों को, जिनके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारियों ने यू0 पी0 जमीदारी एबोलीशन एण्ड लैण्ड रिफार्म्स अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अन्य गृहीता (रिसीवर) नियुक्त किये हैं, विभिन्न वित्तीय तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में सलाह और पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है।

अशक्त चीनी मिलों को अधिकार में लेना

2.05. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 3.3 में पांच अशक्त चीनी मिलों को अधिकार में लेने के सम्बन्ध में वर्णन किया गया था। इन उपक्रमों की अचल सम्पत्ति का मूल्य स्कन्ध (स्टाक) में अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार सामग्री सहित यू0 पी0 सुगर अन्डरटेकिंग्स (एक्वीजीशन) अधिनियम, 1971 के अनुसार 80.50 लाख रुपया था। इन मिलों को अधिकार में लेने के समय धारित व्यवसायिक रहतिया (चीनी, शीरा आदि) का स्वामित्व भी कम्पनी में निहित था; उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग गन्ने के शेष भुगतानों और उपक्रमों के अन्य दायित्वों का समापन करने में किया जाना था। शेष धनराशि, यदि कोई हो, को सरकार को भेजना था।

इस प्रकार ली गई अचल सम्पत्तियों के मूल्य को मिलों को अधिकार में लेने की तिथि से प्रति वर्ष प्रयुक्त भण्डार और अतिरिक्त पुर्जो के मूल्य को घटाने के बाद, कम्पनी द्वारा लेखों में बिना ह्रास के प्राविधान के इस आधार पर प्रथक रूप से दिखाया जा रहा है कि भूतपूर्व स्वामियों को भुगतान की जाने वाली क्षति पूर्ति की राशि विवादास्पद है (मार्च 1977)। इस बीच कम्पनी इन फैक्ट्रियों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण पर खर्च करती रही है। इस खर्च को विद्यमान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन के रूप में पूंजीकृत कर दिया गया है।

एक चीनी मिल का क्रय

2.06. शासन के निर्देशानुसार कम्पनी ने पिपराइच (गोरखपुर) की एक निजी चीनी मिल को 55 लाख रुपये में खुले नीलाम (19 जून 1974) में खरीदा। क्रय के लिये आवश्यक निधि साम्य पूंजी के रूप में शासन द्वारा 28 जून 1974 को प्राप्त कराई गई। जबकि 13.75 लाख रुपये का भुगतान कम्पनी द्वारा नीलाम के दिन कर दिया गया, शेष 41.25 लाख रुपये 2 नवम्बर 1974 को आयुक्त गोरखपुर द्वारा पुष्टीकरण करने के बाद भुगतान किया गया और कम्पनी ने मिल को उसी दिन अधिकार में ले लिया।

अधिकार में लेने के बाद कम्पनी ने सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उसे अधिकार में लेने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित 10.11 लाख रुपये, मिल कर्मचारियों की जून से अक्टूबर 1974 की मजदूरी एवं वेतन (9.94 लाख रुपये) और विद्युत, रेलवे साइडिंग इत्यादि (0.17 लाख रुपये) का इस आधार पर भुगतान किया कि गन्ना पेराई की निरन्तरता के लिये यह आवश्यक था। निदेशक मण्डल ने अधिकार में लेने से पूर्व की अवधि की मजदूरी के 4.69 लाख रुपयों के बकायों के भुगतान का भी अनुमोदन दिया (जनवरी 1977)। यद्यपि, मिल बिना किसी भार के क्रय की गई थी। प्रबन्धकों ने बताया अप्रैल 1977 कि यदि ये भुगतान न किये गये होते तो मजदूरों में गम्भीर असन्तोष व्याप्त हो जाता।

स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज का कुल 6.19 लाख रुपया, जो दिसम्बर 1974 में तहसीलदार, गोरखपुर ने मांगा था, भुगतान न किये जाने के कारण आवश्यक बिक्री प्रमाण-पत्र प्राप्त व पंजीकृत नहीं कराया गया क्योंकि, जैसा बताया गया, इस कार्य के लिये सरकार न कम्पनी को धन प्रदान नहीं किया।

पूंजी संरचना

2.07. (क) अंश पूंजी

मार्च 1971 में कम्पनी 5 करोड़ रुपय की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत कराई गई जिसे प्रत्यक्ष या अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से नई चीनी मिलें स्थापित करने व अशक्त चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिये मुख्य रूप से आवश्यक धन प्राप्त करने हेतु बढ़ाकर अप्रैल 1974 में 10 करोड़ रुपये, जून 1975 में 15 करोड़ रुपये और सितम्बर 1976 में 20 करोड़ रुपये किया गया। 30 सितम्बर 1976 को 15.50 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई।

सरकार से अंश पूंजी के रूप में प्राप्त 15.50 करोड़ रुपये में से 10.99 करोड़ रुपये किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड के अंशों को क्रय करने के लिये (1.10 करोड़ रुपये), पिपराइच चीनी मिल को क्रय करने के लिये (0.55 करोड़ रुपये) और ई योजनाओं के लिये (9.34 करोड़ रुपये) उद्दीष्ट था। नई योजनाओं के लिये उद्दीष्ट 9.34 करोड़ रुपये में से सितम्बर 1976 तक 5.37 करोड़ रुपये का उपयोग हो गया था।

(ख) उधार (बारोइंग्स)

(i) सरकारी ऋण

मार्च 1973 और दिसम्बर 1976 के बीच सरकार ने कम्पनी को 493 लाख रुपयों के कुल ऋण भी प्रदान किए। सरकार द्वारा मार्च 1973 (20 लाख रुपये), नवम्बर 1973 (20 लाख रुपये) और नवम्बर 1974 में (45 लाख रुपये) के स्वीकृत कुल 85 लाख रुपये के तीन ऋण भुगतान के लिये अतिदेय थे (30 सितम्बर 1976)। प्रथम दो ऋण 2½ प्रतिशत छूट की शर्त के साथ क्रमशः 11 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ब्याज वहन करते हैं। तृतीय ऋण 3½ प्रतिशत छूट की शर्त के साथ 15½ प्रतिशत अनन्तिम दर पर ब्याज वहन करता है। छूट देय तिथि तक मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान पर ग्राह्य है। कम्पनी अपनी कथित 'शोचनीय आर्थिक स्थिति' के कारण ऋणों की अदायगी न कर सकी और प्रथम दो ऋणों (40 लाख रुपये) की अदायगी की देय तिथियों को सितम्बर 1977 तक बढ़ाने और तृतीय ऋण (45 लाख रुपये) को वर्तमान ऋणों (जिसकी शर्तें तय हुई नहीं बतायी गईं) में मिलाने के लिये सरकार से प्रार्थना की (जनवरी 1976)। इन ऋणों की देय तिथियों तक अदायगी में अपनी असमर्थता के कारण कम्पनी प्रथम दो ऋणों पर 3½ प्रतिशत और तृतीय ऋण पर 3½ प्रतिशत ब्याज की छूट के लाभ को खो रही है।

क्योंकि कम्पनी कोई निश्चित अवधि, जिसके दौरान ऋण अदा किए जा सके, का सुझाव देने में असमर्थ थी, शेष ऋणों की अदायगी की शर्तें सरकार के विचाराधीन रहीं। इस बीच कम्पनी देय तिथि के अन्दर मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान पर लागू 15½ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज, 3½ प्रतिशत छूट घटाकर, का प्रविधान अपने लेखों में कर रही है।

प्रबंधकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि कम्पनी की गम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण राज्य सरकार से निम्न पर विचार करने के लिये प्रार्थना की गई थी:—

(i) 30 सितम्बर, 1976 तक ऋणों पर प्रोद्भूत सम्पूर्ण ब्याज छोड़ देना,

(ii) ऋण को साम्य अंश पूंजी में परिवर्तित करना, और

(iii) जब तक अनुच्छेद (ii) के संबंध में निर्णय लिया जाता है ऋण को ब्याज मुक्त मानना।

80.50 लाख रुपये की राशि को भी, जो सरकार से ली गई पांच अशक्त चीनी मिलों की सम्पत्तियों का नियत मूल्य है, सरकारद्वारा कम्पनी को ऋण के रूप में मान लिया गया है। यह ऋण, उन संबंधित तिथियों से जिन पर राज्य सरकार पूर्व स्वामियों को वास्तव में भुगतान करेगी, बैंक दर से 1/2 प्रतिशत ऊंचा ब्याज वहन करता है, और मिलों को अधिकार में लेने की तिथि के छठवें वर्ष (3 जुलाई 1977) से शुरू होकर सात वार्षिक किश्तों में ब्याज के साथ अदा होने योग्य है।

(ii) **बैंक ऋण**

अक्टूबर 1973 में मोहीउद्दीनपुर मिल के संयंत्र और मशीनों की पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के लिये कम्पनी ने 17.50 लाख रुपये का एक सावधि ऋण एक राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया। ऋण तिमाही विश्रामों सहित बैंक दर से 4 प्रतिशत ऊंचा ब्याज (न्यूनतम 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष) वहन करता है। ऋण की आदायगी की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। ऋण में से, 5 लाख रुपये उस मिल में कार्यशील पूंजी के वास्ते उपयोग में लाये गये और शेष, सरवोली–टांडा मिल (3 लाख रुपये) और कम्पनी के मुख्य कार्यालय (9.50 लाख रुपये) को हस्तांतरित कर दिया गया। 3.50 लाख रुपये प्रत्येक की प्रथम दो किश्तों को आदयगी देय तिथियों पर की गई।

मई 1973 में कम्पनी ने एक दूसरी राष्ट्रीयकृत बैंक से 60.25 लाख रुपये का और भी सावधि ऋण प्राप्त किया। पांच समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय ऋण, बैंक दर से 4 ½ प्रतिशत ऊंचा ब्याज, न्यूनतम 10 ½ प्रतिशत प्रतिवर्ष सहित, वहन करता था। ऋण प्रलेखों को अंतिम रूप दिये जाने तक बैंक ने कम्पनी को खड्डा, भटनी और सखोती टांडा मिलों की पुनर्स्थापना कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकीय संयंत्र और मशीनों की आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने योग्य बनाने के लिये 25 लाख रुपये और 10 लाख रुपये के दो अन्तरपूर्ति ऋण (ब्रिजिंग लोन) क्रमशः मई और नवम्बर 1973 में दिए। सितम्बर 1975 में कम्पनी द्वारा ऋण प्रलेख सम्पादित करने के बाद, बैंक ने दिसम्बर 1975 में शेष 25.25 लाख रुपये प्रदान किए जिसमें से बैंक द्वारा, 17 मई, 1975 (5 लाख रुपये) और 17 नवम्बर 1975 (2लाख रुपये) को देय दो अन्तरपूर्ति ऋणों के संबंध में प्रथम किश्त की अदायगी के लिये, 7 लाख रुपये समायोजित कर लिये गये। शेष 18.25 लाख रुपये के लिये बैंक ने ग्यारह सावधि जमा रसीदें निर्गमित की जो कम्पनी द्वारा फरवरी 1976 में 46 दिन बाद परिपक्वता पर भुना ली गईं। बैंक ने ऋण की तिथि, अर्थात् दिसम्बर 1975 से कुल राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दी।

सरकार द्वारा प्रतिभू किया हुआ 25 लाख रुपये का एक अल्पावधि ऋण सितम्बर 1976 में सखोती–टांडा मिल ने गन्ना मूल्य के बकायों के भुगतान के लिये एक सहकारी बैंक से लिया। ऋण मासिक विश्रामों सहित 15 ½ प्रतिशत ब्याज वहन करता है और मिल द्वारा बेची गई चीनी की 15 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से 30 जून 1977 तक चीनी की बिक्री की उगाहियों में से अदा करने योग्य है, जिसमें असफल हो जाने पर कम्पनी उस तिथि तक सम्पूर्ण धन भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। मार्च 1977 तक 2.34 लाख रुपये की अदायगी की गई।

(iii) **बैंक उधार सुविधायें**

गन्ना मूल्य और अशक्त चीनी मिलों के अन्य आवर्ती व्ययों का भुगतान करने के लिये कम्पनी ने रोकड़ उधार व्यवस्थायें भी प्राप्त की। सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में बैंकों द्वारा दी गई रोकड़ उधार की अधिकतम सीमा 6.43 करोड़

रुपये थी और सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यह 7.57 करोड़ रुपये थी। 1975–76 में बैंकों ने 'बिल मार्केट स्कीम' का आरम्भ किया जिसके अन्तर्गत गन्ना आपूर्तिकर्ता गन्ना मूल्य उगाहने के लिये बैंकों से अपने बिलों का नगदीकरण करने के लिये अनुमति प्राप्त थे। बैंकों द्वारा बिलों की अवधि के लिये ब्याज सहित भारित छूट की धनराशि कम्पनी को वहन करनी है। बिलों की परिपक्वता पर इस योजना के अन्तर्गत देय धनराशियां विभिन्न मिलों के रोकड़ उधार खातों के नाम डालनी होती हैं।

1971–72 से 1975–76 तक अधिकतम सीमा जिस तक रोकड़ उधार प्राप्त किया गया निम्न तालिका में दर्शाया गया है:––

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(लाख रुपयों में)	
बाराबंकी	76.50	86.50	86.50	87.00	84.00
भटनी	42.78	109.32	82.43	93.04	97.85
खण्डा	34.35	75.00	73.00	73.00	107.09
मोहीउद्दीनपुर	54.73	124.99	83.27	123.41	129.46
सखोती-टांडा	66.08	107.58	113.27	116.26	99.69
पिपराइच	..	..	..	65.00	94.00

(iv) ब्याज दायित्व

सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी का ब्याज दायित्व और सीमा जिस तक उसे उन्मोचित किया गया नीचे दर्शाये गये हैं:––

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	वर्ष के अन्त में अवशेष
				(लाख रुपयों में)
1971–72	..	12.20	12.20	..
1972–73	..	28.89	25.12	3.77
1973–74	3.77	40.27	39.84	4.20
1974–75	4.20	97.23	66.77	34.66
1975–76	34.66	117.21	75.48	76.39

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि बड़ा भाग (76.30 लाख रुपये) राज्य सरकार को देय था और ब्याज को माफ करने और इसे अंश पूंजी में परिवर्तित करने के लिये सरकार से पहले ही निवेदन किया जा चुका है।

अशक्त मिलों की पुनर्स्थापना एवं नवीनीकरण

2.08. 1959 से केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियां/आयोगों द्वारा राज्य में अनार्थिक चीनी मिलों के कार्यों की जांच की गई। कम्पनी ने 1972–73 से 1974–75 के दौरान तीन अवस्थाओं में अशक्त चीनी मिलों की पुनर्स्थापन का निर्णय किया (जून 1972) और तद्नुसार 1975–76 तक छः मिलों की पुनर्स्थापना एवं नवीनीकरण पर 3.10 करोड़ रुपया व्यय किया जिसका विवरण निम्न है:––

मिल	प्रतिस्थापित क्षमता (टनों में प्रतिदिन)	व्यय (करोड़ रुपयों में)
खड्डा (देवरिया)	768	0.81
भटनी (देवरिया)	1,016	0.40
मोहीउद्दीनपुर (मेरठ)	1,000	0.69
सखोती-टांडा (मेरठ)	1,000	0.90
बाराबंकी	1,000	0.17
पिपराइच (गोरखपुर)	800	0.13
योग		3.10

जब कि पुनर्स्थापना एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में था कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया (अक्टूबर 1974) कि:

(क) बाराबंकी और बुढ़वल (रिसीवरशिप में) की दो चीनी मिलें 2,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली नई मिल से प्रतिस्थापित की जानी चाहिये;

(ख) मोहीउद्दीनपुर और सखोती टांडा की मिलें 2,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली एक नई मिल से प्रतिस्थापित की जानी चाहिये;

(ग) खड्डा मिल की क्षमता 1250 टन प्रतिदिन तक बढ़ानी चाहिये और भटनी मिल क्षमता में बिना कोई वृद्धि किये, पुनर्स्थापना के बाद सतत चलती रहनी चाहिये।

दिसम्बर 1975 में कम्पनी ने राज्य सरकार को सूचित किया कि अशक्त चीनी मिलों की पुनर्स्थापना पर भारी विनियोग अनुचित होगा जब तक कि शासन इन मिलों को बन्द करने या प्रतिस्थापित करने के प्रश्न पर दृढ़ निर्णय नहीं ले लेता है।

सरकार ने इस पर दस अन्य सदस्यों के साथ आयुक्त एवं सचिव चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की अध्यक्षता में अशक्त चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण एवं विस्तार के प्रश्न पर विचार करने के लिये फरवरी 1976 में एक समिति नियुक्ति की। इसी बीच कम्पनी ने शासन को पुनः आख्या दी कि सभी छः मिलों का कार्य असन्तोषजनक था क्योंकि संयंत्र और मशीनें अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुकी थीं। इन मिलों की पूर्ण पुनर्स्थापना के लिये कम्पनी ने 1976–77 से 1980–81 तक के पांच वर्षों में 22.57 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया। फरवरी 1976 में शासन द्वारा नियुक्त समिति की प्रेरणा से कम्पनी ने इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इन्डिया (आई0 डी0 बी0 आई0) को शासन के माध्यम से वर्ष 1976 से 1980 के अवकाश मौसम में छः मिलों की व्यापक पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये 22.57 करोड़ रुपये की कुल पुनर्वित्तीय सुविधाओं हेतु परियोजना प्राक्कलन सहित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया (जून 1976)। प्रार्थनापत्र आई0 डी0 बी0 आई0 के विचाराधीन है (मार्च 1977)।

इसी बीच मई 1976 में निदेशक मण्डल ने 1976 के अवकाश मौसम के दौरान मिलों की पुनर्स्थापना के एक प्रस्ताव पर 2.18 करोड़ रुपया और व्यय करने का अनुमोदन दिया।

उत्पादन निष्पादन

2.09, निम्न तालिका खड्डा, भटनी, बाराबंकी, पिपराइच, मोहीउद्दीनपुर और सखोती–टांडा नामक छः मिलों के 1975–76 (सितम्बर में समाप्त) तक के चार वर्षों के उत्पादन निष्पादन का संक्षिप्त विवरण है:––

विवरण		1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
			(लाख कुन्तलों में)		
पेरा गया गन्ना	..	46.01	42.91	52.57	44.34
उत्पादित चीनी	..	4.35	3.68	4.93	4.10
चीनी वसूली का प्रतिशत	..	9.45	8.58	9.38	9.25

टिप्पणी––कम्पनी के आधीन पिपराइच मिल में उत्पादन 1974–75 में प्रारम्भ हुआ।

यह ध्यान दिया जायगा कि 1975–76 तक 3.10 करोड़ रुपये (मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय के अतिरिक्त) के पूंजी विनियोग के बावजूद, पेरे गये गन्ने की मात्रा या चीनी वसूली की प्रतिशत द्वारा, सम्बन्धित मिलों के कार्य में कोई सराहनीय प्रगति नहीं थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि 1973–74 में तुलनात्मक रूप से कम चीनी वसूली का कारण जनवरी 1974 में गन्ने की फसल पर पायरिला का भीषण आक्रमण और तुषारापात था, जिसने गन्ने की किस्म को बुरी तरह प्रभावित किया। आगे यह बताया गया (अप्रैल 1977)

कि 1975–76 तक के सीमित पुनर्स्थापन कार्य-क्रम पूर्ण हो जाने के बाद 1976–77 के उत्पादन वर्ष में श्रेष्ठतर परिणामों की आशा थी ।

प्रत्येक उत्पाद वर्ष में दिनों के संख्या, जिसमें अलग-अलग मिलों ने गन्ना पेरा, भी सामान्यतया घट गयी जैसा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:––

मिल	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
		(दिन)		
सखोती-टांडा ..	189	176	161	128
मोहीउद्दीनपुर ..	195	173	162	131
बाराबंकी ..	147	144	163	115
भटनी ..	108	87	95	86
खड्डा ..	118	136	137	117
पिपराइच ..	..	..	66	91

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि पेराई सत्र की अल्पावधि के लिये बहुत से तथ्य उत्तरदायी थे, जैसे कि जलवायु दशा, वर्षा, गुड़ और खंडसारी की ओर गन्नों का मोड़ आदि ।

क्षमता का उपयोग

2.10. कम्पनी की मिलों की दैनिक प्रतिष्ठापित गन्ना पेरने की क्षमता और गन्ने की कुल मात्रा, जो पूर्वी क्षेत्र में 150 दिनों और पश्चिमी क्षेत्र में 180 दिनों के सामान्य सत्र (सीजन) में (सिवाय भटनी मिल के जहां सामान्य सत्र 140 दिन का है) तीन पारियों में पेर सकते थे नीचे दर्शायी जाती है:––

मिल	दैनिक प्रतिष्ठापित क्षमता (मैट्रिक टनों में)	एक मौसम में गन्ना पेरने की क्षमता (लाख कुन्तलों में)
पूर्वी क्षेत्र		
खड्डा	768	11.52
भटनी	1,016	14.22
बाराबंकी	1,000	15.00
पिपराइच	800	12.00
पश्चिमी क्षेत्र		
मोहीउद्दीनपुर	1,000	18.00
सखोती-टांडा	1,000	18.00

सामान्य सत्र (सीजन) में, गन्ना पेरने की कुल क्षमता के संदर्भ में, मिलो की वर्षवार क्षमता का उपयोग नीचे तालिकाबद्ध है :––

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पूर्वी क्षेत्र					
(i) खड्डा					
सकल अवधि (दिन)	108	118	136	137	117
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	5.21	6.58	7.42	8.25	7.33
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	45.2	57.1	64.4	71.6	63.6

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
(ii) भटनी					
सकल अवधि (दिन)	63	108	87	95	86
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	3.95	9.02	6.84	7.54	6.70
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	27.8	63.4	48.1	53.0	47.1
(iii) बाराबंकी					
सकल अवधि (दिन)	90	147	144	163	115
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	4.81	8.44	8.91	9.87	6.66
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	32.1	56.3	59.4	65.8	44.4
(iV) पिपराइच					
सकल अवधि (दिन)	..	..	..	66	91
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	..	..	..	4.40	6.25
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	..	..	..	36.7	52.1
पश्चिमी क्षेत्र					
(i) मोहीउद्दीनपुर					
सकल अवधि (दिन)	114	195	173	162	131
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	6.96	12.06	10.06	10.77	9.58
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	38.7	67.0	55.9	59.8	53.2
(ii) सबोला-टांडा					
सकल अवधि (दिन)	105	189	176	161	128
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	5.22	9.91	9.68	11.74	7.82
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	29.0	55.1	53.8	65.2	43.4

फरवरी 1976 में कम्पनी द्वारा बनाए गए एक अनुमान के अनुसार कम्पनी की चीनी मिलों की सामान्य क्षमता उपयोग प्रतिष्ठापित क्षमता क 85 से 90 प्रतिशत के समीप होना चाहिए ।

अभिलेखों की परख जांच के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी की मिलों की गन्ना पेरने की क्षमता के उपयोग में गिरावट के लिये निम्नलिखित तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी थे:—

(i) गन्ना पेराई के सामान्य सत्र के लिये गन्ने की पूर्ति अपर्याप्त थी ।

(ii) विभिन्न कारणों से गन्ना पेराई कार्यों में बारम्बार रुकावटें पड़ीं ।

(iii) उत्पादन के विभिन्न प्रक्रमों में भटनी मिल के संयंत्र और मशीनें संतुलित नहीं थे ।

(iv) मोहीउद्दीनपुर और सखोती-टांडा मिलों की संयंत्र एवं मशीनों की दशा खराब थी।

(v) मरम्मत के बाद पिपराइच मिल देर से (15 जनवरी 1975) चालू की गई।

कार्य काल की हानि

2.11. गन्ना पेराई के लिए कुल उपलब्ध समय, कार्य दिवसों की वास्तविक संख्या के आधार पर, मिल से मिल और वर्ष से वर्ष भिन्न-भिन्न रहा, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75 (घंटों में)	1975–76
पूर्वी क्षेत्र					
खड्डा ..	2589	2818	3240	3273	2791
भटनी ..	1502	2565	2070	2255	2040
बाराबंकी ..	2155	3507	3447.	3905	2755
पिपराइच ..	..	..	..	1584	2184
पश्चिमी क्षेत्र					
मोहीउद्दीनपुर ..	2724	4658	4148	3884	3128
सखोती-टांडा	2506	4517	4200	3852	3061

विभिन्न मिलों में विभिन्न वर्षों में गन्ना पेराई कार्य के लिये उपलब्ध समय गन्ने की आपूर्ति पर निर्भर रहा। भटनी मिल में गन्ना पेराई कार्य की सबसे लम्बी अवधि 1972–73 में थी जब वह 15 मार्च 1973 तक चलती रही। खड्डा मिल में, 1975–76 में गन्ना पेराई, पिछले दो वर्षों की अपेक्षा जिनमें गन्ना पेराई नवम्बर के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई और अप्रैल के मध्य तक चली, देर से शुरू हुई (6 दिसम्बर 1975) और पहले बन्द कर दी गई (31 मार्च 1976)। बाराबंकी मिल ने 1973–74 और 1974–75 दोनों में 5 मई तक, लेकिन 1975–76 में केवल 4 अप्रैल तक गन्ना पेरा। वही स्थिति मोहीउद्दीनपुर और सखोती टांडा मिलों के संबंध में थी जहां गन्ना पेराई कार्य 1975–76 में क्रमशः 5 और 6 अप्रैल को बन्द किया गया।

गन्ना पेराई कार्य में वास्तव में लगाया गया समय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75 (घंटों में)	1975–76
पूर्वी क्षेत्र					
खड्डा ..	1891	2373	2629	2844	2446
भटनी ..	1139	2331	1799	1897	1700
बाराबंकी ..	1376	2481	2612	2717	1852
पिपराइच ..	..	..	..	1110	1719
पश्चिमी क्षेत्र					
मोहीउद्दीनपुर ..	1843	3159	3007	2974	2605
सखोती-टांडा ..	1137	2889	2940	2678	1963

छः मिलों में 1975–76तक पांच वर्षों के पेराई सत्रों में निष्क्रिय समय की सीमा निम्न तालिका में दी गयी है:––

मिल	1971–72	1972–73	1973·74 (घंटों में)	1974–75	1975–76
खड्डा ..	698 (26.96)	445 (15.79)	611 (18.86)	429 (13.11)	345 (12.36)
भटनी ..	363 (24.17)	234 (9.12)	271 (13.09)	358 (15.88)	340 (16.67)
बाराबंकी ..	779 (36.15)	1026 (29.26)	835 (24.22)	1188 (30.42)	903 (32.77)
पिपराइच ..	..	..	..	474 (29.92)	465 (21.29)
मोहीउद्दीनपुर ..	881 (32.34)	1499 (32.18)	1141 (27.51)	910 (23.43)	523 (16.72)
सखोती-टांडा ..	1369 (54.63)	1628 (36.04)	1260 (30.00)	1174 (30.48)	1098 (35.87)

नोट:––कोष्ठक में संख्यायें निष्क्रिय समय का कुल प्राप्त समय से प्रतिशत दर्शाती हैं।

विभिन्न मिलों में निष्क्रिय समय के लिए मुख्यरूप से उत्तरदायी तत्व, जो मिलों के विवरण पत्रों से उपलब्ध हुए, नीचे तालिका बद्ध हैं:––

निष्क्रिय समय के कारण	1971–72	1972–73	1973–74 (घंटों में)	1974–75	1975–76
खड्डा					
यांत्रिक टूट-फूट ..	114	141	111	82	41
सामान्य सफाई ..	217	190	226	251	192
गन्ने की कमी ..	107	49	58	50	26
अन्य ..	260	65	216	46	86
योग ..	698	445	611	429	345
भटनी					
यांत्रिक टूट-फूट ..	21	51	30	90	31
सामान्य सफाई ..	..	51	66	70	86
गन्ने की कमी ..	307	100	147	155	168
अन्य ..	35	32	28	43	55
योग ..	363	234	271	358	340
बाराबंकी					
यांत्रिक टूट-फट ..	188	460	267	524	332
सामान्य सफाई ..	192	269	339	363	272
गन्ने की कमी ..	259	137	146	139	170
अन्य ..	140	160	83	162	129
योग ..	779	1,026	835	1,188	903

निष्क्रिय समय के कारण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पिपराइच					
यांत्रिक टूट-फूट ..	..	..	..	126	125
सामान्य सफाई ..	..	..	..	127	147
गन्ने की कमी ..	..	..	..	152	124
अन्य ..	..	..	..	69	69
योग ..	..	..	..	474	465
मोहीउद्दीनपुर					
यांत्रिक टूट-फूट ..	222	403	362	335	225
सामान्य सफाई ..	246	483	272	141	99
गन्ने की कमी ..	302	67	159	43	71
अन्य ..	111	546	348	391	128
योग	881	1499	1141	910	523
सखोती-टांडा					
यांत्रिक टूट-फूट ..	325	514	339	415	568
सामान्य सफाई ..	132	374	302	232	262
गन्ने की कमी ..	535	320	71	310	184
अन्य ..	377	420	548	217	84
योग ..	1,369	1,628	1,260	1,174	1,098

संयंत्र और मशीनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर 1975–76 तक किये गये 2.67 करोड़ रुपये और पुनर्स्थापना और नवीनीकरण पर 3.10 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद, भटनी मिल के सिवाय जहां गन्ने की कमी निष्क्रिय समय के लिए सबसे बड़ा कारण था, विभिन्न मिलों में यांत्रिक टूट-फूट और संयंत्र तथा मशीनों की सामान्य सफाई में लिया गया समय निष्क्रिय समय के लिये मुख्य कारण बने रहे। बाराबंकी, मोहीउद्दीनपुर और सखोती-टांडा मिलों में भी अधिकतर निष्क्रिय समय गन्ना पेराई कार्य के दौरान गन्ने की कमी के कारण था। सखोती-टांडा मिल में 1971–72 से 1975–76 तक 633 निष्क्रिय घंटों और मोहीउद्दीनपुर मिल में 1972–73 से 1975–76 तक 323 घंटों के लिए बिजली का फेल हो जाना भी उत्तरदायी था।

किये गये काम के परिणाम

2.12. (क) कम्पनी के सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में किये गये काम के परिणाम निम्न तालिका में इंगित किये गये अनुसार थे:—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(लाख रुपयों में)	
व्यय					
प्रयुक्त कच्चा माल	276.74	620.85	578.17	809.05*	629.60
मजदूरी एवं वेतन	102.42	128.13	157.48	257.19	245.87
मरम्मत और अनुरक्षण	29.50	37.27	47.35	74.13	79.77
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	16.06	32.31	30.85	58.10	34.75
शक्ति एवं ईंधन	19.58	38.47	62.35	59.23	55.23
अन्य व्यय	3.05	5.64	8.06	6.68	10.97
ह्रास	2.13	10.11	19.56	37.58	48.53

*पिपराइच मिल के साथ खरीदी गई 1.25 लाख रुपये मूल्य की प्रक्रिया में चीनी शामिल है।

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
प्रशासकीय खर्चे	5.21	6.94	11.22	16.29	20.47
ब्याज	12.20	28.89	40.27	97.23	117.21
विक्रय संबंधी व्यय	1.03	1.98	2.92	3.49	4.02
योग	467.92	910.59	958.23	1418.97	1246.42
उत्पादन मूल्य एवं अन्य आय					
(i) बिक्री	395.88	712.37	735.83	973.54	1041.77
जोड़िए––					
अंतिम व्यावसायिक रहतियां	41.76	136.91	176.11	292.33	211.28
योग	437.64	849.28	911.94	1265.87	1253.05
घटाइये––					
प्रारम्भिक व्यावसायिक रहतिया	..	41.76	136.91	176.11	292.33
उत्पादन मूल्य	437.64	807.52	775.03	1089.76	960.72
(ii) उत्पाद शुल्क, क्रयकर पर छूट और अन्य आय	12.89	60.14	14.78	26.67	18.44
योग	450.53	867.66	789.81	1116.43	979.16
किये गये काम में हानि	17.39	42.93	168.42	302.54	267.26
विकास छूट संचित	0.82	6.61	9.33	2.39	1.70
चीनी के निर्यात पर हानि	3.83	3.10	..	..	..
शुद्ध हानि	22.04	52.64	177.75	304.93	268.96

उत्पादन का मूल्य किसी भी वर्ष में निर्माण, व्यापारिक एवं अन्य खर्चों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं रहा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:––

(लाख रुपयों में)

वर्ष	व्यय	उत्पादन का मूल्य	व्ययाधिक्य
1971–72 ..	467.92	437.64	30.28
1972–73 ..	910.59	807.52	103.07
1973–74 ..	958.23	775.03	183.20
1974–75 ..	1418.97	1089.76	329.21
1975–76 ..	1246.42	960.72	285.70

यदि कम्पनी में निहित पांच अशक्त मिलों की अचल सम्पत्तियों पर ह्रास का प्राविधान किया जाता तो अन्तर बढ़ जाता ।

अभिलेखों की परख जांच के दौरान खर्चों में वृद्धि के संबंध में निम्न कारण जानकारी में आए:––

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान (अनुच्छेद 2.14),

(2) कर्मचारियों की अधिकता और अधि-समय भत्ते के उच्चतर भार के कारण मजदूरी एवं वेतन पर अधिक व्यय,

(3) अतिरिक्त ईंधन का उपभोग एवं जलौनी लकड़ी का ऊंची दरों पर क्रय,

(4) पुराने संयंत्र और मशीनों की मरम्मत और अनुरक्षण पर भारी व्यय (अतिरिक्त पुर्जों की लागत सम्मिलित करते हुए),

(5) गन्ने के परिवहन पर गन्ना मूल्य में सम्मिलित परिवहन लागत से अधिक व्यय,

(6) प्रशासकीय व्ययों में वृद्धि, और

(7) चीनी की न्यूनतर वसूली और खोई (बेगास), शीरा और प्रेसमड में चीनी की अत्यधिक हानि ।

उपरोक्त बातों को सामान्यतया स्वीकार करते हुए प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि संयंत्रों की न्यून क्षमता एक अकेला महत्वपूर्ण तत्व भारी हानियों के लिए उत्तरदायी था ।

(ख) अलग-अलग मिलों में किये गये कार्यों के परिणाम नीचे तालिकाबद्ध है:—

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75 (लाख रुपयों में)	1975–76
खड्डा					
उत्पादन मूल्य ..	86.20	114.73	124.13	163.67	159.76
अन्य आय ..	5.38	3.25	2.06	4.01	0.60
योग ..	91.58	117.98	126.19	167.68	160.36
व्यय ..	88.12	130.35	152.99	209.75	195.80
शुद्ध लाभ/हानि (–)	3.46	(–)12.37	(–)26.80	(–)42.07	(–)35.44
भटनी					
उत्पादन मूल्य ..	68.12	163.72	141.52	167.78	157.19
अन्य आय ..	0.69	11.45	1.00	1.04	0.61
योग ..	68.81	175.17	142.52	168.82	157.80
व्यय ..	67.44	166.33	145.08	192.29	177.03
शुद्ध लाभ/हानि (–) ..	1.37	8.84	(–)2.56	(–)23.47	(–)19.23
बाराबंकी					
उत्पादन मूल्य ..	75.98	141.44	165.21	211.69	149.00
अन्य आय ..	0.42	6.91	1.51	2.59	0.46
योग ..	76.40	148.35	166.72	214.28	149.46
व्यय ..	78.26	152.98	174.54	237.29	176.03
शुद्ध लाभ/हानि (–)	(–)1.86	(–)4.63	(–)7.82	(–)23.01	(–)26.57
मोहीउद्दीनपुर					
उत्पादन मूल्य ..	119.11	211.12	178.93	228.09	204.20
अन्य आय ..	1.91	16.52	3.76	5.48	0.76
योग ..	121.02	227.64	182.69	233.57	204.96
व्यय ..	130.67	243.52	238.41	299.15	267.09
शुद्ध लाभ/हानि (–)	(–) 9.65	(–)15.88	(–)55.72	(–)65.58	(–)62.13

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
सखोती-टांडा					(लाख रुपयों में)
उत्पादन मूल्य ..	88.23	177.50	165.26	228.30	156.62
अन्य आय ..	0.55	19.94	2.77	4.88	1.08
योग ..	88.78	197.44	168.03	233.18	157.70
व्यय ..	104.55	221.39	246.21	324.68	243.12
शुद्ध लाभ/हानि (–)	(–) 15.77	(–) 23.95	(–) 78.18	(–) 91.50	(–) 85.42
पिपराइच					
उत्पादन मूल्य ..	..	..	..	88.99	133.93
अन्य आय ..	..	..	..	0.43	0.42
योग ..	..	..	..	89.42	134.35
व्यय ..	..	..	..	142.79	169.99
शुद्ध लाभ/हानि (–)	..	..	..	(–) 53.37	(–) 35.64

पिपराइच मिल में पूर्व कम्पनी काल से संबंधित 10.11 लाख रुपये की मजदूरी एवं वेतन का बकाया कम्पनी के कोष से 1974–75 में भुगतान किया गया और इसके राजस्व व्यय के रूप में भारित किया गया (अनुच्छेद 2.06 देखें) । मोहीउद्दीनपुर मिल 1975–76 तक वाष्प और शक्ति के उपभोग में मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए लगाये गये संयंत्र और मशीन पर 47.24 लाख रुपय और मिल क संयंत्र और मशीन की पुनर्स्थापना पर 69 लाख रुपये व्यय कर चुकी थी । मिल का निष्पादन 1973–74 से कम हो गया, लेकिन, अंशत: विद्युत शुल्क दर-सूची के पुनरीक्षण के कारण और अंशत: विद्युत के उपयोग में 1973–74 में 8.89 लाख के 0 डब्लू0एच0 से 1975–76 में (सितम्बर 1976 तक) 19.69 लाख के 0 डब्लू0 एच0 तक की वृद्धि के कारण, विद्युत शक्ति के उपभोग की लागत 1973–74 में 2.20 लाख रुपये से 1975–76 (सितम्बर 1976 तक) में 7.43 लाख रुपये तक बढ़ गई ।

वर्ष प्रतिवर्ष मिलों द्वारा किये गये कामों में हुई हानि के कारण समय-समय पर, कार्यशील पूंजी के साथ-साथ पूंजीगत कार्यों के लिए कम्पनी को उन्हें धन देना पड़ा । कम्पनी के मुख्य कार्यालय को मिल द्वारा प्रेषित धन हिसाब में लेने के बाद, कोष की शुद्ध धनराशि जो कि मिलों को दी गई 30 सितम्बर 1976 को 10.12 करोड़ रुपये थी ।

उत्पादन लागत

2.13. टैरिफ कमीशन ने लागत संरचना और चीनी मिलों को देय उचित मूल्य पर अपने 1973 के प्रतिवेदन में गन्ने को चीनी में रूपान्तर करने की वास्तविक औसत लागत उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की मिलों के संबंध में 1971–72 के लिए क्रमश: 55.57 रुपये और 44.98 रुपये प्रति कुंतल निकाली । पिछले 5 वर्षों (1967–68 स 1971–72) में चीनी की वसूली और गन्ना पेराई सत्र की औसत अवधि को आधार मान कर आयोग (कमीशन) ने 1972–73 से 1974–75 के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की मिलों में उत्पादित चीनी की औसत रूपांतर लागत क्रमश: 46.12 रुपये और 39.08 रुपये प्रति कुंतल पर अनुमानित की । 1971–72 से 1975–76 के बीच कम्पनी की मिलों में उत्पादित चीनी की प्रति कुंतल वास्तविक रूपान्तर लागत 1971–72 की औसत लागत और 1972–73 से 1974–75 के लिए

टैरिफ कमीशन द्वारा निकाली गई लागत अनुमानों से अधिक थी, जैसा कि निम्न तालिका में इंगित किया गया है:-

मिल/तत्व	प्रति कुंतल चीनी लागत				
	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
				(रुपयों में)	
पूर्वी क्षेत्र					
(1) खड्डा					
रूपांतर लागत ..	71.39	68.17	89.07	107.94	130.80
कच्चा माल ..	111.70	136.95	151.99	169.38	151.32
योग ..	183.09	205.12	241.06	277.32	282.12
(2) भटनी					
रूपांतर लागत ..	73.33	50.40	72.50	94.53	115.32
कच्चा माल ..	102.83	132.87	141.98	159.41	149.69
योग ..	176.16	183.27	214.48	253.94	265.01
(3) बाराबंकी					
रूपांतर लागत ..	69.94	54.69	66.34	93.53	131.15
कच्चा माल ..	112.31	144.80	150.24	163.42	151.47
योग ..	182.25	199.49	216.58	256.95	282.62
(4) पिपराइच					
रूपांतर लागत	..	..	..	154.30	141.40
कच्चा माल ..	..	..	..	164.92	159.62
योग ..	..	..	..	319.22	301.02
पश्चिमी क्षेत्र					
(1) मोहीउद्दीनपुर					
रूपांतर लागत	72.07	58.00	101.66	107.49	121.64
कच्चा माल ..	118.14	150.97	167.74	158.92	149.14
योग ..	190.21	208.97	269.40	266.41	270.78
(2) सखोती-टांडा					
रूपांतर लागत	88.52	81.94	137.96	111.15	170.61
कच्चा माल ..	120.50	145.26	165.91	167.59	159.33
योग ..	209.02	227.20	303.87	278.74	329.94

भटनी मिल में 1971–72 और 1972–73 में चीनी की प्रति कुतल औसत बिक्री उगाहियां उत्पादन लागत से अधिक थीं । तथापि सभी अन्य मिलों में 1971–72 से 1975–76 के दौरान और भटनी मिल में 1973–74 से 1975–76 के दौरान बिक्री उगाही उत्पादन लागत से कम थी (जैसा नीचे दिया गया):—

मिल	प्रति कुन्तल चीनी की बिक्री से उगाही				
	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(रुपयों में)	
खड्डा ..	173	185	198	226	235
भटनी ..	183	187	206	225	233
बाराबंकी ..	182	187	210	225	231
पिपराइच ..	..	..	..	213	231
मोहीउद्दीनपुर ..	180	183	202	218	215
सखोती-टांडा	181	184	211	200	214

टैरिफ कमीशन ने अपने प्रतिवेदन (1973) में 1973–74 से 1975–76 के दौरान उत्पादित चीनी की प्रति कुन्तल मजदूरी एवं वेतन लागत पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की मिलों के लिये क्रमशः 20.86 रुपये और 13.21 रुपये अनुमानित की। उत्पादित चीनी की मिलवार प्रति कुन्तल वास्तविक मजदूरी एवं वेतन भार नीचे दिये गये अनुसार था:—

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(रुपयों में)	
पूर्वी क्षेत्र					
खड्डा ..	42.25	34.94	43.90	52.20	53.40
भटनी ..	44.51	23.22	38.36	47.76	57.34
बाराबंकी ..	42.55	29.33	34.38	45.73	64.55
पिपराइच ..	..	..	..	73.08	63.67
पश्चिमी क्षेत्र					
मोहीउद्दीनपुर	37.06	26.47	41.06	45.62	49.03
सखोती-टांडा ..	41.46	31.36	47.00	42.15	60.58

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि मिलों में मजदूरी एवं वेतन का अधिक भार न केवल कर्मचारियों की अधिकता के कारण बल्कि अधिकतम मजदूरी पाने वाले पुराने और थके हुए कर्मचारियों की निरन्तरता के कारण भी था।

पांच वर्षों के लिये मिल वार और वर्षवार रूपान्तर लागत के अन्य मुख्य तत्वों का विघटन (ब्रेक-अप) निम्न तालिका में दिया गया है:—

मिल-वार लागत तत्व	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(रुपया : प्रति कुन्तल चीनी)	
शक्ति एवं ईंधन					
खड्डा ..	5.70	4.27	5.56	7.65	10.23
भटनी ..	2.16	1.80	2.65	4.09	6.30
पिपराइच ..	..	..	..	4.89	4.08
बाराबंकी ..	1.70	2.90	4.64	6.74	10.52
मोहीउद्दीनपुर ..	8.96	9.83	20.68	17.86	14.65
सखोती-टांडा ..	17.05	21.24	44.07	20.55	30.04
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे					
खड्डा ..	7.65	7.81	9.35	12.45	8.52
भटनी ..	5.16	7.72	7.97	10.40	6.87
पिपराइच ..	..	..	..	14.22	8.37
बाराबंकी ..	6.37	7.03	7.67	12.60	8.95
मोहीउद्दीनपुर ..	6.80	7.35	8.57	10.87	8.20
सखोती टांडा ..	6.68	7.38	8.34	11.59	9.96
मरम्मत और अनुरक्षण					
खड्डा ..	11.22	10.95	13.14	14.83	17.50
भटनी ..	10.11	7.08	9.24	11.50	16.41
पिपराइच ..	..	..	..	23.80	22.03
बाराबंकी ..	10.90	6.66	8.17	12.65	23.86
मोहीउद्दीनपुर ..	12.26	5.56	13.20	13.76	13.80
सखोती टांडा ..	15.49	13.58	19.70	17.48	25.70

अन्य मिलों की तुलना में ऊंची दरों पर क्रय की गई जलौनी लकड़ी [अनुच्छेद 2.38 (ज) I और II देखिए] के अत्यधिक उपभोग के कारण शक्ति एवं ईंधन की लागत का भार मोहीउद्दीनपुर और सखोती-टांडा मिलों में अधिक था। शक्ति, ईंधन और भण्डार की सम्मिलित लागत 4.55 रुपये और 9.69 रुपये प्रति कुन्तल चीनी के अनुमान की अपेक्षा अधिक थी जैसाकि टैरिफ कमीशन ने अपने 1973 के प्रतिवेदन में 1972–73 से 1974–75 की अवधि के लिये क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की मिलों के संबंध में दिया था। उसी प्रकार मरम्मत और अनुरक्षण व्यय पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की मिलों के लिये टैरिफ कमीशन के प्रतिवेदन में दिये गये क्रमशः 3.90 रुपये और 5.35 रुपये प्रति कुन्तल के अनुमानों से अधिक थे।

प्रबन्धकों ने उच्चतर उत्पादन लागत के लिये निम्न तथ्य बताए (अगस्त 1976):—

(i) गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया गया गन्ना मूल्य कम्पनी के नियंत्रण के बाहर था।

(ii) वेतन और मजदूरी पर व्यय कम्पनी के नियंत्रण के बाहर था क्योंकि पहले से नियुक्त कर्मचारियों को छटनी नहीं की जा सकती थी तथा वेतन और मजदूरी की दरें वेज बोर्ड अवार्ड द्वारा नियंत्रित थीं।

(iii) संयंत्र और मशीनों के अधिक पुराने होने के कारण मरम्मत और अनुरक्षण लागत के साथ ही साथ भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग उच्चतर था ।

(iv) चीनी एक नियंत्रित वस्तु होने के कारण और बिक्री भारत सरकार के चीनी व वनस्पति निदेशालय (डाईरेक्टरेट आफ सुगर एण्ड वनस्पति) द्वारा विनियमित होने के कारण प्रबंधक ब्याज और ऋण व्यय के मामले को घटाने में असमर्थ थे ।

(v) एक जीने योग्य मिल के लिये न्यूनतम 1250 मैट्रिक टन के विरुद्ध खड्डा मिल की पेरने की क्षमता केवल 768 मैट्रिक टन थी ।

प्रबन्धकों ने आगे बताया (अप्रैल 1977) कि सखोती-टांडा मिल मे ब्वायलर के पुराने और अप्रचलित, अधिक नम खोई और पोषक जल के न्यून तापमान होने के कारण, अतिरिक्त ईंधन का उपभोग अधिक था।

परख संपरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उच्च रूपान्तर लागत निम्न कारणों से भी थी:–

(i) मिलों की गन्ना पेरने की क्षमता का अपर्याप्त उपयोग,

(ii) मिलों को अपर्याप्त गन्ना आपूर्ति, खासतौर से खड्डा और भटनी मिलों को,

(iii) संयंत्र एवं मशीनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये ठेकेदारों को मजदूरी व्यय के रूप में किए गये बड़े भुगतान,

(iv) अंशत: बिना मांग पत्र के या मांगपत्रों में दिखाई गई मात्राओं से अधिक निर्गमन के कारण भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों पर बढ़ता हुआ व्यय, और

(v) बाराबंकी मिल में 425 के0 डब्लू0 के संबद्ध भार के लिये अधिक शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू निम्नतर दर के स्थान पर मिश्रित भारदर के अन्तर्गत उच्चतर दरों पर विद्युत व्यय का भुगतान ।

गन्ना मूल्य

2.14. मिल के फाटक पर या किसी क्रय केन्द्र पर सुपुर्द किए गए गन्ने के लिए चीनी मिल द्वारा भुगतान किये जाने वाला न्यूनतम मूल्य, कृषि मूल्य आयोग (एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन) की संस्तुतियों और राज्य सरकारों, चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादकों और अन्य संबंधित हितों के विचारों पर उचित ध्यान देने के बाद, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । 1971–72 के लिए, प्रत्येक अलग-अलग मिल के लिए न्यूतम मूल्य अलग-अलग निर्धारित किये गये थे। 1972–73 और 1973–74 के लिए, न्यूनतम मूल्य चीनी वसूली से सम्बद्ध कर दिये गये थे । 8.5 प्रतिशत या कम की वसूली पर आधार मूल्य, 8.5 प्रतिशत के ऊपर चीनी वसूली की प्रति 0.1प्रतिशत की वृद्धि पर 9.4 पैसे प्रति कुंतल की वृद्धि के साथ, 8 रुपये प्रति कुंतल पर निर्धारित किया गया । 1974–75 से आगे, आधार मूल्य 8.50 रुपये प्रति कुंतल तक और वृद्धि की दर 10 पैसे प्रति कुन्तल तक बढ़ा दी गई । भारत सरकार द्वारा 1971–72 से 1975–76 तक के चीनी वर्षों (सितम्बर को समाप्त होने वाली) के लिए इस प्रकार निर्धारित किये गये गन्ने के मूल्य निम्न प्रकार थे:––

मिल	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(रुपये प्रति कुंतल)	
बाराबंकी	7.37	8.28	8.47	8.90	9.30
भटनी	7.37	8.94	9.32	9.50	9.70
खड्डा	7.37	8.56	8.85	8.50	8.80
पिपराइच	..	..	..	8.50	9.10
मोहीउद्दीनपुर	7.63	9.22	9.41	8.60	10.10
सखोती–टांडा	7.57	8.94	9.41	8.50	9.50

मिलों द्वारा देय गन्ने का वास्तविक मूल्य गन्ना उत्पादकों, मिल स्वामियों और शासन की त्रिपक्षीय बैठक में निश्चित किया जाता है ।

वर्ष 1971–72 से 1975–76 के दौरान कम्पनी के स्वामित्व वाली मिलों द्वारा कुल भुगतान की गई/ भुगतान योग्य धनराशि भारत सरकार द्वारा संबंधित वर्षों के लिए निर्धारित मूल्यों के अनुसार भुगतान योग्य धनराशि से 7.76 करोड़ रुपये बढ़ गई ।

आर्थिक स्थिति

2.15. निम्न तालिका कम्पनी के सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण है :—

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
				(लाख रुपयों में)	
दायित्व					
प्रदत्त पूंजी	270.00	300.00	735.00	955.00	1550.00
रिजर्व्स	0.84	7.75	17.33	25.17	36.88
ऋण					
(क) राज्य सरकार से	80.50	100.50	170.50	375.50	523.50
(ख) बैंकों से (कैश क्रेडिट सहित)	2.04	120.79	146.17	242.21	269.42
व्यापार देय व अन्य					
चालू दायित्व (प्राविधानों सहित)	65.78	100.97	165.80	281.23	308.29
योग	419.16	630.01	1234.80	1879.11	2688.09
सम्पत्तियां					
ग्रास ब्लाक	75.83	118.54	243.36	305.71	352.72
घटाइये—ह्रास	2.17	11.99	31.30	63.21	101.22
शुद्ध अचल सम्पत्तियां	73.66	106.55	212.06	242.50	251.50
प्रगति में पूंजीगत कार्य	8.98	29.39	272.26	71.88	108.35
विनियोग	75.00	110.00	110.00	437.39	638.41
चालू सम्पत्तियां ऋण और अग्रिम	232.62	302.57	381.27	563.24	856.81
विविध व्यय	0.36	0.32	0.28	0.24	0.20
एकत्रित हानियां	28.54	81.18	258.93	563.86	832.82
योग	419.16	630.01	1234.80	1879.11	2688.09
कार्यशील पूंजी	166.84	201.60	215.47	282.01	548.52
लगाई गई पूंजी	240.50	308.15	427.53	524.51	800.02
शुद्ध मूल्य	241.94	226.25	493.12	416.07	753.86

टिप्पणी– (1) लगाई गई पूंजी शुद्ध अचल सम्पत्ति व कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती है ।

(2) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व आरक्षित निधियों के योग से अदृश्य सम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है ।

(3) कार्यशील पूंजी चालू सम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों से व्यापार देय और चालू दायित्वों को घटाकर निकाली गई है ।

कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाई गयी व्यापारिक साख में भुगतान न किया गया गन्ने का मूल्य सम्मिलित था जो 30 सितम्बर 1974 को 35.20 लाख रुपये से बढ़कर 30 सितम्बर 1976 को 55.34 लाख रुपये हो गया । इसमें शासन को देय परन्तु भुगतान न किया गया क्रय कर भी सम्मिलित था जो 30 सितम्बर 1972 को 0.93 लाख रुपये से बढ़कर 30 सितम्बर 1976 को 21.31 लाख रुपये हो गया ।

बजट नियन्त्रण

2.16. कम्पनी, उसकी मिलो और सहायक कम्पनियों के लिए कोई उत्पादन, विक्रय और वित्तीय बजट नहीं बनाया गया (अप्रैल 1977) ।

लागत नियन्त्रण

2.17. कम्पनी में प्रधान कार्यालय पर एक लागत लेखा अधिकारी (1974 में लागत सलाहकार के पद पर प्रोन्नत) है और मिलों में लागत सहायक नियुक्त हैं । मासिक लागतपत्र और पूर्वानुमान मिलों में तैयार किये गये हैं लेकिन लागत पत्रों का विश्लेषण नहीं किया गया और लागत के घटकों की समीक्षा करने और क्षेत्रों, जहां लागत कम करना सम्भव है, को निर्धारित करने के लिए कोई लागत नियंत्रण उपायों पर विचार नहीं किया गया (अप्रैल 1977) ।

आंतरिक सम्परीक्षा

2.18. कम्पनी में प्रधान कार्यालय पर एक संपरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानित एक आंतरिक संपरीक्षा कक्ष है, जिसे अलग-अलग मिलों से सम्बद्ध पांच सम्परीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है । आंतरिक सम्परीक्षा कक्ष को निम्न कार्य सौंपे गये हैं:–

(i) निर्गमित आदेशों और निर्धारित तरीकों की अवहेलना के मामलों को प्रबन्धकों को बताना ;

(ii) लेखा अभिलेखों की विशुद्धता की जांच करना ;

(iii) भंडार और अन्य सामग्रियों का सामयिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना ;

(iv) गन्ना तुलाई की परख जांच ।

कम्पनी द्वारा कोई आंतरिक संपरीक्षा नियम पुस्तिका नहीं तैयार की गई है (मार्च 1977) । अगस्त 1972 में कम्पनी के प्रधान कार्यालय द्वारा आंतरिक संपरीक्षकों को निर्गमित निर्देशों के एक संग्रह को जनवरी 1974 में पुर्ननिदेशों से अनुपूरित किया गया । प्रबन्ध निदेशक ने अगस्त 1975 में मंतव्य व्यक्त किया कि अलग-अलग मिलों से सम्बद्ध आंतरिक संपरीक्षकों ने अपने निरोधक नियत कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और संपरीक्षकों का मिलों में स्थायी रूप से ठहराना उनकी प्रभाविकता में कमी लाया । दिसम्बर 1975 में कम्पनी ने स्थानीय सम्परीक्षा के लिए दो भ्रमण करने वाले आंतरिक सम्परीक्षा दल बनाये । इन दलों का भी निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया । उनकी आख्याऐं बहुत ही सामान्य प्रकृति की समझी गयी और उन्होंने परिचालन पक्ष भी नहीं देखा । प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि आन्तरिक सम्परीक्षक अलग-अलग मिलों से सम्बद्ध बने रहेंगे और वे गन्ना पेराई सत्र के दौरान परिचालन पक्ष की जांच करेंगे ।

चीनी मूल्यांकन और बिक्री

2.19. **(क) वितरण व मूल्य नियंत्रण**

अप्रैल 1942 में प्रथम बार भारत सरकार द्वारा गन्ना के मूल्यों और वितरण पर संवैधानिक नियंत्रण लगाया गया। 1967 से सरकार निर्यात पात्र मिलों में उत्पादित चीनी का एक बड़ा भाग ले रही है। उद्ग्रहण (लैवी) और मुक्त बिक्री के कोटा का अनुपात सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले चार वर्षों में इस प्रकार था:

वर्ष	उद्ग्रहण (लैवी)	मुक्त बिक्री
1972–73	70	30
1973–74	70	30
1974–75	65	35
1975–76	65	35

कृषि मंत्रालय द्वारा निर्गमित मासिक निर्मुक्ति आदेशों के आधार पर 1967 के लैवी सुगर सप्लाई (कन्ट्रोल) आर्डर के अन्तर्गत उद्ग्रहण (लैवी) और मुक्त बिक्री चीनी दोनों का विक्रय भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

1975–76 तक के चार वर्षों के दौरान कम्पनी की मिलों द्वारा चीनी की बिक्री की औसत वसूली निम्न प्रकार थी:

मिल	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
	(रुपये: प्रति कुंतल)			
बाराबंकी	187	210	225	231
भटनी	187	206	225	233
खड्डा	185	198	226	235
मोहीउद्दीनपुर	183	202	218	215
सखोती-टांडा	184	211	200	214
पिपराइच	..	..	213	231

(ख) बिक्रय व्यवस्था

जुलाई 1973 तक कम्पनी ने मुक्त-बिक्री चीनी की बिक्री के लिए कोई तरीका निश्चित नहीं किया था। बिक्री अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दरों पर, अन्य श्रोतों जैसे कि समाचार पत्र से उपलब्ध बाजार दरों से सत्यापन के बाद, मिलों के सामान्य प्रबन्धक चीनी बेचा करते थे। 26 जुलाई 1973 को हुई निदेशक मंडल की एक बैठक में प्रबन्धकों ने इस आधार पर चीनी की बिक्री का केंद्रीकरण कम्पनी के प्रधान कार्यालय में करने का प्रस्ताव रखा कि खड्डा, भटनी और बाराबंकी मिलों के सामान्य प्रबन्धक दैनिक बाजार दरें और दरों में उतार चढ़ाव जानने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि संचार पद्धति संतोषजनक नहीं थी। इसके अलावा इन मिलों के सामान्य प्रबन्धकों द्वारा उनकी कानपुर व वाराणसी बाजारों के निरीक्षण के दौरान की गई बिक्री, बाजार रुख पर बिना विचार के, बहुत से अवसरों पर अलाभकारी रही क्योंकि जिन दरों पर चीनी बेची गई उनमें व्यापक अन्तर थे (20 रुपये प्रति कुंतल तक की श्रेणी में)। इस बैठक में यह भी कहा गया कि अधिकांश मिलों ने दिसम्बर 1972 से फरवरी 1973 के दौरान चीनी नहीं बेंची और जब मूल्य ऊंचे थे तब निर्मुक्ति आदेशों को बीत जाने दिया और मार्च/अप्रैल 1973 में, जब बाजार में मंदी थी, चीनी बेची।

कम्पनी ने भटनी, खड्डा और बाराबंकी मिलों की चीनी बिक्री को पहली अगस्त 1973 से और मोहीउद्दीनपुर और सखोती-टांडा मिलों की, पहली दिसम्बर 1973 से, केंद्रीयकरण करने का निर्णय लिया (जुलाई 1973)। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बिक्री लखनऊ में, प्रधान कार्यालय में

अध्यक्ष, सचिव और लागत लेखाकार (बाद में लागत सलाहकार) से बनी एक समिति द्वारा, नियंत्रित होनी थी । अगस्त 1973 में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये तरीके (सितम्बर 1973 में अंशतः सुधारा हुआ) के अनुसार मुक्त बिक्री चीनी के निर्मुक्ति आदेश प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं से टेलीफोन पर भाव एकत्रित किये जाते हैं । इस प्रकार प्राप्त दरें एक रजिस्टर में अंकित की जाती हैं और बिक्री समिति के अनुमोदन से व्यवस्थित की जाती है । यदि क्रेता द्वारा सुपुर्दगी नहीं ली जाती है और चीनी बाजार गिर जाता है तो अभिकर्ता को मूल्य में अन्तर का भुगतान करना पड़ता है । कम्पनी ने अभिकर्ताओं की नियुक्ति हतु कोई तरीका निश्चित नहीं किया है (मार्च 1977) ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि प्रतिवर्ष जनवरी से अप्रैल के महीनों में जब बाजार में सल्फर खंडसारी बहुतायत में उपलब्ध थी मुक्त बिक्री चीनी से संबंधित अधिकांश कोटे समाप्त हो गये ।

(ग) बिक्री पर कमीशन

दिसम्बर 1973 से पहले अभिकर्ताओं को बिक्री मूल्य, उत्पाद शुल्क निकालकर, पर 0.25 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था । अध्यक्ष के अनुमोदन से कमीशन की दर सितम्बर 1973 में 0.50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई यद्यपि दर में वृद्धि के कारण अभिलेखों पर नहीं थे । नवम्बर 1973 में कम्पनी के लागत लेखाधिकारी ने 0.50 प्रतिशत अभिकरण कमीशन की गणना के लिए बिक्री मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल करने की निम्न आधारों पर संस्तुति की:-

(i) बिक्री अभिकर्ता विक्रय मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल करने के लिए दबाव डाल रहे थे (यद्यपि कोई लिखित मांग अभिलेखों पर नहीं थी)।

(ii) अधिकांश मिलें, सहकारी क्षेत्रों की मिलों को छोड़कर, उत्पाद शुल्क सम्मिलित करते हुए 100 रु० के विक्रय मूल्य पर 75 पैसे और कुछ एक रुपये तक भी कमीशन भुगतान कर रही थीं । दौराला और मवाना (मेरठ) की दो निजी क्षेत्र की मिलों ने कोई कमीशन का भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्होंने उधार के आधार पर भी चीनी की बिक्री की स्वीकृति दी ।

(iii) बिक्री अभिकर्ता बिक्री का प्रबन्ध दलालों के माध्यम से कर रहे थे और प्रति 100 रु० के विक्रय मूल्य पर (उत्पाद शुल्क सहित) 25 पैसे की दर से दलाली भुगतान कर रहे थे और अभिकर्ताओं को बिक्री के लिये पक्षों से संबंध रखने के लिए दूरभाष व डाक व्यय पर भारी व्यय करना पड़ता था ।

प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा दिसम्बर 1973 से स्वीकृत किया गया (नवम्बर 1973) । अभिकर्ताओं के कमीशन में ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण के कारण इस मद पर व्यय 1972-73 में 1.23 लाख रुपये से बढ़कर 1973-74 में 2.07 लाख रुपये, 1974-75 में 1.89 लाख रुपये और 1975-76 में 1.96 लाख रुपये हो गया ।

जन शक्ति विश्लेषण

2.20. **(क) जन शक्ति**

कम्पनी के अभियांत्रिक सलाहकार ने प्रत्येक मिल (पिपराइच छोड़कर) की जनशक्ति आवश्यकताओं का अध्ययन किया और फरवरी 1973 में देखा कि मिलों में मजदूरों की संख्या वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक थी, परिणामतः चीनी उत्पादन की लागत ऊंची थी और मिलों की लाभप्रदता विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही थी । मार्च 1976 में कम्पनी ने प्रत्येक मिल में जनशक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण किया । यद्यपि नीचे दिये हुए विवरण के अनुसार वास्तविक संख्या, 1975-76 में खड्डा मिल को छोड़कर, नियमित रूप से अधिक रही:

विवरण		खड्डा	भटनी	पिपराइच	बाराबंकी	मोहीउद्दीन-पुर	सखोती-टांडा
निर्धारित संख्या							
नियमित	..	223	231	195	216	222	246
मौसमी	..	529	570	526	584	619	683
योग	..	752	801	721	800	841	929
वास्तविक संख्या वर्षवार							
1972–73							
नियमित	..	234	246	..	236	292	258
मौसमी	..	592	682	..	728	786	898
योग	..	826	928	..	964	1078	1156
1973–74							
नियमित	..	226	249	..	237	289	280
मौसमी	..	572	703	..	716	775	910
योग	..	798	952	..	953	1064	1190
1974–75							
नियमित	..	233	256	301	225	287	279
मौसमी	..	548	704	693	705	764	904
योग	..	781	960	994	930	1051	1183
1975–76							
नियमित	..	225	259	301	233	292	280
मौसमी	..	492	727	670	694	806	893
योग	..	717	986	971	927	1098	1173

(ख) **अधिसमय**

विभिन्न मिलों में अधिसमय मजदूरी पर व्यय निम्न प्रकार था :—

मिल		1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76 (अप्रैल 1976 तक)
						(लाख रुपयों में)
खड्डा	..	0.31	0.80	0.85	1.75	0.75
भटनी	..	0.12	0.35	1.04	1.28	0.50
सखोती टांडा	..	0.43	2.01	2.36	2.30	1.78
मोहीउद्दीनपुर	..	0.29	0.69	1.17	1.26	1.39
बाराबंकी	..	0.30	0.28	0.82	1.97	1.71
पिपराइच	..	..	..	..	0.44	0.91

बाराबंकी मिल ने 1971–72 से 1975–76 तक (अप्रैल 1976 तक) सिविल निर्माण कार्यों के अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा लघु निर्माण कार्यों के लिये नियुक्त आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी पर 2.95 लाख रुपये का व्यय किया यद्यपि ऐसे कार्यों के लिये पांच मिस्त्री और सात श्रमिक नियमित रूप से नियुक्त थे ।

पिपराइच मिल में आकस्मिक श्रमिकों पर व्यय 1974–75 में 0.59 लाख रुपये से बढ़कर 1975–76 में 0.90 लाख रुपये हो गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण 1975–76 में तीन और कप केन्द्रों का परिचालन था। अन्य मिलों में आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी का व्यय निम्न प्रकार था :–

	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76 (अप्रैल, 1976 तक)
				(लाख रुपयों में)
भटनी	0.59	0.82	1.06	0.77
सखौती-टांडा	1.28	2.54	3.14	3.03
मोहिउद्दीनपुर	0.01	0.06	0.22	0.05

सखौती-टांडा मिल में अधिसमय भत्ते और साथ ही साथ आकस्मिक श्रमिकों पर व्यय का उच्चतम भार था हालांकि मिल में सभी मिलों की अपेक्षा कर्मचारियों की अधिकता थी । प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि अधिसमय भत्ते और वेतन व्यय को पर्याप्त रूप से कम करने के कदम उठाये गये हैं ।

सामग्री सूची नियंत्रण

2.21. (क) **सामग्री सूची**

1975–76 तक के पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के अन्त में भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य निम्न अनुसार था :––

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
					(लाख रुपयों में)
अन्तिम रहतिया	33.56	56.71	92.27	98.88	103.15

अन्तिम रहतिया प्रति वर्ष आवश्यकता से अधिक था । रहतिया में वास्तविक सामग्री सूची और भी अधिक थी क्योंकि जुलाई 1971 में कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत पांच अशक्त चीनी मिलों से प्राप्त भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य को भंडार सामग्री सूची में न सम्मिलित करके अचल सम्पत्तियों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया । इन भंडारों और पुर्जों के सितम्बर 1976 तक के उपभोग (23.62 लाख रुपये) को अचल सम्पत्तियों के मूल्य से घटाकर दिखाया गया ।

(ख) **फालतू सामग्री**

मार्च 1976 में कम्पनी ने सामान्य प्रबंधकों को उनके पास की फालतू सामग्री का, नान मूविंग व स्लो मूविंग मदों के संदर्भ में, अध्ययन करने का निर्देश दिया। नान मूविंग मद उन्हें माना गया है जिन्हें पूर्ववर्ती एक वर्ष में निर्गमित नहीं किया गया जब कि स्लो मूविंग मद उन्हें माना गया जिनका पूर्ववर्ती एक वर्ष में उपलब्ध रहतिया के 25 प्रतिशत से अधिक उपभोग नहीं था । नान मूविंग और स्लो मूविंग मदों में से फालतू उपलब्ध रहतिया का निश्चय उन मदों के अगले दो वर्षों के दौरान अनुमानित उपभोग के आधार पर करना था । फालतू सामग्री कम्पनी के नियंत्रण (स्वामित्ववाली, प्रबन्धित और रिसीवर शिप के आधीन)

वाली विभिन्न चीनी मिलों के बीच प्रचारित करानी थी। इन मदों का हस्तान्तरण कम्पनी के स्वामित्व वाली मिलों को उनके पुस्तक मूल्यों पर और सहायक कम्पनियों तथा प्रबन्धित/कम्पनी की रिसीवरशिप वाली मिलों को उनके बाजार मूल्य पर होना था। विभिन्न मिलों के सामान्य प्रबन्धकों द्वारा फालतू घोषित उपलब्ध रहतियें का मूल्य निम्न था :

मिल	माह	मूल्य (लाख रुपयों में)
बाराबंकी	.. मार्च 1976 ..	0.64
खड्डा	.. अप्रैल 1976 ..	0.61
पिपराइच	.. अगस्त 1976 ..	0.79
भटनी	.. मार्च 1976 ..	3.68
मोहीउद्दीनपुर	.. अप्रैल 1976 ..	1.95

सखोती-टांडा मिल द्वारा फालतू सामग्री की स्थिति नहीं निकाली गयी। फालतू सामग्री सूची में बहुत सी ऐसी मदें सम्मिलित हैं जिन्हें उनकी प्राप्ति तिथि से निर्गमित नहीं किया गया। ऐसे मदों का सारांश नीचे दिया है:--

मिल	मदों की संख्या	प्राप्ति का समय	मूल्य (लाख रुपयों में)
बाराबंकी	9	जनवरी 1973 से सितम्बर 1975	0.41
खड्डा	11	अप्राप्त	0.28
भटनी	27	अप्राप्त	3.32

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि कुछ मदे जो मिलों के साथ ग्रहीत की गई थी मानकेतर (नान स्टैन्डर्ड) मदें थीं और अन्य मिलों के लिए अधिक उपयोग की नहीं थी तथा उनके निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) स्कंध में कमियां

1970-71 और 1971-72 के दौरान भण्डार व अतिरिक्त पुर्जों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। अगले वर्षों के अन्त में किये गये भौतिक सत्यापन से निम्न कमी-बशियां प्रकट हुई :--

सितम्बर में समाप्त होने वाले वर्ष	मूल्य	
	कमियां	अधिकतायें (लाख रुपयों में)
1973	4.25	3.98
1974	2.63	2.87
1975	4.83	3.79
1976	1.76	1.65

कमियों और अधिकताओं का शुद्धमूल्य अधिकताओं को लेखों में लिय बिना और दायित्व निर्धारिण के लिये कमियों की जांच किये बिना संबंधित वर्षों के उपभोग में दिखा दिया गया। भंडारी/कोठारी भण्डार क संरक्षक होने के अतिरिक्त मूल्य लेखों को सम्मिलित करत हुये भण्डार लखों के रख-रखाव

के लिए उत्तरदायी थे। मिलों के लेखा कक्षों में मूल्यांकित भण्डार खाते स्वतन्त्र रूप से नहीं रखे गये थे। इस संबंध में अभिलेखों से ज्ञात निम्न बातों का वर्णन भी किया जा सकता है :

(i) भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे प्राय: भण्डार से बिना मांग-पत्र के या मांग-पत्र में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा में निकाले गये ;

(ii) बहुत से मामलों में निर्गमन सन्निकट भारों / नापों के आधार पर किये गये ;

(iii) कुछ मामलों में वांछित मदें वास्तव में भण्डार से नहीं निकाली गई बल्कि लेखों में निर्गमित दिखाई गई जिसके परिणामस्वरूप अधिकताएं हुई;

(iv) कुछ मामलों में मांग-पत्र में दर्शायी गई माप से भिन्न इकाई में निर्गमन अंकित किये गये जिसके कारण लेखों में अंकित निर्गमन की मात्रा मांग-पत्रों की मात्रा से भिन्न थी, परिणामत: कमियां/अधिकताएं थीं;

(v) कभी-कभी वास्तविक अंकित निर्गमन मांगी गई मात्राओं की अपेक्षा भिन्न थे।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि अलग-अलग मदों की 50 रुपये से अधिक की कमियों और अधिकताओं की जांच की जा चुकी है और निदेशक मण्डल ने वांछित विचारोपरान्त अधिकताओं का कमियों के विरुद्ध समायोजन अनुमोदित कर दिया है। फिर भी परख जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि:

(i) कुछ मदों में या तो केवल कमियां थी या अधिकतायें थी लेकिन उनका मूल्य अन्य मदों की कमियों या अधिकताओं के मूल्य के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया;

(ii) कुछ मदों में कमियों का मूल्य उन्हीं या समान मदों की अधिकताओं के मूल्य से अधिक था और शुद्ध मूल्य अन्य मदों की कमियों/अधिकताओं के मूल्य के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया ; और

(iii) एक मिल की कमियों और अधिकताओं का शुद्ध मूल्य दूसरी मिलों की अधिकताओं और कमियों के शुद्ध मूल्य के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया।

अलग-अलग मिलों का निष्पादन

2.22. (क) खड्डा मिल

मिल एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी द्वारा 1933–34 में स्थापित की गई। इसने 1952–53 से सरकारी करों (25.76 लाख रुपये) का, 1958–59 से गन्ना मूल्य (36.77 लाख रुपये) और 1963–64 से कर्मचारियों की मजदूरी एवं वेतन (20.64 लाख रुपये) का 1970–71 तक भुगतान नहीं किया। इसके आर्थिक पुनः स्थापन और कुल 83.17 लाख रुपये के गन्ना देयों, करों, मजदूरी और वेतन का भुगतान करने के उद्देश्य से जुलाई 1971 में मिल कम्पनी द्वारा ले ली गई। कम्पनी निहित चीनी रहतिये की विक्रय प्राप्तियों में से क्रमश: 24.76 लाख रुपये और 12.40 लाख रुपये की सीमा तक गन्ना मूल्य और कर्मियों के देयों से सम्बधित दायित्वों का भुगतान कर सकी। सरकारी कर और गन्ना मूल्य एवं कर्मियों के देयों से सम्बन्धित शेष दायित्व अदत रहे (मार्च 1977)।

इसका कम्पनी को हस्तांतरण होने के पहले, मिल अपने आरक्षित क्षेत्र में 129 गांवों से, अर्थात् सरकार द्वारा उद्दीष्ट क्षेत्र जिसमें से गन्ना फसल कवर मिल को आपूर्ति करनी थी, गन्ना प्राप्त कर रही थी। 1958–59 से आगे रामको ना-खेतान को एक अन्य निजी मिल को क्षेत्र के एक हिस्से में उगाए गए गन्ने को मोड़ देने के बावजूद भी 1964–65 में मिल को अपने आरक्षित क्षेत्र से उपलब्ध गन्ने की मात्रा 11.03 लाख कुन्तल थी। 1970–71 में मिल को

उपलब्ध गन्ने की मात्रा 5.21 लाख कुन्तल थी। बाद के वर्षों में गन्ने की उपलब्धता में सीमित सुधार हुआ लेकिन मिल इन किन्हीं वर्षों में गन्ने की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने में योग्य नहीं रही। सितम्बर 1975 में सामान्य प्रबन्धक ने उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त से मिल के आरक्षित क्षेत्र में उगाए हुए गन्ने को रामकोला-खेतान मिल को आबंटित न करने के लिये निवेदन किया।

प्रबंधकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि गन्ने का, जो रामकोला-खेतान मिल को मोड़ दिया गया था, 1976–77 के दौरान मिल को प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि गन्ना देयों का भुगतान न करने और अकुशल कार्य सम्पादन के कारण इसने आरक्षित क्षेत्र से, जिसके एक हिस्से में गंडक नहर प्रारम्भ होने के बाद जलरोध के कारण भी उत्पादन कम हो गया, गन्ने के बड़े आकार की मात्रा खोना शुरू कर दिया।

निम्न तालिका मिल का निष्पादन (कम्पनी को प्रस्तुत विवरण पत्रों के अनुसार) कम्पनी के अन्तर्गत इसके कार्यरत 1975–76 तक के पांच वर्षों के लिये संक्षेप में दर्शाती है :

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	5.21	6.58	7.42	8.25	7.33
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा (प्रतिशत)	12.02	12.17	11.24	11.34	11.75
प्राप्ति (लाख कुन्तल)					
चीनी ..	0.47	0.62	0.61	0.72	0.65
खोई ..	1.88	2.32	2.74	2.99	2.63
शीरा ..	0.22	0.26	0.33	0.35	0.34
प्रैसमड ..	0.16	0.19	0.19	0.28	0.25
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)					
चीनी ..	9.09	9.34	8.19	8.68	8.90
खोई ..	36.13	35.19	36.88	36.24	35.88
शीरा ..	4.22	3.95	4.45	4.24	4.64
प्रैसमड ..	3.03	2.94	2.50	3.35	3.42

इस सम्बन्ध में निम्न बातों का वर्णन किया जा सकता है :

(i) भारत सरकार द्वारा गठित सुगर इन्डस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट (1974) के अनुसार खोई में चीनी की हानि सामान्यतया 0.9 से 1.1 प्रतिशत की सीमा में, अर्थात् औसतन 1 प्रतिशत, रहनी चाहिये। मिल में हानियां इस सीमा से अधिक थीं और

18.54 लाख रुपये मूल्य की 8982 कुन्तल चीनी की अधिक हानि (औसत बिक्री उगाहियों पर गणित), नीचे दिये गये विवरण के अनुसार थी :

वर्ष	पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	हानि* (प्रतिशत गन्ना)	अधिक हानि (प्रतिशत गन्ना)	चीनी की अधिक हानि (कुन्तल)
1971–72 ..	5.21	1.14	0.14	729
1972–73 ..	6.58	1.26	0.26	1711
1973–74 ..	7.42	1.40	0.40	2968
1974–75 ..	8.25	1.22	0.22	1815
1975–76 ..	7.33	1.24	0.24	1759
			योग ..	8982

(ii) खोई की भांति ही शीरे की जितनी अधिक प्राप्ति होती है उतनी ही अधिक चीनी की हानि होती है। रस शुद्धीकरण, पात्रों की क्रिया, दाना जमाने के यन्त्रों (क्रस्ट-लाइजर्स) और अपकेन्द्रीय स्टेशनों की कुशलता के साथ, शीरे में चीनी की हानि (गंधकीय प्रक्रिया प्रयोग करने वाली मिलें) सुगर इन्डस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, 1974 के अनुसार 1.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। खड्डा मिल में 1972–73 में शीरे में चीनी की हानि 1.36 प्रतिशत थी और 1974–75 में यह गन्ने का 1.3 प्रतिशत थी। तथापि शीरे में चीनी की हानि 1971-72, 1973-74 और 1975-76 में 1.44 और 1.49 प्रतिशत गन्ना के बीच रही। इन वर्षों में 1.4 प्रतिशत के ऊपर अधिक हानि 2.86 लाख रुपये मूल्य की 1374 कुन्तल चीनी तक की अतिरिक्त हानि के लिये उत्तरदायी रही।

(iii) प्रेसमड में चीनी हानियां 1974–75 और 1975–76 के दौरान क्रमशः केवल 0.05 और 0.06 प्रतिशत थी, उनमें से दोनों सुगर इन्डस्ट्री इनक्वाइरी कमीशन की रिपोर्ट, 1974 में संस्तुत 0.1 प्रतिशत गन्ना की सामान्य हानि से कम थी। प्रथम तीन वर्षों में हानि 0.13 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत के बीच रही। 0.1 प्रतिशत के मानक के संदर्भ में प्रैसमड में चीनी की अतिरिक्त हानि के कारण मिल की प्रथम तीन वर्षों की कार्यावधि में 2.34 लाख रुपये मूल्य की 1295 कुन्तल अतिरिक्त चीनी हानि अनुमानित है।

कम्पनी नें परिगणित किया (अक्तूबर 1974) कि पुनः स्थापन पर 36.65 लाख रुपये के विनियोग से चीनी वसूली का प्रतिशत सुधार जायगा और 1974–75 तक 9.6 तक पहुंच जायगा। पुनर्स्थापना में 68 लाख रुपये के व्यय करने के बाद (1974–75 तक) 1975–76 में वास्तविक वसूली 8.9 प्रतिशत थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि मिल की कार्य कुशलता पर विचार करते समय संयंत्र और उपस्कर की दशा को ध्यान में रखना चहिये।

(ख) भटनी मिल

मिल 1921–22 में 726 मैट्रिक टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की प्रतिस्थापित क्षमता से (1962–63 में 1016 मैट्रिक टन तक बढ़ाई गई) स्थापित की गई। जुलाई 1971 में मिल के अधिग्रहण के बाद कम्पनी ने सितम्बर 1976 तक उसकी पुनर्स्थापना पर 40 लाख रुपया व्यय किया।

मिल को गन्ने की आपूर्ति मिल के निजी स्वामित्व काल में भी कम रही। मिल को गन्ने की 10.81 लाख कुन्तल की अधिकतम मात्रा 1965–66 में उपलब्ध थी। तत्पश्चात्

*राशियां मिल क लेखों के अनुसार ।

1970–71 तक गन्ने की उपलब्धता 4.75 और 7.99 लाख कुन्तल के बीच रही। मिल को गन्ने की कमी के कारण गन्ना पेराई कार्य उस क्षेत्र की अन्य चीनी मिलों की अपेक्षा इन सभी वर्षों में लगभग एक माह पूर्व बन्द कर देना पड़ा। मिल में गन्ने की कमी के लिये निम्न तत्व उत्तरदायी थे :

(i) 1947 से 1956 तक मिल बन्द रहने के कारण इसका आरक्षित गन्ना क्षेत्र देवरिया और बिहार में अन्य पड़ोसी मिलों को आवंटित कर दिया गया। तत्पश्चात् मिल अपने पूर्ण आरक्षित क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं कर सकी।

(ii) गन्ना विकास के लिये मिल द्वारा उपदान/अनुदान के रूप में किए हुए 3.79 लाख रुपये के व्यय और गन्ना समितियों को दिये हुए 5.29 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण, जिसका विवरण नीचे दिया है, के बावजूद भी मिल क्षेत्र में गन्ना की खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1965–66 में 23687 एकड़ से घटकर 1970–71 में 19710 एकड़ और 1975–76 में 9222 एकड़ रह गया।

वर्ष	उपदान और अनुदान	ब्याज मुक्त ऋण (लाख रुपयों में)
1971–72	0.35	0·50
1972–73 ..	0.93	2.36
1973–74 ..	1.23	0.44
1974–74 ..	0.44	0.65
1975–76 ..	0.84	1.34
योग ..	3.79	5.29

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि 1975–76 के दौरान गन्ना क्षेत्र में तीव्र गिरावट बलिया और आजमगढ़ जिलों का गन्ना उन जिलों में स्थापित दो सहकारी मिलों को आवंटित होने, साथ ही साथ गन्ना समितियों और गन्ना उत्पादकों की कमजोर आर्थिक स्थिति और मिल क्षेत्र में गन्ना विकास कार्य की कमी के कारण थी।

सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में मिल का उत्पादन निष्पादन (कम्पनी को प्रस्तुत विवरण पत्रों के अनुसार) निम्न तालिका में संक्षेप में दर्शाया है:

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	3.95	9.02	6.84	7.54	6.70
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	12.25	12.56	12.06	12.08	12.04
प्राप्ति (लाख कुन्तल)					
चीनी ..	0.37	0.89	0.64	0.73	0.64
बोई ..	1.33	3.26	2.48	2.52	2.32
शीरा ..	0.14	0.34	0.25	0.29	0.24
प्रैसमड ..	0.13	0.24	0.20	0.22	0.18

	1971–72	1972–72	1973–74	1974–75	1975–76
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)					
चीनी ..	9.42	9.86	9.42	9.61	9.55
खोई ..	33.67	36.13	36.20	33.47	34.65
शीरा ..	3.60	3.77	3.72	3.88	3.66
प्रैसमड ..	3.37	2.69	2.98	2.90	2.75

खोई में चीनी हानियां जो 1971–72 से 1975–76 के दौरान 1.11 प्रतिशत से 1.38 प्रतिशत तक के बीच में रही, एक प्रतिशत के मानक (सुगर इन्डस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन द्वारा 1974 में निर्धारित) से अधिक थीं। खोई में एक प्रतिशत से अधिक चीनी की हानि से 17.07 लाख रुपये मूल्य की 8546 कुन्तल चीनी की हानि हुई।

(ग) **पिपराइच मिल**

यह मिल कम्पनी द्वारा जून 1974 में एक सार्वजनिक नीलाम में खरीदी गयी। क्रय के लिये बोली लगाने के पहले कम्पनी के वरिष्ठ अभियन्ता नें मिल की दशा का स्थलीय मूल्यांकन करने के लिये 15 और 16 जून 1974 को मिल का निरीक्षण किया। चूंकि मिल निरीक्षण के लिये खुली नहीं थी, वह इसके संयत्र और मशीन का निरीक्षण न कर सका। तथापि, वरिष्ठ अभियन्ता ने मिल के ग्राही (रिसीवर) व अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और इसके संयत्र और मशीनों की कार्य प्रणाली में अनेकों त्रुटियां बताईं। उसने अनुमान किया कि घिसे पिटे/त्रुटिपूर्ण मदों को बदलने के लिये 19.40 लाख रुपयों की तुरन्त आवश्यकता होगी। कम्पनी ने 1974–75 में 8.54 लाख रुपये बेयरिंग नलियों के बदलने (6.46 लाख रुपये) और अन्य मदों (2.08 लाख रुपये) तथा 1975–76 में 4.46 लाख रुपये विभिन्न मदों पर व्यय किया।

पूर्व कम्पनी काल के दौरान मिल में गन्ना पेराई की मात्रा 1960–61 में 15.08 लाख कुन्तल से बदलकर 1972–73 में 10.11 लाख कुन्तल हो गई। कम्पनी के अन्तर्गत मिल का कार्य उसके संयत्र और मशीनों की जल्दबाजी में मरम्मत के बाद 14 जनवरी 1975 को प्रारम्भ हुआ। गन्ने की कमी के कारण मिल 4.40 लाख कुन्तल गन्ना पेरने के बाद (लगभग 667 मैट्रिक टन प्रतिदिन के औसत से) 21 मार्च 1975 को बन्द करनी पड़ी। 1975–76 में गन्ने की फसल खराब थी और मिल के आरक्षित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों से गन्ने को क्रय करने के बावजूद भी 91 दिनों में 6.25 लाख कुन्तल पिराई हुई (लगभग 687 मैट्रिक टन प्रतिदिन का औसत)।

मिल के आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की खेती 1973–74 में 11256 एकड़ से घटकर 1974–75 में 8747 एकड़ और 1975–76 में 6131 एकड़ रह गई। कम्पनी ने 1974–75 में गन्ने के के विकास के लिये गन्ना समितियों के माध्यम से उपदान के अनुदान द्वारा 0.40 लाख रुपये व्यय किया। 1975–76 के दौरान (मई 1976 तक) उपदान पर 0.75 लाख रुपये और गन्ना बीज, कीटनाशकों और रोगाणुनाशकों को क्रय करने के लिये गन्ना समितियों को अग्रिम किये गये व्याज मुक्त ऋणों पर 2.21 लाख रुपये का व्यय था।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि 1972–73 और 1973–74 के गन्ना देयों का भुगतान न किया जाना, 1974–75 के लिए गन्ना मूल्यों का देर से घोषणा, अन्य फसलों का आकर्षक और अधिक प्रतिफलित मूल्य और आरक्षित क्षेत्र में चकबन्दी की कार्यवाही, 1975–76 के दौरान गन्ना क्षेत्र में कमी के कुछ कारण थे।

निम्न तालिका सितम्बर 1976तक के दो वर्षों के लिये मिल के उत्पादन निष्पादन का सारांश है (कम्पनी को प्रस्तुत मिल-विवरण पत्रों के अनुसार):—

विवरण	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	4.40	6.25
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी की मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	11.93	11.79
प्राप्ति (लाख कुन्तल)		
चीनी	0.40	0.56
खोई	1.61	2.18
शीरा	0.17	0.27
प्रैसमड	0.11	0.17
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)		
चीनी	9.02	8.90
खोई	36.63	34.88
शीरा	3.97	4.33
प्रैसमड	2.48	2.73

अधिक खोई प्राप्ति के कारण खोई में चीनी की हानि (1974–75 में 1.22 प्रतिशत गन्ना और 1975–76 में 1.13 प्रतिशत गन्ना) एक प्रतिशत के मानक की अपेक्षा अधिक थी। इसी प्रकार प्रैसमड में चीनी की हानि 0.10 प्रतिशत मानक की तुलना में 1974–75 में 0.17 प्रतिशत और 1975–76 में 0.16 प्रतिशत थी।

प्रबन्धकों के अनुसार (अगस्त 1976) मिल स्टेशन में तीन रोलरों की वृद्धि द्वारा तथा विद्यमान जीर्ण और पुरानी प्लेट व फ्रेम टाईप प्रेसेज को रोटरी वैक्यूम फिल्टर से बदलकर खोई और प्रैसमड में अतिरिक्त चीनी हानि को नियंत्रित किया जा सकता था।

(घ) बाराबंकी मिल

पूर्व स्वामियों द्वारा मिल के कम्पनी द्वारा अधिग्रहण के विरुद्ध एक प्रादेश (रिट) याचिका दाखिल करने पर न्यायालय ने मिल की विद्यमान अचल सम्पत्तियों में कोई वृद्धि या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी (जुलाई 1971), तथापि कम्पनी ने जुलाई 1972 में 12 लाख रुपये तक और पुनः जुलाई 1973 में संयत्र और मशीनों की वृद्धि, बदली और सुधार पर 20.50 लाख रुपये व्यय करने की न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली। इन वृद्धियों, बदलियों इत्यादि पर 1975–76 तक हुआ व्यय 16.56 लाख रुपये था।

पूर्व कम्पनी काल में मिल को गन्ने की आपूर्ति 1961–62 से 1970–71 तक 5.42 लाख और 14.08 लाख कुन्तल के बीच रही। कम्पनी के अन्तर्गत कार्यकाल के दौरान (1971–72 से 1975–76) गन्ने की आपूर्ति 1972–73 में 8.44 लाख कुन्तल से घटकर 1975–76 में 6.66 लाख कुन्तल रह गई। प्रबन्धकों के अनुसार (अगस्त 1976) गन्ना उपलब्धता में कमी मुख्यतः निम्न कारणों से थी :

(i) गुड़ और खण्डसारी व्यवसायों की ओर गन्ने का मोड़;
(ii) सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण गन्ने की खेती में कमी;
(iii) गन्ना विकास की कमी; और
(iv) पूर्व कम्पनी काल से संबंधित गन्ना मूल्यों का भारी बकाया।

1971–72 से 1975–76 के दौरान मिल का उत्पादन निष्पादन (मिल द्वारा कम्पनी को प्रस्तुत विवरण-पत्रों के अनुसार) निम्न प्रकार था—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	4.81	8.44	8.91	9.87	6.66
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	11.78	12.32	11.99	12.35	12.04
प्राप्ति (लाख कुन्तल)					
चीनी ..	0.42	0.76	0.78	0.91	0.60
खोई ..	1.68	3.23	3.30	3.47	2.36
शीरा ..	0.19	0.38	0.42	0.46	0.31
प्रैसमड ..	0.15	0.24	0.25	0.31	0.22
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)					
चीनी ..	8.79	8.96	8.80	9.20	9.05
खोई ..	34.97	38.32	37.09	35.15	35.38
शीरा ..	3.89	4.46	4.75	4.67	4.60
प्रैसमड ..	3.13	2.88	2.79	3.09	3.34

अतिरिक्त चीनी हानि निम्न विवरण के अनुसार 41.26 लाख रुपये मूल्य की 19,876 कुन्तल आती है :

(क) **खोई**—खोई की प्राप्ति अधिक थी। इसका परिणाम सुगर इन्डस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन द्वारा संस्तुत एक प्रतिशत की मानक हानि के विरुद्ध 1.24 प्रतिशत व 1.38 प्रतिशत के बीच में गन्ना की उच्चतर चीनी हानि में हुआ। खोई में अधिक चीनी हानियां लगभग 25.66 लाख रुपये के मूल्य की 12,417 कुन्तल थी।

(ख) **शीरा**—कम्पनी के अन्तर्गत मिल के कार्य सम्पादन के प्रथम वर्ष में चीनी की हानि 1.40 प्रतिशत मानक के विरुद्ध 1.34 प्रतिशत थी। बाद के वर्षों में शीरे में चीनी की हानि 1.53 प्रतिशत और 1.63 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 1972–73 से 1975–76 के दौरान 12.77 लाख रुपया मूल्य की 6,089 कुन्तल चीनी की कुल अतिरिक्त हानि हुई।

(ग) **प्रैसडम**—प्रैसमड में चीनी की हानि भी 0.10 प्रतिशत की मानक हानि की अपेक्षा सभी वर्षों में 0.11 और 0.13 प्रतिशत के बीच रही। अतिरिक्त चीनी हानियां 2.83 लाख रुपये मूल्य की 1,370 कुन्तल आती है।

प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि सन्दर्भित मानक आदर्श अवस्थाओं के लिये थे और 1974–75 के दौरान चीनी निष्कर्षण रद्दी मिलों के लिये फलसाधक था।

(च) मोहीउद्दीनपुर मिल

कम्पनी अगस्त 1976 में भारत सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मिल की अधिकृत नियंत्रक नियुक्त की गई। कम्पनी ने उस हैसियत से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया क्योंकि मिल इस बीच में उसके द्वारा जुलाई 1971 में राज्य सरकार द्वारा घोषित एक अध्यादेश के अन्तर्गत गृहीत कर ली गई थी।

अभिलेखों से यह देखा गया कि गन्ना आपूर्ति की कमी निम्न मुख्य कारणों से थी :—

(i) मिल के आरक्षित क्षेत्र से पर्याप्त गन्ने का खण्डसारी और गुड़ व्यवसाय की ओर मोड़;

(ii) गन्ना बकायों के भुगतान में विलम्ब (पूर्व कम्पनी काल से संबंधित गन्ना बकायों के शेष 1971-72 तक समाप्त किये गये लेकिन कम्पनी अधिग्रहण के बाद की गई आपूर्तियों के गन्ना बकायों को समाप्त करने में समर्थ नहीं थी। सितम्बर 1975 के अन्त में गन्ना मूल्य की 22 लाख रुपये की धनराशि अदत्त थी); और

(iii) परिवहन में गन्ने की उच्च हानियां।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि बाह्य केन्द्रों पर अप्रैल 1975 और मार्च 1976 में गन्ना की उपलब्धता में कमी आ गई क्योंकि खण्डसारी इकाइयों ने गन्ने के लिये उच्चतर कीमतें प्रस्तावित कर दीं।

कम्पनी के अधीन मिल की पांच वर्षों के दौरान की कार्यशीलता (कम्पनी को प्रस्तुत विवरण-पत्रों के अनुसार) नीचे दी है:—

विवरण	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)।	6.96	12.06	10.06	10.77	9.58
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	12.63	12.43	11.79	12.95	12.58
प्राप्ति (लाख कुन्तल)।					
चीनी ..	0.67	1.14	0.86	1.08	0.93
खोई ..	2.01	3.47	3.06	3.23	2.94
शीरा ..	0.31	0.56	0.52	0.50	0.43
प्रेसमड ..	0.22	0.35	0.28	0.30	0.29
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)					
चीनी ..	9.68	9.41	8.54	10.05	9.74
खोई ..	28.93	28.76	30.36	29.98	30.74
शीरा ..	4.50	4.66	5.17	4.60	4.47
प्रेसमड ..	3.10	2.91	2.75	2.79	3.08

मिलिंग अकुशलता के कारण बताये गये खोई प्राप्ति के उच्च अनुपात का परिणाम खोई में एक प्रतिशत मानक की अपेक्षा चीनी की उच्चतर हानि थी जिस से 12.02 लाख रुपये मूल्य की 5,842 कुन्तल अतिरिक्त चीनी की हानि हुई। शीरे में चीनी हानि का अनुपात भी 1.4 प्रतिशत के मानक की अपेक्षा अधिक था (1.45 प्रतिशत और 1.76 प्रतिशत के बीच)। शीरे में कुल अधिक चीनी हानि 17.76 लाख रुपये मूल्य की 8,989 कुन्तल थी।

पहले तीन वर्षों में अनिश्चित चीनी हानियों का अनुपात भी बहुत अधिक था (0.1 प्रतिशत गन्ना के मानक के विरुद्ध 0.25 से 0.26 प्रतिशत गन्ना)। तथापि 1974-75 और 1975-76 में अनिश्चित चीनी हानियों का अनुपात केवल 0.15 और 0.12 प्रतिशत गन्ना था। अनिश्चित कारणों से कुल अधिक चीनी हानियां 10.04 लाख रुपये मूल्य की 5,213 कुन्तल थी।

(छ) सबोटी-टांडा मिल

मिल का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1965 में लिया गया। मिल कम्पनी में जुलाई 1971 में निहित हुई। दिसम्बर 1969, जुलाई 1970 और फरवरी/ मई 1971 में नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा किये गये मिल के संयंत्र और मशीनरी की दशा के अध्ययन ने ब्वायलरों को बदलने, अल्प आकार के रोलरों की कमियों का निवारण करने और वाष्पक की तलछट टंकी (सैटलिंग टैंक) और नलियों के बदलने की आवश्यकता प्रकट की। प्रतिस्थापनों/ मरम्मतों की लागत 8.46 लाख रुपये अनुमानित की गई। मिल ने 1972-73 से 1975-76 की अवधि के दौरान पुनर्स्थापना और नवीनीकरण पर 90 लाख रुपये व्यय किया लेकिन सामान्य उपयोगिता क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी (कम्पनी द्वारा अनुमानित 85 से 90 प्रतिशत)।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि नेशनल सुगर इन्स्टीट्यूट द्वारा अनुमानित राशि से अधिक व्यय (क) मुद्रास्फीति, और (ख) इन्स्टीट्यूट द्वारा संस्तुत मदों से अधिक मदों की मरम्मत के कारण था।

1971-72 से 1975-76 के दौरान मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना प्राप्ति और मिल को उपलब्ध गन्ने का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
गन्ना खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल (एकड़)	25695	27621	30989	27354	30747
गन्ना प्राप्ति (लाख कुन्तल)	39.86	45.55	52.46	44.45	48.79
प्रति एकड़ औसत गन्ना प्राप्ति (कुन्तल)	155	165	169	161	159
पेरने के लिये उपलब्ध गन्ना मात्रा (लाख कुन्तलों में)	5.22	9.91	9.68	11.74	7.82
कुल गन्ना प्राप्ति का प्रतिशत	13	22	18	26	16

मिल ने मुख्यतया अन्य मिलों और खण्डसारी और गुड़ व्यवसायों की ओर गन्ने के मोड़, मिल क्षमता की न्यून उपयोगिता और गन्ना मूल्य के विलम्बित भुगतान के कारण गन्ना प्राप्ति का एक लघु अनुपात प्राप्त किया। मिल के कम्पनी को हस्तांतरण के समय गन्ना मूल्य और कमीशन का बकाया 28.84 लाख रुपये था (पूरक दावों को सम्मिलित करके जिनका कम्पनी ने 1975-76 तक निहित चीनी रहतिया की बिक्री से प्राप्त राशि में से भुगतान किया)। कम्पनी के अन्तर्गत कार्य अवधि के लिये भुगतान न किया गया गन्ना देय 1973-74 के अन्त में 0.15 लाख रुपये से बढ़कर 1974-75 के अन्त में 30.32 लाख रुपये और मई 1976 के अन्त में 40.55 लाख रुपये हो गया। इसीलिये, प्रबन्धकों के अनुसार (अगस्त 1976), गन्ना उत्पादक मिल को अपना गन्ना देने में अनिच्छुक हो गये। आगे, गन्ना कमीशन का भुगतान न होने के कारण गन्ना समितियों ने भी अपने क्षेत्र में उत्पादित गन्ने को अन्य मिलों की ओर मोड़ दिया।

मिल ने अपने आरक्षित क्षेत्र में गन्ना विकास के लिये गन्ना समितियों को उपदान के भुगतान पर 1971-72 से 1975-76 के दौरान (अप्रैल 1976 तक) 5.45 लाख रुपये व्यय किये।

सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिये मिल का उत्पादन निष्पादन (कम्पनी को विवरण पत्रों के अनुसार) निम्न तालिका में दिखाया गया है :—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	5.22	9.91	9.68	11.74	7.82
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	12.34	12.51	11.87	12.48	12.12
प्राप्ति (लाख कुन्तल)					
चीनी ..	0.49	0.95	0.79	1.11	0.71
खोई ..	1.49	2.70	2.72	3.57	2.37
शीरा ..	0.23	0.44	0.56	0.57	0.37
प्रैसमड ..	0.18	0.32	0.27	0.36	0.24
प्राप्ति (प्रतिशत गन्ना)					
चीनी ..	9.42	9.61	8.19	9.42	9.10
खोई ..	28.55	27.22	28.11	30.38	30.35
शीरा ..	4.39	4.41	5.81	4.85	4.77
प्रैसमड ..	3.46	3.18	2.83	3.02	3.02

सभी पांच वर्षों में खोई में चीनी की हानि 1.11 प्रतिशत और 1.26 प्रतिशत के बीच रही। एक प्रतिशत मानक के ऊपर खोई में चीनी की अतिरिक्त हानि 17.29 लाख रुपये मूल्य की कुल 8591 कुन्तल चीनी की हुई। 1971–72 से 1973–74 के दौरान शीरा में चीनी हानि 1.43 प्रतिशत गन्ना और 1.92 प्रतिशत गन्ना के बीच रही। 1974–75 और 1975-76 के दौरान शीरे में चीनी हानियां क्रमशः 1.55 और 1.51 प्रतिशत गन्ना थीं। 1.4 प्रतिशत के मानक के संदर्भ में गणना करने पर पांच वर्षों के दौरान 17.00 लाख रुपये मूल्य की 8,207 कुन्तल चीनी की अतिरिक्त हानि थी। अनिश्चित कारणों से चीनी हानि की मात्रा 0.10 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 0.15 प्रतिशत से 0.46 प्रतिशत के बीच रही। अनिश्चित कारणों से चीनी की अतिरिक्त हानि 14.25 लाख रुपये मूल्य की 7,035 कुन्तल थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि सुगर इन्डस्ट्री इन्क्वायरी कमीशन द्वारा निर्धारित मानक आदर्श दशाओं के अन्तर्गत थे और मिल के अशक्त संयंत्र के लिये लागू नहीं करने चाहियें। तथापि, यह कहा जा सकता है कि 1974 में कमीशन ने संस्तुतियां करते समय विचार प्रकट किया कि "निष्पादन का निर्णय करने में हमारे प्रतिवेदन में दिये गये मानक उदार पक्षीय हैं"।

किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड (एक सहायिका)

प्रस्तावना

2.23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1974–75 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 34 में सरकार द्वारा किच्छा में एक चीनी मिल (निर्माणाधीन) की अभ्याप्ति और तत्पश्चात् उसके नवम्बर 1971 में कम्पनी को हस्तांतरण के बारे में वर्णन किया गया था। कम्पनी की एक सहायिका, अर्थात किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड चीनी मिल के मामलों का प्रबन्ध करने के लिये फरवरी 1972 में निगमित की गई।

पूंजी संरचना

2.24. (क) अंश पूंजी

30 लाख रुपये की अधिमान अंश पूंजी सहित सहायिका की अधिकृत पूंजी 2.70 करोड़ रुपये थी। गन्ना उत्पादकों से गन्ना समितियों के माध्यम से प्राप्त 5.84 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि (सितम्बर 1976 तक अंशों का आवंटन नहीं किया गया) के अतिरिक्त 30 सितम्बर 1976 को प्रदत्त पूंजी 171.75 लाख रुपये थी। प्रदत्त अंश पूंजी कम्पनी (110 लाख रुपये), सरकार (32.59 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (20 लाख रुपये) और गन्ना उत्पादकों (9.16 लाख रुपये) द्वारा धारण की गई थी।

(ख) सरकारी ऋण

मिल सरकार द्वारा एक सम्पत्ति हस्तान्तरण दस्तावेज (5 मार्च 1973) के माध्यम से सहायिका को 132.59 लाख रुपये (पूर्व स्वामियों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया 131.59 लाख रुपया और 12 सितम्बर 1970 से 16 फरवरी 1972 तक सरकारी नियंत्रण के अन्तर्गत मिल की देख रेख पर व्यय हुआ एक लाख रुपया) के प्रतिफल में हस्तांतरित की गई। धनराशि अंशतः ऋण के रूप में (100 लाख रुपये) और अंशतः अंश पूंजी के लिये अंशदान के रूप में (32.59 लाख रुपये) मांगी गई। ऋण की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (मार्च 1977)। तथापि, सहायिका अपने लेखों में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के लिये प्राविधान करती रही है। सरकार ने संयंत्र के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिये जून 1973 में 50 लाख रुपये का एक अन्य ऋण दिया। यह ऋण समय से भुगतान करने पर 2 1/2 प्रतिशत छूट के अधीन 11 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज वहन करता है। धनराशि ब्याज सहित अगस्त 1973 तक या इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से एक ऋण की प्राप्ति पर, जो पहले हो, अदा की जानी थी। हालांकि सहायिका ने 135 लाख रुपये के ऋण इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से अक्टूबर 1973 में (100 लाख रुपये) और अगस्त 1974 में (35 लाख रुपये) मिल को पूरा करने के लिये प्राप्त किए, इसने सरकार का दूसरा ऋण बताई गई आर्थिक कठिनाइयों के कारण अदा नहीं किया (मार्च 1977)।

(ग) अन्य ऋण

सहायिका ने 1972-73 में सरकारी प्रतिभू के विरुद्ध एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 40 लाख रुपये के एक अन्तरपूर्ति ऋण (ब्रिजिंग लोन) का प्रबन्ध किया जो इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण की प्राप्ति पर अक्टूबर 1973 में अदा कर दिया गया। सहायिका ने उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड से 1974-75 में 30 लाख रुपये का एक अल्पावधि ऋण भी लिया जो 1974-75 (19.68 लाख रुपये) और 1975-76 (10.32 लाख रुपये) में अदा किया गया। 30 लाख रुपये का एक अन्य ऋण उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड से 1975-76 में लिया गया जो सितम्बर 1976 के अन्त में बाकी था।

कार्यशील पूंजी के लिये सहायिका रोकड़ उधार सुविधाओं पर आश्रित थी। इस संबंध में 30 सितम्बर 1976 को 5.63 लाख रुपये के ब्याज को सम्मिलित करते हुये 100.20 लाख रुपये का दायित्व था।

मिल का पूर्ण होना और कार्यारम्भ

2.25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 1974-75 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 34 में कलकत्ता की एक फर्म द्वारा चीनी संयंत्र की आपूर्ति और पूर्ण किये हुये संयंत्र के निर्माण और कार्यारम्भ के बारे में वर्णन किया गया था। सहायिका ने संयंत्र के सुधार पर 19.57 लाख रुपये व्यय किये जो फर्म से वसूल किये जाने थे। धनराशि वसूल नहीं की गई (मार्च 1977)। मई 1976 में इस फर्म द्वारा आपूर्ति की गई मशीनों के मुख्य अभियन्ता, नशनल फडरेशन आफ

कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज द्वारा निरीक्षण से प्रकट हुआ कि 18 निस्पंदन दाबकों (फिल्टर प्रैसज) में से दो दूसरों के द्वारा प्रयोग किये हुये थे; दाबकों में 17 त्रुटि पूर्ण प्लेटें थीं और 7 हैडर टांकलग हुए (पैच्ड) थे। प्रबन्धकों ने अप्रैल 1977 में बताया कि 588 प्लेटें त्रुटिपूर्ण पाई गई जिसमें से 516 बदल दी गई और यह कि दाबकों के हैडर कमजोर थे और परिचालन के दौरान टूट गए। मरम्मत की लागत की वसूली के लिए आपूर्ति कर्त्ताओं पर एक दावा दायर किया हुआ बताया गया और जो विचाराधीन था।

19 मार्च 1974 को जब मिल कार्यारम्भ के लिए तैयार थी संयंत्र और मशीनों तथा सिविल निर्माण कार्यों की परियोजना लागत क्रमशः 225.85 लाख रुपये और 25.86 लाख रुपये थी। 30 सितम्बर 1974 को अन्य सम्पत्तियां 9.14 लाख रुपये की थीं।

क्षमता उपयोग

2.26. निम्न तालिका 1975–76 तक के तीन वर्षों के लिए मिल की क्षमता उपयोगिता दर्शाती है :–

	1973–74	1974–75	1975–76
सकल सत्र			
कार्य दिवस	88	194	139
कार्य के उपलब्ध घंटे	2,088	4,655	3,334
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल) ..	7.02	27.17	21.64
वास्तविक पेराई समय (घंटे)	1,576	4,015	2,868
पेराई समय हानि के कारण (घंटे)– ..			
गन्ने की कमी	148	106	124
यांत्रिक टूट–फूट	292	239	145
अन्य कारण	72	295	197
योग	512	640	466
समय हानि का प्रतिशत	25	14	14

सहायिका के निदेशक मंडल ने फरवरी 1975 में निर्धारित किया था कि गन्ना पेराई सत्र के 180 दिनों में मिल को 1975–76 में 10 प्रतिशत की चीनी वसूली के साथ 30 लाख कुन्तल गन्ना पेरना चाहिए। इस प्रकार 1975–76 में पेरे गये गन्ने में 28 प्रतिशत की गिरावट थी।

प्रबन्धकों के अनुसार (अप्रैल 1977) 1975–76 में, जब कि अधिकांश दोषों का सुधार किया जा चुका था, कार्य अवधि में कमी अंशतः खंडसारी मिलों, जिन्होंने मिल द्वारा भुगतान किए गए 13.25 रुपये प्रति कुन्तल के विरुद्ध 14 रुपये से 16 रुपये प्रति कुन्तल का आकर्षक मूल्य भुगतान किया, की तरफ गन्ने के खिचाव से हुई गन्ने की कमी के कारण हुई।

उत्पादन निष्पादन

2.27. निम्न तालिका 30 सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए मिल का उत्पादन निष्पादन संक्षेप में दर्शाती है :—

विवरण	1973–74	1974–75	1975–76
पेरा गया गन्ना (लाख कुन्तल)	7.02	27.17	21.64
प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार गन्ने में चीनी मात्रा प्राप्ति (लाख कुंतल)	11.92	12.10	12.65
चीनी	0.59	2.51	2.20
खोई	2.55	9.74	6.86
शीरा	0.35	1.14	0.77
प्रैसमड	0.59	2.17	1.62

विवरण	1973–74	1974–75	1975–76
रेशा (फाइबर) मात्रा (प्रतिशत गन्ना)	16.10	16.10	14.32
पेरे गये गन्ने पर प्राप्ति का प्रतिशत ..	..		
चीनी	8.40	9.26	10.16
खोई	36.38	35.85	31.68
शीरा	4.96	4.20	3.55
प्रैसमड	8.37	8.00	7.49

1973–74, 1974–75 और 1975–76 के दौरान उपोत्पादों में चीनी हानियां नीचे दर्शाए गये अनुसार थी :—

	1973–74	1974–75	1975–76
	(चीनी हानियां प्रतिशत गन्ना)		
खोई	1.31	1.11	0.92
शीरा	1.71	1.43	1.29
प्रैसमड	0.33	0.21	0.16
अनिश्चित	0.19	0.11	0.13

यह देखा जायगा कि मिल की कार्यशीलता की तीसरी वर्ष में भी शीरा में चीनी हानियां और अनिश्चित चीनी हानियां प्रत्येक में 0.1 प्रतिशत के मानक से अधिक थीं।

कार्य परिणाम

2.28. 1973–74 से 1975–76 के लिये मिल के कार्य परिणाम निम्न प्रकार थे :—

व्यय	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
कच्चा माल	98.46	437.00	315.51
मजदूरी एवं वेतन	10.55	34.18	36.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण	3.15	22.90	25.34
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	10.11	43.02	33.18
शक्ति एवं ईंधन	7.68	5.72	9.70
अन्य व्यय	0.51	2.74	2.71
ह्रास	39.08	52.47	43.60
ब्याज व्यय	20.60	61.61	63.29
प्रशासकीय व्यय	2.30	4.66	4.76
विक्रय व्यय	0.68	2.54	3.95
विकास छूट संचय	34.97	..	..
योग ..	228.09	666.84	538. 16

उत्पादन का मूल्य और अन्य आय	1973–74	1974–75	1975–76 (लाख रुपयों में)
बिक्री	91.49	350.96	600.76
जोड़िये–अंतिम रहतिया ..	27.71	196.83	95.10
	119.20	547.79	695.86
घटाइए–प्रारम्भिक रहतिया ..	..	27.71	196.83
योग ..	119.20	520.08	499.03
अन्य आय ..	3.25	0.65	0.90
योग ..	122.45	520.73	499.93
शुद्ध हानि ..	105.64	146.11	38.23

अंशधारियों को अपने प्रतिवेदन में सहायिका के निदेशक मंडल ने 1974–75 में हुई कार्य हानि के निम्न कारण बताए:

(i) उच्चतर गन्ना मूल्य का भुगतान,

(ii) अक्तूबर 1974 से उच्चतर क्रय कर,

(iii) गन्ना समितियों का उच्चतर कमीशन,

(iv) त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के प्राविधान के साथ मिल कर्मियों की मजदूरी में वृद्धि, और

(V) बैंकों द्वारा दिये गये रोकड़ उधार पर उच्चतर ब्याज ।

कार्य हानियों के सम्बन्ध में निम्न बातें कही जा सकती हैं:—

(i) सहायिका के बैंक से रोकड़ उधार के आहरण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण 30 सितम्बर 1974 को 1.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 सितम्बर 1975 को 3.16 करोड़ रुपये और 30 सितम्बर 1976 को 2.65 करोड़ रुपये हो गये । भुगतान योग्य व्यापार देय भी 30 सितम्बर 1974 को 0.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 सितम्बर 1976 को 2.18 करोड़ रुपये हो गये । प्रतिकूल वित्तीय स्थिति गन्ना देयों के विलम्बित भुगतान में फलित हुई । अदत्त गन्ना मूल्य 30 सितम्बर 1974 को 32 लाख रुपयों से बढ़कर 30 सितम्बर 1976 को 42.53 लाख रुपये हो गया । इसने अदत्त गन्ना मूल्य पर ब्याज दायित्व की 1973–74 में 2.42 लाख रुपये से 1974–75 में 10.52 लाख रुपये और 1975–76 में 20.57 लाख रुपये की वृद्धि में प्रभाव डाला ।

(ii) यद्यपि 1975–76 में गन्ना पेराई कार्य पहले रोक दिया गया और 1974–75 की अपेक्षा मजदूरी एवं वेतन पर कुल व्यय अधिक था, अधिसमय मजदूरी पर व्यय 1973–74 में 0.26 लाख रुपये से बढ़कर 1974–75 में 1.50 लाख रुपये और 1975–76 में 2.00 लाख रुपये हो गया ।

(iii) मिट्टी तेल और जलौनी लकड़ी के उपभोग में भारी वृद्धि थी, जैसा कि अगले अनुच्छेद में दर्शाया गया है ।

ईंधन उपभोग

सुगर इन्डस्ट्री इनक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट (1974) में यह मन्तव्य प्रकट किया कि भली-भांति अनुरक्षित और भली-भांति परिचालित मिलों में खोई के रूप में ईंधन की आवश्यकता गन्ने पर 26 से 28 प्रतिशत होनी चाहिये और यह कि कार्बोनेशन मिल में गन्ने के अतिरिक्त दो प्रतिशत की आवश्यकता थी । मिल, जो कि एक नई स्थापित कार्बोनेशन नमूने की है, ने इसके द्वारा उत्पादित खोई (1975–76 तक के तीन वर्षों के दौरान पेरे गए गन्ने का 36.38

प्रतिशत, 35.85 प्रतिशत और 31.68 प्रतिशत) के अतिरिक्त ईंधन का प्रयोग किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

ईंधन	1973–74	1974–75	1975–76
जलौनी लकड़ी (कुंतल)	16,698	579	8,178
भट्टी तेल (लीटर)	50,000	..	1,86,300
सब में मिल उत्पादन के अलावा खोई (मैट्रिक टन)	5,323	3,259	618

प्रत्येक वर्ष में प्रयुक्त अतिरिक्त ईंधन तथा शक्ति का मूल्य निम्न प्रकार था:—

	1973 74	1974-75	1975-76
कुल लागत (लाख रुपयों में)	7.68	4.60	9.52
ईंधन लागत, प्रति कुंतल उत्पादित चीनी (रुपये)	13.02	1.83	4.39

भट्टी तेल और जलौनी लकड़ी के अत्यधिक उपभोग के कारण 1975-76 में उत्पादित चीनी की ईंधन और शक्ति की प्रति कुन्तल लागत 1974–75 के दुगने से अधिक थी। 1974–75 में मिल ने 2050 मैट्रिक टन खोई बचायी जिसको 1975–76 में बेचा गया या प्रयोग में लाया गया।

प्रबन्धकों द्वारा 1975–76 में अत्यधिक ईंधन उपभोग मुख्यतया निम्न कारणों से बताया गया (जुलाई 1976) :

(i) 1974–75 की अपेक्षा गन्ना पेराई कार्य पहले बन्द कर दिये गये थे।

(ii) 1974–75 की अपेक्षा पेरे गये गन्ने में रेशा मात्रा कम थी।

(iii) रस में अधिक जल मिश्रण के कारण पोल प्रतिशत 1975–76 (2.94 प्रतिशत) में 1974–75 (3.05 प्रतिशत) की अपेक्षा कम था।

(iv) ब्वायलर गृह की कुशलता बढ़ाकर चीनी हानियां कम करने के लिये अधिक वाष्प की आवश्यकता थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि 1975–76 में अतिरिक्त ईंधन की लागत में वृद्धि 1974–75 की तुलना में 1975–76 में खोई की कम प्राप्ति के कारण थी।

गन्ने की ढुलाई

2.30. जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, ठेकेदारों के माध्यम से बाह्य केन्द्रों से गन्ना ढुलाई पर मिल द्वारा किया गया व्यय उत्पादकों को भुगतान किये गये गन्ना मूल्य (बाह्य केन्द्रों से मिल परिसर तक ढुलाई के लिये गुन्जाइश सम्मिलित करते हुए) से की गई कटौतियों से अधिक था:

विवरण	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
वास्तविक ढुलाई व्यय	4.15	22.65	17.57
उत्पादकों से काटी गई धनराशि	1.86	15.18	16.22
अधिक व्यय	2.29	7.47	1.35

इस प्रकार मिल ने वसूली की गुंजाइश, जो गन्ना मूल्य का एक भाग थी, से 11.11 लाख रुपया अधिक व्यय किया।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि उत्पादकों से की गई वास्तविक कटौती से अधिक व्यय ने मिल को अधिक गन्ना प्राप्त करने के योग्य बनाया। तथापि यह कहा जा सकता है कि मिल में गन्ना आपूर्ति की कमी के कारण 1975–76 के मध्य अप्रैल में गन्ना पेराई कार्य रोक दिये गये।

भंडार प्रबन्ध

2.31. नीचे दी गई तालिका 30 सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के अंतिम रहतिये के मूल्य को दर्शाती हैं:—

	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
	40.35	39.36	40.74

सहायिका के निदेशक मंडल ने 30 जनवरी 1976 को यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को भंडार सूची को दो माह की आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर तक घटाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। आगे की प्रगति अपेक्षित है (मार्च 1977)।

भंडार कमियां

2.32. 1973–74 और 1974–75 के अन्त में किये गये भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के भौतिक सत्यापन के दौरान कमियां व अधिकताएं पायी गयीं जिनके मूल्य नीचे दिये गये अनुसार थे: –

मूल्य की	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
कमियां	1.59	1.48	2.48
अधिकतायें	1.46	1.32	2.23

अधिकताओं का मूल्य कमियों के मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया गया हालांकि मामलों की एक बड़ी संख्या में कमियां भंडार की विभिन्न मदों में या विभिन्न मापों/विशिष्टियों में थीं या उसी तरह की मदों में अधिकताओं से अधिक थीं। कमियों की छानबीन नहीं की गयी। कमियां और अधिकताएं निम्न कारणों से अभिलिखित की गयी :

(i) गलत शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों, निर्गमनों का लेखा,
(ii) प्राप्तियों को लेखों में न लेना,
(iii) कम निर्गमन,
(iv) मात्राओं की गलत प्रविष्टि, और
(v) निहितभंडार सामग्रियों के अंकों की सहायिका के भंडार के लेखों में प्रविष्टि और विलोमत:।

त्रुटि पूर्ण डीजल जेनरेटिंग सेट्स

2.33. 1973-74 में मिल ने 9.07 लाख रुपये की लागत से तीन 133 के0डब्लू0 के डीजल जैनरेटिंग सेट्स लगाये। उनके कार्यारंभ के तुरन्त बाद, सेट्स त्रुटिपूर्ण पाये गये और मिल ने उनकी मरम्मत पर 0.72 लाख रुपया व्यय किया। मिल के मुख्य अभियंता द्वारा कम्पनी को (अप्रैल 1975) इन सेट्स का निष्पादन बहुत खराब बताया गया। आपूर्तिकर्ता फर्म ने एक सेट के क्षतिग्रस्त सुपर चार्जर की मरम्मत मुफ्त में की। प्रबन्धकों ने अप्रैल 1977 में बताया कि इन सैट्स की मरम्मत पर हुए 0.72 लाख रुपये के व्यय के लिए एक डेबिट नोट फर्म को भेजा गया जिसकी स्वीकृति अपेक्षित थी।

विद्युत् के लिये अधिक भुगतान

2.34. सहायिका ने राज्य विद्युत् परिषद् से जनवरी 1971 में 250 के0डब्ल0 का शक्ति भार और अप्रैल 1975 में 600 के0डब्लू0 का एक अतिरिक्त शक्तिभार प्राप्त किया। आवासीय कालोनी के

लिये एक प्रथक् पोषक लाइन के माध्यम से प्रथक् सरकिट लगाने की परिषद् के परामर्श (जून 1973) पर, सहायिका ने कालोनी सरकिट को प्रथक् कर दिया और अक्तूबर 1975 में कालोनी के लिए 130 के 0डब्लू 0के एक भार हेतु प्रार्थना-पत्र दिया तभी इसने इस उद्देश्य के लिये 1.12 लाख रुपया भी जमा कर दिया। कालोनी में घरेलू खपत को अभिलेखित करने के लिये परिषद् ने जनवरी 1976 में एक मीटर लगाया लेकिन यह त्रुटिपूर्ण बताया गया (जनवरी 1976)। इसलिये कालोनी में घरलू खपत सुनिश्चित न की जा सकी और मिल से 200 के 0डब्लू 0 से अधिक सम्बद्ध भार वाले भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू निम्नतर शुल्क दर सूची के स्थान पर मिश्रित भार शुल्क दर सूची के अन्तर्गत उच्चतर दरों पर 980 के 0डब्लू 0 के सम्पूर्ण भार के लिये मूल्य लिया जा रहा था। इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित अनुपातिक उपभोग के आधार पर अक्टूबर 1975 से मार्च 1976 के समय के लिये ली गई अधिक धनराशि लगभग 1.44 लाख रुपये थी। इससे पहले की अवधि के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि मीटर सही कराने के लिये मामला राज्य विद्युत् परिषद् के साथ उठाया गया था और अधिक भुगतान किये गये व्यय को वापिस पाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

भट्टी तेल का क्रय और उपभोग

2.35. (क) पैट्रोलियम उत्पादनों की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1974 में आदेश दिया था कि चीनी मिलों में भट्टी तेल का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। फिर भी मिल ने 1975–76 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के नई दिल्ली के भंडार अहाता (स्टोरेज यार्ड) से अपनी दो ब्वायलरों (तीन में से) जो खोई और साथ ही साथ भट्टी तेल जलाने के अभिप्राय से बनाए गए थे, के प्रयोग के लिये दो लाख लीटर भट्टी तेल खरीदा। 11 और 13 जनवरी 1976 को मिल में प्रत्येक में 10,000 लीटर तेल के साथ दो टैंकर प्राप्त हुए। 18 जनवरी, 1976 को मुख्य अभियन्ता ने मिल के सामान्य प्रबन्धक को बताया कि मिल के टैंकों में केवल 6,500 लीटर तेल उपलब्ध था, जबकि 20,000 लीटर तेल प्राप्त होने के समय से कोई निर्गमन नहीं किये गये। कमी (13,500 लीटर) का मूल्य 0.16 लाख रुपये था। सामान्य प्रबन्धक ने 5 मार्च 1976 को सहायिका के मुख्य कार्यालय को पुलिस में रिपोर्ट दायर करने के लिये निर्देश प्राप्त करने हेतु मामला सूचित किया। अध्यक्ष द्वारा निर्देश 26 मार्च 1976 को निर्गमित किये गये। पुलिस को मामला 1 मई 1976 को सूचित किया गया; पुलिस का अंतिम प्रतिवेदन प्रतीक्षा में है (अप्रैल 1977)।

(ख) अपनी कार्यारम्भ अवस्था में, 1973–74 के दौरान मिल ने 0.50 लाख लीटर भट्टी तेल का उपभोग किया। 1974–75 सत्र में कोई भट्टी तेल प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार ने चीनी मिलों में इसके प्रयोग को बन्द करने के लिये निदेश दिये थे। उस सत्र में मिल ने 2,050 मैट्रिक टन खोई की बचत की। 1975–76 सत्र के दौरान खोई की कोई बचत नहीं की गई। फिर भी मिल ने 1,86,300 लीटर भट्टी तेल (मूल्य: 1.97 लाख रुपये) का उपभोग अभिलेखित किया, जबकि 1974–75 (4.60 लाख रुपये) की अपेक्षा 1975–76 में मिल परिचालन निम्नतर होते हुए भी विद्युत क्रय पर व्यय भी अधिक था (मई 1976 तक 7.34 लाख रुपये)। शक्ति और ईंधन की लागत 1974–75 में 1.83 रुपये प्रति कुन्तल उत्पादित चीनी से बढ़कर 1975–76 में 4.39 रुपये प्रति कुन्तल हो गयी।

ब्वायलर लाग बुक और भट्टी तेल की प्राप्ति और उपभोग से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध अभिलेखों की प्रविष्टियों ने निम्न बातें दर्शायी:--

(i) पारी वारी उपभोग, जो अनुमानों के आधार पर अभिलेखित किया गया, को मापने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था।

(ii) 22 और 29 नवम्बर 1975 के बीच आजमाइशी चालन में 50,000 लीटर तेल का एकमुश्त उपभोग अभिलेखित किया गया ।

(iii) ब्वायलर लागबुक में अभिलेखित गन्ना पेराई कार्यों में उपभोग के अंक ओवर राइटिंग द्वारा या पारियों, जिनमें पहले से 'शून्य' उपभोग अभिलेखित किया गया था, में अतिरिक्त मात्रा अभिलेखन द्वारा बाद में बढ़ा दिए गए । इस कारण, निर्गमन के रूप में अभिलेखित मात्राएं प्रत्येक दिन के अन्त में अभिलेखित सारांश में दिखाई गयी मात्राओं से अधिक थी ।

(iV) बहुत से दिनों में लाग बुक में अभिलेखित अतिरिक्त ईंधन का उपभोग (अर्थात्, खोई के उपभोग के अतिरिक्त) कम पेराई के कारण और अनुरक्षण काल के दौरान, जैसा बताया गया (अप्रैल 1977), अधिक था ।

(V) टंकी में तेल की डिप रीडिंग के आधार पर प्रतिदिन के उपभोग की जांच द्वारा भट्टी तेल के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया हालांकि एक संदिग्ध चोरी जनवरी 1976 में जानकारी में आयी थी ।

उपर्युक्त मामलों में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई (मार्च 1977) ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि ब्वायलर परिचालकों के शिक्षित न होने के कारण अनियमितताएं हुई और यह कि उपचारी कदम उठाए जा चुके हैं ।

चूना पत्थर का क्रय

2.36. सीमित निविदाओं (अगस्त 1973) के आधार पर सामान्य प्रबन्धक ने देहरादून की पांच पार्टियों पर 15,000 मैट्रिक टन बिना टूटे हुए काले चूना पत्थर को फरवरी 1974 तक आपूर्ति करने के लिये बिक्री कर के अतिरिक्त, प्रेषण स्टेशन तक निष्प्रभार, 34·50 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दी हुई न्यूनतम दर पर आर्डर प्रदान किये । पार्टियों ने मई 1974 तक केवल 6742 मैट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति की । मुख्य रसायनज्ञ ने मिल के सामान्य प्रबन्धक को सूचित किया (4 जून 1974) कि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त चूना पत्थर खराब किस्म का था, परिणामस्वरूप कोक के साथ ही साथ चूना पत्थर का अधिक उपभोग हुआ और चीनी की किस्म पर बुरा प्रभाव पड़ा । इसलिये शेष मात्रा के आदेशों को जून 1974 में रद्द कर दिया गया ।

उपर्युक्त वर्णित 34.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन का मूल्य दृढ़ था । तो भी, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त ईंधन और तेल की कीमतों में वृद्धि के आधार पर, पार्टियों को 20 मार्च 1974 तक की गई आपूर्तियों (1159 मैट्रिक टन) के लिये पांच रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धि और उसके बाद आपूर्ति किये गए 5583 मैट्रिक टन चूना पत्थर के सम्बन्ध में 4.25 रुपये प्रति मैट्रिक टन की और वृद्धि दी गई । इस प्रकार आपूर्तिकर्ताओं को 0.57 लाख रुपये का आर्थिक लाभ दिया गया ।

सामान्य प्रबन्धक द्वारा क्रय (मूल्य: 2.90 लाख रुपये) सीमित कुटेशनों के आधार पर किया गया हालांकि नियमानुसार वह सीमित निविदाओं के आधार पर प्रत्येक मामले में 20,000 रुपये तक क्रय करने के लिये अधिकृत था ।

जुलाई 1974 में सामान्य प्रबन्धक ने देहरादून की 9 पार्टियों से, उन्हीं विशिष्टियों का जो 1974–75 में अपेक्षित थीं, 10,000 मैट्रिक टन चूना पत्थर क्रय करने के लिये सीमित कुटेशन आमंत्रित किये । कुल आठ कुटेशन बिक्री कर के अतिरिक्त, प्रेषण स्टेशन पर निष्प्रभार 53 रुपये मैट्रिक टन पर प्राप्त हुए । दो फर्मों को, जिन्होंने पिछले वर्ष में आदेशित मात्रा की लगभग केवल 50 प्रतिशत आपूर्ति की थी, आर्डर दिये गये । उनमें से प्रत्येक को नवम्बर 1974 से मार्च 1975 के बीच पांच समान मासिक किस्तों में 53 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर 5000 मैट्रिक टन आपूर्ति करनी थी । उनमें से एक ने केवल 822 मैट्रिक टन और दूसरे ने 2696 मैट्रिक टन जनवरी 1975 तक आपूर्ति किया । तत्पश्चात्, मिल ने उनसे 3212 मैट्रिक टन चूना पत्थर सड़क द्वारा प्राप्त किया जिसके लिये 2.10 लाख रुपये ढुलाई व्यय के रूप में भुगतान किये गये । रेल द्वारा ढुलाई की तुलना में सड़क द्वारा चूना पत्थर की ढुलाई पर 0.76 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि वैगनों की असंतोषजनक उपलब्धता के कारण (नवम्बर 1974 से) और यातान्तरण में अपेक्षित समय को दृष्टि में रखते हुए चूना-पत्थर की सड़क द्वारा ढुलाई करानी पड़ी ।

1975–76 के दौरान 13300 मैट्रिक टन चूना-पत्थर की आपूर्ति करने के लिये 24 कुटेशन प्राप्त हुए । कटनी फर्म की चूना पत्थर की विभिन्न विशिष्टियों के लिये निम्नतम दरें, अर्थात् 25 रुपये और 28 रुपये प्रति मैट्रिक टन, इस आधार पर स्वीकृत नहीं की गई कि ढुलाई व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल लागत, देहरादून से आपूर्ति की लागत (रेल द्वारा ढुलाई सम्मिलित करते हुए) से, 2 रुपये प्रति मैट्रिक टन अधिक थी । 40 रुपये प्रति मैट्रिक टन (एक्स वर्कस्) की कोटद्वारा की एक फर्म की द्वितीय निम्नतम दर इस आधार पर स्वीकृत नहीं की गई कि 1974–75 में एक आजमाइशी आर्डर के विरुद्ध फर्म द्वारा आपूर्ति की गई चूना पत्थर की किस्म संतोषजनक नहीं थी । देहरादून की 8 पार्टियों को प्रेषण स्टेशन तक निष्प्रभार 55 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर आर्डर दिये गये । उनमें से तीन ने 562 टन की आपूर्ति की लेकिन, चूंकि आपूर्ति किया गया चूना-पत्थर खराब किस्म का था, उनसे इसे मिल से वापिस ले जाने को कहा गया । तथापि, आपूर्तिकर्ताओं से कोई उत्तर नहीं मिला । देहरादून की शेष पांच पार्टियों ने कोई आपूर्ति नहीं की । इसी बीच, सामान्य प्रबन्धक ने देहरादून के 12 आपूर्तिकर्ताओं (उन तीन फर्मों का सम्मिलित करते हुए जिन्होंने अगस्त 1975 में उनको दिये गये आर्डरों के विरुद्ध खराब किस्म का चूना पत्थर दिया) को सम्बोधित, उन्हें चूना पत्थर की आपूर्ति तथा उसकी मिल तक की सुपुर्दगी के लिये अपनी दरें बताने के लिये आमंत्रित करते हुए, एक सीमित पूंछ-तांछ की (नवम्बर 1975) । सात कुटेशन, सड़क द्वारा आपूर्ति के लिये 50.05 रुपये प्रति मैट्रिक टन (एक्स-वर्कस्) और रेल द्वारा सुपुर्दगी के लिये प्रेषण स्टेशन तक निष्प्रभार 57.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर प्राप्त हुए । सामान्य प्रबन्धक और मुख्य रसायनज्ञ नवम्बर 1975 में देहरादून गए और उनमें से पांच को (उन तीन को सम्मिलित करते हुए जिनकी अगस्त 1975 के आर्डर के विरुद्ध आपूर्ति खराब किस्म की थी) उनके द्वारा दिए गये 50.05 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर पर, सड़क द्वारा ढुलाई के लिये 54.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन के अतिरिक्त, आपूर्ति आदेश देने का निश्चय किया । तदनुसार, उनको नवम्बर 1975 में 4500 मैट्रिक टन चूना पत्थर के लिये आर्डर दिये गये ।

मिल को कुल 5626 मैट्रिक टन चूना पत्थर सड़क द्वारा प्राप्त हुआ । रेल द्वारा ढुलाई लागत की तुलना में, 0.38 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । मिल के मुख्य रसायनज्ञ ने नवम्बर 1975 से जनवरी 1976 के दौरान कई बार आपूर्तिकर्ताओं को बताया कि इन आर्डरों के विरुद्ध आपूर्ति बड़े आकार एवं खराब किस्म की पाई गई । आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उनके द्वारा की गई आपूर्ति का उपभोग हो चुका था । तथापि, आपूर्तिकर्ताओं से अपनी आपूर्ति की किस्म में सुधार करने के लिये कहा गया । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आर्डर देने के पूर्व सामान्य प्रबन्धक तथा मुख्य रसायनज्ञ ने आपूर्तिकर्ताओं की खदानों का निरीक्षण किया था परन्तु मिल के अभिलेखों में चूना पत्थर की किस्म पर कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था ।

1975–76 तक के तीनों वर्षों के दौरान चूना पत्थर जलाने में कोयले का उपभोग निम्न था:–

	1973–74	1974–75	1975–76
(i) जलाया गया चूना पत्थर (मैट्रिक टन) ..	3,667	12,543	9,087
(ii) कोयले का उपभोग ..	376	1,374	1,399
(iii) चूना पत्थर पर कोयले का प्रतिशत ..	10.25	10.95	15.39

पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा 1975–76 में कोयले के उपभोग का अनुपात अधिक रहा ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि कोयले का उपभोग अधिक रहा क्योंकि बिना जला चूना पत्थर और चूने पत्थर के टुकड़े (लाइम स्टोन चिप्स) देशी भट्टों में जलाये गये थे जिससे कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हुई ।

नयी परियोजनायें

2.37. अप्रैल 1972 में, सरकार ने निश्चय किया कि कम्पनी द्वारा नयी चीनी मिलों की स्थापना की जानी चाहिये । इस नीति के अनुसरण में कम्पनी ने अप्रैल 1972 में (i) नन्दगंज-सिहोरी (गाजीपुर), (ii) चांदपुर (बिजनौर), (iii) लखीमपुर-खीरी, (iv) छाता (मथुरा) एवं (v) रायबरेली में मिलों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को आवेदन किया । समस्त मिलों में प्रत्येक की दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 1250 मैट्रिक टन होनी थी जिसके 2,000 मैट्रिक टन तक विस्तार का प्राविधान था। भारत सरकार द्वारा, लखीमपुर-खीरी को छोड़कर, जिसे इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था (मई 1975) कि मिल के लिये गन्ने की उपलब्धता स्थापित नहीं की गई थी, जनवरी 1973 और अप्रैल 1974 के बीच परियोजनाओं के लिये आशय पत्र या औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये ।

इन परियोजनाओं की प्रगति निम्न कण्डिकाओं में इंगित की जाती है :

(क) रायबरेली परियोजना

भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1974 में स्वीकृत किये गये औद्योगिक लाइसेंस (अप्रैल 1977 तक के लिये पुनर्वैधित) म कम्पनी से दो वर्षों के अन्दर मिल की स्थापना की अपेक्षा की गई । कम्पनी ने दरियापुर में निर्माणस्थल का चयन किया (जनवरी 1975) तथा मिल के लिये जनवरी/जुलाई 1975 में 97.69 एकड़ भूमि का अधिकार प्राप्त किया । राज्य सरकार ने जनवरी एवं मार्च 1975 के बीच मिल के लिये संयंत्र एवं मशीनों के क्रय हेतु कम्पनी की अंशपूंजी में 1.40 करोड़ रुपये का योगदान दिया ; परन्तु कोई क्रय आदेश नहीं किये गये थे (मार्च 1977) । अप्रैल 1976 तक इस परियोजना पर 7.66 लाख रुपये का व्यय हो चुका था जिसमें प्रस्तावित मिल के क्षेत्र में गन्ना विकास कार्य के लिये दिसम्बर 1974 से कम्पनी द्वारा नियुक्त गन्ना विकास अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 2.12 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित है ।

(ख) नन्दगंज-सिहोरी परियोजना

जनवरी 1973 में आशय पत्र की प्राप्ति पर (नवम्बर 1977 तक के लिये पुनर्वैधित) कम्पनी द्वारा इस परियोजना को लिया गया । अप्रैल 1975 में 230 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी (1975–76 में बढ़ा कर 260

लाख रुपया कर दी गई) के साथ नन्दगंज-सिहोरी सुगर कम्पनी लिमिटेड के नाम से एक सहायक कम्पनी निगमित की गयी । 31 मार्च 1977 को 260 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी पूर्ण रूप से कम्पनी द्वारा दी गई थी । कम्पनी ने पहले से ही अगस्त 1973 में मिल के निर्माण स्थल का चयन कर लिया था एवं जनवरी 1974 में 0.68 लाख रुपये के भुगतान पर ग्राम समाज की 100 बीघे भूमि का अधिकार प्राप्त कर लिया । मई 1974 में कम्पनी ने लगभग 95 बीघे कृषि भूमि का भी अधिकार प्राप्त कर लिया जिसके लिये मई 1974 में प्रतिकर भुगतान हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर को 1.96 लाख रुपये जमा किये गये । प्रतिकर भुगतान हेतु 0.56 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि मई 1976 में जमा की गई । तथापि, प्रतिकर अवार्ड का निपटारा नहीं हुआ है (मार्च 1977) ।

परियोजना प्रारम्भ में 501.30 लाख रुपयों की अनुमानित की गई थी जो 650 लाख रुपये की पुनरीक्षित हो गयी । 442 लाख रुपये के ऋण के लिये कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर औद्योगिक विकास निगम ने मन्तव्य प्रकट किया (जनवरी 1975) कि नई चीनी मिलों की पूंजी लागत में तीव्र वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए परियोजना की वाणिज्यिक जीवन योग्यता संदिग्ध थी । अतः इसने कम्पनी को संयंत्र एवं मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में कोई वित्तीय बचनबद्धता न करने की सलाह दी । किन्तु कम्पनी कलकत्ते की एक फर्म को संयंत्र एवं मशीनों हेतु आदेश (मूल्य: 324 लाख रुपये) पहले ही दे चुकी थी एवं फर्म को 75 लाख रुपये का अग्रिम भी कर चुकी थी (अप्रैल 1974) ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को दृष्टि में रखने पर परियोजना वित्तीय रूप से जीवन योग्य हो गयी थी तथा परियोजना पर निर्माण कार्य प्रगति में था । परियोजना पर फरवरी 1977 तक व्यय 154.68 लाख रुपये हुआ । तथापि निर्माण कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई हैं ।

(ग) छाता परियोजना

परियोजना के लिये औद्योगिक लाइसेंस भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1973 में स्वीकृत हुआ । कम्पनी द्वारा दिसम्बर 1973 में चयन किया हुआ मिल का निर्माण स्थल राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1974 में अनुमोदित हुआ । 85.99 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु कम्पनी ने जिलाधिकारी, मथुरा को 6 लाख रुपये जमा किये (दिसम्बर 1975/ जनवरी 1976) । भूमि का अधिकार नवम्बर 1974 में प्राप्त किया गया लेकिन भूमि के अर्जन के लिये भुगतान योग्य प्रतिकर की अंतिम धनराशि अभी भी राजस्व अधिकारियों द्वारा तय की जानी है (अप्रैल 1977) । अप्रैल 1975 में 200 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ एक सहायक कम्पनी अर्थात् छाता सुगर कम्पनी लिमिटेड बनाई गयी । 31 जुलाई 1976 को कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से अंशदान की गई प्रदत्त पूंजी 146.25 लाख रुपये थी ।

सहायक कम्पनी द्वारा 630 लाख रुपये के परियोजना प्राक्कलन के, मिल के पूर्ण होने की अवधि तक, बढ़ जाने की आशा की गयी । फरवरी 1977 तक वास्तविक व्यय, नैनी (इलाहाबाद) की एक फर्म को संयंत्र एवं मशीन के लिये किये गये अग्रिम भुगतान (81 लाख रुपये) और दूसरे भुगतान (110.85 लाख रुपये) जिसके लिये उनको अप्रैल 1974 में एक आदेश (मूल्य: 322 लाख रुपये) दिया गया था, को सम्मिलित करते हुए 234.17 लाख रुपये था । चीनी की गोदाम तथा मशीन नींव का निर्माण कार्य 1.79 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त मई 1975 में निलम्बित कर दिया गया । कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया (मार्च 1977) । अतः सिविल निर्माण कार्यों के लिये पहले से ही प्राप्त की गई 13 लाख रुपये की निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, लोहा इत्यादि) निष्क्रिय हो गयी जिसमें से जून 1976 तक 2.46 लाख रुपये मूल्य की सामग्री दूसरी मिलों को हस्तांतरित कर दी गयी एवं 0.55 लाख रुपये मूल्य की सामग्री उत्तर प्रदेश

राज्य विद्युत् परिषद् तथा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड (भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) को उधार दी गयी ।

परियोजना के लिये संयंत्र के आपूर्तिकर्ता के साथ कम्पनी द्वारा किये गये संविदा में आवश्यक उपस्कर से युक्त एक कार्यशाला का प्राविधान था। 1.47 लाख रुपये की लागत का कार्यशाला भवन नवम्बर 1975 में पूर्ण हुआ और 1.50 लाख रुपये की लागत के उपस्कर भी लगा दिये गये जो दोनों चीनी संयंत्र की आपूर्ति में देरी के कारण निष्क्रिय पड़े रहे । कार्यशाला के लिये जनवरी 1975 तथा नवम्बर 1975 के बीच नियुक्त एक सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), एक फोरमैन (विद्युत्) एवं तीन वायरमैनों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सका । इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर जून 1976 तक व्यय 0.22 लाख रुपये था । इसके अतिरिक्त संयंत्र के आपूर्तिकर्ता के मजदूरों के निवास के लिये कम्पनी द्वारा 2.05 लाख रुपये की लागत से अक्तूबर 1975 में निर्मित 36 श्रमिक झोपड़ियां बिना उपयोग के पड़ी रहीं (मार्च 1977) ।

(घ) चांदपुर परियोजना

कम्पनी ने दो वर्ष के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये नवम्बर 1973 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया । परियोजना को कार्यरूप देने में देरी के कारण लाइसेंस को अगले दो वर्ष की अवधि अर्थात् नवम्बर, 1977 तक के लिये पुनर्बंधित कर दिया गया । 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ अप्रैल 1975 में एक सहायक कम्पनी अर्थात् चांदपुर सुगर कम्पनी लिमिटेड निगमित हुई। 31 जुलाई 1976 को 220 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी पूर्ण रूप से कम्पनी द्वारा अंशदान की हुई थी ।

सहायक कम्पनी द्वारा जून 1975 में चयन किया हुआ निर्माणस्थल सरकार द्वारा अगस्त 1975 में अनुमोदित हुआ । जिलाधिकारी, बिजनौर ने मिल के लिये 78 एकड़ भूमि अर्जित की, जिसका अधिकार दिसम्बर 1975 में प्राप्त किया गया। सहायक कम्पनी ने भूमि के प्रतिकर के 2.14 लाख रुपये जिलाधिकारी, बिजनौर के पास जमा किये, जिसके लिये मई 1976 तथा फरवरी 1977 में अनुतोषिक प्राप्त हुए ।

परियोजना, 699.64 लाख रुपये पर अनुमानित, जैसा कि सहायक कम्पनी ने जुलाई 1975 में अनुमोदित की, अंशपूंजी (245 लाख रुपये) एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण (455 लाख रुपये) प्राप्त करके वित्तपोषण के लिये प्रस्तावित है । कम्पनी द्वारा संयंत्र एवं मशीनों (मूल्य: 332 लाख रुपये) के लिये क्रय आदेश नैनी (इलाहाबाद) की एक फर्म को दिये गये थे तथा फर्म को अप्रैल 1974 में 83 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया । सिविल निर्माण कार्य अप्रैल 1976 में, विभिन्न निर्माण कार्यों के विवरणों को अंतिम रूप दिये बिना, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपे गये । निगम को जून 1976 में 5 लाख रुपये का अग्रिम दिया गया । निगम से निर्माण कार्यों के लिये न तो कोई प्राक्कलन ही प्राप्त हुआ, न ही कार्य प्रारम्भ किया गया (अगस्त 1976) । परियोजना पर जून 1976 तक (88 लाख रुपये के दो अग्रिम भुगतानों को छोड़कर) 40.28 लाख रुपये व्यय हुआ जिसमें परियोजना कर्मचारियों का 1.50 लाख रुपये का वेतन सम्मिलित है ।

प्रबन्धकों द्वारा बताया गया (अप्रैल 1977) कि वित्तीय संस्थानों के साथ वार्तालाप के परिणामस्वरूप परियोजना 645 लाख रुपये की अनुमानित की गई । परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (387 लाख रुपये) धन वित्तीय संस्थानों द्वारा एवं शेष 40 प्रतिशत (258 लाख रुपये) कम्पनी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होना था । कार्य प्रगति में होना बताया गया ।

अन्य रोचक विषय

2.38. (क) रेलवे साईडिंग

नन्द गंज—सिहोरी के साथ-साथ अन्य दो परियोजनाओं (छाता और चांदपुर) के लिये आशय पत्र की प्राप्ति पर कम्पनी ने इनतीनों परियोजनाओं के लिये रेलवे साईडिंग

की व्यवस्था के लिये अगस्त 1973 में रेलवे को आवेदन किया। रेलवे ने अनुमानित किया (फरवरी 1975) कि नन्दगंज–सिहोरी परियोजना के लिये 2.5 कि0 मी0 लम्बी रेलवे साइडिंग की लागत 5.12 लाख रुपये होगी जिसमें से 2.42 लाख रुपये कम्पनी द्वारा देय होगा। रेलवे को धन फरवरी 1975 में जमा किया गया। अप्रैल 1975 में रेलवे ने प्राक्कलन को 7.55 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जिसमें से 4.50 लाख रुपये का भुगतान कम्पनी द्वारा होना था। शेष धनराशि 2.08 लाख रुपये कम्पनी द्वारा मई 1975 में जमा की गई। रेलवे साइडिंग मार्च 1976 में पूर्ण हो गयी परन्तु यह अभी तक उपयोग में नहीं लायी गयी है (अप्रैल 1977)।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि रेलवे साइडिंग संयंत्र के चालू होने के उपरान्त चीनी, स्टीम कोल, जलौनी लकड़ी इत्यादि की ढुलाई के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(ख) विद्युत् शक्ति की आपूर्ति

(i) विद्युत कनेक्शन

कम्पनी के निवेदन पर राज्य विद्युत् परिषद् ने 300 किलोवाट का एक शक्ति भार नन्दगंज––सिहोरी परियोजना के लिये स्वीकृत किया। राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् अनुरक्षण खंड, गाजीपुर से सर्विस कनेक्शन के लिये प्राप्त 2.05 लाख रुपये का एक प्राक्कलन स्वीकार कर लिया गया और बिना निश्चय किये हुए कि सम्पूर्ण धनराशि देय है या नहीं, जनवरी 1975 में खंड में धनराशि जमा कर दी गई। प्राक्कलन में परिषद् के नन्दगंज में 33 के0 वी0 सब-स्टेशन से परियोजना क्षेत्र में आपूर्ति स्थान तक 2.05 किलोमीटर लम्बी 11 के0वी0 फीडर लाइन के निर्माण एवं सब-स्टेशन पर एक 1.5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 ट्रान्सफार्मर तथा परियोजना क्षेत्र में एक दूसरे 400 के0वी0ए0/11 के0वी0 ट्रान्सफार्मर को स्थापित करने का प्राविधान था। सम्परीक्षा के दौरान (जून 1976) यह देखा गया कि परिषद् के सब-स्टेशन पर लगाये गये 1.5 एम0वी0ए0 ट्रांसफार्मर की शिरोपरि व्ययों के साथ 1.10 लाख रुपये की लागत, सहायक कम्पनी को प्रभार्य नहीं थी क्योंकि उसे सब-स्टेशन पर परिषद् की रूपान्तर पद्धति के विस्तार के लिये स्थापित किया गया था। सहायक कम्पनी द्वारा परिषद् से विद्युत् आपूर्ति के लिये किए गये अनुबन्ध (अप्रैल 1975) की शर्तों के अनुसार मिल परिसर में ट्रान्सफार्मर की लागत (11 प्रतिशत शिरोपरि व्ययों सहित 0.25 लाख रुपये) भी सहायक कम्पनी को प्रभार्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 11 प्रतिशत के शिरोपरि व्ययों के उपरान्त 15 प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज की धनराशि के कारण फीडर लाइन की लागत 0.08 लाख रुपये से अधिक लगाई गई। इस प्रकार सहायक कम्पनी 1.43 लाख रुपये तक अधिक भारित की गई।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि एक प्रत्यर्पण दावा प्रेषित कर दिया गया था और यह कि राज्य विद्युत् परिषद् से इसका अनुसरण किया जा रहा था।

(ii) विद्युत् व्यय का अधिक भुगतान

जून 1975 में नन्दगंज––सिहोरी परियोजना के विद्युत् कनेक्सन के ऊर्जीकृत होने से पूर्व राज्य विद्युत परिषद् ने परियोजना क्षेत्र के आपूर्ति स्थान पर 400 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर लगाया। ट्रान्सफार्मर परीक्षण के लिये ऊर्जीकृत किये जाने के दिन ही जल गया। उसकी जगह परिषद् ने एक 160 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की (जून 1975) और मिल को बिजली देने के लिये लाइन को चालू किया। भार में कमी किए जाने के लिये कम्पनी के किसी अनुरोध के बिना, आपूर्ति स्थान पर कम क्षमता के ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था ने संविदाकृत भार को 300 के0 डब्ल्यू0 (353 के0वी0ए0) से घटाकर 136 के0डब्ल्यू0 (160 के0वी0ए0) कर दिया। अतः "वृहद शक्ति" उपभोक्ताओं को लागू विद्युत् शुल्क दर सूची ही लागू होनी थी और परिषद् 160 के0वी0ए0 के संविदाकृत भार के लिए न्यूनतम प्रतिभू व्यय वसूल करने के लिये अधिकृत थी। तथापि, जून 1975 से अप्रैल 1976 तक के विद्युत् बिलों में 353 के0वी0ए0 के मांग व्यय लगाये गये। इस मद पर सहायिका द्वारा किया गया अधिक भुगतान (अप्रैल 1976 तक 0.78 लाख रुपये) आडिट द्वारा जून 1976 में सूचित किया। फरवरी 1977 तक कुल अधिक

भुगतान 1.30 लाख रुपये का होता है। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि राज्य विद्युत् परिषद् को भुगतान आपत्ति के साथ किया गया था और मामले में प्रयत्न जारी है।

(ग) सीमेंट का क्रय

नन्दगंज-सिहोरी परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग के लिये 1000 मैट्रिक टन (20,000 बोरी) सीमेंट की आपूर्ति के लिय कम्पनी ने दो आर्डर मार्च/अप्रैल 1974 में एक सीमेंट फैक्ट्री को प्रदान किये। उस समय तक न तो कोई संगठनात्मक ढांचा परियोजना के निर्माण स्थल पर बनाया गया और न ही सीमेंट को गोदाम में रखने का कोई प्रबन्ध किया गया। प्रेषण सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही कम्पनी ने जिलाधीश, गाजीपुर से सीमेंट को गोदाम में रखने का प्रबन्ध करने के लिये अनुरोध किया (17 जून 1974)। यद्यपि, प्रेषित माल 13 जून 1974 को पहले से ही नन्दगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। परियोजना का मुख्य अभियन्ता (उस समय लखनऊ में स्थानित) 18 जून 1974 को सीमेंट की सुपुर्दगी लेने के लिये नन्दगंज पहुंचा। तथापि, सीमेन्ट की उतराई 23 जून 1974 को प्रारम्भ हुई जब कम्पनी का वरिष्ठ अभियन्ता 10362 बोरी के माल के विषय में 0.51 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिये धन के साथ स्टेशन पहुंचा। कम्पनी द्वारा किये गये वापसी के एक दावे के आधार पर भुगतान किये गये विलम्ब शुल्क की आधी धन राशि अक्तूबर 1974 में रेलवे द्वारा वापस कर दी गई।

दो परेषणों (19920 बोरियां) में प्राप्त सीमेन्ट, जिसके लिये कम्पनी को मार्च 1976 तक 0.21 लाख रुपये ढुलाई और गोदाम भाड़ा के रूप में व्यय करने पड़े, नन्दगंज और सैदपुर में (परियोजना कार्य स्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर) निजी पार्टियों (प्राइवेट पार्टीज) और सिंचाई विभाग से किराये पर ली गई गोदामों में रखा गया। चूंकि अक्तूबर 1974 के पहले किसी सिविल निर्माण कार्य के लिये किसी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया और भाड़े पर ली गई गोदामों की दशा भी अच्छी नहीं थी, कम्पनी ने जिलाधीश के परामर्श से जनता को सीमेंट बेचने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिये 9 अगस्त 1974 को एक त्रिपक्षीय अनुबंध सैदपुर की एक फर्म और जिलाधीश से 6000 सीमेंट बोरियों की बिक्री के लिये किया गया, जिसकी शर्तों के अनुसार फर्म को सितम्बर 1974 तक सीमेंट वापस कर देना चाहिये था। सीमेंट को वापस न करने की दशा में उसे अक्तूबर 1974 तक जिलाधीश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। तदनुसार, 6000 बोरी सीमेंट फर्म को जुलाई/अगस्त 1974 में दे दी गई और उसने 4930 सीमेंट की बोरियां जनवरी 1975 और जून 1976 के बीच प्रतिस्थापित कर दी। सीमेंट की 400 अन्य बोरियां सितम्बर 1974 में जिला परिषद्, गाजीपुर को ऋण पर दी गई, उसमें से 114 बोरियां वापस नहीं की गई हैं (मार्च 1977)। दो पार्टियों द्वारा वापस न की गई 1184 बोरियों का मूल्य 0.16 लाख रुपये था।

कम्पनी के पास 18736 बोरियों में से 15166 बोरी सीमेंट मुख्यतया दिसम्बर 1974 से मार्च 1976 के दौरान निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई, 2000 बोरियां जून 1975 से मार्च 1976 के दौरान कम्पनी की अन्य मिलों को हस्तान्तरित कर दी गई और 1570 बोरियां गोदाम में अधिक समय तक रहने के कारण जम गई। सीमेंट की शक्ति की हानि के कारण निर्गमित की गई 100 अतिरिक्त बोरियां भी निर्माण कार्य में प्रयोग की गई मात्रा में शामिल थी। अन्य मिलों को हस्तांतरित किया गया सीमेंट उन 1400 बोरियों को शामिल करता था जिन्होंने 70 प्रतिशत शक्ति खो दी थी, परिणामतः सीमेंट की 980 बोरियों का अतिरिक्त उपभोग हुआ। जमे हुए सीमेंट और निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई अतिरिक्त मात्रा का मूल्य 0.39 लाख रुपये था।

प्रबंधकों ने बताया (अप्रैल 1977) सीमेंट की आपूर्ति के लिये आर्डर इस अनुमान के आधार पर दिये गये थे कि 3000 मैट्रिक टन की कुल आवश्यकता में से परियोजना को अक्तूबर 1974 में प्रारम्भ होने वाले अपने निर्माण की प्रथम अवस्था में 1,000 बोरी सीमेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन सिविल निर्माण कार्यों का प्रारम्भ देर से हुआ क्योंकि संयंत्र के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, उनके पक्ष में साख पत्र खोलने में देर होने के कारण, मशीन नींव के नक्शों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

इस प्रकार, सिविल निर्माण-कार्यों के प्रारम्भ होने के बहुत पहले सीमेंट की एक बड़ी मात्रा के क्रय से, दो पार्टियों द्वारा वापस किये जाने वाले सीमेंट की 0.16 लाख रुपये की वसूली न होने (मार्च 1977) के अतिरिक्त, 0.86 लाख रुपये की हानि हुई।

(घ) जल संभरण स्थापना

नन्दगंज-सिहोरी परियोजना कार्यस्थल पर 35,000 गैलन क्षमता वाले एक ट्यूबवेल के बेधने और स्थापित करने के लिये कम्पनी ने पहली अगस्त 1974 को नयी दिल्ली की एक फर्म को एक आर्डर दिया (अनुमानित लागत: 350 फीट गहरे बेधन के लिये 0.44 लाख रुपये)। उसी दिन 35,000 गैलन क्षमता वाले एक वर्टीकल टरबाइन पम्प को क्रय करने के लिए लखनऊ की एक फर्म को 50,000 रुपये का एक अन्य आर्डर दिया। पम्प नवम्बर 1974 में नन्दगंज में प्राप्त हुआ। 6 जनवरी 1975 को बेधन प्रारम्भ हुआ और 8 मार्च 1975 को अंतिम परीक्षण में यह पाया गया कि पानी का निस्सरण 10,200 गैलन था, जिसके कारण पम्प नहीं लगाया जा सका। सामान्य प्रबन्धक ने कम्पनी के प्रधान कार्यालय से 10,000 गैलन क्षमता का एक दूसरा पम्प खरीदने के लिये अनुरोध किया (मार्च 1975)। दूसरा पम्प 0.27 लाख रुपये में नवम्बर 1975 में क्रय किया गया और उसी माह में लगा दिया गया। 0.50 लाख रुपये की लागत का 35,000 गैलन क्षमता वाला वर्टिकल पम्प नवम्बर 1974 से परियोजना निर्माणस्थल पर बेकार पड़ा हुआ था और सितम्बर 1976 में चांदपुर (बिजनौर) को स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ङ) ब्वायलरों का क्रय और स्थापना

अप्रैल 1973 में कम्पनी ने बम्बई की एक फर्म को खड्डा मिल में 25 मैट्रिक टन क्षमता वाले एक खोई चालित ब्वायलर की आपूर्ति एवं स्थापना के लिये उत्पाद शुल्क, अन्य कर, बीमा और भाड़ा व्यय छोड़कर, 17.73 लाख रुपये का एक आदेश दिया। ब्वायलर की स्थापना हेतु आवश्यक सिविल निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व मिल का था। ब्वायलर अक्तूबर 1974 में चालू किया जाना था। फर्म द्वारा ब्वायलर का निर्माण दिसम्बर 1976 में पूर्ण किया गया और इसे जनवरी 1977 में चालू किया गया। कमियों के कारण ब्वायलर का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। कम्पनी ने नवम्बर 1975 तक ब्वायलर पर करों और भाड़े सहित 21 लाख रुपये व्यय किया लेकिन मिल ब्वायलर की आपूर्ति, निर्माण और कार्यारम्भ में विलम्ब के कारण 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के लिये विचारी गई ईंधन की मितव्ययता प्राप्त करने में समर्थ न हुई।

सीमित निविदा के आधार पर कम्पनी ने सखोती–टांडा मिल में एक 25 मैट्रिक टन ब्वायलर की आपूर्ति, निर्माण और कार्यारम्भ के लिये 19.08 लाख रुपये, एक्म वर्क्स बम्बई, का एक आर्डर बम्बई की एक फर्म को दिया (अप्रैल 1973)। संयंत्र का मूल्य (17.73 लाख रुपये) पांच प्रतिशत की सीमा में परिवर्तनशील था। ब्वायलर 25 सितम्बर 1974 तक (बाद में 25 सितम्बर 1975 तक बढ़ाई गई) चालू किया जाना था। नीवकार्य (कम्पनी द्वारा करवाना था) की समाप्ति में विलम्ब के कारण निर्माण और कार्यारम्भ का निर्धारित समय 2 माह से कम करने के लिये फर्म को 0.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाना था। ब्वायलर दिसम्बर 1976 में चालू किया गया लेकिन फर्म द्वारा अभी तक (मार्च 1977) आजमाइशी चालन का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

मई 1976 तक फर्म को अतिरिक्त 0.50 लाख रुपयों का 66 प्रतिशत, पैकिंग एवं अग्रेषण व्ययों, भाड़ा, मार्ग एवं निर्माण बीमा, उत्पाद शुल्क और करों को सम्मिलित करते हुये, समय के अन्दर संविदा पूरा करने की असफलता के लिये किसी दंड के बिना, 22.88 लाख रुपये का भुगतान किया गया। नींव कार्य के प्रारम्भ करने में विलम्ब की जांच पड़ताल नहीं की गई। ब्वायलर की स्थापना और कार्यारम्भ में विलम्ब के परिणाम स्वरूप मिल को सम्पूर्ण 1975–76 और अंशत: 1976–77 के गन्ना पेराई सत्रों के दौरान ईंधन मितव्ययता प्राप्त करने में ब्वायलर की सुविधा निषिद्ध रही।

(च) गोदामों का ढह जाना

कम्पनी द्वारा अक्तूबर 1974 में आमंत्रित निविदाओं के आधार पर नन्दगंज—सिहोरी (गाजीपुर) और छाता (मथुरा) में दो गोदामों (सग्रंह क्षमता: प्रत्येक 40,000 बोरे) का निर्माण बनारस के एक ठेकेदार 'जी' और मेरठ के 'एफ' को क्रमश: 3.34 लाख रुपये और 2.94 लाख रुपये में जनवरी 1975 में सौंपा गया। गोदामों का निर्माण कम्पनी द्वारा अंतिम रूप दिये गये नक्शे के अनुसार होना था। नरम स्पात और सीमेंट विभाग द्वारा देना था (लोहा मुफ्त और सीमेंट 16 रुपये प्रति बोरी)। दोनों स्थानों पर कार्य 15 जनवरी 1975 को प्रारम्भ होना था और पांच माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था। नन्दगंज में जब गोदाम का निर्माण प्रगति में था, ठेकेदार 'जी' ने सामान्य प्रबन्धक को सूचित किया (26 मार्च 1975) कि उत्तरी दीवार (5.5 मीटर ऊंचाई तक बनी 60 मीटर लम्बी) तूफान के कारण 25 मार्च 1975 को ढह गई थी। ठेकेदार ने, इस आधार पर कि निर्माण निर्धारित नक्शे और विशिष्टियों के अनुसार और कम्पनी के निर्माण स्थल अभियन्ता की पूर्ण कालिक देख रेख में किया गया था, पाड़ आदि की हानि के लिये 0.11 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया (मार्च 1975)। किये गये कार्य (गोदाम की दीवारों) का मूल्य, जैसा कि 23 मार्च 1975 को मापा गया, 0.92 लाख रुपये था, जिसके विरुद्ध सीमेंट की लागत (0.17 लाख रुपये) और अन्य कटौतियां (0.11 लाख रुपये) वसूल करने के बाद ठेकेदार को 0.64 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कार्य अप्रैल 1975 में पुन: प्रारम्भ किया गया और ढही हुई दीवार का पुन: निर्माण किया गया। पुन: प्रारम्भ के बाद किये गये कार्य का मूल्य, जैसा कि 10 जून 1975 को मापा गया, 0.63 लाख रुपये था। 17 जून 1975 को भारी वर्षा और तूफान में दक्षिणी दीवार (मई 1975 में निर्मित 60 मीटर लम्बी) भूमि तल से ढह गई। दीवार के सहारे शरण लिए हुए दो बाहरी व्यक्ति मरगये। ठेकेदार को पुन: प्रारम्भ के बाद किये गये कार्य के लिये उसको देय 0.48 लाख रुपये के विरुद्ध 0.20 लाख रुपये का भुगतान किया गया (जून 1975)। तथापि, निर्माण कार्य जून 1975 में निलम्बित कर दिया गया। जब मामले पर कम्पनी द्वारा विचार किया जा रहा था, दो छोटी दीवारें (20 मीटर लम्बी) भी 31 मार्च 1976 को एक तूफान में ढह गईं। इस प्रकार, गोदाम की दीवारें तीन विभिन्न अवसरों पर तूफान/वर्षा में ढह गईं और किया गया व्यय, अर्थात् 1.20 लाख रुपये (ठेकेदार को भुगतान—0.84 लाख रुपये और विभाग द्वारा दी गई सामग्री की लागत—0.36 लाख रुपये) फलहीन हो गया। ठेकेदार के क्षतिपूर्ति और शेष भुगतान के लिये लगभग 0.39 लाख रुपये के दावे कम्पनी के विचाराधीन थे (मार्च 1977)।

उसी भांति, जब छाता में गोदाम की चार दीवारों का 8 से 10 मीटर ऊंचाई तक निर्माण हो चुका था, सम्पूर्ण दक्षिणी दीवार (3 मई 1975 तक 10 मीटर ऊंचाई तक बनी 60 मीटर लम्बी) और पूर्वी दीवार का एक बड़ा भाग (29 अप्रैल 1975 तक 8 मीटर ऊंचाई तक की 20 मीटर लम्बी) 3/4 मई 1975 की रात्रि में तूफान और बिजली प्रहार के बताये गये कारणों के फलस्वरूप ढह गया। पश्चिमी दीवार (30 अप्रैल 1975 तक 9 मीटर ऊंचाई तक बनी 20 मीटर लम्बी) 25 मई 1975 के एक अन्य तूफान में ढह गयी। उत्तरी दीवार (अप्रैल 1975 तक 8 मीटर ऊंचाई तक बनी 60 मीटर लम्बी) भी उसके बाद ढह गई (तिथि उपलब्ध नहीं)। दीवारों के ढहने से पूर्व किये गये कार्यों का मूल्य 1.26 लाख रुपये था। ठेकेदार को विभाग द्वारा दिये गये सामान, जमानत राशि और आयकर के लिये कटौतियां करने के बाद, 208 सीमेंट बोरियों की लागत (मूल्य: 3328 रुपये) का समायोजन किये बिना ही, 0.67 लाख रुपया भुगतान किया गया। ठेकेदार का हानियों के लिये दावा (0.44 लाख रुपया) तय नहीं हुआ है (मार्च 1977)।

कम्पनी के आग्रह पर सार्वजनिक निर्माण विभाग और सेन्ट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इन्सटीट्यूट, रुड़की द्वारा की गई प्रावैधिक जांच से प्रकट हुआ कि :

(i) कम्पनी द्वारा अपनाया गया निर्माण नक्शा और विशिष्टियां त्रुटिपूर्ण थीं;

(ii) गर्मियों के दौरान खुले क्षेत्रों में निर्माण कार्य कुनियोजित था और क्षेत्र हवा व तूफान से अरक्षित थे;

(iii) उच्च निर्माण में मोटे रेत के स्थान पर स्थानीय बारीक रेत का प्रयोग किया गया;

(iv) दीवारों की उचित तराई के लिये कम्पनी द्वारा पानी की पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध नहीं किया गया; और

(V) दीवारों में कोई आड़े अवलम्ब (क्रास सपोर्ट) नहीं थे ।

छाता गोदाम के संबंध में कम शक्ति के सीमेंट के प्रयोग का भी सन्देह था ।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) की मामला अग्रिम जांच पड़ताल में था और उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति में थी ।

(छ) **खराब शीरे का निस्तारण**

कम्पनी द्वारा नवम्बर 971 में निर्धारित और मई 1972 में सुधारी गयी कार्य विधि के अनुसार सामान्य प्रबन्धकों को, मिलों से इसके निष्कासन के लिए उत्पाद शुल्क विभाग की अनुमति प्राप्त करने के बाद, सार्वजनिक नीलाम में खराब शीरे की बिक्री करनी होती है । इस प्रकार के शीरे का सम्भावित बाजार मूल्य सामान्य प्रबन्धक द्वारा पता लगाया जाना चाहिए और अगर बोली की राशि इस प्रकार निश्चय किये हुए सम्भावित बाजार मूल्य से काफी कम है तो शीरा को नीलाम से वापिस करना होता है । जैसा कि नीचे के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है, यह कार्य विधि कुछ मिलों में नहीं अपनायी गई ।

I मोहीउद्दीनपुर मिल

(i) सामान्य प्रबन्धक द्वारा कम्पनी को यह सूचित किये जाने पर कि 9091 कुन्तल शीरा वर्षा के पानी क साथ मिल गया था, कम्पनी ने उसे शीरे का नीलाम करने के आदेश दिये (17 अक्टूबर 1973) । शीरे क निष्कासन के लिये उत्पाद शुल्क विभाग की अनुमति 23 अक्टूबर 1973 को प्राप्त हुई । शीरा 8 नवम्बर 1973 को नीलाम में 0.22 लाख रुपये के लिये बेचा गया । कम्पनी की आन्तरिक सम्परीक्षा विभाग के अनुसार, नीलाम उचित प्रचार के बिना किया गया । यह दर्शाने के लिये कि नीलाम में बेचा गया शीरा खराब हो गया था, कोई विश्लेष्णात्मक आधार सामग्री नहीं थी । लागत लेखा अधिकारी के एक प्रतिवेदन से यह देखा गया कि भटनी मिल में उसी अवधि में खराब शीरा आठ रुपया प्रति कुन्तल से बेचा गया था । लागत लेखा अधिकारी के प्रतिवेदन (दिनांक 3 दिसम्बर 1973) के अनुसार खराब शीरे का बाजार मूल्य 10 रुपया प्रति कुन्तल था और उसने अनुमान लगाया कि शीरा लगभग एक लाख रुपये के लिये नीलाम किया जाना चाहिये था । प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि कम समय उपलब्ध होने के कारण व्यापक प्रचार नहीं किया जा सका ।

(ii) मिल के मुख्य रसायनज्ञ ने प्रतिवेदन दिया (23 अक्टूबर 1975) कि 1974–75 सत्र में उत्पादित और दो पक्के कुण्डों में संग्रह किया गया 18,000 कुन्तल शीरा वर्षा के पानी के साथ मिल गया था और शीघ्र उसके निस्तारण की आवश्यकता थी। उत्पाद शुल्क विभाग की 18 725 कुन्तल शीरे को 15 नवम्बर 1975 तक निष्कासन करने के लिये अनुमति 29 अक्तूबर 1975 को प्राप्त हुई । बिना शीरे की मात्रा दर्शाये, खराब शीरे के क्रय और निष्कासन के लिये और कुण्डों की सफाई के लिये भी दरें देने के लिये नौ पक्षों को एक सीमित पूंछ-ताछ सम्बोधित की गई । बिना मोहबरन्द लिफाफों में प्राप्त छः कुटेशनों को 12 नवम्बर 1975 को खोला गया । गाजियाबाद की एक फर्म का प्रस्ताव 0.12 लाख रुपयों के लिये (18,725 कुन्तल) स्वीकृत किया गया । मिल कर्मचारी संघ की एक शिकायत (20 नवम्बर 1975) पर कि दो कुन्डों में रखा गया शीरा 1.50 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये के बाजार मूल्य के विरुद्ध 0.12 लाख रुपये के लिये बेचा जा रहा था, कम्पनी ने सामान्य प्रबन्धक को उचित प्रचार के बाद और जिला-धिकारी, मेरठ के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में नीलाम बिक्री का प्रबन्ध करने के निर्देश

दिये । इसलिये गाजियाबाद की फर्म को शीरे के निष्कासन को निलम्बित करने के लिये कहा गया (25 नवम्बर 1975) । तब तक फर्म द्वारा निष्कासित शीरे की मात्रा, यदि कोई हो, मिल क अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी ।

20 दिसम्बर 1975 को हुई एक नीलामी में प्राप्त सबसे ऊंची बोली 0.05 लाख रुपया थी जिसे सामान्य प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया गया । उपलब्ध गेट पासों के अनुसार 20 जनवरी से 3 फरवरी 1976 तक फर्म ने मिश्रित शीरे के 61 टैंकर उठाये । फर्म द्वारा उठायी गई शीरे की मात्रा गेट पासों में अंकित नहीं थी । टैंकरों की माल ढोने की क्षमता (130 कुन्तल प्रत्येक) के अनुसार फर्म द्वारा उठायी गई मात्रा 7,930 कुन्तल निकाली गई । शीरे की नीलामी में पथ प्रदर्शन के लिये बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्य विधि का पालन नहीं किया गया । प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) चूंकि केवल चार बोली लगाने वाले आये, सबसे ऊंची बोली को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । गेट पासों में शीरे की मात्रा के वर्णन की अनुपस्थिति के संबंध में यह बताया गया कि चूंकि पूरे भरे हुये टैंक बेचे गये थे, मात्रा अंकित नहीं की गई।

II मखोती---टांडा मिल

नवम्बर 1974 में गन्ना पेराई कार्य प्रारम्भ होने से पहले मिल के पास पानी से पतला किया हुआ 28,603 कुन्तल शीरे का भण्डार था (1973-74 तक के उत्पादन में से) जिसे 0.33 लाख रुपये के लिये गोरखपुर की एक पार्टी 'ए' के पक्ष में नीलाम किया गया (10 नवम्बर 1974) । नीलामी की सूचना को समाचार पत्रों द्वारा प्रचारित नहीं किया गया । कागज की एक पृथक शीट पर अंकित दस बोलियां उपलिखित (ओवर रिटिन) थीं और 'ए' सहित तीन अन्य पार्टियों की बोलियां सातवीं और आठवीं पार्टियों की बोलियों के बीच प्रविष्ट कर दी गई थीं । नीलामी की कार्यवाहियां मिल के किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई । सामान्य प्रबन्धक ने 20 नवम्बर 1974 को उत्पाद शुल्क विभाग से, इस आधार पर कि 10 नवम्बर 1974 से मेरठ के ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण 'ए' शीरा नहीं उठा सका, शीरा निष्कासन की अवधि 30 नवम्बर 1974 तक बढ़ाने हेतु प्रार्थना की । 'ए' का ऐसा कोई निवेदन अभिलेखों पर नहीं था । अप्रैल 1975 में 'ए' को, उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मांगे गये प्रशासनिक व्यय के रूप में आठ रुपया प्रति कुन्तल जमा करने के बाद शीरा उठाने के लिये कहा गया । 'ए' सहित कई स्थानीय पार्टियों से पूंछ-तांछ भी की गई (मई 1975) कि क्या वे प्रशासनिक व्यय भुगतान कर मिश्रित शीरा उठायेंगे । उनमें से कोई भी आगे नहीं आया ।

सामान्य प्रबन्धक की एक आख्या पर (नवम्बर 1975) उत्पाद शुल्क विभाग ने 32,811 कुन्तल खराब शीरा 15 नवम्बर 1975 तक हटाने के लिये स्वीकृति प्रदान की । मिल के सूचना पट्ट पर चिपकाई गई पूछ-तांछ पर प्राप्त कोटेशनों के आधार पर खराब शीरे को कुंड से बहाने का कार्य सामान्य प्रबन्धक ने एक स्थानीय पार्टी को 250 रुपये के भुगतान पर सौंप दिया । उसी दिन सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ ने मिल का निरीक्षण किया और 1974–75 में उत्पादित 11,849 कुन्तल शीरे को कच्चे कुण्डों में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की । यह कार्य भी उसी स्थानीय पार्टी को 24 नवम्बर 1975 को सौंपा गया जिसके लिए श्रम व्यय के रूप में उसे 350 रुपये का भुगतान किया गया । मिल की पुस्तकों में 11849 कुन्तल खराब शीरा बहाया हुआ दिखाया गया। यद्यपि मिल द्वारा अभिलेखों से प्रदर्शित होता है कि पार्टी ने खराब शीरे का 98 टैंकर वजन (लगभग 1,300 कुन्तल) 10 और 29 नवम्बर 1975 के बीच हटाया जिसके लिये उसे कोई भुगतान नहीं किया गया ।

कम्पनी के प्रधान कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर वित्तीय परामर्शदाता व मुख्य लेखाधिकारी ने मामले की छानबीन की और आख्या दी (अप्रैल 1976) कि:

(i) 40,502 कुन्तल शीरे की हानि थी (मूल्य 10 रुपया प्रति कुन्तल से लगभग 4 लाख रुपया);

(ii) दरों के लिये पूछ ताछ व्यापक प्रचार के बिना की गई,

(iii) यह सन्देहपूर्ण था कि गोरखपुर की पार्टी 'ए' ने नीलाम में भाग लिया,

(iv) पार्टी 'ए' ने कभी नहीं कहा कि ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण वह शीरा उठाने में असमर्थ थी,

(v) नीलाम कार्यवाहियां यह दिखाने के लिये व्यवस्थित की गई थीं कि बाजार मूल्य उत्पाद शुल्क विभाग के प्रशासकीय व्यय की अपेक्षा कम था, और

(vi) 1973–74 और 1974–75 का खराब शीरा पास के खेतों में नहीं बहाया गया बल्कि वास्तव में ट्रकों में मिल से बाहर ले जाया गया।

प्रबन्धक निदेशक ने वित्तीय परामर्शदाता व मुख्य लेखाधिकारी को एक दूसरी स्थलीय पूछताछ करने का निर्देश दिया (मई 1976)। न तो किसी अग्रिम पूछताछ की आख्या और न ही पूर्व आख्या पर की गई कार्यवाही अभिलेखों में प्राप्त है।

III किच्छा मिल

अक्टूबर 1975 में उत्पाद शुल्क विभाग ने मिल को 1974–75 के उत्पादन से 24,872 कुन्तल जल मिश्रित शीरा 15 नवम्बर 1975 तक हटाने की अनुमति प्रदान की। सामान्य प्रबन्धक ने आख्या दी कि शीरे को उठाने में कोई इच्छुक नहीं था और 29,295 कुन्तल शीरे को बहाने के लिये उत्पाद शुल्क विभाग की अनुमति मांगी (अक्तुबर 1975 में रिसन द्वारा नष्ट के रूप में अभिलेखित लगभग 4000 कुन्तल को छोड़कर)। दो कुन्डों से 18300 कुन्तल विभागीय बहाव के बाद सामान्य प्रबन्धक ने शीरे की शेष मात्रा को बहाने का कार्य बरेली के एक व्यापारी को सफाई व्यय के रूप में 2000 रुपया पर सौंपा (22 जनवरी 1976)। कार्य 31 जनवरी 1976 तक पूरा किया जाना था। उस दिन उत्पाद शुल्क निरीक्षक ने बताया कि ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़ दिया है और सामान्य प्रबन्धक को कार्य को उसी रात तक समाप्त करने हेतु अतिरिक्त पम्प और मिल कर्मचारियों को लगाने के लिये कहा। चूंकि ठेकेदार कार्य समाप्त करने में असफल रहा, उसकी जमानत राशि (3000 रुपया) जब्त कर ली गई और उसको बाद में भुगतान किये गये 800 रुपयों को छोड़कर सफाई व्यय का भुगतान नहीं किया गया। 10,995 कुन्तल के शेष रहतिए में से विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा हटाई गई शीरे की मात्रा कम्पनी की पुस्तकों में अभिलेखित नहीं की गई। तथापि, मिल अभिलेखों में उपलब्ध कुछ गेट पास यह दर्शाते थे कि ठेकेदार 47 टैंकर भारों में 4031 कुन्तल शीरा ले गया था। प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1976) कि ठेकेदार ने शीरे का एक भाग मिल के अहाते में बहा दिया और शेष मिल के बाहर फैक दिया गया। ठेकेदार द्वारा मिल के अन्दर और बाहर फेंकी गई मात्रायें, यद्यपि, नहीं दर्शायी गई।

जनवरी 1976 में सहायिका के निदेशक मण्डल द्वारा 1973–74 (6539 कुन्तल) और 1974–75 (4,000 कुन्तल) के उत्पादन से रिसन द्वारा हुई 10,539 कुन्तल शीरे की हानि अभिलेखित की गई। मण्डल को आगे सूचित किया गया कि 1974–75 के उत्पादन से वर्षा और कीचड़ से नष्ट हुआ 29300 कुन्तल शीरा बहा दिया गया था। इस प्रकार 39,839 कुन्तल शीरे की हानि थी। हानि की छान बीन नहीं की गई है। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि 39,839 कुन्तल का अधिकतम अनुमानित मूल्य 0.24 लाख रुपया होगा क्योंकि शीरे में पानी और कीचड़ मिली थी और यह कि अग्रिम छान बीन के आदेश देने के लिये कोई आधार नहीं था।

Iv बाराबंकी मिल

दिसम्बर 1973 में उत्पाद शुल्क विभाग ने मिल के सामान्य प्रबन्धक को मिल के परिसर में अवशिष्ट शीरा (5,000 कुन्तल) हटाने के लिये अनुमति दी। शीरा 4 जनवरी 1974 को 0.26 लाख रुपये में नीलाम किया गया। तथापि, शीरे को हटाये जाने से पूर्व जनवरी 1974 में उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नीलाम किये गये शीरे के विश्लेषण ने प्रकट किया कि शीरे के एक ढेर में चीनी मात्रा लगभग 40.98 प्रतिशत थी और इस प्रकार माल मदय् शालाओं में प्रयोग के लिये उपयुक्त था। तत्पश्चात् उत्पाद शुल्क विभाग ने समान्य

प्रबन्धक को शीरा न बेचने के लिये निर्देश दिये (जनवरी 1974) क्योंकि उसकी बिक्री के परिणाम स्वरूप पेय शराब बनाने में उसका दुरुपयोग हो सकता है। फिर भी उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किसी मद्यशाला को माल का आवटन नहीं किया गया। जून 1975 में उत्पाद शुल्क विभाग ने मिल को अपने परिसर से शीरे को हटाने के लिये फिर से अनुमति दी। तथापि, कम्पनी ने उत्पाद शुल्क विभाग को सूचित किया (सितम्बर 1975) कि जनवरी 1974 से शीरे की रिसन हो रही थी और यह कि समय व्यतीत होने के साथ-साथ शीरे के गुण में भी खराबी आ रही थी और इस प्रकार खराब शीरे के रूप में इसकी बिक्री की अनुमति के लिये प्रार्थना की। शीरे के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे की प्रगतियां प्रतीक्षा में है (अप्रैल 1977)।

(ज) जलौनी लकड़ी का क्रय

कम्पनी की कुछ मिलों द्वारा जलौनी लकड़ी क क्रय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1974–75 की रिपोर्ट (वाणिज्यक) के अनुच्छेद 37 में चर्चा की गई थी। आवश्यकताओं के अनुमानों का अभाव, फुटकर क्रयों के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय, ठेकेदारों को अनाधिकृत लाभ देने, क्रय की गई जलौनी लकड़ी की विस्तृत विशिष्टयों की अनुपस्थिति और मिलों के सामान्य प्रबन्धकों को प्रतिनिधानित अधिकारों (प्रत्येक सत्र में 1.00 लाख रुपये तक) से अधिक क्रय करने के कुछ और उदाहरण नीचे दर्शाये गये हैं:–

(I) मोहीउद्दीनपुर मिल

(i) 1972–73 गन्ना पेराई सत्र के दौरान मिल के सामान्य प्रबन्धक ने, 20,000 कुन्तल प्रारम्भिक अनुमानित आवश्यकता के विरुद्ध, 7.73 लाख रुपये की कुल कीमत पर 60,191 कुन्तल ताजी काटी गई साल की जलौनी लकड़ी क्रय की। जबकि 19,800 कुन्तल ताजी काटी गई साल की लकड़ी अक्तूबर 1972 में निर्गमित दो आदेशों के विरुद्ध 11.40 रुपये प्रति कुन्तल पर (मूल्य : 2.26 लाख रुपया) क्रय की गई, 40,391 कुन्तल सामान्य प्रबन्धक द्वारा मार्च और मई 1973 के बीच 23 क्रय आदेशों के विरुद्ध वार्ता के बाद विभिन्न दरों पर (औसत: 13.50 रुपये प्रति कुन्तल) क्रय की गई। पूर्व आपूर्तियों के लिये भुगतान किये गये मूल्य की तुलना में, मार्च और मई 1973 क बीच उच्चतर दरों पर क्रय के परिणाम स्वरूप 0.81 लाख रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) यह अनुमान किया गया था कि 1973–74 के गन्ना पेराई सत्र के लिये 45,000 कुन्तल जलौनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। कम्पनी ने सितम्बर 1973 में 20,000 कुंतल सूखी जलौनी लकड़ी (8 माह पूर्व काटी गई–75 प्रतिशत साल और 25 प्रतिशत कुकाठ) और 10,000 कुन्तल अर्धशुष्क जलौनी लकड़ी (4 माह पूर्व काटी गई–75 प्रतिशत साल और 25 प्रतिशत कुकाठ) के लिये मेरठ की फर्म 'सी' और 'डी' को 14.90 रुपये प्रति कुंतल पर सूखी जलौनी लकड़ी के लिये और 13.75 रुपये प्रति कुन्तल पर अर्धशुष्क लकड़ी के लिये आदेश दिये। मिल ने सितम्बर 1973 और फरवरी 1974 के बीच 19256 कुन्तल सूखी जलौनी लकड़ी (मूल्य: 2.87 लाख रुपया) और 5994 कुन्तल अर्धशुष्क जलौनी लकड़ी प्राप्त की। हालांकि अर्धशुष्क लकड़ी के लिये आदेशों में दिया गया मूल्य स्थिर था, कम्पनी ने फरवरी 1974 में फर्म 'डी' को 4.25 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि स्वीकृति की, परिणामस्वरूप 0.25 लाख रुपया अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी ने बताया (अप्रैल 1977) कि वृद्धि मूल्यों में अचानक चढ़ान के कारण स्वीकृत की गई।

पेराई सत्र के दौरान निम्न क्रय भी सीमित निविदाओं के आधार पर किये गये:–

जनवरी 1974 में 20,824 कुन्तल अर्धशुष्क साल की जलौनी लकड़ी के लिये 20 रुपया प्रति कुन्तल पर आदेश दिये गये (मूल्य: 4.16 लाख रुपया)।

दिसम्बर 1973 से जनवरी 1974 की अवधि के दौरान 20.50 रुपये से 25.70 रुपये प्रति कुन्तल की दरों की सीमाओं में 21432 कुंतल जलौनी लकड़ी (गुणावस्था उल्लिखित नहीं

की गयी) का फुटकर क्रय (मूल्य: 5.19 लाख रुपया), या तो सीमित कोटेशन के आधार पर या कुटेशन आमंत्रित किये बिना बाजार से सीधे, किया।

(iii) 1975–76 के गन्ना पेराई सत्र के दौरान मिल ने 23013 कुन्तल जलौनी लकड़ी इस प्रकार क्रय की––

18.15 रुपया प्रति कुन्तल पर अनिर्दिष्ट प्रकार की 11,916 कुन्तल (मूल्य: 2.16 लाख रुपया),

21 रुपये प्रति कुन्तल पर 5,568 कुन्तल साल की जलौनी लकड़ी (मूल्य: 1.17 लाख रुपया), और

20.50 रुपये प्रति कुन्तल पर 5,529 कुन्तल साल की सूखी जलौनी लकड़ी (मूल्य: 1.13 लाख रुपया)।

मिल के मुख्य लेखाधिकारी ने सामान्य प्रबन्धक को इंगित किया (अक्टूबर 1975) कि जालौनी लकड़ी का बाजार मूल्य, जिस पर पड़ोसी मिलें उस सत्र में क्रय कर रही थीं, 14.40 रुपये से 16.75 रुपये प्रति कुन्तल की सीमाओं में था।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि जालौनी लकड़ी का बाजार घट-बढ़ रहा था और समय के किसी भी क्षण की मांग एवं पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता था।

(II) सखोतो–टांडा मिल

निविदाओं के आमंत्रण के बाद, कम्पनी ने अगस्त 1973 में 13.48 रुपये प्रति कुन्तल पर 20,000 कुन्तल अर्धशुष्क जलौनी लकड़ी की आपूर्ति के लिये मेरठ की एक फर्म को आदेश दिया। कम्पनी ने सितम्बर 1973 में 13.48 रुपये प्रति कुन्तल पर 15,000 कुंतल अर्धशुष्क जलौनी लकड़ी के लिये दो अन्य आदेश भी दिये। मिल द्वारा तीन फर्मों से 24,945 कुन्तल अर्धशुष्क जलौनी लकड़ी (मूल्य: 3.36 लाख रुपये) प्राप्त की गई। तथापि, कम्पनी ने आपूर्तियों के लिये 18 रुपये प्रति कुंतल की दर पर भुगतान किया जिससे तीन फर्मों को कुल 1.13 लाख रुपये का वित्तीय लाभ हुआ। बढ़ी हुई दर पर आपूर्ति की विशिष्टियां भी 25 प्रतिशत तक अधिक आकार/कम आकार के साथ अर्ध शुष्क साल, कुकाठ, बबूल या सीसम में बदल दी गईं।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि चूंकि आपूर्तिकर्ताओं ने मूल्यों में एकाएक वृद्धि हो जाने के कारण 13.48 रुपये प्रति कुन्तल की दर के विरुद्ध कोई आपूर्ति नहीं की, इसलिये दर में वृद्धि स्वीकृत की गई।

जनवरी और अप्रैल 1974 के बीच सामान्य प्रबन्धक ने कई भागों में निर्गमित 13 आदेशों के विरुद्ध अनिर्धारित किस्म की 20.90 रुपये से 25.72 रुपये प्रति कुन्तल तक की सीमाओं की दरों पर 82,855 कुन्तल जलौनी लकड़ी भी क्रय की (मूल्य: 19.38 लाख रुपये)।

मिल ने 1975–76 के गन्ना पेराई सत्र के लिये जलौनी लकड़ी की अपनी आवश्कताओं का अनुमान नहीं लगाया। 19 रुपये प्रति कुन्तल पर 15,000 कुन्तल साल की सूखी जलौनी लकड़ी की आपूर्ति के लिये चार फर्मों को आदेश दिए गये, जिनके विरुद्ध कुल 15 507 कुन्तल की आपूर्ति प्राप्त हुई।

जनवरी 1976 में कम्पनी के क्रय प्रबन्धक ने सामान्य प्रबन्धक को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश स्टेट फारेस्ट कारपोरेशन अर्ध शुष्क जलौनी लकड़ी 11 रुपये प्रति कुन्तल, एक्स पीलीभीत, पर बेच रहा था और यह कि दोईवाला (देहरादून) और बुलन्दशहर की चीनी मिलों में क्रमश: 12 रुपये से 12.50 रुपये और 13 रुपये से 15 रुपये प्रति कुन्तल की दरों पर खरीददारियां की गई थीं। उसने यह भी बताया कि सूखी जलौनी लकड़ी बाजार में उपलब्ध नहीं थी। तिस पर भी, सामान्य प्रबन्धक ने 22.35 रुपये प्रति कुन्तल पर साल की सूखी जलौनी लकड़ी के 11,800 कुन्तलों, 21.05 रुपये प्रति कुन्तल पर कुकाठ और साल मिश्रित 25,300 कुन्तलों और 15.91 रुपये प्रति कुन्तल पर अर्ध शुष्क कुकाठ और साल के 3,500 कुन्तलों की आपूर्ति के लिये 22

आदेश अन्य आपूर्तिकर्ताओं को दिये (जनवरी/फरवरी 1976)। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि उत्तर प्रदेश फारेस्ट कारपोरेशन से जलौनी लकड़ी का क्रय नहीं किया जा सका क्योंकि कारपोरेशन (i) ताजी कटी लकड़ी की आपूर्ति करता था, (ii) ढुलाई का प्रबन्धक करने के लिये तैयार नहीं था और (iii) सुपुर्दगी के विरुद्ध भुगतान चाहता था।

(III) बाराबंकी मिल

अक्टूबर और दिसम्बर 1975 के बीच, सामान्य प्रबन्धक ने कुटेशनों के आधार पर बहरामघाट के एक ठेकेदार को 16.50 रुपये प्रति कुन्तल पर 9,000 कुन्तल सूखी बबूल की जलौनी लकड़ी के लिये चार आदेश दिये (मूल्य: 1.49 लाख रुपये)। ठेकेदार ने ताजी कटी गीली जलौनी लकड़ी की आपूर्ति की लेकिन भुगतान किये गये मूल्य में बिना किसी कटौती के मिल द्वारा आपूर्तियां स्वीकृत कर ली गईं, जिसके लिये मिल प्रबन्धकों ने कोई कारण अभिलेखित नहीं किये। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि गीली और अधिक आकार की जलौनी लकड़ी की आपूर्ति के लिये संविदा की शर्तों के अनुसार दंड लगा दिया गया था (धनराशि उल्लिखित नहीं की गयी)।

(IV) किच्छा मिल

सितम्बर और दिसम्बर 1973 के बीच मिल ने 9.90 रुपये प्रति कुन्तल पर 9,977 कुन्तल अनिर्धारित किस्म की जलौनी लकड़ी (मूल्य: 0.99 लाख रुपये) का क्रय किया। दिसम्बर 1973 में दिये गये एक आदेश के आधार पर, मिल ने 21.50 रुपये प्रति कुन्तल पर 7,126 कुन्तल अनिर्धारित किस्म की जलौनी लकड़ी भी क्रय की (मूल्य: 1.53 लाख रुपये)। पहले की आपूर्तियों के लिये भुगतान की गई 9.90 रुपये प्रति कुन्तल की दर की तुलना में, 7126 कुन्तल जलौनी लकड़ी के उच्चतर दर पर क्रय के परिणाम स्वरूप 0.83 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि संयंत्र के कार्यारम्भ के बारे में अनिश्चितता के कारण फुटकर क्रय का सहारा लिया गया और यह कि जब सत्र के बीच में खरीददारियां की गईं तो बाजार में जलौनी लकड़ी की कीमतें बढ़ गई थीं।

(ङ) खोई का क्रय

22 अगस्त 1974 को अखबारों में विज्ञापन के लिए भेजी गई निविदा पूछतांछ के द्वारा मोहीउद्दीनपुर और सखोती-टांडा मिलों के लिए 6000 मैट्रिक टन खोई क्रय करने के लिये 6 सितम्बर 1974 तक प्रस्ताव आमंत्रित किय गये। निविदा तीन फर्मों से प्राप्त हुये (बरेली की 'ए' और 'बी' और कानपुर की 'सी')। इन निविदाओं पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया लेकिन 6 दिसम्बर 1974 के कम्पनी के तार के उत्तर में फर्म 'ए', जिसकी दरें निम्नतम थीं, न बताया (13 दिसम्बर 1974) कि दो मिलों को प्रेषित करने के लिये यह अपनी खोई का रहतिया पहले से ही संचित कर चुकी थी।

23 दिसम्बर 1974 को, किच्छा मिल ने 50 रुपये प्रति 100 गांठों (15 रुपये प्रति मैट्रिक टन) पर फालतू खोई बेचने के लिये फर्म 'डी' ('ए' की एक साथी फर्म) से, अन्य बातों के साथ-साथ, इन शर्तों पर एक अनुबंध किया कि फर्म मिल की बंडल बनाने वाली मशीन मुफ्त में प्रयोग करेगी और यह कि मिल फर्म के अनुरोध पर खोई की ढुलाई के लिये रेल बैगनों का प्रबंध करेगी। अगर बंडल की गई खोई मिल द्वारा अपने प्रयोग के लिये रोक ली गई तो फर्म को गांठ बनाने और चट्टा लगाने के लिये 40 रुपये प्रति 100 गांठों (12 रुपये प्रति मैट्रिक टन) का भुगतान किया जायगा।

इस अनुबंध के अन्तर्गत फर्म 'डी' ने खोई की 2,00,467 गांठें (6,682 मैट्रिक टन) बनाईं, जिसमें से 1,45,916 गांठें (4,864 मैट्रिक टन) फरवरी 1975 तक 0.73 लाख रुपयों के लिये फर्म को बेच दी गईं। संयोगवश मिल ने जनवरी और दिसम्बर 1974 के बीच 70 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर, ढुलाई और उठाने और रखने के व्ययों को छोड़कर, फर्म 'ए' से खोई खरीदी। शेष 54,551 गांठें (1,818 मैट्रिक टन) मिल ने रोक लीं जिसमें से 0.21 लाख रूपये मूल्य की

41,186 गांठें (1,373 मैट्रिक टन) मिल में उपभोग कर लीं गईं और 0.07 लाख रुपये मूल्य की 13,365 गाठें (445 मैट्रिक टन) मई 1975 की एक आग में जली हुई बताई गईं।

जब मोहीउद्दीनपुर और सखौती–टांडा के मिलों के लिये खोई के क्रय के लिये निविदायें कम्पनी के पास सितम्बर 1974 से विचाराधीन थीं, इसके यांत्रिक सलाहकार ने अनुमान लगाया (14 फरवरी 1975) कि कम्पनी की मोहीउद्दीनपुर और सखौती टांडा मिलों को किच्छा मिल की खोई की आपूर्ति की लागत, अगर सड़क द्वारा ढुलाई गई तो 86 रुपये प्रति मैट्रिक टन और यदि रेल द्वारा ढुलाई गई तो 56 रुपये, खोई की लागत को सम्मिलित करते हुए, पड़ेगी। तथापि, यह विचारते हुये कि ढुलाई की व्यवस्था संदेहजनक थी, कम्पनी ने फर्म 'ए' पर अपनी दरें घटाने के लिये दबाव डालने का निश्चय किया। सितम्बर 1974 में दी गई दरों को फर्म क्रमशः मोहीउददीनपुर और सखौती–टांडा मिलों के लिये 127 रुपये और 131 रुपये से घटाकर 117 और 121 रुपये करने को सहमत हो गई (23 फरवरी 1975) और रोहन-कलां मिल को 125 रुपये प्रति मैट्रिक टन पर, मिल साईडिंग तक निष्प्रभार, खोई की आपूर्ति करने के लिये भी प्रस्ताव दिया। तद्नुसार तीन मिलों को घटी हुई दरों पर 4000 मैट्रिक टन खोई (मूल्य: 4.86 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये 4 मई 1975 को फर्म 'ए' को एक आदेश दिया गया। आपूर्ति 10 मार्च 1975 से एक माह में पूरी होनी थी और प्रति मैट्रिक टन खोई का वजन माल प्राप्त करने वाली मिलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गांठे बनाते समय गांठों की एक प्रतिनिधि संख्या के औसत वजन के आधार पर निर्धारित होना था। गांठें बनाते समय नमी की मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी।

किच्छा मिल से फर्म 'ए' ने 9 मार्च 1975 को आपूर्तियां प्रारम्भ कर दी। फर्म ने अपने बिलों में तीन मिलों को आपूर्ति की गई 3069 मैट्रिक टन खोई के लिये 3.77 लाख रुपये का खर्चा लगाया। मिलों के तुला से तुग्रों पर अभिलेखित किया गया आपूर्तियों का वजन, यद्यपि, 2215 मैट्रिक टन था। इस प्रकार फर्म ने 854 मैट्रिक टनों (मूल्य: 1.03 लाख रुपये) के लिये अधिक खर्च लगाया। फर्म को मिलों में सुपुर्दगी के समय 1.33 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शेष धनराशि का खोई में अधिक नमी की उपस्थिति और फर्म द्वारा पारित किये गये अधिक वजन को सम्मिलित करते हुये विभिन्न कारणों से, भुगतान नहीं किया गया है (अगस्त 1976)। मोहीउद्दीनपुर मिल ने कम्पनी को सूचित किया (मार्च 1975) कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई खोई 'बहुत अधिक गीली, थी जिसके कारण ब्वायलर दबाव को बनाये रखने में कठिनाई थी। रोहन-कलां मिल ने भी सूचित किया (मार्च 1975) कि आपूर्ति की गई खोई उपयुक्त किस्म की नहीं थी, जिसके कारण मिल में ईंधन का उपभोग बढ़ गया था।

कम्पनी के अभियंत्रण सलाहकार के अनुमानानुसार (फरवरी 1975) किच्छा मिल से 3069 मैट्रिक टन खोई की आपूर्ति की लागत, ठेकेदार द्वारा दावा किये गये 3.77 लाख रुपये के विरुद्ध, अगर सड़क द्वारा ढुलाई की गई तो 2.64 लाख रुपये और अगर रेल द्वारा ढुलाई की गई तो 1.72 लाख रुपये होती।

गन्ने की ढुलाई

(ग्र) मिल के फाटकों और वाह्य केन्द्रों पर सुपुर्द किये गये गन्ने के मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्गमित विज्ञप्ति के आधीन समय-समय पर निश्चित किये गये। प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि निश्चित की गई कीमतें कम थी और यह कि गन्ना उत्पादकों ने इन मूल्यों को प्रतिफलित नही पाया। यह आगे कहा गया कि इन परिस्थितियों में गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए गन्ना उत्पादकों, चीनी उत्पादकों और सरकार के बीच वर्षानुवर्ष अनुबंध करने पड़े और तद्नुसार भुगतान किये गये।

वाह्य केन्द्रों पर सुपुर्द किये गये और मिल द्वारा ढुलाये गये गन्ने के लिये गन्ना मूल्य से 32 पैसे प्रति कुन्तल की सीमा तक (वाह्य केन्द्रों और मिल के फाटक पर सुपुर्दगी के लिये निश्चित की गई दरों में अन्तर) कटौती की गई। 22 दिसम्बर 1971 से ढुलाई व्ययों के लिये गुंजाइस बढ़ाकर

6 दिसम्बर 1974 तक 50 पैसे प्रति कुन्तल, उसके बाद 8 दिसम्बर 1975 तक 75 पैसे प्रति कुन्तल और 9 दिसम्बर 1975 से आगे 1 रुपया प्रति कुन्तल कर दी गई। खड्डा मिल ने वाह्य केन्द्रों से इन्हीं दरों पर गन्ना ढुलाई की व्यवस्था की। अन्य मिलों के संबंध में स्थिति इस प्रकार थी:

(I) बाराबंकी मिल

वाह्य केन्द्रों से मिल तक गन्ना ढुलाई पर किया गया व्यय गन्ना मूल्य से की गई कटौतियों से अधिक था, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है:—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
ढोया गया गन्ना (लाख कुन्तलों में)	1.85	4.04	4.63	5.41	3.84
ढुलाई व्यय (लाख रुपयों में)	1.20	3.16	4.08	6.53	4.67
गन्ना मूल्य से काटी गई धनराशि (लाख रुपयों में)	0.92	2.02	2.31	4.00	3.84
कटौती के ऊपर व्यय का आधिक्य (लाख रुपयों में)	0.28	1.14	1.77	2.53	0.83

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि खंडसारी इकाइयों से तीव्र प्रतिस्पर्धा थी और यह कि मूल्य में किसी प्रकार की कमी ने (ढुलाई व्ययों के लिये अधिक कटौती द्वारा) गन्ने की आपूर्ति को उन इकाइयों को उन्मुख कर दी होती।

(II) भटनी मिल

1971–72 से 1975–76 के दौरान मिल ने देवरिया, आजमगढ़ और बलिया जिलों में दूरस्थ केन्द्रों से रेल द्वारा 7.73 लाख कुन्तल गन्ने और सड़क द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से 3.69 लाख कुन्तल गन्ने की ढुलाई की व्यवस्था की। गन्ना मूल्य से काटे गये 6.49 लाख रुपये के विरुद्ध कुल ढुलाई व्यय 25.19 लाख रुपये के थे। इस प्रकार कटौतियों के ऊपर अधिक व्यय 18.70 लाख रुपये का था।

(III) पिपराइच मिल

1975–76 में, विभिन्न वाह्य केन्द्रों से ठेकेदारों द्वारा ढोये गये 1.80 लाख कुन्तल गन्ने में से 2830 कुन्तल की मार्ग हानि (1.24 से 1.98 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा निश्चित 0.5 प्रतिशत के मानक से अधिक थी, एक केन्द्र को छोड़कर जहां मार्ग हानि 0.01 प्रतिशत थी। गन्ना पेराई सत्र समाप्त होने के बाद सामान्य प्रबन्धक ने 1.29 प्रतिशत तक की मार्ग हानियों को इस आधार पर स्वीकार करने के लिये निश्चय किया (मई 1976) कि वाह्य केन्द्रों पर तुला-सेतु दोष युक्त थे। इस प्रकार ठेकेदारों को 0.27 लाख रुपये मूल्य के 1934 कुन्तल गन्ने की अतिरिक्त हानि का फायदा दिया गया।

(IV) मोहीउद्दीनपुर मिल

50 पैसे प्रति कुन्तल की अनुमति योग्य कटौती के विरुद्ध 1972–73 तक मिल द्वारा ढुलाई व्ययों के लिये गन्ना मूल्य से 32 पैसे प्रति कुन्तल पर कटौतियां की गईं, परिणाम स्वरूप 1971-72 और

1972–73 के दौरान 2.08 लाख रुपये की कम वसूली हुई। गन्ना मूल्य से कटौतियां, 1975–76 को छोड़कर, ढुलाई व्ययों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75
ढोया गया गन्ना (लाख टनों में)	3.86	7.72	4.87	5.61
ढुलाई व्यय (लाख रुपयों में)	2.69	6.08	4.18	5.78
गन्ना मूल्य से काटी गई धनराशि (लाख रुपयों में)	1.13	2.31	2.80	4.20
कम वसूली (लाख रुपयों में)	1.56	3.77	1.38	1.58

सम्परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 1971–72 के लिये ढुलाई कार्य, दो कुटेशनों के आधार पर, 1970–71 में लागू दरों पर मेरठ के एक ठेकेदार को सौंपा गया। ट्रकों की कमी के आधार पर ठेकेदार ने दरों में 12.1/2 प्रतिशत की वृद्धि के लिये मांग की (दिसम्बर 1971)। ठेकदार की प्रार्थना 15 जनवरी 1972 से स्वीकार कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप 0.10 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रबन्धकों न बताया (अप्रैल 1977) कि ट्रकों के प्रतिरक्षा उद्देश्यों की तरफ उन्मुख हो जाने से ढुलाई दरों को बढाना पड़ा।

1973–74 के लिये ढुलाई कार्य, कुटेशनों के आधार पर, मेरठ के तीन ठेकेदारों (पिछले वर्ष के दो ठेकेदारों को सम्मिलित करते हुये) को दिया गया। फरवरी और मई 1974 के दौरान, ठेकेदारों ने तेल और अतिरिक्त पुर्जों की भी कीमत में वृद्धि को पूरा करने के लिये अपनी अनुबंधित दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की। उनमें से एक को पांच प्रतिशत और अन्य दो को 6 प्रतिशत की वृद्धि दी गई (अतिरिक्त व्यय : 0.30 लाख रुपये)। 1974–75 के लिये ठेका, कुटेशनों के आधार पर, पिछले वर्ष के दो को सम्मिलित करते हुये चार ठेकेदारों को सौंपा गया। 1975–76 में कुटेशनों के आधार पर निश्चित की हुई दरें 1974–75 की दरों से 16 से 18 प्रतिशत से कम थीं। तथापि, जनवरी और अप्रैल 1976 के बीच, हाई स्पीड डीजल आयल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण ठेकेदारों को 1975–76 की दरों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दी गई।

1971–72 और 1975–76 के दौरान, गन्ने की मार्ग हानियां ढोये गये कुल गन्ने की 1.60 और 3.44 प्रतिशत की सीमा में रहीं, जिसके कारण 60498 कुन्तल गन्ना (मूल्य: 7.80 लाख रुपये) की हानि हुई। तथापि, ठेकेदारों पर कोई दंड नहीं लगाया गया। पड़ोस की सखोती-टांडा मिल में मार्ग हानियां 1971–72 में 0.58 प्रतिशत से घटाकर 1974–75 में 0.28 प्रतिशत और 1975–76 में 0.32 प्रतिशत कर दी गईं।

कम्पनी ने बतया (अप्रैल 1977) की अनुबंध में ऐसे किसी खंड वाक्य की अनुपस्थिति के कारण मार्ग हानियों के लिये वसूली सम्भव नहीं थी।

(V) सखोती-टांडा मिल

50 पैसे की अनुमति योग्य सीमा के विरुद्ध 1971–72 और 1972–73 में गन्ना मूल्य से ढुलाई व्ययों के लिये कटौतियां 32 पैसे प्रति कुन्तल पर की गईं। इसके परिणामस्वरूप 0.58 लाख रुपये की कम वसूली हुई। तत्पश्चात, गन्ना मूल्य में प्राविधान की गई दरों पर कटौतियां की गईं लेकिन वास्तविक व्यय पूर्ण रूप से संविलीन नहीं किये जा सके। 1972–73 से 1975–76 के दौरान कटौतियों से व्यय 4.14 लाख रुपये अधिक था।

आधार जिस पर 1971–72 से 1973-74 म ठेकेदारों को ढुलाई कार्य सौंपा गया मिल के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। 1974–75 में, दी गई दरों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि

ठेकेदारों से बात चीत के दौरान मिल द्वारा स्वीकार की गई। 1975–76 में गन्ना ढुलाई के लिये एक सीमित पूंछ ताछ के उत्तर में छः कुटेशन प्राप्त हुये। तथापि, बातचीत 'ए','बी','सी' और 'डी' चार फर्मों से ही की गई हालांकि प्रथम दो ने दरें नहीं दी थीं। उनको काम "पिछली वर्ष की दरों" में पांच प्रतिशत कम पर इस शर्त पर दिया गया कि अगर मोहीउद्दीनपुर मिल की दरें पिछली वर्ष की दरों से पांच प्रतिशत से अधिक कम की जाती हैं तो ठेकेदार उस सीमा तक दर में कमी स्वीकार करेंगे।

काम देने में अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन कम्पनी के लागत सलाहकार द्वारा की गई। अपने प्रतिवेदन (जनवरी 1976) में उसने बताया कि (i) लगभग 4 लाख रुपये की लागत के काम के लिये समाचार पत्रों में कोई प्रचार नहीं किया गया, (ii) 1974–75 में 'ए' और 'बी' ठेकेदारों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था फिर भी उनको उस वर्ष के लिये ठेके दिये गए हालांकि उन्होंने 1975–76 के लिये निविदाओं के प्रति उत्तर में दरें नहीं दी थीं, (iii) ठेकेदारों को आठ वाह्य केन्द्रों के विषय में 1,200 रुपये प्रति माह जमादारी के रूप में दिये गये जब कि इस प्रकार के कोई भुगतान किसी भी अन्य मिल में नहीं किये गये थे और ठेके देते समय पड़ोसी मिलों की दरों को ध्यान में नही रखा गया।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मोहीउद्दीनपुर मिल में, 1975–76 में ढुलाई के लिये दरें, 1974–75 के लिये सखोती-टांडा मिल की दरों से, लम्बे खिचाव (हाल) के होने के बावजूद भी, 16 से 18 प्रतिशत से कम थीं।

प्रबन्धकों ने बताया (अप्रैल 1977) कि जमादारी का भुगतान कम्पनी की रीति के अनुसार किया गया और यह कि ढुलाई दरों, जो सड़क की दशा, केन्द्र पर प्रतिदिन क्रय की मात्रा, इत्यादि जैसे बहुत से तथ्यों पर निर्भर करती थीं, के लिये पड़ोसी मिलों की ढुलाई की दरें साथ ही साथ मिल से केन्द्रों की दूरी महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रबन्धकों ने यह भी बताया कि प्रचार पर व्यय रोकने के कारण व्यापक प्रचार नहीं किया गया।

(VI) किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड

दिसम्बर 1973 की एक निविदा पूछताछ के प्रति- उत्तर में 1973-74 के दौरान गन्ना ढुलाई के लिये तीन कुटेशन प्राप्त हुये, उनमें से कोई भी सभी वाह्य केन्द्रों के लिये नहीं थे। इसलिये जनवरी 1974 में एक दूसरी पूछताछ जारी की गई जिसके प्रत्युत्तर में चार कुटेशन आये, जिनमें से सभी बिना मुहरबन्द लिफाफों में चार पार्टियों से (तीन पार्टियों को, जिन्होंने पहले दरें दी थीं, को सम्मिलित करते हुये) प्राप्त हुये। कुछ केन्द्रों के संबंध में दरें उच्चतर थीं। तथापि, बात चीत के दौरान निविदा दाताओं ने दरें घटा दीं। जब चारों पार्टियों को अनुबंध की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये और कार्य प्रारम्भ करने के लिये कहा गया (मार्च 1974), तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उनमें से एक ने ईंधन और तेल के मूल्य में वृद्धि के आधार पर दी हुई दरों पर कार्य करने के लिये मना कर दिया। मिलके गन्ना प्रबंधक ने उनसे बातचीत की और डीजल और मोबिल आयल की कीमतों में वृद्धि के आधार पर 100 कुन्तल के एक ट्रक भार के लिये 35 पैसे प्रति किलोमीटर की एक वृद्धि की संस्तुति की। सामान्य प्रबन्धक द्वारा दरें यथार्थ में 100 कुन्तल के एक ट्रक भार के लिये 70 पैसे प्रति किलोमीटर से बढा दी गईं। 35 पैसे प्रति किलोमीटर के स्थान में 70 पैसे से दरों की वृद्धि के परिणामस्वरूप 0.54 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ इस वृद्धि के लिये कारण अभिलेखों में नहीं थे।

1974–75 के दौरान ढुलाई के लिये अनुबंधित दरें दृढ़ थीं। तथापि, मार्च 1975 में दरें, मोबिल आयल के मूल्य, पथकर और माल कर में वृद्धि के आधार पर, कार्य आरम्भ से गतकालिक प्रभाव से 7 प्रतिशत बढ़ा दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को 1.42 लाख रुपये का अतरिक्त भुगतान हुआ।

कम्पनी के कार्य पर समीक्षा दिसम्बर 1976 में सरकार को भेजी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1977)।

अनुभाग III

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

प्रस्तावना

3.01. कम्पनी की कार्य प्रणाली की समालोचना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1972–73 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 73 में की गयी थी।

कच्चे माल, संयंत्रों, आदि का आयात

3.02. कम्पनी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को आयातित कच्चे माल, संयंत्र आदि को, या तो वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के विरुद्ध या भारत सरकार द्वारा कैनलाइजिंग एजेंसीज को जारी किये गये मुक्ति आदेशों के विरुद्ध, प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। योजना के अन्तर्गत एक उपभोक्ता इकाई आयात लाइसेंस या मुक्ति आदेश प्राप्त होने पर कम्पनी के साथ एक अनुबन्ध करती है, जो माल के आयात का प्रबन्ध करती है। इकाई को शुरू में माल के मूल्य का पांच प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में कम्पनी के साथ जमा करना पड़ता है। बाद में माल को तीन किस्तों में कम्पनी को उसकी कीमत के साथ एक प्रतिशत सेवा व्यय भुगतान करने के बाद उठाना होता है।

(i) कम्पनी ने 1972–73 और 1973–74 के दौरान गाजियाबाद की एक फर्म की ओर से 6.58 लाख रुपये मूल्य का (सेवा व्यय सहित) 60 मैट्रिक टन एक्केलिक शीट स्क्रैप आयात किया। फर्म ने 1.10 लाख रुपये मूल्य का 14 मैट्रिक टन माल गाजियाबाद में कम्पनी के डिपो से माल सितम्बर 1975 तक उठाया। शिकायतों के प्राप्त होने पर (दिसम्बर 1975) कि कुछ माल डिपो से फर्म को अनधिकृत रूप से दिया गया था, कम्पनी द्वारा जांच-पड़ताल की गई जिसके दौरान 27 मैट्रिक टन माल (मूल्य: 3.10 लाख रुपया) कम पाया गया। मुख्यालय पर प्रबन्धकों ने शक किया कि माल डिपो कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ता फर्म से साठगांठ करके "धोखाधड़ी" से हटाया गया था और फरवरी 1976 में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। कम्पनी ने डिपो प्रबन्धक व भन्डारी की सेवायें भी जनवरी 1976 में समाप्त कर दीं। शेष माल (19 मैट्रिक टन: 2.38 लाख रुपये मूल्य का) भंडार में पड़ा था (दिसम्बर 1976)।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1976) कि मामले की जांच-पड़ताल गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षा में है (अप्रैल 1977)।

(ii) कम्पनी ने मेरठ की एक फर्म की ओर से, जिसने जनवरी 1974 में कम्पनी के साथ 0.14 लाख रुपया जमा किया था, 4.65 लाख रुपया मूल्य की चार मशीनें पश्चिमी जर्मनी से आयात की (दिसम्बर 1974)। कम्पनी के निकासी एजेन्टों ने मशीनों को बम्बईसे सड़क द्वारा कम्पनी के मेरठ स्थित डिपो को भेजा (अगस्त 1975)। मेरठ की फर्म ने, इस तथ्य का, कि सड़क परिवहन एजेन्सी द्वारा निर्गमित माल प्राप्ति नोट में उसका भी नाम लिखा था, फायदा उठाते हुये, 20 अगस्त 1975 को कम्पनी को देय 5.41 लाख रुपये (सेवा और ब्याज व्ययों की सम्मिलित करते हुये) का भुगतान किए बिना मेरठ में परिवहन एजेन्सी से मशीनों को छुड़ा लिया। फर्म ने कम्पनी को नवम्बर 1975 में तीन लाख रुपये का भुगतान किया। कम्पनी द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर (जहां फर्म इसी बीच जा चुकी थी) से शेष राशि भूराजस्व बकाये के रूप में वसूल करने के लिये निवेदन किया गया (मार्च 1976)। कम्पनी ने फर्म, निकासी एजेन्ट और परिवहन एजेन्सी के विरुद्ध अगस्त 1976 में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। अग्रिम प्रगति से सम्बन्धित आख्या प्रतीक्षा में है (अप्रैल 1977)।

(iii) 1973–74 से 1975–76 की अवधि के दौरान 11 फर्मों की ओर से कम्पनी द्वारा आयातित 4.33 लाख रुपये मूल्य के औजार और माल उनके द्वारा नहीं उठाये गये थे और

कम्पनी के डिपो के भंडार में पड़े थे । माल को अक्टूबर 1976 तक भंडार मे रखने के लिये इन फर्मों से 1.02 लाख रुपये के ब्याज व्यय और 0.08 लाख रुपये के गोदाम किराये वसूली के लिये देय हो गये थे ।

प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1976) कि उद्योग निदेशक की संस्तुतियों के आधार पर आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं को माल के पुनः आवंटन की अनुमति दी थी; 1.94 लाख रुपये मूल्य के औजार और माल मई 1977 तक उठा लिये गये हैं । शेष माल के निस्तारण के संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षा में है (मई 1977) ।

कानपुर में बिजली कलई संयंत्र

3.03. कानपुर की औद्योगिक बस्ती में स्थापित छोटे पैमाने की इकाइयों को बिजली कलई सुविधायें प्रदान करने के लिये एक बिजली कलई संयंत्र (मूल रूप से 1962 में उद्योग निदेशक द्वारा क्रय किया गया) जून 1969 में सरकार ने कम्पनी को 2.03 लाख रुपये के लिये हस्तान्तरित किया। चूंकि संयंत्र के कार्यों के परिणामस्वरूप 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में हानियां हुई (इन तीन वर्षों के दौरान एकत्रित हानि 1.27 लाख रुपया), अतः कम्पनी की अन्य सभी वाणिज्यिक इकाइयों के साथ इसकी कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा एक समिति नियुक्त की गई (नवम्बर 1973) । समिति ने देखा, अन्य बातों के साथ-साथ, कि संयंत्र को अति पूंजीकरण और आदेशों की कमी के कारण आर्थिक आधार पर चलाना सम्भव नहीं था । समिति ने संयंत्र द्वारा उठायी हानियों का कारण निरन्तर अनुरक्षण की कमी, दोषपूर्ण कच्चे माल के प्रयोग और संयत्र प्रबन्धक की संयंत्र को भलीभांति चलाने में अयोग्यता को बताया । समिति ने इसकी बिक्री की संस्तुति की । कम्पनी के प्रतिवेदन पर निदेशक मंडल द्वारा जुलाई 1974 में विचार किया गया जब इसने 1973–74 के दौरान सम्भावित अल्प हानि (1972–73 के दौरान हानि 0.22 लाख रुपये थी) को ध्यान में रखते हुये संयंत्र को कुछ और समय के लिये चलाने का निर्णय लिया । संयंत्र ने 1973-74 और 1974–75 के दौरान क्रमशः 0.93 लाख रुपये और 1.03 लाख रुपये की हानि उठायी । संयंत्र के कार्य की निदेशक मंडल द्वारा दिसम्बर 1975 में पुनः समालोचना की गई जब उसने इसे बेचने का निर्णय लिया । संयंत्र जुलाई 1976 में 0.73 लाख रुपये में बेच दिया गया और प्रबन्धक की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

सरकार ने बताया (फरवरी 1977) कि संयंत्र को, उसकी अलाभकर कार्य प्रणाली पर विचार करते हुये, विशेष रूप से आदेशों की कमी और संयंत्र चलाने में अपर्याप्त प्रबन्धकीय प्रयास को दृष्टि में रखते हुये, बेचा गया ।

क्षति ग्रस्त माल

3.04. फरवरी 1971 में उद्योग निदेशक ने हथकरघा उद्योग में प्रयोग होने वाले कुछ रंग व रसायन बुनकरों को निर्गमन के लिये अधिप्राप्त कराने का निर्णय लिया । सामान कम्पनी द्वारा आयात किया जाना था और उद्योग निदेशक द्वारा किये गये आवंटनों के विरुद्ध निर्गमित किया जाना था । कम्पनी ने अगस्त 1971 में 0.56 लाख रुपये की लागत से 7.585 मैट्रिक टन फोरमूसल रेंगूलाइट–एक रसायन आयात किया । इसमें से 951 किलोग्राम रसायन, शेष 6.634 मैट्रिक टन को भंडार में छोड़ते हुये, हाथकरघा बुनकरों को बेचा गया । फरवरी 1974 में राज्य सरकार के हथकरघा निदेशालय द्वारा कम्पनी को रसायन को मुक्त बिक्री द्वारा निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई । इस बीच रसायन अधिक समय तक भंडार में रखे रहने के कारण क्षय हो गया था । इसे मार्च 1976 में 0.08 लाख रुपये में बेचा गया, परिणामस्वरूप 0.41 लाख रुपये की हानि हुई ।

अनुभाग IV

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4.01. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, एक सरकारी कम्पनी, 18 अक्टूबर 1972 को निम्न मुख्य उद्देश्यों के साथ 16 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ (30 सितम्बर 1974 को प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपया) निगमित की गई:—

(क) उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के सेतुओं और सेतुओं तक सड़कों सहित अन्य निर्माण-कार्यों का निर्माण, प्रबन्ध, नियंत्रण और अनुरक्षण करना;

(ख) यात्रियों और माल पर सेतुओं के प्रयोग के लिये पथ-कर लगाना और एकत्र करना; और

(ग) अनुरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्वामित्व के किसी भी सेतु को खरीदना, पट्टे पर लेना या फिर हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करना ।

वार्षिक लेखों के बनाने में विलम्ब

4.02. कम्पनी के 30 सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे अवशिष्ट हैं (अप्रैल 1977) । नीचे दिये गये विवरण के अनुसार पिछले वर्षों के लेखे कम्पनी अधिनियम में निर्धारित समयावधि के व्यतीत हो जाने के बाद पूर्ण किये गये:—

30 सितम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष	लेखों को पूर्ण करने की निर्धारित अंतिम तिथि	माह जिसमें लेखे पूर्ण किये गये
1973	31 मार्च 1974	जून 1975
1974	31 मार्च 1975	सितम्बर 1976

प्रबन्धकों ने लेखे बनाने में विलम्ब का कारण वाणिज्यिक लेखों में प्रशिक्षित पर्याप्त स्टाफ की कमी को बताया । कम्पनी ने एक प्रथक् आर्थिक सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति नहीं की है । कम्पनी के सचिव की, जो आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, लेखे सम्बन्धी कार्यों को निबटाने में एक लेखाधिकारी द्वारा सहायता की जाती है । आर्थिक अधिकारों और कार्यों का भी उचित रूप से समर्पण नहीं किया गया है । कम्पनी ने न तो कोई लेखा मैनुअल संकलित की है और न ही इसने कोई आर्थिक विधियां निर्धारित की हैं । कम्पनी की विभिन्न इकाइयों के बीच भी लेखे के समान सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है ।

उचित प्रारम्भिक लेखों का न रखना

4.03. अक्टूबर 1976 में कम्पनी के अभिलेखों की परख जांच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न इकाइयों द्वारा रखे गये लेखा अभिलेख सामान्यतया अपूर्ण थे और उनमें लिखित लेन-देन वाउचरों के साथ ठीक तरह से प्रमाणित नहीं थे । कुछ अन्य पायी गयीं महत्वपूर्ण कमियां निम्न प्रकार थीं:—

(i) सम्पत्ति और संयंत्र रजिस्टर नहीं रखे गये थे ;

(ii) कम्पनी द्वारा लिये गये पृथक-पृथक कार्यों पर हुये अद्यावधिक व्यय को दर्शाने वाला कार्यों का रजिस्टर (रजिस्टर आफ वर्क्स) नहीं रखा जा रहा था;

(iii) किये जा रहे सरकारी कार्यों के संबंध में प्रत्येक कार्य के लिये सरकार द्वारा विमोचित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का कोई व्यवस्थित सह-संबंध नहीं था ;

(iv) कार्य स्थल पर पड़े माल (30 सितम्बर 1974 को अनुमानित मूल्य: 13.05 लाख रुपया) के उचित लेखे नहीं रखे गये, न ही मुख्यालय अभिलेखों से किसी मिलान का प्रयत्न किया गया ;

(v) अन्तरखंडीय लेन देनों के संबंध में 30 सितम्बर 1974 को 47.49 लाख रुपये का शेष बकाया दिखाया गया था ; इस शेष को कम्पनी की विभिन्न इकाइयों के बीच हुए लेनदेनों को श्रृंखलाबद्ध करके निबटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था ;

(vi) माल का सत्यापन और उसका अभिलेखन प्राप्ति पर तुरन्त नहीं, बल्कि भुगतान के समय और कभी-कभी माल उपभोग हो जाने के बाद किया जा रहा था; और

(vii) चार करोड़ रुपये से ऊपर के मूल्य के औजार और संयंत्र और मिट्टी हटाने के भारी उपकरण कम्पनी द्वारा इसकी स्थापना पर राज्य सरकार से लिये गये । इन संयंत्रों और उपकरणों के हस्तान्तरण की शर्तों को समावेश करते हुये कोई अनुबन्ध नहीं किया गया। इन सम्पत्तियों का मूल्य भी नहीं निर्धारित किया गया (नवम्बर 1976) । मई 1975 में, इन सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई । समिति की संस्तुतियां प्रतीक्षा में थीं (मई 1977) । जबकि कम्पनी अपने कार्यों के सम्पादन पर इन सम्पत्तियों का प्रयोग करती रही है , सरकार को देय किराया भाड़ा या ह्रास के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना

4.04. कपड़ा मिलों का व्यापार चलाने और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसको सौंपे गये किसी व्यापार का प्रबन्ध करने के मुख्य उद्देश्य से, 22 दिसम्बर 1969 को उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड निगमित की गई। 20 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के विरुद्ध, इसकी प्रदत्त पूंजी (अंश जमा सहित) 31 मार्च 1976 को पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त 15.46 लाख रुपये थी ।

हानि

4.05. कम्पनी द्वारा (फरवरी 1972) इसके डिपो से स्टेपिल फाइबर यार्न की बिक्री के लिये निर्धारित विधि के अनुसार डिपो प्रबन्धक सूत की सुपुर्दगी, कम्पनी के बैंक लेखे में इसके मूल्य के जमा होने का सत्यापन करने के बाद, ग्राहक को देंगे । तथापि, डिपो प्रबन्धक, गोरखपुर ने 0.28 लाख रुपये मूल्य की स्टेपिल फाइबर यार्न की 15 गांठें बैंक में धन जमा दर्शाती हुई एक जमा पर्ची के आधार पर, इसकी वास्तविक जमा का सत्यापन किये बिना, एक ग्राहक को सुपुर्द कर दी (27 अगस्त 1974) । बाद में (अप्रैल 1975 में डिपो लेखों की आन्तरिक जांच के दौरान) जमा पर्ची जालसाजी की पायी गयी । मामला जांच-पड़ताल के लिये पुलिस को सूचित किया गया (मई 1975)। पुलिस की जांच-पड़ताल के परिणाम प्रतीक्षा में हैं (मार्च 1977)। अगस्त 1975 में एक विभागीय जांच के बाद डिपो प्रबन्धक की सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड

प्रस्तावना

4.06. कम्पनी 27 अगस्त 1971 को उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की एक सहायिका के रूप में राज्य के अल्मोड़ा क्षेत्र में या अन्यत्र मैगनेसाइट की खनन के मुख्य उद्देश्य के साथ निगमित की गई । 31 अक्तूबर 1975 को इसकी प्रदत्त पूंजी 1.00 करोड़ रुपये थी जिसमें से 51 प्रतिशत नियंत्रक कम्पनी द्वारा प्रदान की गई थी ।

धौंकनियों का क्रय

4.07. कम्पनी द्वारा मार्च 1973 में कलकत्ता की एक फर्म से 0.67 लाख रुपये की कुल लागत पर 28 इंच तार प्रमाप की एस0 पी0–50 धौंकनियों के तीन सैट क्रय किये गये। धौंकनियां कम्पनी द्वारा लगायी गई धुरा भट्टियों (शाफ्ट किलन) की तेल फूंकने की व्यवस्था का एक भाग बननी थीं। अप्रैल 1974 में पहली भट्ठी के जलने पर उसमें लगी धौंकनी तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त पायी गयी। चूंकि इन धौंकनियों के साथ धुरा भट्ठी का कार्य सम्पादन संतोषजनक नहीं था, धौंकनियों को कम्प्रेशरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया (अगस्त 1974)। धौंकनियों को अगस्त 1974 में फालतू घोषित कर दिया गया। ये कम्पनी में बेकार पड़ी हुई हैं।

सरकार ने बताया (जनवरी 1977) कि धौंकनियों के निस्तारण के लिये प्रयत्न किये जा रहे थे। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षा में है (अप्रैल 1977)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

अनुभाग V

प्रस्तावना

5.01. 31 मार्च 1976 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे, यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ; उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम; उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम; और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की स्थापना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुई थी। परिषद् को पिछले वर्ष में 924.13 लाख रुपये की हानि के विरुद्ध वर्ष 1975–76 के दौरान 1202.70 लाख रुपये की हानि हुई ।

(i) ऋण पूंजी

1975–76 के अन्त में परिषद् द्वारा प्राप्त सरकारी ऋणों, बाण्डों, ऋण पत्रों और निक्षेपों सहित दीर्घावधि ऋणों का योग 1300.76* करोड़ रुपये था और गत वर्ष के अन्त में 1127.35 करोड़ रुपये के कुल दीर्घावधि ऋणों के ऊपर 173.41 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रतिदर्शित करता था ।

(ii) गारंटियां

1975–76 के अन्त में ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान के लिये परिषद् की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का योग 200.73* करोड़ रुपया था जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1976 को 139.29* करोड़ रुपया बकाया था ।

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारंटी की उच्चतम धनराशि	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1976 को बकाया धनराशि
	(करोड़ रुपयों में)	
बांण्डों का सार्वजनिक निर्गमन ..	54.87	54.87
आर्थिक संस्थाएं (बैंकों सहित) ..	145.86	84.42
योग ..	200.73	139.29

सरकार ने असीमित दायित्व के साथ डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स के माध्यम से क्रय किये गये भण्डारों की कीमत के भुगतान और भाड़ा और अन्य देयों का रेलवे बोर्ड को भुगतान की गारन्टी दी है ।

(iii) वर्ष 1975–76 के लिये परिषद् के कार्य संचालन के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए एक रूप रेखात्मक विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

---

*संख्यायें परिषद् के लेखों के अनुसार ।

(ख) अन्य सांविधिक निगम

(I) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पहली जून 1972 को हुई थी । निगम ने नवम्बर 1976 में सरकार द्वारा निर्धारित लेखा प्रपत्रों में किसी भी वर्ष के लिये अपने लेखे तैयार नहीं किये हैं ।

गारंटियां

सरकार ने 31 मार्च 1976 तक निगम द्वारा लिये गये निम्न ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारण्टी दी है:—

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की उच्चतम धनराशि	गारन्टी दी गई और 31 मार्च 1976 को बकाया धनराशि
		(लाख रुपयों में)
एक वाणिज्यिक बैंक ..	1100 00	1100.00
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया	300.00	300.00
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	100.00	100.00

(II) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 की धारा 31 (10) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के वार्षिक लेखे, उन पर संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ, निगम की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष आगामी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए। निम्न तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लेखे वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये । 1975–76 के लेखे अभी तक (मार्च 1977) पूर्ण नहीं किये गए हैं । पिछले वर्ष (1973–74) में 7.07 लाख रुपये के शुद्ध लाभ के विरुद्ध 1974–75 के दौरान निगम ने 6.75 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

वर्ष	तिथि जिस पर लेखे बोर्ड द्वारा अंगीकार किये गये	तिथि जिस पर लेखे वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये गये
1973-74 ..	14 मई 1975	28 जुलाई 1975
1974-75 ..	2 जून 1976	19 जुलाई 1976

(III) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(i) पूंजी

1975–76 के दौरान निगम की अधिकृत पूंजी 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई । 31 मार्च 1976 को प्रदत्त पूंजी 300 लाख रुपये थी जो पिछले वर्ष के अन्त में 265 लाख रुपये की पूंजी के ऊपर 35 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित करती है ।

(ii) दीर्घावधि ऋण

31 मार्च 1976 को निगम द्वारा प्राप्त दीर्घावधि ऋणों का शेष 2175.84 लाख रुपये था । आर्थिक स्रोतों के अनुसार शेष का ब्यौरा नीचे दिये गये अनुसार था:

स्रोत	धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार	63.23
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन	1089.88
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया	1022.73
योग ..	2175.84

(iii) गारन्टियां

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है राज्य सरकार ने अंशपूंजी को चुकाने और उस पर वार्षिक लाभांश के भुगतान, बाण्डों को चुकाने और उन पर ब्याज का भुगतान, उधारों आदि की गारंटी दी है:-

सूक्ष्म विवरण	गारन्टी की गई अधिकतम धनराशि*	31 मार्च 1976 को बकाया धनराशि* (लाख रुपयों में)
अंशपूंजी (3 1/2 प्रतिशत वार्षिक लाभांश की भी) गारन्टी	265.00	265.00
बाण्ड्स (उन पर ब्याज की भी गारन्टी)	1197.70	1089.88
उधार ..	265.00	156.50
अण्डर राइटिंग अनुबन्ध और गारन्टियां	..	18.91

(iv) लाभ

1975-76 के दौरान उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने 100.83 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जो 300 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 33.61 प्रतिशत प्रदर्शित करता है ।

S-02 दोनों निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के कार्य संचालन क सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए आधुनिकतम उपलब्ध लेखों के आधार पर एक रूप रेखात्मक विवरण परिशिष्ट II में दिया है ।

---

*संख्यायें निगम के लेखों के अनुसार ।

अनुभाग VI

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

भण्डारों की अधि-प्राप्ति, रखरखाव तथा वितरण

6.01. परिषद् ने अप्रैल 1959 में अपनी स्थापना पर भण्डार की अधिप्राप्ति, उपयोग और लेखे जोखे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनायी गई पद्धति अंगीकार की। पद्धति के अनुसार भण्डार की अधिप्राप्ति, संग्रह, निर्गमन और लेखे जोखों के लिये खंडीय अधिकारी, जो सामान्यतया अधिशासी अभियन्ता के रूप में पदनामित किया जाता है, उत्तरदायी था। धीरे-धीरे इसके कार्यकलापों के विस्तार और वृहत् थरमल और हाइडिल जैनेरेटिंग इकाइयों और हाई वोल्टेज ट्रांसमीशन लाइनों के निर्माण के साथ परिषद् ने विचार किया (1963) कि भंडार अधिप्राप्ति आदि के लिये संगठनात्मक ढांचे में प्रचुर रूप से सुधार की आवश्यकता थी और यह कि लेखांकन और भंडार नियंत्रण के लिये प्रबन्ध वाणिज्यिक आधार पर युक्ति संगत बनाये जाने थे। तथापि, सितम्बर 1965 में परिषद् ने पहली बार कार्यों के अनुरक्षण और परिचालन के लिये आवश्यक भण्डार अधिप्राप्ति में कुछ हद तक एकता लाने की योजना उपलब्ध कराने के लिये एक केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की स्थापना की। पद्धति पर 1968 में पुनः विचार हुआ और भण्डार संगठन के पुनर्निर्माण के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। जून 1968 में परिषद् ने एक निरीक्षण मण्डल स्थापित करने का निर्णय किया लेकिन अन्य प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित नहीं किये। बाद में, स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और अक्टूबर 1972 में लखनऊ क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्यवाही के रूप में क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय भण्डार स्थापित करने के लिये आदेश जारी किये गए। इस प्रबन्ध में उस समय की विद्यमान प्रणाली में तीन मूल परिवर्तनों के लिये व्यवस्था की गई, अर्थात्—

(क) भण्डार एक स्वतंत्र प्राधिकारी के नियंत्रण के अन्तर्गत रहेंगे न कि उनको प्रयोग करने वाले खण्डों के साथ,

(ख) भण्डार अगले एक माह के अन्दर किये जाने वाले विशिष्ट सौदा कार्यों के विरुद्ध निर्गमित किया जायगा, और

(ग) क्रय के लिये भुगतान भण्डार निरीक्षण मण्डल के एक नामांकित अधिकारी द्वारा किया जायगा न कि अलग-अलग खण्डों द्वारा।

उपरोक्त प्रबन्ध ने सन्तोषपूर्वक कार्य नहीं किया और आखिरकार 1974 में बन्द कर दिया गया। दिसम्बर 1972 में परिषद् द्वारा इसकी लेखा पद्धति का विस्तृत सर्वेक्षण करने और इसके प्रभावीकरण में सुधार के लिये उपाय सुझाने के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद से प्रार्थना की गई। परिषद् की भण्डार लेखा पद्धति पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के प्रतिवेदन (जुलाई 1974) का जिक्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1973–74 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 16(2) में किया गया था। तथापि, परिषद् ने भण्डार प्रबन्ध पद्धति के सम्बन्ध में कोई मूल परिवर्तन तुरन्त लागू नहीं किया और लेखे जोखे की सार्वजनिक निर्माण विधि को ही कुछ सीमान्त परिवर्तनों के साथ जारी रहने दिया। फरवरी 1975 में परिषद् ने भण्डार के रख रखाव करने वाली इकाइयों की संख्या कम करने और भण्डार लेखों को वाणिज्यिक आधार पर रखने के लिये एक पृथक भण्डार प्रबन्ध और नियंत्रण संगठन की स्थापना का आदेश दिया। तथापि, परिषद् के खण्डों ने, उसके लिये उत्तरदायित्व संगठन का हस्तान्तरित होने के बाद भी, बड़ी मात्रा में भण्डार सामग्रियों को रखना जारी रखा।

लेखा पुस्तकें

6.02. परिषद् ने कोई क्रय और भण्डार लेखांकन पुस्तक तैयार नहीं की है (मई 1977)।

6.03. भण्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन के कार्य परिणामों के साथ-साथ, भण्डार की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, उनके लिये आदेश प्रेषित करने, विभिन्न इकाइयों को उनका वितरण करने और उनके लेखांकन के लिये अपनायी गयी पद्धति का संक्षिप्त विवरण आगे आने वाले अनुच्छेदों में दिया गया है ।

भण्डार का क्रय

6.04. परिषद् के भण्डार क्रय निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:—

(i) तापीय और जलविद्युत् बिजली घरों की स्थापना के लिये आवश्यक संयंत्र और उपकरण सहित पूंजीगत भण्डार,

(ii) उच्च विद्युत दाब पारेषण लाइनों के निर्माण के लिये आवश्यक स्पात ढांचे, केबिल्स इत्यादि और ट्रान्सफार्मरों और सम्बन्धित सब स्टेशनों के लिये सामग्री,

(iii) अनुरक्षण वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण खण्डों और लो-वोल्टेज ट्रांन्समीशन लाइनों और सम्बन्धित सब स्टेशनों के लिये आवश्यक सामग्री, और

(iv) पावर जैनेरेटिंग स्टेशनों के परिचालन और अनुरक्षण के लिये भण्डार सामग्री ।

(क) तापीय (थरमल) परियोजनाओं के निर्माण के लिये संयंत्र और उपकरण सहित सामग्रियों की प्राप्ति के लिये निर्णय परियोजना के प्रमुख (मुख्य अभियन्ता या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता) द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के संदर्भ में और परियोजना के लिये सलाहकारों की सहमति से लिया जाता है । संयंत्र और उपकरण के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति कार्यवाही के लिये प्रत्येक परियोजना का लखनऊ में मुख्यालय पर एक थरमल डिजाइन मंडल है, सिवाय पनकी परियोजना के, जिसके लिये मण्डल कार्यालय परियोजना कार्यस्थल पर स्थित है। निविदाएं आमंत्रित करने, प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण करने, सलाहकारों की राय प्राप्त करने और उचित क्रय समिति की स्वीकृति के लिये क्रय प्रस्ताव रखने का उत्तरदायित्व डिजाइन मण्डल का है । मण्डल सम्पूर्ति आदेश देने और सम्पूर्ति कर्त्ताओं के साथ औपचारिक अनुबन्ध करने के लिये भी उत्तरदायी हैं । तथापि, संयंत्र और उपकरण उनके निर्माण और चालू करने के लिये उत्तरदायी खण्डों द्वारा सीधे प्राप्त किये जाते हैं और भुगतान भी सम्बन्धित खण्डों द्वारा किया जाता है ।

जल (हाइडिल) परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी, विद्युत और यांत्रिक प्रतिष्ठानों के लिये संयंत्र और उपकरण सहित आवश्यक सामग्री सम्बद्ध डिजाइन मण्डल के माध्यम से परियोजना के प्रमुख द्वारा क्रय की जाती है, अपनायी गई विधि तापीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागू विधि के समान है ।

(ख) उच्च विद्युतदाब पारेषण लाइनों और सम्बद्ध सब स्टेशनों के लिये सामग्री की आवश्यकता का अनुमान और साथ ही उनकी अधिप्राप्ति के लिये की जाने वाली कार्यवाही क्रमशः ट्रांसमीशन डिजाइन मण्डल और सब स्टेशन डिजाइन मण्डल, दोनों लखनऊ स्थित, को सौंपी गई हैं । निविदाए प्राप्त करने, निविदाएं स्वीकृत करने, आदेश देने, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ औपचारिक अनुबन्ध करने, आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रेषण निर्देश देने और प्राप्त सामग्री का भुगतान करने के लिये विधि सामान्यतया वही है जोकि तापीय परियोजनाओं के लिये सामग्री की प्राप्ति के सम्बन्ध में है ।

(ग) निम्न विद्युत दाब पारेषण लाइनों एवं सम्बद्ध सब-स्टेशनों के निर्माण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्सन देने और इन सुविधाओं के अनुरक्षण को परिधि में लेते हुए अनुरक्षण एवं ग्रामीण अभियंत्रण खण्डों के लिये जरूरी सामग्री को परिषद् द्वारा तीन श्रेणियों, अर्थात् "ए", "बी" और "सी" में संगठित किया गया है । श्रेणी "ए" में कण्डक्टर्स, अर्थवायर, ट्रांसफारमर्स, लाइटिंनिग अरैस्टर्स, के० डब्लू० एच०

मीटर्स, हाई टेन्शन केबिल्स, आइसोलेटर्स, फ्यूजेज, स्विच गियर्स, इन्सूलेटर्स और हार्डवेयर्स शामिल हैं । श्रेणी "बी" में लाइन सामग्री, केबिल वाक्स, स्विचगियर और प्रोटेक्टिव गियर उपकरण, केबिल ज्वाइन्टिंग सामग्री, वल्व एवं फिटिंग्स, बोल्ट और नट, पेन्ट, चीनी मिट्टी का सामान, परीक्षण प्रयोगशाला उपकरण, तौलने वाली मशीन और औजार एवं संयंत्र शामिल हैं । श्रेणी "सी" के अन्तर्गत केबिल ऐक्सेसरीज, लाइट फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स, नट, रसायन, तेल और चिकनाई शामिल हैं ।

श्रेणी "ए" और "बी" के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं लखनऊ स्थित दो भंडार अधिप्राप्ति मण्डलों द्वारा थोक में प्राप्त की जाती हैं । अगले वर्ष के कार्यों के कार्यक्रम, विभिन्न खंडों में उपलब्ध सामग्रियों के रहतिये और पूर्व आदेशित तथा मार्ग में सामग्रियों को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व इन्हीं मण्डलों का है । दोनों मण्डल सामग्रियों के डिजाइन और विशिष्टियों का निर्धारण भी करते हैं, निविदाएं आमंत्रित करते हैं, प्राप्त कुटेशनों को सारणीबद्ध करते हैं और क्रय के लिये आदेश देने से पूर्व उचित क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त करते हैं, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ अनुबन्ध करते हैं और उपयोग करने वाले खंडों को चरणों के अनुसार प्रेषित करने के लिये निर्देश देते हैं । तथापि, प्राप्त सामग्रियों के लिये भुगतान आपूर्ति आदेशों और अनुबन्धों में दी गई शर्तों के अनुसार प्राप्तकर्त्ता खंडों द्वारा किया जाता है ।

श्रेणी "सी" की सामग्रियां सम्बन्धित प्रयोगकर्त्ता खंडों द्वारा क्रय की जाती हैं जिसके लिये अधिशासी अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं को अधिकारों का उपयुक्त प्रतिनिधान किया गया है ।

(घ) पावर जेनरेटिंग स्टेशनों के परिचालन और अनुरक्षण के लिये आवश्यक सामग्री सम्बन्धित शक्तिगृहों के प्रमुखों द्वारा या तो उनको सौंपे गये अधिकारों के अन्दर या उचित क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद क्रय की जाती हैं ।

(ङ) सिविल निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक सामग्री का परिषद् की सिविल निर्माण कार्य शाखा के सम्बन्धित स्थानों द्वारा उचित क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रबन्ध किया जाता हैं ।

क्रय के लिये अधिकारों का प्रतिनिधान

6.05. परिषद् ने अधिशासी अभियन्ताओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह की सीमा में और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति से प्रतिमाह 50,000 रुपये तक भण्डार क्रय करने के अधिकार सौंपे हैं । प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये तक के क्रय सीमित कुटेशनों के आधार पर किये जा सकते हैं और 5,000 रुपये से ऊपर के मूल्य के लिये खुली निविदाएं आमंत्रित करना जरूरी है । एक समय में 10,000 रुपये मूल्य से ऊपर की खरीददारियां नीचे बतायी गयी उपयुक्त क्रय समिति द्वारा अनुमोदित होना जरूरी हैं :

(i) 10,000 रुपये से ऊपर लेकिन एक लाख रुपये से ऊपर नहीं, के क्रय का प्रत्येक मामला मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, उपलब्ध वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता और एक लेखा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी से गठित समिति द्वारा स्वीकृत होना चाहिये ।

(ii) एक लाख रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक के क्रय के हर मामले में उप मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता और एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी से गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदन जरूरी है ।

(iii) 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के क्रय के हर मामले में समिति मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाइ एडमिनिस्ट्रेशन (के सा) के मुख्य अभियन्ता और मुख्य लेखा अधिकारी से गठित होती है ।

(iv) 10 लाख रुपये से ऊपर और 50 लाख रुपये तक के क्रय के हर मामले में निर्णय परिषद् की एक उप समिति द्वारा लिया जाता है जिसमें अभियन्त्रण, प्रशासकीय और वित्तीय सदस्य एवं सचिव सम्मिलित हैं । अनुरक्षण भण्डारों की आवश्यकता का एक सर्वोपरि अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी समिति, जो केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के नाम से जानी जाती है, को सौंपा गया है ।

(v) हर मामले में 50 लाख रुपये से ऊपर के क्रय परिषद् की अनुमति से किए जाने होते हैं ।

सामग्रियों का निरीक्षण

6.06. भण्डार अभिप्राप्ति मण्डल, लखनऊ द्वारा क्रय की गई सामग्रियों की प्रेषण से पूर्व जांच करने, भण्डार का सत्यापन करने और प्रत्येक खंड में रहतियों के ऊपर एक उचित निगरानी रखने के उद्देश्य से परिषद् ने अगस्त 1968 में एक पृथक भण्डार निरीक्षण मण्डल का सृजन किया । अगस्त 1971 में परिषद् द्वारा आदेश निर्गत किये गये कि परियोजनाओं और खंडीय अधिकारियों को फालतू और अनुपयोगी/पुरानी सामग्रियों की एक सूची, उनके निस्तारण या अन्य खंडों, जहां आवश्यकता हो, द्वारा उपयोग की व्यवस्था करने के लिये, निरीक्षण मण्डल को भेजनी चाहिये । सितम्बर 1973 तक निरीक्षण मण्डल ने विभिन्न खंडों द्वारा रखे गये भण्डारों के भौतिक सत्यापन पर ही ध्यान केन्द्रित रखा और, बतायी गयी कर्मचारियों की कमी के कारण, यह गुण नियंत्रण का उत्तरदायित्व न निभा सका । अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के इसकी संख्या में वृद्धि के बाद अक्टूबर 1973 से निरीक्षण मण्डल द्वारा भण्डारों का प्रेषण के पूर्व निरीक्षण भी शुरू किया गया । मण्डल के अधिकारी आकस्मिक परख जांच के आधार पर उपलब्ध परीक्षण उपकरणों की सहायता से उत्पादन की फैक्ट्री में प्रेषण से पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण करते हैं । जहां आपूर्तिकर्ता की प्रसिद्धि और उसकी फैक्ट्री में उपलब्ध गुण नियंत्रण विधि उचित प्रतीत होती है तो मंडल निरीक्षण अभित्याग प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत है ।

भंडार अभिप्राप्ति मण्डलों के अलावा अन्य साधनों द्वारा किये गये क्रयों के सम्बन्ध में सामग्रियों के पूर्व निरीक्षण के लिये कोई नियमित संगठन नहीं है । की जाने वाली जांच की विधि और मात्रा क्रय किये गये भंडार के प्राप्तिकर्ताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है ।

उपरोक्त वर्णित विधि, स्पात और कोयले के अलावा, जिनके क्रय के लिये विधि बाद में दर्शायी गयी है (अनुच्छेद 6.08 से 6.10), परिषद् द्वारा क्रय किये गये सभी भंडारों पर सामान्य रूप से लागू होता है ।

भंडारों की अभिप्राप्ति में सामान्य त्रुटियां

6.07. भण्डारों के क्रय के सम्बन्ध में खंडीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अधिकारों की सामयिक समीक्षा के लिये परिषद् ने किसी साधन पर विचार नहीं किया है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की वर्ष 1973–74 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 16 में भंडार अधिप्राप्ति और उसके लेखांकन में सामान्य कमियों के सम्बन्ध में वर्णन किया गया था । परख जांच के परिणामस्वरूप पाये गये उसी तरह के मामले नीचे दिये हैं:

(क) वित्तीय अधिकारों से अधिक किये गये क्रय

आर्थिक संकट के कारण, परिषद् द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं के क्रय करने के वित्तीय अधिकारों को, आवश्यक आवश्यकताओं के अलावा जिनका प्रबन्ध सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को स्वीकृति से किया जा सकता था, अप्रैल 1974 में वापिस कर लिया गया । तथापि, यह देखा गया कि नीचे दिये गये खंडों के अधिशासी अभियन्ताओं ने इन आदेशों के विरुद्ध क्रय आदेशों और या कार्यादेशों के माध्यम से भारी क्रय का आश्रय लिया जबकि कार्यादेशों के माध्यम से भंडार का क्रय परिषद् द्वारा जनवरी 1973 में मना कर दिया गया था ।

खंडों के नाम	अवधि	दिये गये आदेशों का मूल्य (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खंड, इलाहाबाद	अप्रैल 1974 से मार्च 1975	8.26
विद्युत् वितरण खंड, गोरखपुर	अप्रैल 1974 से मार्च 1975	8.18
	जुलाई 1975 से मार्च 1976	4.37
विद्युत् वितरण खंड, अल्मोड़ा	अप्रैल 1974 से मार्च 1975	2.04
केन्द्रीय भुगतान और लेखा खंड, ओबरा	अगस्त 1976	0.51
विद्युत् वितरण खंड, लखनऊ	मई 1975 से मार्च 1976	1.61

(ख) आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

पनकी थरमल पावर स्टेशन एक्सटेन्शन स्टेज I, कानपुर परियोजना द्वारा पनकी थरमल स्टेशन, कानपुर की दो 110 एम0 डब्लू0 इकाइयों के लिये एक 415 वोल्ट 25.8 एम0 बी0 ए0 फटन क्षमता वाले स्विचगीयर की आपूर्ति, निर्माण की देखरेख, जांच और कार्यारम्भ के लिये निविदाएं अप्रैल 1973 में आमंत्रित की गईं। प्राप्त नौ निविदाओं में से चार तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत योग्य पायी गयी। तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत योग्य न्यूनतम निविदादाता ने, उपकरण के निर्माण के बाद जांच के लिये 0.85 लाख रुपयों को सम्मिलित करते हुए, 19.38 लाख रुपये का मूल्य बताया। निविदायें चार माह के लिये, अर्थात् 4 अक्टूबर 1973 तक वैध थीं लेकिन इस तिथि के अन्दर क्रय को अंतिम रूप नहीं दिया गया। परिषद् के तकनीकी सलाहकारों, जिन्हें निविदाएं भेजी गई (जून 1973), ने तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति योग्य न्यूनतम निविदा की दरों की संस्तुति करते हुए अपना प्रतिवेदन 22 सितम्बर 1973 को प्रस्तुत किया; प्रतिवेदन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा 11 अक्तूबर 1973 को प्राप्त हुआ। निविदा दाता फर्म से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निविदा की वैधता की तिथि 15 नवम्बर 1973 तक बढ़ाने के लिये प्रार्थना की गई (अक्टूबर 1973)। ऐसा करने के लिये सहमत होते समय फर्म ने 10 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की (जांच के लिये 85,000 रुपये को सम्मिलित न करते हुए मूल रूप से प्रस्तावित 18,52,840 रुपये के स्थिर मूल्य पर 1,85,284 रुपय)। बातचीत के बाद, निविदा दाता ने अपने मूल रूप से दिये गये मूल्य पर 5 प्रतिशत की वृद्धि, 5 प्रतिशत की सीमा में मूल्य के उतार चढ़ाव के आधीन, स्वीकार कर ली (नवम्बर 1973)। फर्म को औपचारिक आदेश 7 फरवरी 1974 को दिया गया।

वैधता की अवधि में निविदाओं को अन्तिम रूप न देने के परिणाम स्वरूप 1.90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् ने बताया (मार्च 1977) कि (i) लगभग 40 से 45 दिन का विलम्ब विभिन्न निविदादाताओं से मांगे गय स्पष्टीकरणों की प्राप्ति में देरी के कारण हुआ, (ii) सलाहकारों ने परिषद् द्वारा निर्धारित 15 दिन के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने में 24 दिन लिये और (iii) सितम्बर–अक्तूबर 1973 के दौरान पावर स्टेशन में मजदूरों की हड़ताल के कारण मामले में प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयास नहीं किया जा सका।

(ग) उच्चतर दरों पर क्रय

अधीक्षण अभियन्ता (जेनेरेशन), ओबरा थरमल परियोजना द्वारा फरवरी 1974 में 250 मट्रिकटन 40 एम0 एम0 व्यास की कुट्टित इस्पात अपघर्षण माध्यम गोलियों (फोज्ड स्टील ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स) की आपूर्ति के लिये निविदा आमंत्रित की गईं। मई 1974 में प्राप्त दो न्यूनतम प्रस्ताव पटना की फर्म "ए" और "बी" के थे जिन्होंने क्रमशः 3818 रुपया और 3850 रुपया प्रति मोट्रिक टन का भाव बताया। इस आधार पर कि गोलियों की आवश्यकता एक बहुत ही नियमित प्रकृति की थी और यह कि किसी भी कारण से आपूर्ति में बाधा विद्युत गृह के चलाने को प्रभावित करेगी, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा केन्द्रीय भंडार क्रय समिति की अनुमति से सितम्बर 1974 में दोनों फर्मों को आदेश दिये गये (150 मैट्रिक टन के लिये फर्म "ए" को और 100 मैट्रिक टन के लिये फर्म "बी" को)। फर्म "ए" ने दिसम्बर 1974 से अप्रैल 1975 की अवधि के दौरान 40 एम0एम0 व्यास की 94 मैट्रिक टन गोलियां, दिसम्बर 1974 में 39 मैट्रिक टन और शेष बाद में आपूर्ति कीं। इसी बीच, अगस्त 1974 में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 40 एम0 एम0 (250 मैट्रिक टन), 50 एम0 एम0 (60 मट्रिक टन) और 60 एम0 एम0 (180 मैट्रिक टन) व्यास की 490 मैट्रिक टन कुट्टित इस्पात अपघर्षण गोलियों के लिये नयी निविदाएं आमंत्रित की गईं। फर्म "ए" ने 40 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये न्यूनतम दर प्रस्तावित की और फर्म "बी" ने 50 एम0 एम0 व्यास और 60 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये न्यूनतम दरें प्रस्तावित कीं। चूंकि फर्म "बी" द्वारा 50 एम0 एम0 (4030 रुपया प्रति मैट्रिक टन) और 60 एम0 एम0 (3940 रुपया प्रति मैट्रिक टन) व्यास की गोलियों के लिये दी गई दरें मई 1974 में खोली गई पिछली निविदाओं के विरुद्ध दी गई दरों (क्रमशः 3580 रुपया और 3535 रुपया प्रति मैट्रिक टन) से अधिक थीं, फर्म से पूछा गया कि क्या वह पहले दी गई दरों पर 50 एम0 एम0 और 60 एम0 एम0 व्यास की गोलियों की आपूर्ति करेगी। उत्तर में, फर्म दोनों व्यासों की गोलियों के लिये 3850 रुपया प्रति मैट्रिक टन की दर पर सहमत हुई और उससे परियोजना की तुरन्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसी दर पर 60 एम0 एम0 व्यास की 60 मैट्रिक टन और 50 एम0 एम0 व्यास की 40 मैट्रिक टन गोलियों की आपूर्ति के लिये कहा गया (अक्टूबर 1974)।

फर्म "ए" द्वारा 40 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये दी गई न्यूनतम दर (4249 रुपया प्रति मैट्रिक टन) इस शर्त के आधीन थी कि उससे 60 एम0 एम0 और 50 एम0 एम0 व्यास की गोलियों की कुछ मात्राएं प्राप्त की जायंगी। निविदाएं खुलने के बाद फर्म ने इस शर्त को वापस ले लिया (अक्टूबर 1974)। चूंकि फर्म "ए" द्वारा दी गई दर सितम्बर 1974 में दो फर्मों को 40 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये दिये गये आदेशों की दरों के मुकाबले में ऊंची थी, अधीक्षण अभियन्ता ने सभी फर्मों से 18 नवम्बर 1974 तक 40 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये पुनरीक्षित दरें देने को कहा। फर्म "ए" की पुनरीक्षित दर (3789 रुपया प्रति मैट्रिक टन) पुनः न्यूनतम थी, फर्म "बी" द्वारा प्रस्तावित प्रथम 100 मैट्रिक टन के लिये 3985 रुपया और शेष 150 मैट्रिक टन के लिये 4075 रुपया प्रति मैट्रिक टन की दर द्वितीय न्यूनतम थी। यद्यपि पूछा नहीं गया, फिर भी फर्म "ए" ने 50 एम0 एम0 और 60 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये क्रमशः 3720 रुपया और 3650 रुपया प्रति मैट्रिक टन की पुनरीक्षित दरें बाद में प्रस्तावित की (नवम्बर 1974)। चूंकि 50 एम0 एम0 और 60 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये ये दरें अक्टूबर 1974 में फर्म "बी" को दिये गये आदेश की दर (3850 रुपया प्रति मैट्रिक टन) से कम थीं, सभी फर्मों से 19 नवम्बर 1974 को 50 और 60 एम0 एम0 व्यास की गोलियों के लिये अन्तिम पुनरीक्षित दरें प्रस्तुत करने के लिये पुनः कहा गया। पुनरीक्षित प्रस्ताव 3 दिसम्बर 1974 को प्राप्त हुए और फर्म "ए"

व "बी" फिर से दो न्यूनतम थीं । गोलियों के तीन आकारों के लिये इन दो फर्मों की दरें निम्न प्रकार थीं:--

फर्म	40एम0एम0 (250 मीट्रिक टन)	50एम0एम0 (60 मीट्रिक टन)	60एम0एम0 (180मीट्रिक टन)	
	(दर रुपयों में प्रति मैट्रिक टन)			
"ए" ..	3,789	3,720	3,575	(90 मीट्रिक टन के लिये)
			3,650	(अगले 90 मीट्रिक टन के लिये)
"बी" ..	3,985	3,850	3,850	

अवीक्षण अभियन्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न कारणों से पूर्ण आपूर्ति के लिये फर्म "ए" को आदेश देने के लिये केन्द्रीय भंडार क्रय समिति को संस्तुति दी (दिसम्बर 1974):

(i) फर्म कुट्टित इस्पात अपघर्षण माध्यम गोलियों के निर्माण के लिये नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के यहां पंजीकृत थी ।

(ii) पहले भी, फर्म को उसी भांति की सामग्री के लिये आदेश दिये गये थे ।

(iii) पहली निविदाओं में से एक के विरुद्ध प्राप्त फर्म की तीन नमूना गोलियां, नेशनल टैस्ट हाउस, अलीपुर में परीक्षा करने पर, धात्विक और रसायनिक गठन और कठोरता में सन्तोषजनक पायी गयीं ।

केन्द्रीय भंडार क्रय समिति ने अवीक्षण अभियन्ता की संस्तुतियों को इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया (जनवरी 1975) कि गोलियों, जो फर्म "ए" को पहले दिये गये आदेश के विरुद्ध प्राप्त हो रहीं थीं, के वास्तविक कार्य निष्पादन के निर्णय में लगभग 6माह लगेंगे । समिति ने पूरी मात्रा के लिये फर्म "बी" की दरें इस आधार पर स्वीकृत कीं कि फर्म ने पहले भी परियोजना को गोलियों की आपूर्ति की थी और इन्होंने सन्तोषजनक परिणाम दिये थे । फर्म "बी" को आदेश देने (फरवरी और मार्च 1975) के परिणामस्वरूप 1.03 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (आदेश का कुल मूल्य 19.20 लाख रुपया था) ।

परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1976) कि फर्म "ए" द्वारा आपूर्ति की गई गोलियां प्रयोग में आ चुकी थी और सन्तोषजनक पायी गयीं और यह कि भविष्य में इसके प्रस्तावों पर उचित विचार किया जायेगा ।

(घ) सामग्री का निरीक्षण

क्रय की गई सामग्री के गुण नियंत्रण एवं समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली नहीं है । त्रुटिपूर्ण सामग्री की प्राप्ति के कुछ मामले नीचे दिये जा रहे हैं :

(i) भंडार अधिप्राप्ति मंडल ने जनवरी 1973 में जयपुर की एक फर्म को 40,000 पी0 सी0 सी0 खंभों के लिए आदेश दिया। निरीक्षण के लिए प्रस्तावित खम्भे, इनके टूट जाने तक बढ़ते हुए ट्रांसवर्स भार पर, आई0 एस0 एस0 1678-1960 के अनुसार परीक्षित किये जाने थे, परन्तु 450 किलोग्राम ट्रांसवर्स भार से आगे इनका परीक्षण नहीं किया गया तथा 9,000 खम्भों का निरीक्षण छोड़ दिया गया । अभिलेखों की परख जांच से ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, गाजीपुर में जून 1974 में 2.48 लाख रुपये मूल्य के 1652 त्रुटिपूर्ण खंभों की प्राप्ति देखी गई ।

(ii) भंडार संगठन में उनको हस्तांतरण के उद्देश्य से मार्च 1975 में किये गये भंडारों के भौतिक सत्यापन से यह ज्ञात हुआ कि विद्युत वितरण खंड, सीतापुर में लगभग दो वर्ष पूर्व खरीदे गये क्लेम्प और ब्रेकेट (मूल्य : 2.37 लाख रुपये) त्रुटिपूर्ण और उपयोग के लिए अनुपयुक्त थे । ये खंड में क्रय की तिथि से उपयोग में नहीं लाये गये । इस त्रुटिपूर्ण सामग्री का स्क्रैप मूल्य 0.26 लाख रुपये आंका गया । त्रुटिपूर्ण सामग्री के क्रय/प्राप्ति, जिससे 2.11 लाख रुपये की हानि हुई, की जांच पड़ताल नहीं की गई थी; सामग्रियां अनिस्तारित पड़ी थीं (मई 1977) ।

(ङ) विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क व्ययों का भुगतान

सितम्बर 1965 में परिषद ने, निर्धारित उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से दिये गये धन तक फील्ड इकाइयों की आहरण शक्ति को सीमित करके, धन के फैलाव पर केन्द्रीय नियंत्रण की एक प्रणाली प्रारम्भ की । तथापि, परिषद् ने फील्ड इकाइयों को उनके द्वारा सीधे या भंडार अधिप्राप्ति मंडलों के माध्यम से आदेशित सामग्री के भुगतान के सम्बन्ध में अपनी बचनबद्धता निभाने में समर्थ होने के लिये, समय पर धन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये कोई समन्वित व्यवस्था स्थापित नहीं की । रेलवे रसीदों को छुड़ाने तथा माल की सुपुर्दगी लेने में विचारणीय देरी के परिणामस्वरूप भारी विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क व्ययों के भुगतान के मामले रहे ।

वर्ष 1973–74, 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क के भुगतान क्रमश: 26.00 लाख रुपये, 41.70 लाख रुपये तथा 25.51 लाख रुपये की धनराशि के थे । विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क के भारी व्यय के कारण (i) क्रय कागजात छुड़ाने के लिये धन की अनुपलब्धता, और (ii) वैगन से बोझा उतारने के लिये क्रेन की अनुपलब्धता बताये गये (मई 1976) ।

उदाहरण के लिये कुछ मामले नीचे दिये जाते हैं:—

(i) पारेषण लाइन और उप-स्टेशन के निर्माण हेतु जुलाई 1974 में स्थापित एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डिवीजन, सुल्तानपुर ने जुलाई 1974 और नवम्बर 1975 के बीच प्राप्त सामग्रियों तथा उपस्कर पर 1.53 लाख रुपये विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क के लिये भुगतान किए । विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क के भुगतान के कारण, क्रय कागजात छुड़ाने के लिये धन प्राप्त न होना (1.01 लाख रुपये) और क्रेन के अभाव में वैगनों से बोझा उतारने में देरी (0.52 लाख रुपये) होना बताये गये ।

मामला परिषद् को फरवरी 1976 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1977)।

(ii) इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमीसन कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, गोरखपुर ने परिषद् के मुख्यालय से धन देर से देने के कारण कागजात छुड़ाने में देरी होने से फरवरी 1974 से जुलाई 1974 के दौरान रेलवे को 0.52 लाख रुपये विलम्ब शुल्क का भुगतान किया ।

मामला परिषद् को फरवरी 1976 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1977) ।

(iii) इलैक्ट्रीसिटी ट्रांसमीसन कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, सीतापुर ने परिषद् के मुख्यालय से देर से धन देने के कारण रेलवे रसीद देर से छुड़ाने से (एक से ग्यारह माह तक) 1974-75 से 1976–77 के दौरान (नवम्बर 1976 तक) विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क का कुल 1.22 लाख रुपये भुगतान किया ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण कागजातों के छुड़ाने के लिये समय से धन का प्रबंध नहीं किया जा सका ।

स्पात की अधिप्राप्ति

6.08. स्पात के संबंध में धन प्रवाह की समस्या अत्यन्त जटिल थी, क्योंकि स्पात के प्रारम्भिक उत्पादकों न, जिनको ज्वाइन्ट प्लांट कमेटी (ज0पी0सी0) के माध्यम से स्पात के आवश्यक

सेक्सन उत्पादन करने के आदेश दिये गये थे, आवश्यक सेक्शनों के उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व अग्रिम भुगतान की मांग की। सितम्बर 1970 में, केवल विभिन्न मंडलों/खण्डों की आवश्यकताओं को संकलित करने, जे0पी0सी0के माध्यम से उत्पादकों को इन्डेन्ट देने और परिषद् की विभिन्न इकाइयों को प्रेषण का समन्वय करने के लिये एक अधिशासी अभियन्ता के आधीन स्टील सैल सृजित किया गया (बाद में एक अधीक्षण अभियन्ता के)। स्टील सैल ने जून 1973 तक 105 इन्डेन्ट निर्गमित किये जिन पर माल प्राप्तकर्ता मंडलों/खण्डों के माध्यम से 20 मई 1972 तक और सीधे स्टील सैल द्वारा 21 मई 1972 से 30 जून 1973 तक उत्पादकों को किये गये कुल अग्रिम भुगतान (100 प्रतिशत) क्रमशः 47.09 लाख रुपये और 338.54 लाख रुपये के थे। उत्पादकों के संयंत्रों और स्टाकयार्ड से स्पात को देर से उठाने व समय से भुगतान न किये जाने के परिणाम स्वरूप दो मुख्य स्पात उत्पादकों द्वारा अगस्त 1973 से आपूर्तियां निलम्बित कर दी गईं। अक्टूबर से दिसम्बर 1973 की तिमाही के लिये भारत सरकार की स्पात प्रायर्टी कमेटी द्वारा परिषद् के पक्ष में 14,000 मैट्रिक टन स्पात के आवंटन का भी, मुख्य रूप से समय से भुगतान करने में परिषद् की असमर्थता बताये जाने के कारण, पूर्णरूप से उपयोगनहीं किया जा सका। इसलिये जनवरी से मार्च 1974 की अगली तिमाही के लिये लोहा एवं स्पात नियंत्रक द्वारा परिषद् को केवल 1000 मैट्रिक टन आवंटित किया गया। स्पात के लिये लखनऊ से केन्द्रित भुगतान और एक स्पात खण्ड के सृजन को सम्मिलित करते हुए स्पात की अधिप्राप्ति और वितरण के तरीके का पूर्ण पुनर्संगठन परिषद् को दिसम्बर 1973 मे प्रस्तावित किया गया। परिषद् ने फरवरी 1974 में स्टील सैल के अन्तर्गत मेरठ, बरेली, कानपुर और वाराणसी में चार उपखण्डों सहित, लखनऊ में एक स्टील खण्ड के सृजन की स्वीकृति दी (अप्रैल 1974 में स्थापित)। जे0 पी0 सी0 या बिलेट रोलिंग कमेटी (बी0 आर0 सी0) के माध्यम से क्रय की गई सम्पूर्ण देशी स्पात सामग्री के केंद्रित भुगतान और माल प्राप्तकर्ता मंडलों/खंडों के विरुद्ध डेबिट भेजने का उत्तरदायित्व स्टील खंड को सौंपा गया। चूंकि विभिन्न परियोजनायें तथा परिषद् की अन्य इकाइयां सीधे आदेश देती रहीं, केन्द्रित भुगतान की व्यवस्था से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। मार्च 1975 में, स्पात की आपूर्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्टील सैल में केन्द्रित करने के लिये निर्णय लिया गया। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा), पनकी थर्मल परियोजना (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पनकी के माध्यम से) और अन्य फील्ड अधिकारी, स्टील सैल के माध्यम से स्पात प्राप्त न होने की दशा में, क्रय करने के लिये अधिकृत थे। मार्च 1975 में अधीक्षण अभियंता स्टील सैल के सर्वोपरि समन्वय के आधीन निम्न विवरण के अनुसार छः अधिकारी जे0 पी0 सी0 पर इन्डेन्ट देने के लिये अधिकृत किये गये:

अधिकारी का नाम	परियोजना
सामान्य प्रबंधक, जल विद्युत परियोजना, देहरादून	उसके आधीन समस्त जल विद्युत परियोजनायें
अधीक्षण अभियंता, मैकेनिकल प्लाट इरैक्शन सर्किल स्टेज IV, कासिम पुर	हरदुआगंज थर्मल स्टेशन
अधीक्षण अभियंता, ओबरा थर्मल सिविल कन्स्ट्रक्शन सर्किल, ओबरा	400 के0 वी0 सब-स्टेशन सहित ओबरा थर्मल स्टेशन
अधीक्षण अभियंता, ट्रांसमीसन डिजाइन सर्किल, लखनऊ	66 के0 वी0 एवं ऊपर की पारेषण लाइनें
अधीक्षण अभियन्ता, सबस्टेशन डिजाइन सर्किल, लखनऊ	66 के0 वी0 एवं ऊपर के उपविद्युत गृह
अधीक्षण अभियन्ता, स्टील सैल, लखनऊ	गौण पारेषण लाइनें तथा उपविद्युत गृह सहित, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुरक्षण कार्य और सिविल सर्किल मुरादाबाद / लखनऊ

6.09. स्पात अधिप्राप्ति के संबंध में निम्न बातें जानकारी में आई :—

(क) स्पात खंड/सैल सहित परिषद् की विभिन्न इकाइयों द्वारा भुगतान किये गये अग्रिमों के विरुद्ध स्पात की वास्तविक आपूर्ति को निगरानी के उचित प्रबंध नहीं किये गये । परिणामस्वरूप अग्रिमों की बड़ी धनराशियां लम्बे समय तक असमायोजित रहीं । उदाहरणार्थ, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 812 मैट्रिक टन और एक दूसरे उत्पादक आपूर्तिकर्ता को 491 मैट्रिक टन स्पात आपूर्ति के लिए 1972–73 में अग्रिम भुगतान किये गये लेकिन उत्पादक के स्टाक यार्डमें माल की अनुपलब्धता के कारण इस्पात के आवश्यक सैक्शन प्राप्त नहीं किये जा सके । किये गये अग्रिम भुगतान (24.26 लाख रुपये) अन्य आपूर्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किये गये और न ही परिषद को वापस किये गये (दिसम्बर 1976) । परिषद द्वारा यह बताया गया (जून 1977) कि अग्रिम भुगतानों का हाल की आपूर्तियों के विरुद्ध समायोजन किया जा चुका है ।

(ख) स्टील सैल द्वारा अधिप्राप्त और उपयोगकर्ता खंडों को सीधे न भेजा गया स्पात इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद और आगरा स्थित स्टील खंड के पांच स्टोर डम्पों में प्राप्त किया जाता है । इनमें से किन्हीं भी स्थानों में तौल की व्यवस्था नहीं है और वजन रेलवे रसीद के अनुसार स्वीकार किया जाता है । परिषद् के पास कम वजन के प्रेषणों या मार्ग हानियों के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है । इस्पात की कम प्राप्ति (329.681 मैट्रिक टन) के संबंध में उत्पादकों/रेलवे के विरुद्ध कुल 8.82 लाख रुपये के दावर किये गये (1976) दावे अनिर्णीत रहे (मार्च 1977)। प्रारम्भ से किसी भी स्टोर डम्प में भंडारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और पुस्तक मूल्य और भौतिक शेष के बीच अन्तर, यदि कोई है, नहीं निकाला गया (मार्च 1977) ।

(ग) बहुत से मामलों में स्टील खंड/सैल द्वारा परिषद की अन्य इकाइयों को नियमित ट्रांसफर डेबिट स्वीकृत नहीं किये गये । 31 मार्च 1976 को बकाया अवशेष 13.22 करोड़ रुपये का था ।

(घ) 31 अक्तूबर 1975 को स्टील खंड के पास 19650 मैट्रिक टन (स्टाक अभिलेखों के अनुसार) का कुल स्कंध था जिसमें से 15018 मैट्रिक टन विशिष्ट मंडलों के लिये उद्दिष्ट था। सिवाय 2000 मैट्रिक टन जो नवम्बर 1975 में परिषद् की अन्य इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए उन्मुख किया गया, इस मात्रा के विरुद्ध लगभग दो वर्षों तक कोई उपयोग नहीं हुआ । इस प्रकार लगभग 2.93 करोड़ रुपये मूल्य का स्पात बिना उपयोग के पड़ा था (दिसम्बर 1976) ।

यह बताया गया (जून 1977) कि 9475 मैट्रिक टन (निर्दिष्ट कार्यों के लिए 834 मैट्रिक टन सम्मिलित करते हुए) अग्रिम उपयोग के लिए स्टील सैल में पड़ा हुआ था (मई 1977)।

(ङ) इसके अतिरिक्त, परिषद की पांच बड़ी परियोजनाओं में मई/जून 1976 में 117.66 लाख रुपये मूल्य का 5882.9 मैट्रिक टन स्पात फालतू घोषित किया गया जिसमें से 66.96 लाख रुपये मूल्य का 3348 मैट्रिक टन बिना उपयोग के पड़ा था (मई 1977), जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

परियोजना		फालतू घोषित स्पात (मैट्रिक टनों में)	निकटतम मूल्य (लाख रुपयों में)
पनकी थर्मल परियोजना	..	447	8.94
सब–स्टेशन परियोजनायें (सब स्टेशन डिजाइन सर्किल द्वारा अधिप्राप्त स्पात)	..	102	2.04
ट्रांसमीशन परियोजनायें	..	1041	20.82
ओबरा थर्मल परियोजना	..	1047	20.94
हरदुआगंज थर्मल परियोजना	..	711	14.22
	योग ..	3348	66.96

चार स्टाक यार्डों (बरेली, इलाहाबाद, कानपुर और गाजियाबाद) में पड़े हुए पारेषण परियोजनाओं के स्टील सैक्शन (21.45 लाख रुपये मूल्य के 1430.392 मैट्रिक टन) भी दिसम्बर 1976 में फालतू घोषित कर दिये गये ।

(च) हाई वोल्टेज कन्स्ट्रक्शन डिवीजनों के लिए स्टील सैल द्वारा अधिप्राप्त अधिकांश स्पात हाई वोल्टेज लाइनों के लिए स्पात मीनारों के विरचकों को सीधे आपूर्ति किया जाता है । अलग-अलग अनुबधों (एक से अधिक खंडों के माध्यम से किये गये) के विरुद्ध कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिए किसी केंद्रित मानीटरिंग व्यवस्था की अनुपस्थिति में ठेकेदारों को स्पात की आपूर्ति अनुबंधित मात्राओं के विरुद्ध बनाई गई मीनारों की आपूर्ति की प्रगति को दृष्टि में रखते हुए विनियमित नहीं की जाती है । स्पात आपूर्ति की मात्रा निश्चित करने का एक मात्र आधार मीनारों की अनुबंधित सख्या और भागों के बनाने के लिए आवश्यक कुल मात्रा है। 400 के0 वी0 ओबरा-सुल्तानपुर और सुल्तानपुर-कानपुर लाइनों को खींचने के लिए चार विभिन्न अनुबंधों के विरुद्ध एक ऐसे ठेकेदार को आपूर्ति किये गये स्पात के संबंध में अधीक्षण अभियंता द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 1976) ने यह दर्शाया कि 1972–73 के दौरान निर्गमित 2.23 करोड़ रुपये मूल्य का (निकटतम) 14,896 मैट्रिक टन स्पात बिना उपयोग के पड़ा था । अधीक्षण अभियंता द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, फर्म को मीनारों के बनाने के लिए इस स्पात को प्रयोग करने में लगभग चार वर्ष का समय लगेगा ।

कोयले की अधिप्राप्ति

6.10. कोयले की अधिप्राप्ति भारत सरकार की लिंकेज समिति के द्वारा किये गये आवंटन के विरुद्ध और कोल इंडिया लिमिटेड (सिल) से रेट कन्ट्रेक्ट के विरुद्ध की जाती है । आवंटन प्राप्त करने और सिल से अनुबन्ध करने का उत्तरदायित्व परिषद के मुख्यालय में एक अधीक्षण अभियंता के चार्ज में जून 1974 में स्थापित मानीटरिंग सैल को दिया गया है । सैल आवंटित मात्रा को विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों को वितरित भी करता है । अधिकतर प्रेषण स्थानों से कोयले के वैगन बिना वजन किये हुए चलते हैं और रेलवे रसीदें "धारित कही गई" (सैड टु कन्टेन) मात्राओं के लिए निर्गमित की जाती हैं । प्राप्ति छोरों पर भी वजन लेने की कोई व्यवस्था नहीं है और परिषद को प्रेषित मात्राओं में कमियों, यदि कोई हो, और मार्ग हानियों के कारण हानि उठानी पड़ती है । 1962 में 4.11 लाख रुपये की लागत पर छः शक्ति गृहों के लिए क्रय किये गये तुला-सेतु प्रतिस्थापित नहीं किये गये और प्रयोग में नहीं लाये गये क्योंकि ये वैगनों को उठाने तथा रखने के लिए अनुपयुक्त पाये गये, परिणामतः तुला मशीनें बिना उपयोग के पड़ी हैं (मार्च 1977) ।

बायलर के भरण के लिए वाहक पट्टे पर लदान के समय भी कोयले की तौल नहीं की जाती है । इसलिए वास्तविक उपयुक्त मात्रा की जानकारी नहीं होती । रेलवे रसीदों पर अभिलिखित वजन के अनुसार दिखाई गई प्राप्ति की मात्रा से दृष्टि अनुमान के आधार पर स्कंध की अनुमानित मात्रा को घटा कर काल्पनिक तौर पर उपभोग निकाला जाता है । इसलिए छोटी मोटी चोरियों और कोयले की अनाधिकृत बिक्री पर कोई रोक नहीं है ।

(ii) दो इकाइयों के लेखों की परख जांच ने दर्शाया कि रेलवे रसीदों में अभिलेखित मात्राओं, जो वैगन की लादने की क्षमता व अनुमति योग्य दो मैट्रिक टनों के योग से अधिक थी, के लिए भुगतान किए गये । इसके परिणाम स्वरूप 1.65 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया––1.49 लाख रुपये 'बी' थर्मल पावर स्टेशन, कासिमपुर, हरदुआगंज में नवम्बर 1975 से जनवरी 1976 के दौरान और 0.16 लाख रुपये केसा में अक्टूबर 1975 से अप्रैल 1977 की अवधि के दौरान । अप्रैल 1976 में सिल से दायर किये गये अधिक भुगतान के वापसी के दावों को इस आधार पर अस्वीकृति कर दिया गया कि मात्रायें, जो रेलवे रसीद में अभिलेखित थीं, वास्तव में प्रेषित की गयी थीं, प्राप्तकर्ताओं द्वारा लेखा बद्ध की गयीं और विद्युत गृहों में उपभोग की गयीं । इस सम्बन्ध में कोई उपचारिक कदम नहीं उठाये गये (मार्च 1977) ।

(iii) भारकुण्डा कोयला खान से 30 मई 1976 को पनकी थर्मल पावर स्टेशन, कानपुर में प्राप्त कोयले (2192.50 मैट्रिक टन) का कैलोरी मान निकाला गया जो भारत सरकार के कोयला विभाग द्वारा निर्धारित स्लेक कोल ग्रेड प्रथम के लिए 5170 से 5930 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के आवश्यक मानक के विरुद्ध 4511 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम था। तथापि, सिल से किये गये अनुबन्धों/ आपूर्ति आदेशों में इस संबंध में किसी प्रकार के प्राविधान की अनुपस्थिति के कारण परिषद द्वारा दरों में कोई कटौती नहीं की जा सकी। विद्युत गृह अधिकारियों द्वारा जैसा आगणित किया गया, निम्न श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के परिणामस्वरूप 0.42 लाख रुपये मूल्य का 300 मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयले का उपभोग हुआ।

(iv) रिवर साइड पावर हाउस, कानपुर के ब्वायलर चुने हुए 'ए' और 'बी' ग्रेड के उच्चतम और उच्च वाष्पशील स्वयं जलन योग्य प्रकार के काले कोयले के प्रयोग क लिए परिकल्पित हैं। परख सम्परीक्षा के दौरान (जून-जुलाई 1976) यह देखा गया कि जनवरी 1975 से अप्रैल 1976 की अवधि के दौरान विद्युत गृह द्वारा प्राप्त 21.49 लाख रुपये मूल्य का 30694 मैट्रिक टन कोयला अनुपयोगी पाया गया और 34.50 लाख रुपये मूल्य का 49279 मैट्रिक टन कोयला निम्न श्रेणी का पाया गया। परिणामत: 20 से 30 प्रतिशत तक की सीमा में कोयले का अधिक उपभोग हुआ, जैसा कि विद्युत गृह अधिकारियों ने अनुमानित किया।

(v) जुलाई 1974 से फरवरी 1975 की अवधि के दौरान प्रति के0 डब्लू0 एच0 शक्ति उत्पादन के लिए लखनऊ विद्युत आपूर्ति उपक्रम के ऐशबाग विद्युत गृह में कोयले का औसत उपभोग 1.25 किलोग्राम था। मार्च 1975 से अक्टूबर 1975 की अवधि के दौरान कोयले का उपभोग 1.40 किलोग्राम प्रति के0 डब्लू0 एच0 तक बढ़ गया। 5.91 लाख रुपये मूल्य (4768 मैट्रिक टन) के अधिक उपभोग का कारण, विद्युत गृह अधिकारियों द्वारा, घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति और कन्डेंसर नलियों में तीव्रतर मापन को रोकने के लिए रासायनिकों की अनुपलब्धता, इत्यादि बताया गया।

(vi) वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग में 5 अप्रैल 1975 को कोयला स्कंध के भौतिक सत्यापन से 0.55 लाख रुपये मूल्य के 610 मैट्रिक टन कोयले की कमी जानकारी में आयी। यह हानि उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं की गई, और न ही हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया (दिसम्बर 1976)। नवम्बर 1975 से जनवरी 1976 की अवधि के दौरान भंडार अभिलेखों के अनुसार विद्युत गृह को निर्गमित 13818.5 मैट्रिक टन कोयला के विरुद्ध विद्युत गृह द्वारा केवल 13593.39 मैट्रिक टन लेखाबद्ध किया गया, परिणामत: 20500 रुपये मूल्य का 225.11 मैट्रिक टन कोयला कम लेखाबद्ध हुआ। इस कमी की छानबीन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसम्बर 1976)।

कोयले के हैण्डलिंग/सर्विसिंग अभिकर्ताओं की नियुक्ति

6.11. कोयला खानों से परिषद के विभिन्न विद्युत गृहों को कोयला शीघ्र पहुंचाने के विचार से राष्ट्रीयकृत कोयला खानों और रेलवे से सम्पर्क बनाये रखने के लिए परिषद द्वारा कोयले की हैण्डलिंग/सर्विसिंग अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए 1973 में निविदायें आमंत्रित की गईं। दिसम्बर 1973 में 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए लेकिन उनके पूर्व अनुभव और कार्य करने की क्षमता को दृष्टि में रखते हुए केवल चार फर्मों के प्रस्तावों (यद्यपि निम्नतम नहीं थे) पर विचार किया गया (अप्रैल 1974)। उनकी दरें निम्न थीं :

फर्म	दर प्रति मैट्रिक टन (पैसे में)	अन्य विवरण
ए	15	ओबरा, हरदुआगंज, पनकी और केसा विद्युत गृहों के लिए
बी	22	1 लाख मैट्रिक टन तक प्रतिमाह
	20	1 लाख से ऊपर और 1.5 लाख मैट्रिक टन तक प्रति माह

फर्म	दर प्रति मैट्रिक टन (पैसे में)	अन्य विवरण
	19	1.5 लाख से ऊपर और 2 लाख मैट्रिक टन तक प्रतिमाह
	18	2 लाख मैट्रिक टन से ऊपर प्रतिमाह
सी	25	केसा और पनकी विद्युत गृहों के लिए
डी	100	किसी भी मात्रा में समस्त विद्युत गृहों के लिए
	75	यदि आदेश सम्पूर्ण मात्रा के लिए दिये जायं

यद्यपि फर्म 'ए' का प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त निम्नतम था, केन्द्रीय भंडार क्रय समिति ने फर्म 'बी' और 'डी' की नियुक्ति क्रमशः 1.28 लाख और 1.35 लाख मैट्रिक टन प्रतिमाह कोयला उठाने रखने के लिए वार्तालाप द्वारा तय की गई 18 पैसे प्रति मैट्रिक टन की दर पर अनुमोदित की (18 अप्रैल 1974)। आदेश दिए जाने के पूर्व समिति ने मामले पर पुनर्विचार किया क्योंकि एक दूसरी फर्म 'ई', जिसके प्रस्ताव पर पहले, परिषद को "निम्न श्रेणी" के कोयले की आपूर्ति के आधार पर विचार नहीं किया गया था, अपनी दर 30 पैसे से घटाकर (27 अप्रैल 1974) 18 पैसे प्रति मैट्रिक टन करदी और कार्य के एक भाग को देने का निवेदन किया। समिति ने अधिक प्रतिस्पर्धा सृजन के दृष्टिकोण से 0.33 लाख मैट्रिक टन कोयला प्रतिमाह उठाने रखने के लिए फर्म 'ई' की नियुक्ति अनुमोदित की (30 अप्रैल 1974)। तदनुसार, औपचारिक आदेश 'बी', 'डी' और 'ई' फर्मों को क्रमशः 1.10 लाख, 1.20 लाख और 0.33 लाख मैट्रिक टन कोयला प्रतिमाह उठाने रखने के आदेश दिये गये (13 मई 1974)। अनुबन्धों के प्राविधानों के अनुसार यदि परिषद अभिकर्ताओं द्वारा की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं थी तो अनुबन्ध निरस्त किये जाने योग्य थे। यद्यपि, अभिलेखों के अनुसार, फर्मों के कार्य सम्पादन संतोषजनक नहीं पाये गये, अनुबन्धों को 'बी' और 'डी' फर्मों के मामलों में 23 अक्टूबर 1975 तक और फर्म 'इ' के मामले में 14 अगस्त 1975 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अक्टूबर 1975 में परिषद ने हैंडलिंग और सर्विसिंग अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और तब से यह कार्य इसके अपने कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

तकनीकी रूप से उपयुक्त फर्म 'ए' के निम्नतम प्रस्ताव को स्वीकार न करने से चार विद्युत गृहों, जिसके लिए फर्म ने निविदा दिया था, को आपूर्ति किये गये 24.00 लाख मैट्रिक टन कोयले के उठाने रखने पर 0.72 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद ने बताया (फरवरी 1977) कि फर्म 'ए' के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि फर्म को कोयला व्यापार का अनुभव नहीं था और न आपूर्तिकर्ताओं और रेलवे के साथ पहले से अनुबन्ध था। तथापि, परिषद के मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता और एक अधिशासी अभियंता से गठित एक समिति ने प्रस्तावों की जांच करते हुए मन्तव्य दिया (अप्रैल 1974) कि फर्म 'ए' को विभिन्न कार्यविधियों और रेल परिवहन समस्याओं की पर्याप्त जानकारी थी और उसके रेलवे बोर्ड, कोयला खान प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के स्तर तक सम्पर्क थे।

भंडार नियंत्रण

6.12. 1 अप्रैल 1975 से प्रभावी एक अलग भंडार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन के सृजन के पूर्व स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले परिषद के 300 से अधिक खंडों में 31 मार्च 1975 को (खंडीय अनुसूचियों के अनुसार) 60.37 करोड़ रुपये मूल्य का भंडार था। खंडीय अधिकारियों द्वारा किये गये क्रय पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था और उनके द्वारा किये गये भारी क्रय के परिणामस्वरूप भंडार संचित हो गये। 1975–76 के दौरान 12.01 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार फालतू घोषित किये गये जिसमें से 4.71 करोड़ रुपये के अनुपयुक्त/अप्रचलित हो गये थे। खंडीय/उपखंडीय भंडारों या निर्माण स्थल भंडारों से कार्यों पर भंडार निर्गमन किसी कार्य को करने के पूर्व बनाये एवं स्वीकृत किये गये प्राक्कलनों के अनुसार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना था।

तथापि, यह बहुत से मामलों में सुनिश्चित नहीं किया गया । भंडारों का भौतिक सत्यापन, संग्रह के कारण उनके अप्रचलन, अनुपयोगिता एवं क्षति की सीमा, अगर कोई हो, और भंडार में कमी तथा आधिक्य ज्ञात करने के लिए, एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा करना आवश्यक था ।

परख जांच के दौरान देखी गई त्रुटियां नीचे दी जाती हैं :—

(i) भंडार की विभिन्न मदों के लिए अधिकतम, न्यूनतम तथा आदेश देने के स्तर निश्चित नहीं किये गये ।

(ii) परिषद की अधिकांश इकाइयों में हस्तगत भंडार का पूर्ण रूपेण भौतिक सत्यापन और उनका पुस्तक अवशेषों से मिलान नहीं किया गया था । परख जांच के आधीन कुछ इकाइयों में भौतिक सत्यापन के परिणामों ने नीचे दी गई कमियां प्रकट कीं:—

खंड का नाम	में भंडार सत्यापित किया गया	कमियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
विद्युत परीक्षण खंड, अलीगढ़	अगस्त 1975 से जनवरी 1976 तक	6.52
विद्युत वितरण खंड, गाजियाबाद	मार्च 1976	14.05
विद्युत वितरण खंड, फैजाबाद	मार्च 1975	3.17
विद्युत वितरण खंड, इटावा	अगस्त 1975	2.71
विद्युत वितरण खंड, लखीमपुर-खीरी	मार्च 1975	2.57
विद्युत वितरण खंड, सुल्तानपुर	मई 1975	2.01
विद्युत वितरण खंड, मथुरा	सितम्बर 1975	2.90
विद्युत वितरण खंड, गोरखपुर	1971–72	1.11
	मार्च 1975	0.49
विद्युत वितरण खंड, मोदीनगर	मई 1975	1.07
विद्युत वितरण खंड, एटा	अगस्त 1975	0.88
विद्युत वितरण खंड, देहरादून	अप्रैल 1975	0.78
विद्युत वितरण खंड, बड़ौत	नवम्बर 1975	0.59
विद्युत वितरण खंड (उत्तरी), बुलन्दशहर	मार्च 1975	0.41

कमियों की छानबीन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई थी ।

(iii) एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भंडार के भौतिक सत्यापन और उपयोगी, फालतू, क्षतिग्रस्त, अनुपयोगी और अप्रचलित सामग्रियों के रूप में भंडार के उचित वर्गीकरण के लिए व्यवस्था नहीं की गई ।

(iv) पारेषण लाइनों, ट्रांसफार्मर इत्यादि से प्राप्त बेकार (स्क्रेप) और अप्रचलित सामग्रियों के निस्तारण की पद्धति एवं अवधि के संबंध में कोई तरीका सूत्रित नहीं किया गया ।

(v) कुछ बड़ी परियोजनाओं यथा, ओबरा थर्मल (250 मेगावाट), ओबरा जल विद्युत, हरदुआगंज-तृतीय सोपान और यमुना जल विद्युत-प्रथम सोपान समेत कार्यों के पूर्णता प्रतिवेदन (कम्पलीसन रिपोर्ट) तैयार नहीं किये गये थे (मई 1977) । परिणामतः कार्यों पर निर्गमित और उनके पूर्ण होने के बाद बची अनुपयुक्त सामग्री के मूल्य (आंकड़े परिषद के पास उपलब्ध नहीं थे) लेखाबद्ध होने से रह गये और अन्य कार्यों में उनके हस्तांतरण तथा उपयोग की निगरानी नहीं की गई ।

(vi) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी, सामग्री का निर्गमन होता रहा । परख जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्न खंडों द्वारा लाइनों, सब-स्टेशनों और नलकूपों, जो पहले ही ऊर्जित हो चुके थे, पर 2.99 लाख रुपये मूल्य की सामग्री निर्गमित की गई:—

खंड का नाम	कार्य	निर्गमित सामग्री का मूल्य (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खंड, लखीमपुर-खीरी	11 के0वी0 लाइनों पर छः कार्य	0.67
विद्युत् वितरण खंड, सुल्तानपुर	11 के0वी0 लाइनों पर 19 कार्य तथा नलकूप	0.49
विद्युत् परिषण खंड, आजमगढ़	33 के0वी0 लाइनों पर चार कार्य	0.38
विद्युत् परिषण निर्माण खंड, मैनपुरी	33 के0वी0 लाइनों पर आठ कार्य	0.70
ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, प्रतापगढ़	नलकूप	0.75

भंडार का लेखांकन

6.13. जून 1966 में परिषद ने भंडार के प्रारम्भिक लेखों का रख-रखाव वाणिज्यिक पद्धति पर निश्चित रूप से 1971–72 के प्रारम्भ तक शुरू करने का निर्णय लिया । तथापि, एक पृथक भंडार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन की स्थापना (अप्रैल 1975) हो जाने के बाद भी भंडार लेखे सार्वजनिक निर्माण पद्धति पर रखे जा रहे हैं ।

त्रुटियां—

6.14. **(क) स्कंध पंजियों का बन्द करना**

इकाइयों के लेखों की परख जांच ने दर्शाया कि भंडार लेखे अद्यावधिक नहीं रखे गये और निर्धारित अन्तरावधि पर बन्द नहीं किये गये । उदाहरणार्थ, अर्द्धवार्षिक स्कंध पंजियां निम्न खंडों में प्रत्येक के सामने अंकित अवधियों के लिए बन्द नहीं की गई थीं:—

खंड का नाम	अवधि
विद्युत् वितरण खंड, गाजीपुर	अप्रैल 1967 से मार्च 1969 और अप्रैल 1971 से मार्च 1976
विद्युत् वितरण खंड, सीतापुर	अप्रैल 1970 से
विद्युत् वितरण खंड, प्रतापगढ़	अप्रैल 1972 से
विद्युत् वितरण खंड-II, मिर्जापुर	अप्रैल 1965 से मार्च 1972 और अक्टूबर 1973 से मार्च 1976
विद्युत् वितरण खंड, बहराइच	अक्टूबर 1969 से
विद्युत् वितरण खंड, पीलीभीत	मार्च 1971 से
विद्युत् वितरण खंड, झांसी	1968–69 में स्थापना से
विद्युत् वितरण खंड, कानपुर	अप्रैल 1970 से
विद्युत् वितरण खंड, फैजाबाद	अक्टूबर 1964 से मार्च 1974
ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, प्रतापगढ़	1971–72 में स्थापना से
ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, मेरठ	1971–72 में स्थापना से
ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, रायबरेली	मार्च 1975 से

परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत, अधिकांश खंडों ने, जिन्होंने स्कंध पंजिकायें बन्द करने का अधूरा कार्य एकत्रित कर लिया था, 1968 में वर्तमान थल अवशेषों से नये स्कंध लेखे खोल लिये थे, परिणामस्वरूप भूतकालीन कमियां, आदि उपेक्षित हो गईं । कुछ खंडों में, बाद में यह फिर से किया गया । उदाहरणार्थ, विद्युत वितरण खंड-11, मिर्जापुर और विद्युत् वितरण खंड, फैजाबाद में क्रमशः सितम्बर 1972 और सितम्बर 1974 को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए पंजियां भौतिक सत्यापन पर पाये गये अवशेषों के अनुसार बन्द की गई थीं । ऐसा ही मामला विद्युत् वितरण खंड, गाजीपुर में था जहां पर एक नया रजिस्टर वर्तमान थल अवशेषों के आधार पर अप्रैल 1969 में खोला गया । यह भी देखा गया कि बहुत से खंडों में अर्द्धवार्षिक स्कंध पंजियां, अर्थात् विद्युत् भंडार खंड, गोरखपुर में सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाली अर्द्धवर्ष के लिए और विद्युत् अनुरक्षण खंड-11, मैनपुरी में सितम्बर 1968 से सितम्बर 1971 की अवधि के लिए अर्द्धवार्षिक स्कंध पंजिकायें, भंडार की मात्राओं के मूल्यांकन के बिना बन्द कर दी गईं ।

खंडों में स्कंध पंजियां बन्द न होने और चालू बाजार दरों के संदर्भ में सामानों के पुनर्मूल्यांकन की अनुपस्थिति के कारण निर्गमन दरें अवास्तविक रूप की हो गईं और ये विभिन्न खंडों में प्रचुर रूप से भिन्न-भिन्न थीं, कि परिणामस्वरूप खंडों द्वारा किये गये कार्यों की लागत का और उनके द्वारा रखे गये स्कंध अवशेषों के मूल्य का भी गलत प्रदर्शन हुआ । खंडों द्वारा अपने मासिक लेखों के साथ दी हुई अनुसूचियों के अनुसार 31 मार्च 1975 को खंडों द्वारा रखे गये भंडार का मूल्य 60.37 करोड़ रुपये था लेकिन परिषद् के संकलित लेखों में केवल 54.54 करोड़ रुपये अंकित दिखाए गये । दोनों अंकों का समाधान नहीं किया गया है (मई 1977) ।

(ख) स्कंध पंजियों में ऋणात्मक अवशेष

1975–76 के अन्त में 24 खंडों में कुछ मदों के संबंध में भंडार के अंतिम अवशेष कुल 4.15 करोड़ रुपये के ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित करते थे । विद्युत् वितरण खंड, रुड़की में कुल 36.43 लाख रुपये के ऋणात्मक अवशेष 1967-68 से चले आ रहे हैं ।

(ग) भंडार इत्यादि की कमियां/लेखों में न लेना

भंडार की कमियों, चोरियों और दुरुपयोग के कारण हुई हानियां, जब पकड़ी गईं, संबंधित भंडारियों या प्रत्यक्षतः उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध "प्राप्तियोग्य लेखों" के अन्तर्गत स्कंध लेखों से हटाते हुए लेखा बद्ध की गईं । तथापि, छानबीन करने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने और/या हानि को वसूल करने के लिए आगे की अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई । "प्राप्ति-योग्य लेखों" का अवशेष 1971–72 के अन्त में 12.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975–76 के अन्त में 21.90 करोड़ रुपये और सितम्बर 1976 के अन्त में 31.83 करोड़ रुपये हो गया । यह जुलाई 1975 से मार्च 1976 के दौरान भंडार संगठन को स्थानान्तरित 182 भंडारियों से वसूल करने योग्य 41.22 लाख रुपये सम्मिलित करता था । खंडों द्वारा अपने लेखों के साथ भेजी गई अनुसूचियों के अनुसार "प्राप्त योग्य लेखों", के अन्तर्गत अवशेष 31 मार्च 1975 को 34.19 करोड़ रुपये था जब कि परिषद के संकलित लेखे 35.88 करोड़ रुपये की संख्या दर्शाते थे ।

प्राप्तियों को लेखे में न लेने या लेखे में कम लेने और निर्गमनों का वास्तव में निर्गमित मात्राओं से अधिक लेखन के कारण भंडार सामग्रियों की कमियां परिषद के बहुत से खंडों में देखी गईं । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

(i) विद्युत अनुरक्षण खंड, बलिया में स्कंध और औजार एवं संयंत्र रजिस्टर अक्तूबर 1965 में खंड की स्थापना से बन्द नहीं किये गये । मई 1966 से फरवरी 1971 के स्कंध लेखों की जांच करने पर खंडीय अधिकारी ने प्राप्तियों को लेखे में न लेने या लेखे में कम लेने और निर्गमनों का वास्तव में निर्गमित मात्राओं से अधिक लेखन के कारण भंडार सामग्रियों की कमियों (4.48 लाख रुपये) का पता लगाया (जुलाई 1975) । परिषद के मुख्य कार्यालय द्वारा की गई (नवम्बर 1975 से जनवरी 1976) विशेष समीक्षा

ने 3.49 लाख रुपये की कमियों की पुष्टि की। साथ ही, जुलाई 1966 से मार्च 1967 की अवधि के दौरान प्राप्तियां एवं निर्गमन भंडारी द्वारा 1971 में लेखे में लेखित की गई। कमियों का मूल्य लेखों में भंडारी से वसूलने योग्य दिखाया गया, लेकिन कोई वसूली नहीं की गई (मई 1977)। भंडारी सेवा से दिसम्बर 1975 में निवृत हो गया।

नवम्बर 1975 से जनवरी 1976 के दौरान परिषद् के मुख्य कार्यालय द्वारा की गई विशेष सम्परीक्षा ने यह और प्रकट किया कि बहुत से अनुभाग धारियों द्वारा मई 1966 से फरवरी 1971 की अवधि के दौरान खंडीय भंडारों से लिया गया 1.08 लाख रुपये मूल्य का सामान उनके द्वारा लेखों में नहीं लिया गया। विशेष सम्परीक्षा ने यह भी बताया कि स्कन्ध के 123 मदों से संबंधित अवशेष ऋणात्मक मात्राओं में थे। विशेष सम्परीक्षा टीम ने इसे, फर्जी निर्गमनों को अभिलेखित करने, प्राप्तियों को लखे में न लेने और अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण बताया।

(ii) जुलाई 1975 में किए गए भंडार के भौतिक सत्यापन ने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, देहरादून में 1.56 लाख रुपये की कमियां प्रकट कीं। कुछ सुधारात्मक समायोजन करने के बाद, इन कमियों का मूल्य अंतिम रूप से 0.53 लाख रुपये आंका गया, जिसके लिये एक सहायक भंडारी उत्तरदाई पाया गया। इसी सहायक भंडारी ने पहले (जुलाई 1974) "डाग" कन्डक्टर का निर्गमन अपने स्कन्ध लेखे में उपरिलेखन द्वारा 0.25 लाख रुपये की सीमा तक बढ़ा दिया था। सहायक भंडारी के विरुद्ध प्रारम्भ की गई (फरवरी 1976) विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उसको फरवरी 1977 में सेवा से पदच्युत कर दिया गया। उसके विरुद्ध एक मामला पुलिस में भी दर्ज किया गया (दिसम्बर 1976)।

(ii) विद्युत् अनुरक्षण खंड, देवरिया के एक भंडारी ने जनवरी 1974 और अप्रैल 1975 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं और विभिन्न मंडलों से प्राप्त 0.40 लाख रुपये मूल्य का सामान, साथ ही साथ अप्रैल 1975 में भौतिक सत्यापन पर पाया गया 0.27 लाख रुपये मूल्य का फालतू सामान लेखे में नहीं लिया। उसने 0.44 लाख रुपये मूल्य का सामान भी भंडार खंड, गोरखपुर को, मार्च 1975 में उस खंड के सृजन पर, कम स्थानान्तरित किया (अगस्त 1975)। भंडारी मई 1976 में निलम्बित कर दिया गया। अग्रिम प्रगतिया प्रतीक्षा में है (मार्च 1977)।

मामला परिषद् को नवम्बर 1975 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1977)।

(iv) विद्युत अनुरक्षण खंड II, मैनपुरी में भंडारों में कमियां (2.24 लाख रुपये), पांच कर्मचारियों से भंडार का मूल्य वसूलने योग्य प्रदर्शित करते हुए, उनके त्यागपत्र/सेवा-समाप्ति/मृत्यु/अन्य खंडों को स्थानान्तरण के बहुत बाद, लेखे में लेखित की गई। विवरण इस प्रकार है :—

कर्मचारी	त्यागपत्र/सेवा समाप्ति/ स्थानान्तरण मृत्यु का माह	लेखांकन का माह	भंडार का मूल्य (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
'ए'	नवम्बर 1970 (सेवा समाप्ति)	फरवरी 1972	0.57	कर्मचारी ने सेवा समाप्ति पर कार्यभार नहीं सौंपा लेकिन भंडार की सूची फरवरी 1972 में बनाई।

कर्मचारी	त्यागपत्र/सेवा समाप्ति/ स्थानान्तरण, मृत्यु/ का माह	लेखांकन का माह	भंडार का मूल्य (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
		मई 1974	0.73	कर्मचारी ने जून 1969 में अपने एक उपखंड से दूसरे में स्थानान्तरण पर भंडार का कार्यभार नहीं सौंपा था, लेकिन भंडार का मिलान बहुत समय बाद किया गया (ठीक तिथि उपलब्ध नहीं)।
'बी'	जून 1970 (मृत्यु)	फरवरी 1972	0.30	फरवरी 1972 में भंडार का मिलान किया गया।
'सी'	जून 1973 (सेवा समाप्ति)	मई 1974	0.38	भंडार का मिलान बाद में किया गया (ठीक तिथि उपलब्ध नहीं)। दुरुपयोग का एक मामला जुलाई 1975 में पुलिस को दर्ज कराया गया।
'डी'	नवम्बर 1972 (त्याग पत्र)	मई 1974	0.14	--
'ई'	जून 1969 (स्थानान्तरण)	फरवरी 1972	0.12	पुस्तक अवशेष के अनुसार उपखंडीय लेखों के मिलान करने पर कमियां पाई गईं।

धनराशियां न तो वसूल की गईं और न ही अपलेखित की गईं (मई 1977)।

मामला परिषद् को सितम्बर 1976 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 1977)।

(v) विद्युत् वितरण खंड, देवरिया का सामान विद्युत भंडार खंड, गोरखपुर को 6 सितम्बर 1975 को स्थानान्तरित किया गया। पहले खंड का भंडारी भी बाद के खंड को स्थानान्तरित कर दिया गया। अक्तूबर 1975 में, जब भंडारी ने दूसरे भंडारी को कार्यभार सौंपा तो क्रमशः 5.96 लाख रुपये और 0.66 लाख रुपये मूल्य की माल की कमियां और अधिकतायें पता लगाई गईं। कमियों, अधिकताओं की छानबीन नहीं की गई है (मई 1977)।

(vi) खंडों के भंडारी और अन्य स्कन्ध धारी अपने स्कन्ध लेखे समय से खंडों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लेखों की परख जांच ने दर्शाया कि एक सहायक भंडारी ने दिसम्बर 1971 से सितम्बर 1974 तक कोई भी स्कन्ध लेखे अपने उपखंडीय अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये, हालांकि उपखंडीय अधिकारी द्वारा उससे ऐसा करने को कहा गया। जनवरी 1975 में खंड का दूसरे खंड में विलीकरण के परिणामस्वरूप, उपखंडीय अधिकारी ने स्वयं मार्च-अप्रैल 1975 के दौरान अवशिष्ट लेखों को संकलित किया और प्रक्रिया में 1.30 लाख रुपये मूल्य की भंडार की कमियां पता लगाईं। दोषी पाये गये कर्मचारी से धनराशि वसूल नहीं की गई थी (दिसम्बर 1976)।

(vii) 1968-69 में, हाइडिल कंस्ट्रक्शन डिवीजन, मुरादाबाद ने विद्युत् वितरण खंड, मुरादाबाद को "प्राप्ति योग्य लेखों" के अन्तर्गत 0.41 लाख रुपये के अवशेष, पार्टियां जिनके विरुद्ध और कारण जिसके लिये धनराशियां अदत्त थीं, का विवरण दिये बिना, हस्तांतरित

किये थे। धनराशि का कोई भी हिस्सा वसूल नहीं किया गया है (मई 1977)। इसी खंड में 1957–58 से एक व्यक्ति के विरुद्ध 0.12 लाख रुपये अदत्त दिखाये जा रहे हैं, लेकिन लेनदेन के कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है।

(viii) जून 1965 और सितम्बर 1965 में 0.78 लाख रुपये योग की धनराशियां निर्माण खंड, रुड़की के दो सहायक भंडारी के विरुद्ध "प्राप्तियोग्य लेखों" के अन्तर्गत लेखित की गईं। सितम्बर 1968 में खंड का अनुरक्षण खंड, देहरादून में विलीनीकरण के पश्चात् धनराशि बिना विवरण दर्शाते हुए बाद के खंड को हस्तान्तरित कर दी गई।

(ix) हरदुआगंज प्लांट डिवीजन, कासिमपुर, हरदुआगंज में एक अवर अभियन्ता द्वारा अपने उत्तराधिकारी को जुलाई 1973 में कार्यभार हस्तांतरित करते समय 0.55 लाख रुपये मूल्य के भंडार (0.45 लाख रुपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र सम्मिलित करते हुए) सौंपे नहीं गये। न तो धनराशि वसूल करने की कार्यवाही की गई थी और न ही कोई छानबीन की गई थी (मई 1977)।

प्राप्त न हुये माल का भुगतान

6.15. सितम्बर 1972 में भंडार अधिप्राप्ति मण्डल, लखनऊ द्वारा कलकत्ता की एक फर्म को 40000 नरम स्पात की जस्ता चढ़ी हुई आड़ीछड़ों (खंभों आलम्बों के साथ प्रयोग के लिये) की आपूर्ति के लिये 14.18 रुपया प्रति पर एक आदेश दिया गया। आदश परिषद् के एक अधिकारी द्वारा फर्म की फैक्टरी के निरीक्षण (सितम्बर 1972) के बाद दिया गया था जिसने प्रमाणित किया कि निर्माण प्रक्रम और उत्पादित आड़ी छड़ों (स्टे राड्स) की किस्म संतोषजनक थी। फर्म को भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रेषण निदेशों के अनुसार, परिषद के एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद, आड़ी छड़ों को रेल द्वारा विभिन्न खंडों को प्रेषित करना था। इसको 90 प्रतिशत भुगतान बैंक के माध्यम से रेलवे रसीदों के विरुद्ध प्राप्त करना था। फर्म द्वारा संविदा मूल्य की एक प्रतिशत प्रतिभूति जमा कर देने के बाद ही भुगतान किये जाने थे। आपूर्ति आदेश की दिनांक से शुरू होनी थी और 12 माह के अन्दर पूर्ण होनी थी। अक्तूबर 1972 में, भंडार अधिप्राप्ति मण्डल ने 30,000 आड़ी छड़ें मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, मेरठ और शेष 10000 छड़े मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को आवंटित की। बाद वाले ने आवंटन को चार खण्डों में इन निर्देशों के साथ विभाजित किया (अक्तूबर 1972) कि भुगतान तब तक नहीं किये जाने थे जब तक कि फर्म वांछित प्रतिभूति न जमा कर दे।

फर्म ने परिषद् को 0.06 लाख रुपये की एक बैंक गारन्टी जनवरी 1973 में दी; तथापि, गारन्टी त्रुटिपूर्ण होने के कारण फर्म को लौटा दी गई (फरवरी 1973)। फर्म ने माल निरीक्षण के लिये तैयार होने के बारे में भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल को सूचित नहीं किया। मण्डल क एक अधिकारी ने जून 1973 में इसकी फैक्टरी का निरीक्षण किया और, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया कि—

(i) फर्म आड़ी छड़ों के निर्माण के लिये अप्रचलित तरीके प्रयोग करती थी,

(ii) फर्म द्वारा आड़ी छड़ों का जस्तीकरण खराब था और इसके पास जस्ती लेप की मोटाई निश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी,

(iii) फर्म ने अपनी आड़ी छड़ों का परीक्षण किसी प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नहीं कराया था, और

(iv) इसके पास गुण नियन्त्रण के लिये कोई व्वयस्था नहीं थी।

परिणामतः मुख्य अभियन्ता (विद्युत्) ने निर्देश जारी किये (जुलाई 1973) कि जब तक माल का पूर्ण निरीक्षण नहीं हो जाता, फर्म से कोई आपूर्ति स्वीकार न की जाय।

इसी बीच, फर्म ने अप्रैल 1973 में स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से तीन खंडों को 6000 आड़ी छड़ों के सड़क द्वारा प्रेषण के कागजात भेजे। अधिशासी अभियन्ताओं ने, बिना पुष्टिकरण प्राप्त किये कि आड़ी छड़ों का प्रेषण के पूर्व निरीक्षण हो चुका था और यह कि फर्म द्वारा वांछित प्रतिभूति जमा की जा चुकी थी, 0.79 लाख रुपया (6000 आड़ी छड़ों के मूल्य का 90 प्रतिशत) भुगतान करके कागजात छुड़ा लिये। चूंकि खंडों द्वारा आड़ी छड़े प्राप्त नहीं हुई, परिवहन अभिकर्ता से पूछताछ की गई, जिसने सूचित किया (नवम्बर 1973) कि एजेंसी को छड़ों की सुपुर्दगी के बिना ही फर्म द्वारा छल पूर्वक माल प्राप्ति रसीदें प्राप्त कर ली गई थीं। आड़ी छड़ें प्राप्त नहीं हुई हैं और न ही भुगतान किया गया धन फर्म द्वारा लौटाया गया है (मई 1977)।

मामला परिषद् को मार्च 1976 में सूचित किया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 1977)।

अन्तर खंडीय हस्तान्तरण

6.16. भण्डार, उपकरण आदि समय समय पर एक खंड से दूसरे को हस्तान्तरित किये जाते हैं। इन अन्तर खंडीय हस्तान्तरणों के लिये प्रेषक खंड एक हस्तान्तरण नामे की सूचना भेजता है जो प्राप्त कर्ता खंड द्वारा यथा शीघ्र स्वीकृत एवं लेखाबद्ध की जानी होती है। 1976 के अंत में भंडार आदि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में स्वीकृत न हुई उत्तर न दी गई सूचनाओं का योग क्रमशः मार्च 1974, 1975 और 1976 के अंत में 25.08 करोड़ रुपया, 26.09 करोड़ रुपया और 33.96 करोड़ रुपया था (वर्षवार और खंडवार विवरण उपलब्ध नहीं)। 30 सितम्बर 1976 को इन सूचनाओं का कुल शेष 48.60 करोड़ रुपया था। नामे सूचनाओं को समय से स्वीकार न करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सामग्रियों भण्डारों को न सौंपने या कम सौंपने के कारण हुई हानियां, यदि कोई हों, पता नहीं लग पाती हैं।

मार्च 1976 में 0.41 लाख रुपया मूल्य के 2736.4 किलोग्राम तांबे के तार के टुकड़े विद्युत वितरण खंड द्वितीय, देवरिया के भण्डार द्वारा विद्युत भंडार खंड, गोरखपुर को हस्तान्तरित किये गये। निर्गमन पहले खंड के लेखों में अगस्त 1976 में लेखाबद्ध किया गया। तथापि, अगस्त 1976 में दूसरे खंड के विरुद्ध में लगाया हस्तान्तरण नामा बिना स्वीकृति के इस आधार पर लौटा दिया गया (अक्तूबर 1976) कि लेन देन जाली प्रतीत होता था क्योंकि प्राप्त कर्ता खंड का भंडारी, जिसे मार्च 1976 में माल की प्राप्ति को स्वीकारते हुए दिखाया गया, भंडार का कार्यभार अक्तूबर 1975 से नहीं ग्रहण किये हुए था। पहले बंड (विद्युत वितरण खंड द्वितीय, देवरिया) का भंडारी 8 मई 1976 से निलम्बित कर दिया गया।

भुगतान योग्य लेखे

6.17. "भुगतान योग्य लेखे-संविदाएं और आपूर्तियां" के अन्तर्गत बकाया शेष, जो परिषद् द्वारा ठेकेदारों और आपूर्ति कर्ताओं को देय राशि प्रदर्शित करता है, 1972–73 के अंत में 43.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973–74 और 1974–75 के अन्त में क्रमशः 49.20 करोड़ रुपया और 63.84 करोड़ रुपया हो गया था। 1974–75 के अन्त में 6 खंडों के लेखों में इस शीर्षक के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेषों का योग 1.47 करोड़ रुपया था। अधिक भुगतान दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से बचने हेतु इन ऋणात्मक अवशेषों की छानबीन और लेखों से हटाने के लिये कदम नहीं उठाये गये हैं।

कार्यस्थल-पर-सामग्रियों का लेखा

6.18. परिषद के नियमों के अनुसार बड़े कार्यों के सम्बन्ध में कार्यों को निर्गमित सामग्रियों के उपयोग पर नियंत्रण एवं उचन्त लेखे, जिसे कार्यस्थल-पर-सामग्रियों का लेखा कहते हैं, के माध्यम से किया जाना चाहिये। यह लेखा परिषद् के किसी भी खंड में नहीं रखा गया था।

चोरी

6.19. रामपुर के उप खण्डीय भण्डारों से 458 किलोग्राम तांबे के टुकड़ों (मूल्य : 0.10 लाख रुपया) और 1005 किलोग्राम तांबे के टुकड़ों व 100 एम्पीयर के 5 स्विचों (मूल्य : 0.21 लाख रुपया) की चोरियां, क्रमश: 5/6 मार्च 1975 और 25/26 मार्च 1976 की रात्रि में हुई हैं, ऐसा बताकर, पुलिस को सूचित की गई। मार्च 1976 में पुलिस प्राधिकारियों ने सम्बन्धित खंड को सूचित किया कि बताई गई मार्च 1975 की चोरी संदेहपूर्ण थी क्योंकि स्थान से हटी खिड़की की पकड़ें (क्लचेज) अक्षुण्ण पायी गयीं और कोई उंगलियों के निशान भी नहीं थे जो किसी चोरी का होना प्रकट कर सकें। पुलिस द्वारा आगे बताया गया कि मार्च 1975 और मार्च 1976 की दोनों चोरियां इस उद्देश्य से थीं कि स्कन्ध की कमियां, वार्षिक भौतिक सत्यापन के समय उनका पता लगने के पहले ही, पूरी की जा सकें। बताई गई मार्च 1976 की चोरी के सम्बन्ध में एक सहायक अभियन्ता ने कार्य स्थल सत्यापन और पूछताछ के पश्चात् अप्रैल 1976 में सूचित किया कि चोरी विभागीय कर्मचारियों की उपेक्षा से हुई थी। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षा में है (मार्च 1977)।

भण्डार प्रबन्ध एवं नियन्त्रण संगठन

6.20. भण्डार सूची 1967–68 के अन्त में 22.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974–75 के अन्त में 54.54 करोड़ रुपये और 1975–76 के अन्त में 61.53 करोड़ रुपये हो गयी। भण्डार वहन करने के कारण ब्याज व्यय का भार एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का था। फरवरी 1975 में परिषद् द्वारा यह स्वीकार किया गया कि एक वाणिज्यिक संगठन 300 से ऊपर केन्द्रों में बिखरी हुई इतनी बड़ी मात्रा में भण्डार कठिनाई से वहन कर सकता था। भण्डार के क्रय, गुणों, अनुरक्षण, उपयोग और लेखांकन पर कोई केन्द्रीय नियंत्रण रखना भी अव्यवहारिक समझा गया। इसीलिये परिषद् ने एक अलग भण्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन, जिसने अप्रैल 1975 से कार्य करना प्रारम्भ किया, की स्थापना के आदेश दिये (फरवरी 1975)।

संगठन एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता और एक भण्डार नियंत्रक के सर्वोपरि नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जाना था, जो भण्डार की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और योजना बनाने, उनकी प्रधिप्राप्ति के लिये प्रबन्ध करने, प्राप्ति और उचित प्रकार से संग्रह करने, प्रयोग करने वालों को उनका निर्गमन करने, फालतू मदों को सुनिश्चित करने और उनका निस्तारण करने और समुचित लेखे रखने के लिये उत्तरदायी थे। तथापि, ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, रामगंगा, यमुना और मनेरी-भाली परियोजनाओं के भण्डारों पर यह प्रबन्ध लागू नहीं किया गया। भण्डार प्रबन्ध और नियंत्रण-संगठन को अनुरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, परीक्षण, पारेषण निर्माण और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कन्स-ट्रक्शन खंडों और लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, विद्युत सम्पूर्ति उपक्रमों के समस्त भण्डार "जैसे हैं जहां हैं" के आधार पर अधिग्रहण करने थे। अधिगृहीत किये गये समस्त भण्डार सात वृहत् भण्डार केन्द्रों, अर्थात् रुड़की, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में रखे जाने थे। प्रत्येक वृहत् भण्डार केन्द्र के अन्तर्गत कई भण्डार केन्द्र होने थे और इस प्रकार के केन्द्रों की कुल संख्या 54 होनी थी। यह भी निर्देश दिया गया था कि कार्यों के लिये जरूरी सामान भण्डार केन्द्रों से केवल स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध और जब कार्यस्थल पर प्रयोग के लिये वास्तव में जरूरी हों, तभी निर्गमित किया जाना चाहिये। भण्डार के नियंत्रक को सभी सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिये उत्तरदायी बनाया गया, उनको छोड़ कर जिनके लिये सब-स्टेशन डिजाइन सर्किल, ट्रांसमीशन डिजाइन सर्किल, स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किलों द्वारा आदेश दिये जाने थे और श्रेणी "सी" की मदों के लिये। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (ट्रांसमीशन और डिजाइन) को इन सभी पदों की क्रम-मिक आवश्यकताओं को, पहले से दिये गये आदेशों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली पूर्वानुमानित सामग्रियों की प्राप्तियों और 31 मार्च को पूर्वानुमानित स्कन्ध अवशेष के विवरण के साथ, प्रति वर्ष 28 फरवरी तक भण्डार नियंत्रक को सूचित करने के निदेश दिये गये।

वर्ष 1975–76 के दौरान कार्य निष्पादन के लिये भण्डारों की क्रय की योजना बनाने के लिये भण्डार नियंत्रक द्वारा 31 मार्च 1975 को भण्डारों का संभावित शेष, पहले से दिये गये आदेशों के

विरुद्ध पूर्वानुमानित प्राप्तियां और क्रय की जाने वाली शेष सामग्री 28 फरवरी 1975 तक निश्चित करनी थी । तथापि, अधिकांश खंडों से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हुई । वर्ष 1976-77 के लिये आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, 28 फरवरी 1976 तक एकत्रित की जाने वाली सूचना सम्बन्धित खंडों के लगभग 50 प्रतिशत से उपलब्ध नहीं हुई थी । इसीलिये भण्डार प्रबन्ध और नियंत्रण संगठन की स्थापना के बाद भी भण्डार की आवश्यकताओं का निर्धारण और अधिप्राप्ति कार्यवाही भी तदर्थ आधार पर जारी रही ।

परिवर्तित प्रबन्ध के बावजूद भी निम्न त्रुटियों /कमियों का होना पाया गया (मई 1977) :

(i) भण्डार प्रबन्ध क्रियाओं के सम्पूर्ण विस्तार पर परिषद् के किसी सदस्य या मुख्य कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी ने एक रूप नियंत्रण नहीं रखा ।

(ii) परिषद् ने भण्डार अधिप्राप्ति, भण्डार नियंत्रण और प्रबन्ध में वांछित प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों का कोई ढांचा नहीं बनाया ।

(iii) भण्डारों का तीव्रगामी और मन्दगामी मदों में वर्गीकरण नहीं किया गया था और अधिप्राप्ति में लगने वाले समय को कम करने के लिये, विशेष रूप से तीव्रगामी मदों के सम्बन्ध में, कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे जिससे किसी भी समय बिन्दु पर उपलब्ध भण्डारों के मूल्य को कम किया जा सके ।

(iv) भण्डार अधिप्राप्ति कार्यक्रम की आर्थिक जांच के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । भण्डार नियंत्रक के कार्यालय के लिये आर्थिक सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी का एक पद 28 फरवरी 1975 को सृजित किया गया लेकिन इस पद को भरा नहीं गया है । (मई 1977) ।

(v) परिषद् के आदेशों में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि भण्डार केन्द्रों द्वारा अधिगृहीत की जाने वाली सामग्रियों का प्राप्तकर्ता इकाइयों द्वारा भौतिक सत्यापन होना चाहिये । किन्तु हस्तान्तरण करने वाले खण्डों से हस्तान्तरण से पूर्व स्कन्ध का भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया था ; यह भी नहीं किया गया या उचित प्रकार से नहीं किया गया, जिसके उदाहरण नीचे दिये हैं :

(क) 171.92 लाख रुपये पुस्तक मूल्य की सामग्रियां जुलाई 1975 से मार्च 1976 के अवधि के दौरान बिना किसी भौतिक सत्यापन के रुड़की, बरेली और लखनऊ के वृहत् भण्डार केन्द्रों को हस्तान्तरित की गईं ।

(ख) अगस्त 1975 में भण्डार केन्द्र, बरेली में ग्रामीण विद्युतीकरण खंड, बरेली और विद्युत अनुरक्षण खंड, पीलीभीत से प्राप्त सामग्रियों की सूची में, मूल्यों में बिना तत्सम्बन्धी परिवर्तन किये, सामग्रियों की मात्राओं में अनाधिकृत परिवर्तन किये गये पाये गये ।

(ग) विद्युत अनुरक्षण खंड प्रथम और द्वितीय, वाराणसी, विद्युत पारेषण निर्माण खंड, वाराणसी और विद्युत अनुरक्षण खंड द्वितीय, गाजीपुर में क्रमश: 52 91 लाख रुपये, 16.97 लाख रुपये, 27.65 लाख रुपय और 30.32 लाख रुपय मूल्य क भण्डारों का भौतिक सत्यापन, सम्बन्धित खंडों द्वारा उनका हस्तान्तरण और वृहत् भण्डार केन्द्र इलाहाबाद द्वारा उनकी स्वीकृत सभी एक दिन, अर्थात् क्रमश: 11 अगस्त 1975, 24 जून 1975, 1 जुलाई 1975 और 31 अगस्त 1975 को किया गया ।

(vi) भण्डार प्रबन्ध और नियंत्रण संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परिषद द्वारा रखी गई भण्डार सूची को कम करना था । तथापि, यह देखा गया कि भण्डार सूची का मूल्य 31 मार्च 1975 को 54.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 1976 को 61.53 करोड़ रुपये और 30 सितम्बर 1976 को 68.73 करोड़ रुपये हो गया ।

(vii) वृहत् भण्डार केन्द्रों और साथ ही साथ उनके अन्तर्गत भण्डार केन्द्रों के सम्बन्ध में कोई स्कन्ध संचय सीमा नहीं निर्धारित की गई थी ।

(viii) संगठन ने परीक्षण, पारेषण निर्माण और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंस्ट्रक्शन खंडों और इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ के विद्युत् आपूर्ति उपक्रमों के भण्डार नहीं अधिगृहीत किये थे । अन्य खंडों / इकाइयों के भण्डार नये भण्डार केन्द्रों द्वारा 30 अप्रैल 1975 तक अधिगृहीत किये जाने थे । तथापि, किसी भी खंड/ इकाई ने उस तिथि तक भण्डार हस्तान्तरित नहीं किये । अक्तूबर 1976 तक 84 इकाइयों के भण्डार हस्तान्तरित नहीं किये गये थे ।

भण्डार के मूल्य में कमी

6.21. परिषद् द्वारा 31 दिसम्बर 1975 को निर्देश जारी किये गये कि संगठन अधिगृहीत किये गये भण्डारों का मूल्य निम्न आधार पर निर्धारित करेगा:—

(क) मदें जो फालतू नहीं थी या फालतू मदें जो दो वर्ष के अन्दर प्रयोग की जा सकती थीं ।	स्कन्ध निर्गमन दर
(ख) अप्रचलित, अनुपयोगी और फालतू मदें जो दो वर्ष के अन्दर प्रयोग नहीं की जा सकती थीं ।	रद्दी माल (स्क्रैप) का मूल्य
(ग) क्षतिग्रस्त उपकरण जिन्हें मरम्मत करके उपयोगी बनाया जा सकता था ।	उपकरण की लागत में से मरम्मत की अनुमानित लागत या मूल्य का 20 प्रतिशत, यदि मरम्मत की लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, घटाकर

नीचे की तालिका संगठन द्वारा मार्च 1976 तक अधिगृहीत किये भण्डारों के मूल पुस्तक मूल्य और मूल्य में कमी की सीमा दर्शाती है:—

वृहत् भण्डार केन्द्रों का नाम	मूल मूल्य	संशोधित मूल्य (लाख रुपयों में)	मूल्य में कमी
गाजियाबाद	383.36	288.90	94.46
रुड़की	177.52	157.91	19.61
बरेली	347.48	346.03	1.45
गोरखपुर	480.54	319.93	160.61
आगरा	300.21	274.49	25.72
इलाहाबाद	459.86	430.74	29.12
लखनऊ	415.26	330.51	84.75
योग ..	2564.23	2148.51	415.72

भण्डार के कम किये गये मूल्य के आधार पर संगठन द्वारा हस्तान्तरण नामे की सूचनाओं की स्वीकृति हो जाने के बाद भी हस्तान्तरणकर्ता खंड अपने लेखों में शेष धनराशि 'स्कन्ध' शीर्षक के अन्तर्गत दर्शा रहे थे जब कि उनके पास कोई स्थल अवशेष नहीं थे । भण्डार मदों के मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप हुए शेषों के समायोजन के सम्बन्ध में मई 1977 तक कोई आदेश जारी नहीं किये गए ।

परिषद् ने बताया (मार्च 1977) की भण्डार लेखांकन की विद्यमान पद्धति भण्डार स्तरों पर नियंत्रण रखने में सहायक नहीं थी और यह कि परिषद् द्वारा भंडार नियंत्रण और प्रबन्ध को

प्रवाहरेखी बनाने की तुरन्त आवश्यकता थी । भण्डार नियंत्रण की एक पद्धति निर्धारित करने के लिये इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक संस्थान) और भण्डार लेखांकन विधि निर्धारित करने के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की एक फर्म को उत्तरदायित्व सौंपा गया बताया गया है (मार्च 1977) ।

परिषद् ने आगे बताया कि स्पात के क्रय से सम्बन्धित मामले में भूतकाल में देश में स्पात की कमी और उसके संग्रह करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में विचार करना पड़ा था और यह कि कलोरिफिक मूल्य के आधार पर कोयले का भुगतान का मामला कोल इन्डिया लिमिटेड के साथ चल रहा था । क्रय किये गये समान के प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण के लिये निर्देश भी निर्गमन के अन्तर्गत बताये गये ।

विषय सरकार को दिसम्बर 1976 में सूचित किये गये; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1977)।

अनुभाग VII

विद्युत प्रभार का कम निर्धारण

अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

7.01. लाइसेन्सदारों और 'भारी शक्ति', 'वृहत् शक्ति' और 100 के0 डब्लू0 से ऊपर के 'मिश्रित भारों' के उपभोक्ताओं पर लागू दर सूचियों की एक धारा के अनुसार यदि मासिक बिल उसमें निर्दिष्ट देय तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता देय तिथि के बाद बिलम्ब की अवधि के लिये बिल की भुगतान न की गई राशि पर 7 पैसा (लाइसेन्सदारों के लिये और भारी शक्ति, वृहत् शक्ति और मिश्रित भारों के उपभोक्ताओं के लिये क्रमश: 1 जनवरी 1975 और 12 अक्तूबर 1974 से पूर्व 5 पैसे) प्रति 100 रुपया या उसके भाग पर प्रतिदिन अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने क लिये उत्तरदायी है ।

नीचे दिये गये विवरणानुसार परिषद् की तीन इकाइयों ने विलम्बित भुगतान के लिये अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया :–

इकाई का नाम	बिल करने की अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	कम वसूल की गई राशि (लाख रुपयों में)
कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन, कानपुर	जनवरी 1975 से दिसम्बर 1975	7	10.49
विद्युत अनुरक्षण खंड, झांसी	मई 1974 से फरवरी 1976	6	3.78
विद्युत अनुरक्षण खंड, एटा	अप्रैल 1974 से फरवरी 1976	1	0.29
		योग ..	14.56

परिषद् ने बताया (जनवरी 1977) कि उपभोक्ताओं को बाद में बिल जारी किये जा चुके थे और यह कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी ।

उसी भांति, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, मथुरा एक लाइसैन्सधारी, जिसका व्यापार परिषद् द्वारा जुलाई 1975 को अधिग्रहीत किया गया था, द्वारा विलम्बित भुगतान पर अतिरिक्त प्रभार लगाने में असफल रहा (मई 1976) । परख सम्परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जून 1974 से मई 1975 की अवधि के लिये खंड द्वारा विद्युत प्रभारों के लिये जारी किये गये 20.10 लाख रुपये के बिलों में से लाइसैन्सधारी ने 17.61 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था । लाइसैन्सधारी भुगतान में बिलम्ब के लिये 1.24 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हो चुका था । खण्ड ने तथापि अतिरिक्त प्रभार के लिय एक बिल जुलाई 1976 में जारी किया ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि भूत पूर्व लाइसैन्सधारी से धन की वसूली अधिग्रहीत की गई सम्पत्तियों की कीमत के विरुद्ध समायोजन द्वारा की जा रही थी और यह कि दोषी अधिकारी क विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही प्रस्तावित थी ।

खण्ड जनवरी 1972 से लिफ्ट इरीगेशन पम्प कैनाल, डंगोली को भी विद्युत आपूर्ति कर रहा था । उपभोक्ता (सिंचाई विभाग) न मार्च 1974 से जुलाई 1975 और अक्टूबर 1975 से अक्टूबर 1976 तक की अवधि के लिये 1.09 लाख रुपये के विद्युत प्रभारों का भुगतान नहीं किय । । तथापि, खण्ड न मासिक बिलों के साथ-साथ भुगतान में बिलम्ब क लिये अतिरिक्त प्रभार नहीं मांगा । इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1976 में 0.39 लाख रुपये की राशि भुगतान के लिय दय थी ।

साथ ही, उपभोक्ता ने मार्च 1974 से पहले की अवधि के लिये 1269 रुपये का अतिरिक्त प्रभार भुगतान नहीं किया। आडिट द्वारा यह बताये जाने पर (मई 1976), खण्ड ने जनवरी 1977 में अतिरिक्त प्रभार के लिये एक बिल जारी किया। उपभोक्ता द्वारा बकाया देयों का भुगतान किया जा चुका है (मार्च 1977)।

ईंधन लागत परिवर्तन

7.02. वृहत् शक्ति, भारी शक्ति और 100 के0 डब्लू0 से ऊपर के मिश्रित प्रभारों के उपभोक्ताओं पर लागू दर सूचियों में ईंधन लागत, कोयले की लागत के सन्दर्भ में परिवर्तनीय, के लिये एक प्रभार का प्राविधान है। फरवरी 1976 में, ईंधन लागत के लिये दर अप्रैल 1975 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के लिये 5.013 पैसा प्रति यूनिट से ऊपर की तरफ पुनर्निरीक्षित करके 6.095 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई। साथ ही फरवरी 1976 में मुख्य अभियन्ता द्वारा खंडों की पुनर्निरीक्षित दरें अक्टूबर 1975 से मार्च 1976 तक की अवधि के लिये अस्थायी रूप से, जब तक इसी बीच एक नई दर निर्धारित नहीं की जाती, लगाने के लिये निर्देश दिये गये।

तथापि, परिषद् के दो खण्डों ने नीचे दिये गये विवरणके अनुसार अपने उपभोक्ताओं पर पुर्ननिरीक्षित दरों पर प्रभार नहीं लगाया, परिणाम स्वरूप 2.41 लाख रुपये का कम प्रभार लगा :

इकाई का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	कम प्रभार की अवधि	कम प्रभार की धनराशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् अनुरक्षण खंड द्वितीय, मैनपुरी	19	अप्रैल 975 से मई 1976	2.02
विद्युत अनुरक्षण खंड, एटा	10	अप्रैल 1975 से जनवरी 1976	0.39

आडिट द्वारा यह बताये जाने पर, कम लगायी गयी धनराशि के लिये उपभोक्ता को जून 1976 में बिल दिये गये।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1977) कि 0.37 लाख रुपया बाद में वसूल किया जा चुका था और यह कि एटा खण्ड के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा रही थी। मैनपुरी खंड के सम्बन्ध में यह बताया गया कि इसके द्वारा दर संशोधित करने के आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

शक्ति की चोरी

7.03. फैजाबाद की एक उपभोक्ता फर्म को उसकी भूसा उत्पादनों के निर्माण के लिए 300 के0 डब्लू0 के एक भार की प्रार्थना के विरुद्ध फरवरी 1967 में 11 के0 वी0 पर 150 के0 डब्ल्यू0 का एक औद्योगिक भार स्वीकृत किया गया। उपभोक्ता ने प्रारम्भ में एक 250 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफारमर लगाया लेकिन बाद में (नवम्बर 1967) उच्चतर भार प्राप्त करने के लिये उसे एक उच्चतर क्षमता (400 के0वी0ए0) के ट्रांसफारमर से बिना परिषद् को सूचित किये बदल दिया। अगस्त 1970 में उपखंडीय अधिकारी फैजाबाद को संदेह हुआ कि उपभोक्ता ने जुलाई 1968 से मीटरिंग प्रबन्ध में गड़बड़ी कर रखी थी। जांच करने पर सहायक अभियन्ता (मीटर्स) द्वारा यह पाया गया कि परिपथ ट्रांसफारमर की ध्रुवता (पोलेरटी आफ दी सर्किट ट्रांसफारमर) को उल्टा कर दिया गया था, परिणामस्वरूप अत्यन्त न्यूनतर उपभोग अभिलेखित हो रहा था। सितम्बर 1970 में उपभोक्ता के परिसर में एक जांच मीटर लगाया गया।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् परीक्षण खंड, फैजाबाद के एक अनुमान (दिसम्बर 1975) के अनुसार ध्रुवता को उल्टा कर देने के कारण जूलाई 1968 से अगस्त 1970 तक की अवधि के दौरान 8.06 लाख के0 डब्लू0 एच0 की शक्ति का कम प्रभार किया गया।

अधिशासी अभियन्ता के एक प्रतिवेदन के अनुसार सितम्बर 1970 में लगाया गया जांच मीटर अगस्त 1971 में क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक नये द्वारा बदल दिया गया था। मीटर जनवरी 73 तक, जबकि इसमें दुबारा गड़बड़ी कर दी गई, सही रीडिंग्स दिखाता रहा और इसने अप्रैल 1974 में कार्य करना बन्द कर दिया।यह बात परिषद् की जानकारी में सितम्बर 1974 में आई। उसी माह एक नया मीटर लगाया गया और उसने अक्टूबर 1974 में 73,133 के0 डब्लू0 एच0 का उपभोग अभिलेखित किया। मीटर नवम्बर 1974 में फिर से गड़बड़ कर दिया गया जो जुलाई 1975 में जानकारी में आया। नवम्बर 1974 से फरवरी 1975 तक के माहों के दौरान अभिलेखित किया गया उपभोग 29116 और 35308 के0 डब्लू0 एच0 प्रतिमाह की सीमाओं में रहा।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् परीक्षण खंड, फैजाबाद ने अनुमानित किया कि मीटर में की गई गड़बड़ी के कारण उपभोक्ता पर फरवरी 1973 से जुलाई 1975 की अवधि के दौरान शक्ति की नौ लाख के0 डब्ल0 एच0 के लिये कम प्रभार किया गया। मुख्य अभियन्ता (विद्युत) ने उपभोक्ता पर कम प्रभार लगाये जाने का परीक्षण करने के लिये एक समिति स्थापित की (दिसम्बर 1975)। समिति ने अपनी संस्तुतियां मार्च 1976 में प्रस्तुत की जिनके आधार पर उपभोक्ता पर जुलाई 1968 से अगस्त 1970 तक 8.06 लाख इकाइयों के उपभोग के लिये 0.74 लाख रुपये के अनुमानित कम प्रभार के विरुद्ध सितम्बर 1970 से पहले के 6माहों की अवधि के लिये 0.14 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया गया। अप्रैल से सितम्बर 1974 तक की अवधि के लिये जबकि मीटर पूर्णतया रुक गया था, निर्धारण पिछले तीन माहों के औसत उपभोग के आधार पर किया गया और नवम्बर 1974 से जून 1975 तक की अवधि के लिये पुनर्निर्धारण 2400 इकाइयां प्रति कार्य दिवस के हिसाब से किया गया। फरवरी 1973 से मार्च 1974 तक की अवधि के लिये, जिस दौरान 4.64 लाख इकाइयों के अनुमानित उपभोग के लिये 0.43 लाख रुपये का कम प्रभार लगा था, कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया। अनुमानित उपभोग के आधार पर उपभोक्ता पर कुल कम लगाया गया प्रभार 1.03 लाख रुपया निकलता है।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि उपभोक्ता शक्ति की चोरियों में लगा हुआ था और यह कि अधिकारी उपभोक्ता से व्यवहार करने और चोरियां रोकने में चुस्त नहीं थे। आगे यह बताया गया कि मामले कि परिस्थितियों में जांच की तिथि से पहले के 6 महीनों की अवधि (अर्थात् अप्रैल 1970 से सितम्बर 1970) के लिये उपभोक्ता पर पुनर्निर्धारण के लिये समिति द्वारा सुझाई गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती थी।

न वसूले गये देय

7.04. परिषद् नवम्बर 1975 तक एक लाइसेन्सदार को 33 के0 वी0 पर बड़ी मात्रा में शक्ति की आपूर्ति कर रहा था, जिसके बाद लाइसेन्सदार का व्यापार अधिग्रहीत कर लिया गया। एक जनवरी 1972 से 11 के0 वी0 से ऊपर और 66 के0 वी0 तक की आपूर्ति लेने वाले लाइसैन्सदारों को स्वीकार्य छूट 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी। जनवरी 1972 से अगस्त 1975 तक की अवधि के लिये 5 प्रतिशत छूट देते हुये विद्युत् अनुरक्षण खंड द्वितीय, मैनपुरी द्वारा जारी किये गये बिलों का भुगतान लाइसैन्सदार ने स्वेच्छापूर्वक 7.5 प्रतिशत छूट लेते हुए किया। इस प्रकार लाइसेन्सदार द्वारा अगस्त 1975 तक की अवधि के लिये कम भुगतान की गई राशि 6.33 लाख रुपये थी। लाइसेन्सदार ने अक्टूबर 1972 से नवम्बर 1975 तक की अवधि के लिये 9.63

लाख रुपये के ईंधन अधिप्रभार समायोजन के बिलों का भी भुगतान नहीं किया।जनवरी 1975 से नवम्बर 1975 तक की अवधि के लिये शक्ति प्रभारों के भुगतान न करने या कम भुगतान करने के कारण 25.69 लाख रुपयों की एक राशि भी लाइसेन्सदार द्वारा देय थी।

खण्ड के लेखों की परख जांच के दौरान (जून 1976) यह पाया गया कि खण्ड ने अप्रैल 1975 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के लिये ईंधन अधिप्रभार समायोजन नहीं किया था जबकि यह मुख्य अभियन्ता के आदेशों (फरवरी 1976) के अनुसार किया जाना था । यह भी पाया गया कि खंड ने जनवरी 1972 से नवम्बर 1975 तक की अवधि के लिये लाइसैन्सदार द्वारा विलम्बित भुगतानों पर अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया था। आडिट द्वारा यह बताने पर, खण्ड ने ईंधन अधिप्रभार समायोजन और विलम्बित भुगतानों पर अतिरिक्त प्रभार के लिये क्रमशः 4.96लाख रुपये और 4.62लाख रुपये के बिल जारी किए।

इस प्रकार, भूतपूर्व लाइसेन्सदार द्वारा कुल 51.23 लाख रुपये की एक राशि देय थी। परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1976) कि बकाया देय, प्रतिकर जो अधिग्रहीत की गई सम्पत्तियों के लिये भूतपूर्व लाइसेन्सदार को देय हो सकता है, के विरुद्ध समायोजन द्वारा वसूल किये जायेंगे ।

कम निर्धारण के अन्य मामले

7.05. (क) वृहत् और भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार यदि एक मिल में उपभोग के लिये आपूर्ति की गई विद्युत् शक्ति घरेलू उद्देश्य के लिये भी प्रयुक्त की जाती है, इस प्रकार का उपभोग उपभोक्ता द्वारा अलग कर दिया जाना चाहिये और पृथक मीटर लगाना चाहिये। इस प्रकार पृथक् अंकित उपभोग पर उचित दर सूची के अन्तर्गत प्रभार लगाया जाता है। यदि उपभोक्ता घरेलू उपभोग पृथक अंकित करने में असफल रहता है तो पूरा उपभोग मिश्रित भारों पर लागू उच्चतर दरों पर प्रभारित करना होता है। अनुबन्धित प्रभारों के किसी दुरुपयोग का पता लगाने के लिये उपभोक्ताओं के परिसरों में प्रतिष्ठापनों का परिषद् के अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण जरूरी है।

परख सम्परीक्षा के दौरान कम प्रभार के निम्न मामले सामने आये:–

(i) विद्युत् अनुरक्षण खंड, बदायूं के दो बृहत उपभोक्ताओं की सितम्बर 1975 की मीटर रीडिंग अंकित करते समय संबंधित उपखंडीय अधिकारियों ने पाया (अक्टूबर 1975) कि उपभोक्ता घरेलू उद्देश्यों के लिये विद्युत् शक्ति का प्रयोग, मिल के उपभोग से ऐसा उपभोग बिना पृथक किये, कर रहे थे। तथापि, खंड द्वारा उपभोक्ता मिश्रित भार दर सूची के स्थान पर अनुबंधित दर सूची के अन्तर्गत ही प्रभारित किये जाते रहे । आडिट द्वारा यह बताये जाने पर (जनवरी 1976) एक उपभोक्ता को अप्रैल 1975 से अक्टूबर 1976 तक की अवधि के लिए 0.59 लाख रुपये की एक अतिरिक्त राशि के लिए बिल भेजा गया (नवम्बर 1976)। दूसरे उपभोक्ता को भी मार्च 1973 से सितम्बर 1974 तक की अवधि के लिए 0.05 लाख रुपये की एक अतिरिक्त राशि के लिए बिल भेजा गया (नवम्बर 1976); अक्टूबर 1974 से नवम्बर 1976 तक की अवधि के लिए अन्तर परिषद् द्वारा मिलान के अन्तर्गत बताया गया (जनवरी 1977)।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1977) कि अक्टूबर 1975 से पहले घरेलू उद्देश्य के लिए अनुबंधित भार के प्रयोग को सूचित न करने और उपभोक्ताओं पर अन्तर के लिये प्रभार लगाने में विलम्ब करने का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए छानबीन की जा रही थी । साथ ही, उपभोक्ताओं को घरेलू और औद्योगिक प्रभारों को पृथक् करने के लिए सूचनायें जारी की जा रही थीं ।

(ii) विद्युत् अनुरक्षण खंड, देहरादून के 150 के0वी0ए0 के अनुबंधित प्रभार वाले एक बृहत शक्ति उपभोक्ता की परिसर के एक निरीक्षण के बाद उपखंडीय अधिकारी,

देहरादून ने अक्टूबर 1973 में अधिशासी अभियंता को सूचित किया कि उपभोक्ता भारों को बिना पृथक किये घरेलू उद्देश्य के लिए शक्ति का अंशत: प्रयोग कर रहा था । जब उपभोक्ता को भारों को अलग करा लेने के लिए सूचना भेजी गई (अक्टूबर 1973), इस पर, मिश्रित दर सूची के स्थान पर अनुबन्धित दर सूची पर ही, प्रभार लगाना जारी रखा गया । मार्च 1973 से दिसम्बर 1975 तक की अवधि के लिये कम प्रभार 0.89 लाख रुपया निकला ।

परिषद् ने बताया (मार्च 1977) कि विद्युत् और पंखों के लिए पृथक मीटर 19 अगस्त 1976 को लगाये गये और यह कि 19 अगस्त 1976 से 29 सितम्बर 1976 के दौरान विद्युत् और पंखा मीटरों द्वारा अंकित उपभोग के आधार पर 20 मार्च 1971 (भार देने की तिथि) से आगे की अवधि के लिए 0.04 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का निर्धारण किया गया था, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया था। आगे यह बताया गया कि कुछ अधिकारियों की ओर से लापरवाही भी थी जिसके लिए कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी ।

(ख) मुरादाबाद के एक उपभोक्ता के पास पहली नवम्बर 1972 से 96.98 के0डब्लू0 का अनुबंधित भार था । उपभोक्ता का मीटर अनुबंधित भार साथ ही साथ शुरू से अंकित अधिकतम मांग की तुलना में बहुत कम उपभोग अंकित कर रहा था । सितम्बर 1975 में उपभोक्ता के परिसर में एक जांच मीटर लगाया गया । एक सितम्बर से 7 नवम्बर 1975 की अवधि के दौरान मूल मीटर द्वारा अंकित 1097 इकाइयों के विरुद्ध जांच मीटर ने 61438 इकाइयों का उपभोग अंकित किया । तथापि, उपभोक्ता को जांच मीटर लगाने से पूर्व के 6 माहों की अवधि से सम्बन्धित 0.17 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के लिये बिल भेजा गया (दिसम्बर 1976)। उससे पहले की अवधि के लिये बिल पुनर्निरीक्षित नहीं किये गये ।

परिषद् ने जनवरी 1977 में बताया कि मीटर द्वारा पूर्व अंकित अधिकतम मांग से शक्ति का उपभोग बहुत कम रहा आ रहा था यह जानकारी में आने (जनवरी 1974) के तुरन्त बाद जांच मीटर लगाने में उसकी असफलता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी । परिषद् ने आगे बताया कि 6 माह से अधिक के लिए पुनर्निरीक्षित निर्धारण नहीं किया गया था क्योंकि उपभोक्ता की मिलें पारी-पारी से कार्य कर रही थीं और शक्ति की कमी के कारण शक्ति प्रतिबन्ध थे ।

अधिभार का न लगाया जाना

7.06. (क) लघु और मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं पर 12 अक्टूबर 1974 से लागू दर सूची के अनुसार यदि भुगतान की देय तिथि से अगले माह के पहले दिन से गणना किये गये 6 महीनों से अधिक का भुगतान में विलम्ब किया जाता है तो उपभोक्ता, पहले लगाये जा सकने वाले 6 माह तक के विलम्ब के लिए 12 प्रतिशत अधिप्रभार के अतिरिक्त, विलम्ब की अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर अधिप्रभार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

परख सम्परीक्षा (जुलाई 1976) के दौरान यह पाया गया कि कानपुर विद्युत् आपूर्ति प्रशासन ने उन मामलों में, जहां उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में 6 माह से अधिक का विलम्ब किया गया, 2 प्रतिशत प्रतिमाह का अधिप्रभार नहीं लगाया था । 135 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अक्टूबर 1974 से मई 1975 तक की अवधि के लिए विलम्बित भुगतानों पर न लगाये गये अधिप्रभार का योग 0.37 लाख रुपया था ।

परिषद् ने नवम्बर 1976 में बताया कि विलम्बित भुगतानों के समस्त मामलों पर बाद में पुनर्वलोकन कर लिया गया था और सही अधिप्रभार लगाये जा चुके थे ।

(ख) परिषद् के आदेशों (अक्टूबर 1975) के अनुसार राजकीय नलकूपों द्वारा उपभोग की गई विद्युत् के लिए बिलों का भुगतान उनके जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर किया जाना

था, इसमें असफलता होने पर दो प्रतिशत प्रतिमाह (दिसम्बर 1975 से प्रभावी) का अधिप्रभार लगाया जाना था । विद्युत अनुरक्षण खंड द्वितीय, मैनपुरी ने दिसम्बर 1975 से मार्च 1976 तक की अवधि के लिए नलकूप खंड मैनपुरी द्वारा बिलों के विलम्बित भुगतान के लिए 0.37 लाख रुपये का अधिप्रभार नहीं लगाया ।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1977) कि मासिक आधार पर बिलों का पुर्ननिरीक्षण सम्भव नहीं था क्योंकि अक्टूबर 1975 के आदेश बी0एच0पी0 और दर, जिस पर बिल जारी किये जाने थे, स्पष्ट नहीं करते थे । यह भी बताया गया कि जून 1976 में जब अधिप्रभार के लिए एक बिल जारी किया गया था, राज्य नलकूप विभाग ने अधिप्रभार का भुगतान नहीं किया था जिसके लिए मामला सिंचाई विभाग के साथ चल रहा था ।

अनुबन्धित भार में कमी

7.07. विद्युत अनुरक्षण खंड,एटा द्वारा एक भारी शक्ति उपभोक्ता को 340 एच0पी0 के अनुबंधित भार पर शक्ति की आपूर्ति की जा रही थी। अनुबन्ध (7 जून 1968) की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता को अनुबंधित भार में किसी भी परिवर्तन के लिए 12 माह की सूचना (नोटिस) देनी थी । नवम्बर 1974 में उपभोक्ता ने भार को कम करके 260 एच0पी0 करने के लिए कहा जिसे अधिशासी अभियंता ने जनवरी 1975 में (11 दिसम्बर 1974 से प्रभावी) सूचना की निर्धारित अवधि की समाप्ति का इन्तजार किये बिना स्वीकृत किया । इसी बीच परिषद् ने दिसम्बर 1974 में निर्देश जारी किये कि शक्ति उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अनुबंधित भारों में कोई कमी नहीं की जायेगी ।

दिसम्बर 1974 से नवम्बर 1975 तक की सूचना की अवधि के दौरान भार में कमी के परिणामस्वरूप 0.48 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामला परिषद् को सितम्बर 1975 में सूचित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1977)।

छूट की स्वीकृति

7.08. 100 के0डब्लू0 से ऊपर के मिश्रित भारों पर लागू दर सूची की एक मद (नवम्बर 1974 से प्रभावी) के अनुसार, यदि आपूर्ति ए0सी0 पर 11 के0वी0 से ऊपर और 66 के0वी0 तक दी जाती है तो 5 प्रतिशत की एक छूट स्वीकार्य है । तथापि, आगरा विद्युत आपूर्ति उपक्रम ने एक उपभोक्ता को, जिसे विद्युत आपूर्ति 400 वोल्ट पर की जा रही थी, 5 प्रतिशत की छूट स्वीकृत की । नवम्बर 1976 तक की अवधि के लिए दी गई छूट का योग 0.27 लाख रुपये था ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि उपभोक्ता को उसे दी गई छूट के लिए जनवरी 1977 में बिल भेजा जा चुका था ।

राजस्व की हानि

7.09. मोदी नगर का एक उपभोक्ता (अनुबंधित भार दिसम्बर 1969 तक 3000 के0वी0ए0, 15 सितम्बर 1972 तक 3,750 के0वी0ए 0 और उसके बाद 4,750 के0वी0ए0) मार्च 1970 तक चार मीटर बिन्दुओं पर और उसके बाद पांच मीटर बिन्दुओं पर आपूर्ति प्राप्त कर रहा था । उपभोक्ता पर लागू दर सूची के अनुसार प्रत्येक बिन्दु पर शक्ति की आपूर्ति के लिए पृथक बिल बनना था लेकिन उपभोक्ता को बिल, मानो आपूर्ति एक अकेले बिन्दु पर थी, कुल आपूर्ति के आधार पर भेजा गया । इसके परिणाम स्वरूप सम्बन्धित खंड द्वारा दिये गये विवरणों के अनुसार मार्च 1969 से नवम्बर 1976 तक की अवधि के दौरान मांग प्रभार में 7.74 लाख रुपये की सीमा तक कमी हुई ।

परिषद ने बताया (जनवरी 1977) कि एक अकेले बिन्दु पर मीटर व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रबन्ध किये जा रहे थे ।

अनुभाग VIII

अन्य रोचक विषय

भूयोजन तार का क्रय

8.01. विशिष्टि ई0एच0वी0-10 के विरुद्ध भूयोजन तार की सम्पूर्ति के लिए निविदायें मई 1973 में आमंत्रित की गई और मार्च 1974 में हैदराबाद की एक फर्म, जो न्यूनतम निविदादाता थी; को 20.95 लाख रुपये मूल्य के 700 किलोमीटर 7/9 एस0डब्लू0जी0 भूयोजन तार की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया गया । अधीक्षण अभियंता, ट्रांसमीशन डिजाइन सर्किल द्वारा फर्म की निविदा की संस्तुति इन आधारों पर नहीं की गई थी (जनवरी 1974) कि (i) निविदा में सामान की किस्म नहीं दर्शायी गई थी, (ii) उत्पादित वस्तु आई0एस0आई0 के साथ पंजीकृत नहीं थी, (iii) प्रस्ताव की मूल्य वृद्धि की धारा बिना किसी सीमा के थी, और (iV) फर्म नई थी । तथापि, परिषद् द्वारा निविदा जनवरी 1974 में, मूल रूप से दिये गये 2169 रुपया प्रति किलोमीटर (मूल्य वृद्धि की शर्त के साथ) के मूल्य के विरुद्ध फर्म द्वारा अपना प्रस्ताव 2950 रुपया प्रति किलोमीटर के एक स्थिर मूल्य पर परिवर्तित कर देने के बाद, स्वीकृत की गई । जून और जुलाई 1973 में क्रमशः टी0डी0-44 और टी0डी0-48 के विरुद्ध आमंत्रित निविदाओं के आधार पर 6.72 लाख रुपये मूल्य के 250 किलोमीटर 7/9 एस0डब्लू0जी0 भूयोजन तार के लिए और 11.20 लाख रुपये मूल्य के 500 किलोमीटर 7/10 एस0डब्लू0जी0 भूयोजन तार के लिए दो और आदेश भी उसी फर्म को उसी माह (मार्च 1974) में दिये गये ।

क्रय आदेशों में निर्दिष्ट था कि (i) माल ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसीफिकेशन में निर्दिष्ट परीक्षणों के अनुरूप होना चाहिये, (ii) क्रेता को आपूर्तिकर्ता की परिसर में या कार्यस्थल पर निरीक्षण या परीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा, और (iii) 100 प्रतिशत भुगतान बैंक के माध्यम से परीक्षण प्रमाण-पत्रों के साथ प्राप्त रेलवेरसीदों के विरुद्ध और संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत को पूरा करती हुई बैंक गारन्टी प्रस्तुत किये जाने पर किया जायगा ।

तदनुसार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत परीक्षण डिजाइन मण्डल ने 4 और 5 अप्रैल 1974 को फर्म के कारखाने का निरीक्षण किया और सूचित किया कि यह भूयोजन तार के निर्माण के लिए आधुनिक मशीनों से सुसज्जित थी और यह कि उसके पास सम्बन्धित मानकों में निर्धारित भूयोजन तार के परीक्षण के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध थीं । उसने यह भी सूचित किया कि टी0डी0-48 और टी0डी0--44 विशिष्टियों के विरुद्ध भूयोजन तार की सम्पूर्ण मात्रा (750 किलोमीटर) फर्म पहले ही निर्मित कर चुकी थी और यह कि परख नमूना परीक्षण के आधार पर माल संतोषजनक पाया गया । विशिष्टि ई0एच0वी0-10 के तार के संबंध में फर्म ने 200 किलोमीटर प्रत्येक के दो ढेर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये लेकिन निरीक्षण को जून और जुलाई 1974 में बिना कोई कारण अभिलेखित किये छोड़ दिया गया । तथापि 160 किलोमीटर का एक तीसरा ढेर अगस्त 1974 में फर्म के कारखाने में परीक्षित किया गया और माल को संतोषजनक घोषित किया गया । शेष 140 किलोमीटर के संबंध में भी निरीक्षण अगस्त 1974 में छोड़ दिया गया ।

फर्म ने तीन आदेशों के विरुद्ध भूयोजन तार अप्रैल से सितम्बर 1974 तक की अवधि के दौरान प्रेषित किया लेकिन विशिष्टि ई0एच0वी0-10 और टी0डी0-44 के विरुद्ध प्राप्त सम्पूर्ण मात्रा दोषपूर्ण और प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पायी गई । मई 1976 में टी0 डी0-48 विशिष्टि के विरुद्ध 500 किलोमीटर भूयोजन तार प्राप्त हुआ लेकिन निरीक्षित नहीं किया गया क्योंकि सम्मिलित निरीक्षण का प्रबन्ध नहीं किया जा सका । भूयोजन तार की सम्पूर्ण मात्रा (1450 किलोमीटर) की सुपुर्दगी परिषद् के 15 खण्डों द्वारा 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने पर ली गई, सिवाय 6 प्रेषणों (मूल्य: 6.38 लाख रुपया) के जिनकी सुपुर्दगी क्षतिपूरक प्रतिज्ञापत्र पर ली गई । इसके अतिरिक्त,

दो खंडों में प्राप्त माल के संबंध में कुल 3 लाख रुपये के विलम्ब और घाट शुल्क का भुगतान किया गया ।

माल दोषपूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना 15 खंडों में से एक के द्वारा अक्टूबर 1974 में दी गई जिस पर मामला अध्यक्ष और परिषद् के एक अन्य सदस्य द्वारा फर्म के प्रतिनिधियों के साथ दिसम्बर 1974 और जनवरी 1975 में उठाया गया और उस समय तक विभिन्न खंडों द्वारा 1162 किलोमीटर की सुपुर्दगी ली जा चुकी थी; शेष माल (288 किलोमीटर) की सुपुर्दगी मार्च 1975 में, फर्म से बातचीत के बाद जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सहमत किया गया कि विशिष्टि ई0एच0 वी0–10, टी0डी0–44 और टी0डी0–48 (सम्मिलित निरीक्षण के बाद)' के दोषपूर्ण भूयोजन तार की सम्पूर्ण मात्रा आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदल दी जायगी, ली गयी ।

फर्म विशिष्टि ई0 एच0वी0–10, टी0डी0–44 और टी0डी0–48 के विरुद्ध निष्पादन गारन्टी और साथ ही साथ प्रतिभूति के रूप में दी गई बैंक गारन्टी की अवधि 30 अप्रैल 1976 तक बढ़ाने के लिए और उसके बाद उनका उस अवधि (यों) के लिये जो दोषपूर्ण माल की पूर्ण बदली की तिथि से 12 माह का समय पूरा करती हो, नवीनीकरण/पुनर्वैधीकरण करने के लिए भी सहमत हुई ।

रेलवे स्टेशनों पर पड़े हुए माल के लिए इन प्रेषणों से संबंधित कागजातों को छुड़ाने के लिए फर्म को एक वर्ष की अवधि के लिए वैध 4.25 लाख रुपये की एक अतिरिक्त बैंक गारन्टी देनी थी और उसके बाद उसका, उस अवधि (यों) के लिये जो दोषपूर्ण माल की पूर्ण बदली की तिथि से 12 माह का समय पूरा करती हो, नवीनीकरण/पुनर्वैधीकरण करना था ।

फर्म से प्राप्त हुआ दोषपूर्ण माल परिषद् द्वारा फर्म से प्राप्त होने वाली समान नई आपूर्तियों के बदले में वापिस किया जाना था ।

तद्नुसार, फर्म ने 4.25 लाख रुपये की एक अतिरिक्त बैंक गारन्टी प्रस्तुत की (जनवरी 1975) और पुरानी बैंक गारंटियों (3.90 लाख रुपया) को अप्रैल 1976 तक वैधीकरण किया (फरवरी 1975)। संबंधित खंडों ने शेष रेलवे रसीदों को कुल 8.35 लाख रुपये की राशियों का भुगतान करके छुड़ाया और रेलवे स्टेशनों पर पड़े 288 किलोमीटर भूयोजन तार की सुपुर्दगी ली । तथापि, फर्म ने न तो दोषपूर्ण माल का कोई भाग बदला है न ही इसने विशिष्टि टी0डी-48 के संम्बन्ध में आपूर्ति किये गये माल के सम्मिलित निरीक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किया है । परिषद ने अगस्त 1975 में बैंक गारन्टी भुनाने और फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया । कुल 8.15 लाख रुपये की बैंक गारंटियों में से केवल 1.02 लाख रुपये मूल्य की गारन्टियां भुनायी जा सकी; अन्यों के सम्बन्ध में, फर्म द्वारा अप्रैल 1976 के बाद वैधता नहीं बढ़ाई गई थी ।

इस प्रकार, परिषद् ने दोषपूर्ण माल के क्रय पर 35.21 लाख रुपया व्यय किया (33.23 लाख रुपये का फर्म को भुगतान और 3 लाख रुपये के विलम्ब और घाट शुल्क के रूप में रेलवे को भुगतान से बैंक गारन्टी को भुनाने से प्राप्त 1.02 लाख रुपया घटाकर) ।

परिषद् के अध्यक्ष ने अगस्त 1975 में एक अकेले व्यक्ति की समिति फर्म को एक के बाद एक संविदा प्रदान करने के कारणों और आपूर्तिकर्ता के कारखाने पर इनके निरीक्षण किये जाने के बाद भी दोषपूर्ण माल स्वीकार करने की परिस्थितियों की छान बीन करने के लिए नियुक्त की; समिति का प्रतिवेदन अपेक्षित है (मई 1977) ।

परिषद् ने बताया (अक्तूबर 1976) कि फर्म ने दोषपूर्ण भूयोजन तार की आपूर्ति द्वारा, इसे बदलने के किसी इरादे के बिना, उसे 'धोका' दिया था और यह कि फर्म ने पंच निर्णय में जाने की इच्छा जाहिर की थी ।

रद्दी लोहे (स्क्रैप) का पुनर्वेलन

8.02. नवम्बर 1973 और मार्च 1974 के बीच चार खंडों ने रद्दी लोहे को पुनः बेलने का कार्य लखनऊ की एक फर्म को विभिन्न दरों पर आवंटित किया। खंडों ने फर्म को पुनः बेलने के लिए 2.62

लाख रुपये मूल्य का 140.87 मीट्रिक टन रद्दी माल निर्गमित किया लेकिन फर्म ने इस आधार पर कि बार बार बिजली कटौती के कारण रद्दी माल प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया था न तो बेले गए उत्पादन की सुपुर्दगी दी और न ही रद्दी माल लौटाया । विवरण नीचे दिये गये अनुसार है:-

खंड का नाम	प्रक्रिया दर प्रति मीट्रिक टन जिस पर कार्य आवंटित किया गया रुपये	निर्गमित रद्दी माल मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपयों में)
ओबरा थरमल विद्युतीकरण खंड, ओबरा ..	350	28.423	0.51
विद्युत् हाईवोल्टेज निर्माण खंड, इलाहाबाद ..	360	26.917	0.47
भंडार अभिप्राप्ति खंड (स्तर IV) हरदुआगंज, कासिमपुर ..	350	26.775	0.46
विद्युत् पारेषण निर्माण खंड, सुल्तानपुर	360 380	58.755	1.18

जब कि प्रथम तीन खंडों द्वारा फर्म को कार्य कुटेशनों के आधार पर आवंटित किया गया था, चौथे खंड ने बिना कुटेशन मांगे कार्य आवंटित किया था । परिषद् ने फर्म के विरुद्ध चार मुकदमें अक्टूबर/नवम्बर 1975 के दौरान दायर किये थे ।

परिषद् ने बताया (मार्च 1977) कि (i) हरदुआगंज खंड ने कोई प्रतिभूति या गारन्टी नहीं प्राप्त की थी जब कि अन्य खंडों ने अपर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त की थी, जो ठेकेदार को निर्गमित माल की कीमत को पूरा नहीं करती थी, (ii) अधिशासी अभियंता, सुल्तानपुर की विश्वसनीयता सन्देहजनक थी क्योंकि उन्होंने फर्म को, पहले दो आदेशों के विरुद्ध इस को माल सुपुर्द करने में असफलता मालूम होने पर भी, तीसरा आदेश दिया था, (iii) फर्म समापन में चली गई थी लेकिन उसके विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों का अनुसरण किया जा रहा था और (iv) जिनकी विश्वसनीयता नहीं प्रमाणित होती थी उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित था ।

कर्मचारियों की भविष्य निधि

8.03. आठ मई 1958 से कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा), जो अप्रैल 1959 से परिषद् की एक इकाई हो गया, पर लागू की गई । तथापि, केसा ने न तो कर्मचारियों के अंशदान का हिस्सा उनकी मजदूरी से काटा और न ही इसने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्देशित तरीके से कोई विनियोजन किया । कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना इस विचार के कि कर्मचारियों ने अपने अंशदान का भुगतान किया है या नहीं, परिषद् द्वारा कर्मचारियों के अंशदान का हिस्सा भुगतान करने योग्य है। अप्रैल 1959 से मार्च 1966 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान के हिस्सों (प्रत्येक 6.26 लाख रुपया) के साथ-साथ उन पर प्रशासकीय व्ययों (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को देय 0.32 लाख रुपया) के सम्बन्ध में बकाया 12.84 लाख रुपये के थे। मार्च 1959 से फरवरी 1973 तक की अवधि के लिए अंशदानों के भुगतान में चूक के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 3.91 लाख रुपये का हरजाना भी लगाया (मार्च और दिसम्बर

1975)। परिषद् ने दिसम्बर 1976 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को 10.60 लाख रुपये का भुगतान किया ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि बकायों के निबटाने के लिए कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ था और यह कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास अप्रैल 1976 से 1 लाख रुपया प्रति माह नियमित रूप से बकायों के विरुद्ध इस आशा के साथ जमा किया जा रहा था कि कानून का पालन न करने के लिए हरजाने का प्रश्न नहीं उठेगा। यह भी बताया गया कि कर्मचारियों से कर्मचारियों के हिस्सों के बकायों की वसूली से संबंधित प्रश्न क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को इस निवेदन के साथ भेजा गया था (मई 1976) कि परिषद् को कर्मचारियों से उनकी वसूली सुगम किस्तों में करने की आज्ञा प्रदान की जाय । आगे की प्रगतियां प्रतीक्षा में हैं (मार्च 1977) ।

क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमर

8.04. गजरौला सब स्टेशन (विद्युत अनुरक्षण खंड, मुरादाबाद) पर स्थापना हेतु एक बम्बई की फर्म द्वारा अगस्त 1970 में आपूर्ति किया हुआ एक 37.5/11 के0वी0, 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफारमर (कीमत: 1.54 लाख रुपया) चालू किये जाने की तिथि से 12 माह या मद्रास स्टेशन तक निष्प्रभार प्रेषण तिथि से 18 माह, जो भी जल्दी हो, की अनुरक्षण गारन्टी से संविदा के अन्तर्गत सुरक्षित था। ट्रांसफारमर फरवरी 1973 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1973 में चालू किया गया लेकिन दिसम्बर 1973 में खराब हो गया । जब इसकी मरम्मत करने के लिए कहा गया (दिसम्बर 1973) आपूर्तिकर्ता ने बिना लागत के ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि गारन्टी अवधि व्यतीत हो चुकी थी । आपूर्ति कर्ता फर्म के एक अभियंता ने, जिसने परिषद् की प्रार्थना पर ट्रांसफारमर को हुई क्षतियों की छानबीन की (सितम्बर 1974), सूचित किया कि ट्रांसफारमर दोषपूर्ण परिस्थितियों के अन्तर्गत चलाया गया था, परिणामस्वरूप क्षति हुई । ट्रांसफारमर बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है (मई 1977)।

सब-स्टेशन अप्रैल 1974 से आगे कानपुर की एक फर्म से अप्रैल 1976 में परिषद् द्वारा खरीदे गये उसी क्षमता के एक अन्य ट्रांसफारमर (कीमत: 3.50 लाख रुपया) से परिचालित किया गया ।

मामला परिषद् को सितम्बर 1976 में सूचित किया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1977)।

पूंजीगत लागत की वसूली न करना

8.05. अप्रैल 1975 में परिषद् ने यह तय किया कि निजी नलकूपों और पंप सैटों को कनैक्शन देने में यह निम्न सीमा तक उर्जीकरण लागत वहन करेगा :

(i) प्रति कनैक्शन 300 मीटर की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ प्रति एच0 पी0 60 मीटर की दर से 11 के0वी0 और एल0टी0 लाइन की निर्माण लागत, और

(ii) वांछित वितरण ट्रांसफारमर स्टेशन (रे) की स्थापना की पूरी लागत ।

उपभोक्ताओं को ऊपर वर्णित मुक्त सीमा से अधिक लाइन की लागत और आखिरी पोल के आगे सेवा कनैक्शन की लागत वहन करनी थी । तथापि, जहां प्रति कनैक्शन परिषद् के हिस्से की लागत नौ विशिष्ट जिलों में 4,000 रुपये प्रत्येक और राज्य के अन्य जिलों में 6000 रुपये प्रत्येक से अधिक थी, 4,000/6,000 रुपये से ऊपर की अधिकता उपभोक्ता द्वारा प्रारम्भ में ही जमा की जानी थी लेकिन वह एक समयावधि के अन्दर वापस करने योग्य थी ।

विद्युत् अनुरक्षण खंड, हापुड़ में अप्रैल 1975 से फरवरी 1976 की अवधि के दौरान 350 उपभोक्ताओं को, नलकूप व पम्प सैट चलाने के लिए 4,000 रुपये (जिले के लिए सीमा) से अधिक

पूंजीगत लागत के परिषद् के भाग को पूरा करने के लिए उनसे जमायें प्राप्त किये बिना, कनेक्शन दिये गये और विद्युत प्रदान की गई । 118 मामलों में वसूल न की गई राशि का योग 5.60 लाख रुपये था; शेष 232 मामलों से सम्बन्धित राशि ज्ञात नहीं थी ।

परिषद् ने बताया (फरवरी 1977) कि सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही प्रस्तावित थी ।

सीमेंट की ढुलाई

8.06. जून 1974 में, अधीक्षण अभियंता सिविल मण्डल, लखनऊ ने सतना की एक फर्म को 1200 मीट्रिक टन सीमेंट अधीक्षण अभियंता, विद्युत पारेषण मण्डल, कानपुर को आपूर्ति करने के लिए एक आदेश दिया । सीमेंट सीतापुर में सुपुर्द किया जाना था । कानपुर मण्डल के अधीक्षण अभियंता ने अधीक्षण अभियंता लखनऊ सिविल मण्डल को सूचित किया (सितम्बर 1974) कि उन कार्यों को, जिनके लिए सीमेंट की आवश्यकता थी, रोक दिया गया था लेकिन बाद वाले ने जून 1975 तक आदेश निरस्त नहीं किया । निरस्ति के बावजूद भी फर्म ने अगस्त/सितम्बर 1975 में 1072 मैट्रिक टन सीमेंट का प्रेषण सीतापुर को किया । अधीक्षण अभियंता, लखनऊ सिविल मण्डल ने आपूर्ति स्वीकार की और इसे 0.40 लाख रुपये की लागत से सीतापुर से लखनऊ और लखीमपुर खीरी तक ढुलवाया ।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1977) कि ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी ।

मसाले की पुनः भराई (रिग्राउटिंग) पर व्यय

8.07. मार्च 1975 में 33 के0 वी0 उन्नाव-मियागंज लाइन (57 किलोमीटर) विद्युत पारेषण निर्माण खंड, कानपुर द्वारा विद्युत अनुरक्षण खंड, उन्नाव को हस्तांतरित की गई । 26 मार्च 1975 को अनुरक्षण खंड ने सूचित किया कि आठ स्थानों पर 129 से 136 नम्बर के पोलों के गिर जाने के कारण लाइन टूट जाने की हालत में थी । दोनों खंडों के खंडीय अधिकारियों द्वारा बाद की सम्मिलित जांच पड़ताल से प्रकट हुआ कि इन स्थानों पर सपोर्टों को मसाले से भराई नहीं की गई थी और केवल कच्चे चबूतरे बनाये गये थे । इससे सपोर्टों की मसाले से नई गढ़ाई और लाइन की अन्य मरम्मतों की आवश्यकता हुई जिस पर 0.20 लाख रुपया व्यय किया गया ।

परिषद् ने अक्टूबर 1976 में बताया कि निर्माण के दौरान की अनियमितताओं की छान-बीन की जा रही थी । यह आगे बताया गया कि गलतियों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । आगे की प्रगतियां प्रतीक्षा में हैं (मार्च 1977)।

विषय अगस्त से दिसम्बर 1976 के दौरान सरकार के ध्यान में लाये गये थे; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1977)।

अनुभाग IX

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

बिक्रीकर का अधिक भुगतान

9.01. 26 मई 1975 से संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार या एक सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियंत्रित एक कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय अपने स्वयं के प्रयोग के लिए किसी भी वस्तु का क्रय (लेकिन दुबारा बिक्री के लिये या किसी वस्तु के निर्माण या पैकिंग में प्रयोग के लिये नहीं) बिक्रीकर की रियायती दर पर, अर्थात् 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत, कर सकती थी । यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध थी जब कि सम्बन्धित क्रय कर्ता अधिकारी बिक्रीकर विभाग से प्राप्य निर्धारित प्रपत्र में विक्रय व्यापारी को एक घोषणा प्रेषित करे ।

परख सम्परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निगम की चार इकाइयों ने जून 1975 से मार्च 1976 की अवधि के दौरान अपने स्वयं के प्रयोगार्थ कुल 50.07 लाख रुपये मूल्य का सामान विक्रय व्यापारियों से क्रय किया लेकिन बिक्रीकर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए निर्धारित घोषणायें नहीं प्रेषित कीं । इसके परिणामस्वरूप इन क्रयों पर 3.19 लाख रुपये के बिक्रीकर का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

मामला निगम के ध्यान में सितम्बर 1976 में लाया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 1977)।

नकदी की हानि

9.02. निगम के एक अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (23 सितम्बर 1975) के परिणामस्वरूप केसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ में 0.70 लाख रुपये की नकदी की कमी पकड़ी गयी । मामला 24 सितम्बर 1975 को पुलिस को सूचित किया गया । यातायात अधीक्षक, स्टेशन प्रभारी और दो सहायक खजांचियों को उसी दिन निलम्बित कर दिया गया । तथापि, यातायात अधीक्षक और स्टेशन प्रभारी को क्रमशः जुलाई और अक्तूबर 1976 में अस्थायी रूपसे बहाल कर दिया गया था । मामला पुलिस और विभागीय छानबीन के अन्तर्गत है (मई 1977) ।

मामला प्रबन्धकों और सरकार को दिसम्बर 1976 में सूचित किया गया था; उत्तर अपेक्षित है (मई 1977)।

वेद प्रकाश

(वेद प्रकाश)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–II

20 JUL 1977
इलाहाबाद :

प्रतिहस्ताक्षरित

अर्धेन्दु वक्सी

25 JUL 1977
नई दिल्ली:

(अर्धेन्दु वक्सी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

(संदर्भ : पैरा 1.02,
सरकारी कम्पनियों के वित्तीय कार्य परिणामों

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ(+) हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1975–76	303.76	(+) 5.00
2	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	13 जून 1958	1975–76	459.15	(+) 19.46
3	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1975–76	..	(+) 57.04
4	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	नियोजन	22 दिसम्बर 1964	1975–76	5.61	(+) 0.15
5	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1975–76	119.96	(+) 2.83
6	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	कृषि	29 मार्च 1967	1975–76	712.17	(-) 138.01
7	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1975–76	1567.93	(+) 5.99
8	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	उद्योग	26 मार्च 1971	30सितम्बर 1976 को समाप्त हुई वर्ष	2204.66	(-) 268.96
9	उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1975–76	132.59	(+) 1.60

I

पृष्ठ 1)
का संक्षिप्त विवरण

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगायी गयी पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
						(लाख रुपयों में)
17.46	17.46	22.46	7.39	296.49	22.46	7.58
51.86	51.86	71.32	15.53	660.36	71.32	10.80
18.32	18.32	..	..	1389.18	75.36	5.43
..	..	0.15	2.67	1.35	0.15	11.11
2.33	0.95	3.78	3.15	124.79	5.16	4.13
66.95	3.78	(–) 134.23	..	868.63	(–) 71.06	..
0.10	0.10	6.09	0.39	586.58	6.09	1.04
117.21	54.20	(–) 214.76	..	800.02	(–) 151.75	..
0.23	0.17	1.77	1.33	109.57	1.83	1.67

1	2	3	4	5	6	7
10	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1971	1975–76	64.77	(–) 11.03
11	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1975–76	3518.10	(–) 60.78
12	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1975–76	..	(+) 11.16
13	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1975–76	39.43	(+) 0.66
14	उत्तर प्रदेश स्टेट खनिज विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च 1974	1975–76	40.09	(+) 0.08
15	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	5 अगस्त 1974	1975–76	67.86	(+) 0.68
16	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर 1974	1975–76	50.00	(–) 0.21
17	शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	कृषि	4 मार्च 1975	1975–76	23.99	(+) 0.95
18	गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15 मार्च 1975	1975–76	46.47	(+) 0.89
19	रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15 मार्च 1975	1975–76	47.26	(+) 0.52
20	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन सहायक	25 मार्च 1975	1975–76	..	(+) 3.55
21	कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1975–76	5.11	(+) 0.11
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1976 को समाप्त हुई वर्ष	7.75	(+) 0.43

I (जारी)

8	9	10	11	12	13	14
						(लाख रुपयों में)
1.19	..	(−)11.03	..	63.63	(−)9.84	..
23.27	1.50	(−)59.28	..	2122.24	(−)37.51	..
30.42	30.42	41.58	..	903.88	41.58	4.60
0.03	0.03	0.69	1.75	39.23	0.69	1.76
..	..	0.08	0.20	37.61	0.08	0.21
0.11	0.11	0.79	1.16	67.69	0.79	1.17
..	..	(−)0.21	..	49.79	(−)0.21	..
..	..	0.95	3.96	23.68	0.95	4.01
..	..	0.89	1.92	46.16	0.89	1.93
..	..	0.52	1.10	46.95	0.52	1.11
..	..	3.55	..	39.08	3.55	9.08
..	..	0.11	2.15	5.11	0.11	2.15
..	..	0.43	5.55	7.63	0.43	5.64

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1976 को समाप्त हुई वर्ष	7.43	(+) 0.59
24	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1976 को समाप्त हुई वर्ष	5.07	(+) 0.07
25	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1976 को समाप्त हुई वर्ष	16.46	(−) 0. 91
26	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1975–76	0.37	(−) 0.15
27	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य तथा रसद	22 अक्तूबर 1974	1974–75	50.13	(+) 0.25
28	उत्तर प्रदेश पंचायती राज-वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24 अप्रैल 1973	31 दिसम्बर 1974 को समाप्त हुई वर्ष	..	(+) 0.80
29	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1974–75	25.00	(−) 1.45
30	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18 अक्तूबर 1972	30 सितम्बर 1974 को समाप्त हुई वर्ष	90.00	(−) 2.01
	सहायक कम्पनिया					
31	टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग	11 जुलाई 1939	1975–76	15.27	(−) 0.18
32	किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	17 फरवरी 1972	30 सितम्बर 1976 को समाप्त हुई वर्ष	509.26	(−) 38.23
33	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	24 नवम्बर 1973	1975–76	7.57	(−) 0.70

I (जारी)

8	9	10	11	12	13	14
					(लाख रुपयों में)	
..	..	0.59	7.94	9.32	0.59	6.33
..	..	0.07	1.38	4.94	0.07	1.42
..	..	(–)0.91	..	15.46	(–)0.91	..
..	..	(–)0.15	..	0.07	(–)0.15	..
.	..	0.25	0.50	49.94	0.25	0.50
..	..	0.80	..	43.42	0.80	1.84
..	..	(–)1.45	..	23.33	(–)1.45	..
0.51	0.51	(–)1.50	..	85.43	(–)1.50	..
0.02	..	(–)0.18	..	13.45	(–)0.16	..
63.29	28.18	(–)10.05	..	325.26	25.06	7.70
0.05	0.05	(–)0.65	..	9.16	(–)0.65	..

1	2	3	4	5	6	
34	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रौनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1975–76	61.83	(–) 4.61
35	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं 01) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1975–76	722.50	(–) 48.31
36	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं 02) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1975–76	0.01	..
37	नन्दगंज-सिहोरी सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	30 जून 1976 को समाप्त हुई वर्ष	129.12	..
38	छाता सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1976 को समाप्त हुई वर्ष	146.25	..
39	चांदपुर सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1976 को समाप्त हुई वर्ष	220.00	..
40	ट्रांसकेबिल्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	29 नवम्बर 1973	1975–76	8.99	..
41	अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड	उद्योग	27 अगस्त 1971	31 अक्तूबर 1975 को समाप्त हुई वर्ष	242.00	(–) 24.06
42	उत्तर प्रदेश प्रैसट्रैस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	उद्योग	30 सितम्बर 1972	31 मार्च 1975 को समाप्त हुई वर्ष	2.58	..
43	फैजाबाद रूफिंग्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग	16 फरवरी 1974	31 मार्च 1975 को समाप्त हुई वर्ष	7.31	..

टिप्पणीं :––(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि

(ii) लगाई गई पूंजी में (क्रमांक 3,12,20 और 28 की कम्पनियों को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी सम्मिलित है ।

(iii) क्रमांक 3,12,20 और 28 की कम्पनियों के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी, औसत आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मिलित करते हुए उधार और निक्षेप

(iv) क्रमांक 36 से 40,42 और 43 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

I (समाप्त)

8	9	10	11	12	13	14
						(लाख रुपयों में)
0.66	0.66	(−)3.95	..	52.67	(−)3.95	..
0.98	..	(−)48.31	..	468.79	(−)47.33	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
20.77	20.77	(−)3.29	..	201.03	(−)3.29	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

सम्मिलित है ।

निवल नियत परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माणाधीन-कार्यों को छोड़कर)

लगाई गई पूंजी, अर्थात् (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) बन्ध पत्र और ऋण पत्र, (iii) के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग का औसत प्रदर्शित करती है ।

परिशिष्ट

(संदर्भ: पैरा 5.01(iii) और 5.02,
सांविधिक निगमों के वित्तीय कार्य परिणामों

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+) हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
						(क) उत्तर प्रदेश
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1975–76	1,29,472.43	(–) 1,202.70
						(ख) अन्य
1	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1975–76	..	(+) 100.83
2	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19 मार्च 1959	1974–75	215.12	(+) 6.75

टिप्पणी:— (1) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण तथा निर्वाध आरक्षित निधि सम्मि-
(2) लगाई गई पूंजी में (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल नियत
(3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त पूंजी, सम्मिलित करते हुए उधार, (v) निक्षेप और राज्य सरकार द्वारा पेशगी के रूप प्रदर्शित करती है ।

II

अनुभाग V, पृष्ठ 72 व 74)

का संक्षिप्त विवरण

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगायी गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
राज्य विद्युत परिषद्						(लाख रुपयों में)
3,667.25	3,667.25	2,464.55	1.90	1,23,032.23	2,464.55	2.00
सांविधिक निगम						
126.54	113.57	..	..	2,563.36	227.37	8.87
..	..	6.75	3.14	214.86	6.75	3.14

लित हैं।

परिसम्पत्तियां और कार्यशील पूंजी सम्मिलित है ।

(ii) बन्धपत्र और ऋण पत्र, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुन: वित्त को में दी गई विशेष योजनाओं के लिये निधि के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के योग का औसत

पी0एस0 यू0पी0--ए0पी0 3 महालेखाकार--8-6-77--755--1750 (हि0)।

शुद्धि-पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (वाणिज्यिक)-उत्तर प्रदेश सरकार

पृष्ठ सं0	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
(iii)	2, 8, 25	लेखों	लेखाओं
2	8	निस्तारण में,	परिसमापनाधीन
2	12	विनियोग	निवेश
2	अन्तिम	राशियां	आंकड़े
3	1, 9	विनियोग	निवेश
3	17, 28	कम्पनियां	कम्पनियों
3	2 नीचे से	(65 लाख रुपय)	(65 लाख रुपये)
4	6 नीचे से	भुगतान क	भुगतान के
5	अन्तिम	धनराशियां	आंकड़े
5	अन्तिम	लखों	लेखाओं
6	4	अशक्त	रुग्ण
6	22	चलान क	चलाने के
7	2, 3, 20, 22	अशक्त	रुग्ण
7	29	को मिलों	को, मिलों
8	11	सरकार न	सरकार ने
8	15	रुपय	रुपये
8	16	अशक्त	रुग्ण
8	23	औरन ई	और नई
9	7	अशक्त	रुग्ण
9	19	किश्तों को	किश्तों की
10	13	खण्डा	खड्डा
10	12, 15 नीचे से	अशक्त	रुग्ण
10	14 नीचे से	समितियां	समितियों
10	8 नीचे से	टनों	मैट्रिक टनों
11	9, 13	अशक्त	रुग्ण
11	14	नियुक्ति	नियुक्त
11	अन्तिम	जिसन	जिसने
12	18	सिवाय	(सिवाय
12	19	थे नीचे	थे, नीचे
13	7 नीचे से	क्षमता क	क्षमता के
19	16	अनुच्छद	अनुच्छेद
19	17	रुपय	रुपये
19	18	मिल क	मिल के
19	20	विद्यत क उपयोग	विद्युत के उपभोग
19	25	कम्पनी क	कम्पनी के
23	5	के मामले को घटाने	को घटाने के मामले
24	8 नीचे से	सम्पत्तियां	सम्पत्तियां,
26	4	निर्याति	निर्वात
27	7	हतु	हेतु
29	9 नीचे से	क मूल्य	के मूल्य

1	2	3	4
30	3	मूल्य]	मूल्य
30	12 नीचे से	कमी-वशियां	कमी-वेशियां
30	3 नीचे से	लिय बिना	लिये बिना
30	अन्तिम	भण्डार क	भण्डार के
30	अन्तिम	भण्डार लखों	भण्डार लेखों
31	8	निगमंन	निर्गमन
31	1, 4, 5 नीचे से	क्षत्र	क्षेत्र
31	2 नीचे से	हिस्स	हिस्से
31	2 नीचे से	गन्न	गन्ने
31	4 नीचे से	कवल	केवल
33	12 नीचे से	पुनस्र्थापना मैं	पुनर्स्थापना में
33	अन्तिम	राशियां	आंकड़
37	10 नीचे से	प्रैसडम	प्रैसमड
39	1	सखोटी–टांडा	सखोती–टांडा
39	3 नीचे से	गन्न	गन्ने
40	4 नीचे से	34 म	34 में
40	3 नीच से	उसक]	उसके
40	2 नीचे से	मिल क	मिल के
40	अन्तिम	करन	करने
41	अन्तिम	नशनल फडरेशन	नेशनल फेडरेशन
42	2	टांक लग]	टांके लगे
44	8 नीचे से	मिट्टी	भट्टी
47	5	घरलू	घरेलू
47	19	(तीन में से) जो	(तीन में से),जो
48	7	थी	थीं
49	25	फर्मों का	फर्मों को
49	7 नीचे से	मिल क	मिल के
49	6 नीचे से	1976 क]	1976 के
50	14 नीचे से	पुनर्वोधित) म	पुनर्वेधित) में
51	15 नीचे से	200	250
54	5	के लिय	के लिये
54	16	परेषणों	प्रेषणों
54	5 नीचे से	सीमेंट	कि सीमेन्ट
57	19	शीरे क	शीरे के
58	3	मिल क	मिल के
58	16 नीचे से	मिश्रित	जल मिश्रित
58	6 नीचे से	लिये उस	लिये
59	9	प्रबन्धक	प्रबन्ध
59	15	आख्या दी	सूचित किया
59	16	अक्तुबर	अक्टूबर
60	3	आवटन	आवंटन
60	25	क बीच	के बीच
60	11	(वाणिज्यक)	(वाणिज्यिक)
61	11	लेखाधिकारी	लेखाकार
62	13 नीचे से	न बताया	ने बताया

1	2	3	4
62	अन्तिम	शष	शेष
63	23	पारित	भारित
63	26	गीली,	गीली'
64	10	ढलाई व्यय	ढुलाई व्यय
65	5	टनों में	मैट्रिक टनों में
65	10 नीचे से	की अनुबन्ध	कि अनुबन्ध
65	2 नीचे से	म ठेकेदारों	में ठेकेदारों
66	9 नीचे से	बढा	बढ़ा
72	17	गारंटियां	गारंटियां
74	4 नीचे से	दोनों	5.02.दोनों
74	3 नीचे से	क सारांशित	के सारांशित
74	12 नीचे से	लाभांश की भी)गारन्टी	लाभांश की भी गारन्टी)
75	18	उपक्षत्रीय	उपक्षेत्रीय
75	13 नीचे से	सवक्षण	सर्वेक्षण
76	16 नीचे से	प्रतिष्ठानों	प्रतिष्ठापनों
77	3 नीचे से	मसिति	समिति
78	8,22	अभिप्राप्ति	अधिप्राप्ति
78	19	उत्पादन	उत्पादक
78	23	को जाने	की जाने
78	25	इलिये	लिये
78	32	क परिणामस्वरूप	के परिणामस्वरूप
78	5 नीचे से	स्वीकृति स	स्वीकृति से
79	1	दि।	दिये
79	11 नीचे से	रुपय	रुपये
79	अन्तिम	क कारण	के कारण
80	3	मट्रिक टन	मैट्रिक टन
80	17	गोलियों क	गोलियों के
80	21	खोली गई	खोली गई
82	8	व्ययों	प्रभारों
82	12	के भुगतान	के लिये भुगतान
82	15	क भुगतान	के भुगतान
82	8 नीचे से	क कारण	के कारण
82	4 नीचे से	सक	सका
82	अन्तिम	उत्पादकों न,	उत्पादकों ने,
82	अन्तिम	ज0पी0सी0	जे0पी0सी0
83	8 नीचे से	स्टशन	स्टेशन
84	3	को निगरानी	की निगरानी
84	5 नीचे से	सब स्टशन	सब-स्टेशन
85	10	सख्या	संख्या
85	18	लिकेज	लिंकेज
85	31	स्कँध	स्कंध
86	9	उच्चतम	उच्चनम
86	10	क लिए	के लिए
86	5 नीचे से	प्रात	प्रति
90	12	पुर्नमूल्यांकन	पुनर्मूल्यांकन

1	2	3	4
90	14	कि परिणामस्वरूप	परिणामस्वरूप
90	12 नीचे से	लेखों	मासिक लेखों
91	10	लखें !	लेखें
91	21	(ii)	(iii)
91	7 नीचे से	स्थानान्तरण मृत्यु	स्थानान्तरण/मृत्यु
92	5 नीचे से	भडार	भंडार
93	16	क लिए)	के लिए)
93	16	आदश परिषद्	आदेश परिषद
93	11 नीचे से	क एक	के एक
93	3 नीचे से	व्वयस्था	व्यवस्था
94	22	वितण	वितरण
94	9 नीचे से	रुपय से	रुपये से
94	8 नीचे से	लखों में इस शीर्षक क	लेखों में इस शीर्षक के
94	7 नीचे से	भुगतान दोहरे भगतान	भुगतान/दोहरे भुगतान
95	7 नीचे से	जाने थ	जाने थे
95	5 नीचे से	पुर्वानुमानित	पूर्वानुमानित
95	3 नीचे से	निदश	निदेश
96	17 नीचे से	के अवधि	की अवधि
96	10 नीचे से	5291	52.91
96	9 नीचे से	रुपय और	रुपये और
96	9 नीचे से	रुपय मूल्य	रुपये मूल्य
96	8 नीचे से	क भण्डारों	के भण्डारों
96	7 नीचे से	भण्डार कन्द्र	भण्डार केन्द्र
98	3 नीचे से	समान	सामान
99	14 नीचे से	जुलाई	30 जुलाई
99	9 नीचे से	तथापि	,तथापि,
99	7 नीचे से	अधिकारी क	अधिकारी के
99	4 नीचे से	न मार्च	नें मार्च
99	2 नीचे से	क लिए	के लिए
99	2 नीचे से	खण्ड न	खण्ड नें
99	अन्तिम	लिय दय	लिये देय
102	18 नीचे से	विद्यत्	विद्युत्
103	19 नीचे से	कम रहा आ रहा	कम आ रहा
107	अन्तिम	क्षत्रीय	क्षेत्रीय
109	12	तक आदश	तक आदेश
109	10	सूचत	सूचित
110	5	एक राज्य सरकार	किसी राज्य सरकार
110	5	एक सरकार	किसी सरकार
110	6	एक कम्पनी	किसी कम्पनी
115	अंतिम कालम 13	1.83	1.83
122	3	बत्तीय	वित्तीय
122	6 नीचे से	1959	1958

पी० एस० यू० बी०—ए० पी० 5 महालेखाकार-1-8-1977—1417-1750 (हिन्दी)।